

सा मा जि क स मा घा त आँ क ल न

भानुपली-बिलासपुर-बेरी नवीन ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण

ज़िला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

एसआइए (SIA) रिपोर्ट, 2021



कार्यकारी संस्था



SOCIAL RESPONSIBILITY ASIA



निदेशक से संक्षिप्त सन्देश

यह सामाजिक समाघात आंकलन (एसआईए) की प्रारूप रिपोर्ट भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और स्थानांतरण अधिनियम (RFCTLARR), 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार और हिमाचल प्रदेश सामाजिक समाघात आंकलन (एचपीएसआईए) नियम 2015, के अनुसार एसआर एशिया द्वारा तैयार की गयी है। अनुसंधान दल ने चंडीगढ़ में रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल), परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) के अधिकारियों और जिला बिलासपुर के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, परियोजना प्रभावित जन प्रतिनिधियों और परियोजना प्रभावित परिवारों के साथ मूल्यवानपरामर्श किया। अनुसंधान दल द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव, स्थानीय पारिस्थितिकी, संस्कृति और सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल पर आंकड़ा एकत्र करने हेतु क्षेत्रों का भ्रमण किया गया है।

हम सभी सरकारी अधिकारियों और परियोजना प्रभावित परिवारों सहित सभी हितधारकों को उनके समय, निरंतर समर्थन एवं सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

हम इस अध्ययन के सभी प्रतिभागियों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हैं एवं उनके सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं।

हम श्री पंकज राय- आईएएस (उपायुक्त), सुश्री टोरुल एस रवीश- आईएएस (अतिरिक्त उपायुक्त) जिला बिलासपुर, अध्यक्ष एचआईपीए-एसआईयू और -एसआईयू के अधिकारियों को एसआईए प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दिये गये सहयोगके लिए धन्यवाद देते हैं।

श्री बीरेंद्र रतूड़ी
(अंतर्राष्ट्रीय निदेशक)
एसआर एशिया

अभिस्वीकृति

यह सामाजिक समाघात आंकलन (एसआईए) की प्रारूप रिपोर्ट भूमि अधिग्रहण क्षेत्र की गहन जांच, विस्तृत आंकड़ा विश्लेषण और अध्ययन के दौरान किए गए गम्भीर विचार-विमर्श का एक परिणाम है।

हम बिलासपुर जिले में “ब्रॉड गेज रेलवे लाइन बिछाने” परियोजना के लिए एसआर (SR) एशिया को सामाजिक समाघात का कार्य प्रदान करने के लिए हिपा-एसआईएयू (HIPA-SIAU) का आभार प्रकट करते हैं। हम श्री रामेश्वर प्रसाद जी, एसडीएम (SDM) भूमि अधिग्रहण कार्यालय (एलएओ) और उनकी टीम के आभारी हैं, जिन्होंने जुलाई-अगस्त 2021 के महीने में परियोजना स्थल पर अध्ययन के दौरान आवश्यक जानकारी और समर्थन प्रदान करने के लिए आवश्यक भूमि रिकॉर्ड और दस्तावेजों को साझा किया। हम श्री राजीव सोनी, मुख्य परियोजना प्रबंधक, रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल), चंडीगढ़ उनकी टीम को परियोजना स्थल पर एसआईए टीम का सहयोग करने के लिए धन्यवाद देते हैं।

हम परियोजन प्रभावित परिवारों, जन प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, वार्ड सदस्यों एवं स्वयंसेवकों द्वारा भूमि आँकड़े, सामाजिक एवं परियोजना के लाभ एवं चुनौतियाँ पर साझा किए गए समय, सहयोग एवं विचार को भी स्वीकार करते हैं और इनकी सराहना करते हैं। हम स्थानीय लोगों को सर्वेक्षण के समय एसआईए टीम के साथ किए गए सहयोग हेतु कृतज्ञता व्यक्त करते हैं एवं इस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उनकी रुचि एवं सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देता है।

श्री अमेय आत्मन

परियोजना प्रमुख (तकनीकी), एसआर (SR) एशिया

विषय तालिका

संक्षिप्त रूप और परिवर्णी शब्द

कार्यकारी सारांश

1. परियोजना का विस्तृत वर्णन

1.1 परियोजना की पृष्ठभूमि	14
1.2 परियोजना का औचित्य	14
1.3 परियोजना स्थल	15
1.4 परियोजना के हितधारक	16
1.5 बनावटविस्तार और समय	17
1.6 परियोजना का विकल्प	19
1.7 परियोजना की कानून और नीतियां	19

2. टीम संरचना, दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली

2.1 उद्देश्य और अध्ययन का दायरा	20
2.2 बैठक	20
2.3 हितधारक संबद्ध और क्षेत्र कार्य की शुरुआत	21
2.4 टीम संरचना	23
2.5 दृष्टिकोण और शोध कार्यप्रणाली	24
2.6 जन सुनवाई	26
2.7 कार्य योजना और अनुसूची	32

3. भूमि आंकलन

3.1 परियोजना के लिए आवश्यक भूमि	33
3.2 भूमि उपयोग पैटर्न	33
3.3 भूमि और मिट्टी का प्रकार	34
3.4 भूमि का स्वामित्व	34

4. सामाजिक , आर्थिक और सांस्कृतिक वर्णन

4.1 क्षेत्र की भौगोलिक रूपरेखा	108
4.2 जिला बिलासपुर की जनसांख्यिकी रूपरेखा	109

4.-3परियोजना प्रभावित परिवारों की सामाजिकआर्थिक रूपरेखा) PAFs)	109
4.4 ग्राम/वार्ड प्रोफाइल) पंचायत/नगरपालिका वार(.....	121
5. प्रभावित संपत्ति का आंकलन और गणना	
5.1 निवासों की संख्या/प्रभावित ढाँचे	163
5.2 सामान्य संपत्ति की हानि	163
5.3 व्यक्तिगत संपत्ति की हानि	164
6. सामाजिक प्रभाव	
6.1 प्रभावों की पहचान के लिए रूपरेखा	171
7. लागत और लाभ विश्लेषण	
7.1. सार्वजनिक उद्देश्य का आकलन.....	184
7.2 संरचनाओं और इसके परिमाण पर प्रभाव.....	184
7.3 मुआवजे के निर्धारक	185
7. 4पात्रता मैट्रिक्स.....	185
7.5 भूमि और निर्मित संपत्तियों की लागत का अनुमान.....	186
7. 6परियोजना की लागत और लाभ.....	199
7. भूमि के अधिग्रहण के लिए 77 शर्तें और सिफारिशें.....	203
7.8 भूस्वामियों को दी जाने वाली मुआवजा राशि	203
8.0 जन सुनवाई	
8.1 प्रतिलेख और जन सुनवाई के मुख्य बिंदु - तिथिवार.....	217
8.2	केबीबीबी
प्रतिनिधित्व:.....	214
8.2	द्वारा
9. सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (SIMP)	
9.1 शमन की प्रक्रियाँ	217
9.2 नकारात्मक प्रभाव एवं क्षतिपूर्ति को कम करने के उपाय.....	217
9.3 शिकायत निवारण तंत्र	220
9. 4सांस्थानिक संरचनाएं और SIMP कार्यावाही के प्रमुख व्यक्ति	221

9.5 अतिरिक्त सुझाव- शमन उपाय 226

9.6 आय बहाली की गतिविधियां	227
9.7 हिमाचल प्रदेश नियम 2015 के अनुसार आवश्यक निकाय द्वारा उपाय	228
9.8. शिकायत निवारण समिति (जीआरसी)	230
10. निगरानी और मूल्यांकन	231
११. सिफारिशें.....	237
सन्दर्भ.....	238

प्रपत्र-2 के अनुसार रिपोर्ट की क्रॉस फंक्शनल मैपिंग

अनुबंध 1: सामाजिक परामर्श

अनुबंध 2.1: अध्ययन प्रश्नावली (अंग्रेजी और हिंदी में)

अनुबंध 2.2: सामाजिक परामर्श का प्रारूप

अनुबंध 3: संसाधनों के नक्शे

अनुबंध 4: क्षेत्र अध्ययन की तस्वीरें

अनुबंध 5: जमीन खरीद-फरोख्त के दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ (बामटा और टाली पंचायत से)

अनुबंध 6: बामटा पंचायत में स्वीकृत की गयी शिकायतों का सारांश

संक्षिप्त रूप और परिवर्णी शब्द

पीएफ (PAFs)	परियोजना प्रभावित परिवार
पीएपी (PAP)	परियोजना प्रभावित व्यक्ति
सीपीआर (CPR)	सार्वजनिक संपत्ति साधन
डीपीआर (DPR)	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
एफजीडी (FGD)	समूह केन्द्रित विमर्श
एनए (NA)	लागू नहीं
RFCTLARR 2013	भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं स्थानांतरण अधिनियम में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, 2013
आर एवं आर (R&R)	पुनर्वास एवं स्थानांतरण
एस आई ए (SIA)	सामाजिक प्रभाव आंकलन
एस आई एम पी (SIMP)	सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना
एस एन डी (SND)	श्री नैना देवीजी
हिपा (HIPA)	हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान
आर वी एन एल (RVNL)	रेल विकास निगम लिमिटेड
बी बी बी (BBB)	भानुपली – बिलासपुर – बेरी
एच पी (HP)	हिमाचल प्रदेश
एच पी एस आई ए (HPSIA)	हिमाचल प्रदेश सामाजिक प्रभाव आंकलन
पी आई यू (PIU)	परियोजना कार्यान्वयन इकाई
जे वी (JV)	संयुक्त उद्यम
सी पी एम (CPM)	मुख्य परियोजना प्रबंधक
एस डी एम (SDM)	उप प्रभागीय अधिकारी

कार्यकारी सारांश


परियोजना और सार्वजनिक उद्देश्य

सामाजिक समाघात आंकलन (एसआईए) जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के दो तहसीलों श्री नैना देवीजी और बिलासपुर सदर तहसील के 26 गांवों में भानुपाली-बिलासपुर-बेरी नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के निर्माण के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण के कारण सामाजिक प्रभावों का अध्ययन किया गया।

भानुपाली-बिलासपुर-बेरी नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का निर्माण हिमाचल प्रदेश में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के पहले विकास कार्यों में से एक होगा। यह इस परियोजना की विशिष्टता को दर्शाता है। यह आने वाले वर्षों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगा और बेहतर बुनियादी ढांचे, पर्यटन विकास और रेल संयोजकता को भी बढ़ावा देगा। यह परियोजना लम्बे समय में स्थानीय निवासियों और आसपास के क्षेत्रों के लिए उपयोगी साबित होगी। साथ ही यह परियोजना आने वाले भविष्य में एक रणनीतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जो राष्ट्रीय हित के लिए भी इसके महत्व को दर्शाता है।


निजी भूमि का अधिग्रहण करके और इस तरह परियोजना के निर्माण को पूरा करके एक सार्वजनिक उद्देश्य निश्चित रूप से पूर्ण किया जा सकता है। यदि परियोजना पूरी हो जाती है, तो यह संयोजकता में सुधार करेगी और यात्रियों को सुगम, तेज और सुरक्षित आवागमन और परिवहन सेवाएं प्रदान करेगी। यदि परियोजना में देरी होती है, तो इससे परियोजना की कुल लागत में वृद्धि होगी, जिसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश सरकार और इसके निवासियों दोनों पर पड़ेगा। यदि परियोजना को रोक दिया जाता है, तो इससे न केवल धन की हानि होगी, बल्कि परियोजना पर अब तक खर्च किए गए संपूर्ण जनशक्ति और संसाधनों की भी बर्बादी होगी। इसलिए, प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की सामाजिक लागत और लाभों का आंकलन यह मानकर किया गया है कि परियोजना के स्थान या अधिग्रहण की जाने वाली भूमि की क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं होगा।

परियोजना स्थल



चित्र 1: जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में परियोजना स्थान और दो तहसीलों, श्री नैनादेवी (एसएनडी) तहसील और सदर तहसील का विवरण। जहां हमारा परियोजना क्षेत्र है।

यह परियोजना श्री नैनादेवी (एसएनडी) तहसील के ग्राम कंगुवाली से सदर तहसील के बामटा गाँव तक फैला हुआ है और इसमें श्री नैना देवीजी तहसील के 10 राजस्व गाँव और सदर तहसील के 16 राजस्व गाँव शामिल हैं।



चित्र 2: परियोजना क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं के साथ प्रभावित गांवों का स्थान (नीले बिंदुओं के द्वारा)

चित्र 1 और 2 26 गांवों के विशिष्ट स्थान के साथ परियोजना क्षेत्र की स्थिति को दर्शाता है।



भूमि अधिग्रहण का क्षेत्रफल और विशेषताएं

इस परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली कुल 667 बीघा 15 बिस्वा निजी भूमि दो तहसीलों सदर और श्री नैना देवीजी (एसएनडी) के 26 गांवों की हैं। भूमि का विवरण और क्षेत्रफल भूमि अधिग्रहण कार्यालय (एलएओ), जिला बिलासपुर से प्राप्त भूमि विवरण के अनुसार है। जिसमें से 308 बीघा 7 बिस्वा निजी भूमि, श्री नैनादेवीजी (एसएनडी) तहसील के 10 राजस्व गांवों नामतः कंगुवाली, धारोट, खैरियां, थापना, समलेटू, जब्बल, टिककर, दगड़ाहन, टाली, भटेड़ में स्थित हैं और शेष 359 बीघा 8 बिस्वा भूमि सदर तहसील के कोट, तुहनु, नयी सारली, भराड़ी, माणवा, रामपुर, खानसरा, रघुनाथपुरा, कोहलवीं, बामटा, बैहल कन्डैला, बध्यात, खैरियां लुहणू, उप-महाल बलोह, उप-महाल बिलासपुर, उपमहाल डियारा नामक 16 राजस्व गांवों में हैं।

पंचायत का नाम	ग्रामों का नाम (तहसीलवार)	अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (बीघा में)
तहसील श्री नैना देवीजी		
कोटखास	कंगुवाली	26 – 14 (26 बीघा 14 बिस्वा)
धारोट	धारोट	8 – 5 (8 बीघा 5 बिस्वा)
स्वाहान	खैरियां	1 – 9 (1 बीघा 9 बिस्वा)
मंझेर	थापना	9 – 13 (9 बीघा 13 बिस्वा)
	समलेटू	1 – 13 (1 बीघा 13 बिस्वा)
	जब्बल	51 – 8 (51 बीघा 8 बिस्वा)
	टिककर	1-4 (1 बीघा 4 बिस्वा)
	दगड़ाहन	33 – 13 (33 बीघा 13 बिस्वा)

टाली	टाली	111 – 10 (111 बीघा 10 बिस्वा)
	भटेड़	62 – 12 (62 बीघा 12 बिस्वा)
योग	10 ग्राम	308 – 7 (308 बीघा 7 बिस्वा)
तहसील सदर (बिलासपुर)		
कल्लर	कोट	7 – 17 (7 बीघा 17 बिस्वा)
	तुहनू	3 – 1 (3 बीघा 1 बिस्वा)
नयी सारली	नई सारली	3 – 16 (3 बीघा 16 बिस्वा)
नओनी	भराड़ी	8 – 4 (8 बीघा 4 बिस्वा)
	माणवां	30 – 11 (30 बीघा 11 बिस्वा)
रघुनाथपुरा	रामपुर	12 – 1 (12 बीघा 1 बिस्वा)
	खानसरा	11 – 3 (11 बीघा 3 बिस्वा)
	रघुनाथपुरा	34 – 14 (34 बीघा 14 बिस्वा)
	कोहलवीं	3 – 15 (3 बीघा 15 बिस्वा)
बामटा	बामटा	5 – 17 (5 बीघा 17 बिस्वा)
	बैहल कन्डेला	55 – 6 (55 बीघा 6 बिस्वा)
	बध्यात	97 – 6 (97 बीघा 6 बिस्वा)
	खैरियां लुहणू	24 – 15 (24 बीघा 15 बिस्वा)
लखनपुर वार्ड 11	उप महाल बलोह	18 – 7 (18 बीघा 7 बिस्वा)
बिलासपुर वार्ड 10	उपमहाल बिलासपुर	27 – 9 (27 बीघा 9 बिस्वा)
डियारा वार्ड 8	उपमहाल डियारा	15 – 6 (15 बीघा 6 बिस्वा)
योग	16 ग्राम	359 – 8 (359 बीघा 8 बिस्वा)
कुल योग	26 ग्राम	667 – 15 (667 बीघा 15 बिस्वा)

तालिका 10: संबंधित गांवों में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का विवरण



चित्र 3: पीएएफ (PAF) का तहसीलवार वितरण

चित्र 4: अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का वितरण

चित्र 3 परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के तहसीलवार विवरण को दर्शाता है। इन दो तहसीलों के 26 गांवों में कुल 247 परियोजना प्रभावित परिवार 647 भूखंड संख्या में फैले हुए हैं। 247 प्रभावित परिवार में से 107 पीएएफ श्री नैना देवीजी (एसएनडी) तहसील और शेष 140 पीएएफ सदर तहसील से हैं। चित्र 4 प्रत्येक तहसील में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के विवरण को दर्शाता है।

तालिका 2: अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण

सर्वेक्षण के लिए प्रभावित परिवारों की संख्या	247 संख्या (107 एसएनडी तहसील और 140 सदर तहसील)
कुल भूखंड संख्या	647 संख्या
अधिग्रहित की जाने वाली कुल भूमि का क्षेत्रफल	667 बीघा 15 बिस्वा
भूमि का स्वामित्व	निजी स्वामित्व या समुदाय द्वारा संयुक्त स्वामित्व
भूमि का वर्गीकरण	कृषि एवं आवासीय
भूमि का उपयोग	कृषि, बागवानी, आवासीय, वाणिज्यिक और सामुदायिक उपयोग


तालिका 2 में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के विवरण को दर्शाता है। व्यक्तिगत सर्वेक्षण के लिए कुल पीएफ 247 हैं और RFCTLARR अधिनियम, 2013 के अनुसार सर्वेक्षण के लिए सभी गांवों के पीएफ से व्यक्तिगत रूप से एंव टेलीफोन से संपर्क किया गया था। पर बामटा पंचायत, सदर तहसील के चार गांवों और टाली पंचायत, श्री नैना देवीजी तहसील के तीन गांवों में कुछ पीएफ ने व्यक्तिगत सर्वेक्षण में भाग लेने से इनकार कर दिया एंव बामटा पंचायत के पीएफ ने लिखित में अपनी आपत्तियां प्रदान कीं। इसलिए जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में एसएनडी और सदर तहसील में कुल 197 पीएफ का सर्वेक्षण किया जा सका।

परियोजना का विकल्प

राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कई विकल्पों पर विचार करने के बाद ही इस परियोजना का निर्धारण किया गया है। टीम ने वैकल्पिक मार्ग की संभावना का भी आंकलन किया है। परियोजना के रणनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तावित मार्ग सबसे उपयुक्त है और जिसका भूमि अधिग्रहण किया जाना है। यह इस परियोजना को पूरा करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता है।

सामाजिक प्रभाव

परियोजना का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पीएफ, स्थानीय आबादी और पर्यावरण पर पड़ेगा। एक तरफ रेल संपर्क में सुधार, देश के अन्य हिस्सों तक पहुँच बढ़ाना, यात्रा के समय को कम करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, प्रवास को कम करना और बेहतर बुनियादी ढांचे में योगदान देकर यह क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देगा। यह परियोजना राष्ट्रहित में एक सकारात्मक कदम साबित होगी। हालांकि यह उन लोगों की कीमत पर होगा जिनकी जमीन इसके निर्माण से प्रभावित होगी। कुछ पीएफ अपनी जमीन को काफी हद तक खो देंगे जो उनके लिए आय का एक स्रोत है। व्यक्तिगत और सामुदायिक संपत्ति जैसे नलकूप, बोरवेल और पेड़ों की हानि भी पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच को प्रभावित करेगी, लेकिन सुझाए गए उचित शमन समग्र सकारात्मक प्रभाव को सुनिश्चित और अधिकतम करेगा। प्रमुख मुद्दों का सारांश इस प्रकार है;



कुप्रभाव को कम करने का उपाय

सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और अन्य महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए शमन उपाय किए जाने हैं। बड़े आर्थिक और सांस्कृतिक अस्थिरता से बचने के लिए रेलवे स्टेशन के निर्माण के कारण प्रभावित होने वाले गांवों के लिए पुनर्वास और स्थानांतरण पैकेज का भी सुझाव दिया गया है। विस्तृत सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना (SIMP) पर बाद में प्रतिवेदन में चर्चा की गई है।

धारणाएं और सीमायें

भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के नतीजे के दौरान यह अध्ययन किया गया था। यह एसआईए (SIA) अध्ययन आधुनिक मानव इतिहास में अब तक हुई सबसे कठिन और कमजोर परिस्थितियों में से एक में आयोजित किया गया था। इस अध्ययन की कई सीमाएँ थीं, जिन्हें छोड़कर अध्ययन के परिणामों को बढ़ाया जा सकता था। विस्तृत अनुमान और सीमाएँ इस प्रकार हैं:

- कोविड-19 महामारी ने बड़ी सभा या समूह चर्चा की अनुमति नहीं दी, जिसने सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया की क्षमता और परिणामों को सीमित कर दिया गया।
- प्रभावित संपत्तियों की संख्या का आकलन हमारे सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण अध्ययन के आधार पर किया गया है। इसे प्रभावित संरचनाओं और संपत्तियों की सबसे वस्तुनिष्ठ गणना के रूप में नहीं माना जा सकता है। निर्मित ढांचों की गिनती जिला प्रशासन द्वारा ठीक से की गई है लेकिन आगे पेड़, बागवानी उत्पादों सहित अन्य संपत्तियों की गिनती की जा सकती है।
- परियोजना निर्माण की तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट और डिजाइन योजना की अनुपलब्धता के कारण, भारत में निर्मित पिछली रेलवे परियोजनाओं के आधार पर पर्यावरणीय प्रभावों का अनुमान लगाया गया है।
- बेरी के निकट रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए परियोजना स्थलों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए एसआईए की टीम ने इसे बामटा पंचायत के इलाके में माना।

सामाजिक लागतों और लाभों का आकलन

किसी परियोजना के सम्बंध में निर्णय लेने में लागत-लाभ विश्लेषण एक उपयोगी उपकरण है। लेकिन परियोजना की शुद्धता और विश्वसनीयता लागत और लाभों के आकलन की सटीकता से निर्धारित होती है। परियोजना की लागत और लाभ दोनों में मौद्रिक और गैर-मौद्रिक तत्व होते हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हितधारकों के संदर्भ में होते हैं। सामाजिक लाभ भी भावी पीढ़ी और गैर-मानवीय हितधारकों से संबंधित हैं। इसलिए किसी परियोजना की सभी लागतों और लाभों का आर्थिक मूल्यांकन संभव नहीं है। कई मामलों में मूल्यों को आनुमानित करके कार्य करना पड़ता है। इसलिए सामाजिक लागतों और लाभों का आकलन एक अत्यधिक जटिल और बहुत ही चुनौतीपूर्ण अभ्यास है। जिससे मूल्यांकन के गलत होने की अधिक संभावना है।

इस दृष्टि से भानुपाली-बिलासपुर-बेरी नवीन ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना के निर्माण की लागत एवं लाभ का अनुमान लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। लेकिन सहज तर्क से यह उम्मीद की जाती है कि परियोजना से होने वाले लाभ इसकी लागत से अधिक होंगे। इसलिए उस पर निर्देशित होने के लिए समय, धन और प्रयास के लायक यह परियोजना है और रेलवे एवं अर्थव्यवस्था के अत्याधिक विकास में एक सार्थक योगदान देगी।

1.परियोजना का विस्तृत विवरण

भारत सरकार ने भनोपाली (जिला रूपनगर, पंजाब में आनंदपुर साहिब के पास) से बेरी (जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में) तक एक नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के पहले और दूसरे चरण के निर्माण की योजना बनाई है। रेल लाइन की कुल लम्बाई 63.10 किलोमीटर है। इसमें से लगभग 11 किलोमीटर रेलवे लाइन पंजाब से होकर गुजरती है और शेष लगभग 52 किलोमीटर रेलवे लाइन जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। इस रेलवे लाइन के निर्माण के लिए निजी भूमि के अधिग्रहण से सम्बंधित मामलों के लिए जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के 26 गांवों में रेलवे लाइन के 52 किमी के दायरे में सामाजिक समाघात अंकाकलन (एसआईए) कराने के लिए एस आर (SR) एशिया को नामित किया गया है। पंजाब के भीतर 11 किलोमीटर के विस्तार के लिए ग्रामीण और औद्योगिक विकास अनुसंधान केंद्र (CRRID), चंडीगढ़ द्वारा 2018-19 में एक एसआईए अध्ययन किया गया है।

इस परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली 26 गांवों से कुल 667 बीघा 15 बिस्वा निजी भूमि दो तहसीलों क्रमशः सदर और श्री नैना देवीजी (एसएनडी). जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश की हैं। भूमि का विवरण और क्षेत्र भूमि अधिग्रहण कार्यालय (एलएओ), जिला बिलासपुर के अनुसार है। जिसमें से 308 बीघा 7 बिस्वा निजी भूमि श्री नैनादेवीजी (एसएनडी) तहसील के 10 राजस्व गांवों नामतः कांगुवाली, धारोट, खैरियां, थापना, समलेटू, जबल, टिककर, डगराहन, तल्लियांद भटेर में स्थित है और शेष भूमि 359 बीघा 8 बिस्वा सदर तहसील के 16 राजस्व ग्राम नईसरली, भरारी, उप-महोलबलोह, उप-महोल बिलासपुर, कोट, तुहनु, नई सरली, भरारी, मनवा, रामपुर, खानसरा, रघुनाथपुरा, कोहलवीन, बामटा, बहल कंदेला, बध्यात, खैरियां लुहनु के हैं।

तालिका 1.1: परियोजना की मुख्य विशेषताएं

परियोजना का नाम	भानुपाली से बेरी तक एक नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के पहले और दूसरे चरण का निर्माण।
कुल लम्बाई	63.10 किमी जिसमें से लगभग 11 किमी पंजाब से होकर गुजरती है और शेष 52 किमी जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है।
कुल समय	प्राधिकरण यानी आरवीएनएल चंडीगढ़ के अनुसार, परियोजना को अधिग्रहण के बाद लगभग 4 से 5 वर्षों के भीतर पुरा करना है।
परियोजना लागत	रु. 6,700 करोड़
भूमि अधिग्रहण में लागत का अनुमान	लगभग 340-350 करोड़ रुपये (एसआईए अध्ययन के अनुसार)
प्रारंभिक स्थल	पंजाब में भानुपाली के पास
अंतिम स्थल	जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में बेरी के पास।
मुख्य विशेषताएं	यह परियोजना हिमाचल प्रदेश की पहली ब्रॉड गेज रेलवे लाइन परियोजना में से एक है। 20 सुरंग और 24 पुल होंगे।

	भारत-चीन सीमा के पास रक्षा बलों की यात्रा / आवाजाही को आसान बनाने के लिए इसे आगे लेह तक बढ़ाया जाएगा।
परियोजना हितधारक	कार्यान्वयन एजेंसी: रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) चंडीगढ़। भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण: भूमि अधिग्रहण कार्यालय (एलएओ), जिला प्रशासन, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। जिला बिलासपुर के 26 गांवों में परियोजना से प्रभावित परिवारों के साथ-साथ अप्रभावित परिवार भी।
कार्यान्वयन का तरीका	यह परियोजना रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) चंडीगढ़, रेल मंत्रालय की एक सरकारी कंपनी द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। वास्तविक निर्माण परियोजना के लिए उप-ठेकेदार भी होंगे।

1.1 परियोजना की पृष्ठभूमि

हिमाचल प्रदेश में मौजूदा रेलवे नेटवर्क ब्रिटिश काल का है। तब इसे मुख्य रूप से पर्यटन के उद्देश्य से विकसित किया गया था। यह क्षेत्र राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़ा नहीं है। भारत सरकार ने पंजाब के भानुपाली से बेरी, हिमाचल प्रदेश के बीच एक नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। जिसकी अनुमानित लागत लगभग 6700 करोड़ रुपये है। प्रस्तावित नई ब्रॉड-गेज रेलवे लाइन क्षेत्रीय विकास, राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क के साथ-साथ रणनीतिक उद्देश्यों के लिए लेह की ओर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को जोड़ने के लिए प्रवेश द्वार जैसे कई उद्देश्यों की पूर्ति करेगी। यह परियोजना औद्योगीकरण, पर्यटन, लघु और मध्यम व्यापार उद्यमों और व्यापार को बढ़ावा देकर हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बदलने की संभावना है।

रेल मंत्रालय द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) को सर्वेक्षण, रुपरेखा, योजना और कार्य के निष्पादन का जिम्मा सौंपा गया है। प्रस्तावित रेल लिंक शाखाएं उत्तर रेलवे के सरहिंद-नंगल बांध खंड के मौजूदा भानुपाली स्टेशन (पंजाब) से है। प्रस्तावित रेल लाइन पंजाब राज्य की सीमा को पार करेगी और हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित बिलासपुर होते हुए बेरी पहुँचेगी।

1.2 परियोजना का औचित्य


इस रेल परियोजना का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को ब्रॉड गेज रेल संयोजकता प्रदान करना है। हिमाचल प्रदेश में बहुत सीमित रेल संपर्क है। राज्य में केवल दो रेल लाइनें हैं, अर्थात् कालका से शिमला और पठानकोट से जोगिंदर नगर (कांगड़ा घाटी में) तक। ये दोनों ट्रेक नैरो गेज ट्रेक हैं। राज्य के कुछ स्थानों को छोड़कर राज्य का कोई भी हिस्सा ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के द्वारा जोड़ा जा सकता है। राज्य के लिए हाल ही में कुछ व्यस्त रेल लाइन परियोजनाओं की मांग को मंजूरी दी गई थी। भानुपाली-बिलासपुर-बेरी रेल परियोजना उन स्वीकृत परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के पूरा होने पर बिलासपुर, बेरी और इस लाइन के अन्य क्षेत्रों को देश के बाकी हिस्सों से रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जायेगा, जो हिमाचल प्रदेश के इस क्षेत्र के लिए बहुत फायदेमंद होगा। आम जनता के अलावा, बरमाना में सीमेंट फैक्ट्री, बिलासपुर, बेरी और सुंदरनगर के आसपास सब्जियों और फूलों की खेती करने वाले किसानों के साथ-साथ कुल्लू घाटी के सेब के बागवान इस रेल परियोजना के विशेष लाभार्थी होंगे क्योंकि सड़क परिवहन पर उनकी निर्भरता उनके विपणन के लिए है।

प्रस्तावित नई ब्रॉड-गेज रेलवे लाइन क्षेत्रीय विकास, राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क के साथ क्षेत्र की संयोजकता के साथ-साथ रणनीतिक उद्देश्यों के लिए लेह की ओर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को जोड़ने के लिए प्रवेश द्वार जैसे कई उद्देश्यों की पूर्ति करेगी। यह परियोजना औद्योगीकरण, पर्यटन, लघु और मध्यम व्यापार उद्यमों और व्यापार को बढ़ावा देगी। जिससे हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बदलने की संभावना है। भविष्य में, इस क्षेत्र से देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रक्षा बलों की परिवहन


जरूरतों को पूरा करने के लिए रेलवे लाइन को लेह तक विस्तारित करने का भी प्रस्ताव है। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर परिवहन के तेज और हर मौसम में विश्वसनीय साधन की आवश्यकता एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों और उपकरणों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक है।

इस बात पर और जोर दिया जा सकता है कि यह परियोजना महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तथ्य से स्पष्ट है कि उत्तर रेलवे ने 475 किलोमीटर लंबी बिलासपुर-मनाली-लेह नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का अंतिम स्थान-सर्वेक्षण कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है और जल्द ही रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की योजना है। एक बार जब इस रेल लाइन को लेह तक बढ़ा दिया जायेगा, तो यह इस क्षेत्र में देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रक्षा बलों की अधिकांश परिवहन जरूरतों को पूरा करेगी। इसके अलावा, प्रस्तावित रेल लाइन से हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार संभावना है। यह औद्योगीकरण, पर्यटन, बागवानी, लघु और मध्यम व्यापार उद्यमों और व्यापार को बढ़ावा देगा।

1.3 परियोजना स्थल




चित्र 1.1: जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में परियोजना का स्थान और तहसील का वितरण



चित्र 1.2 जिला बिलासपुर की भौतिक विशेषताओं के साथ प्रभावित गांवों का स्थान

चित्र 1.2 और 1.3 जिला बिलासपुर में गांवों के विशिष्ट स्थान के साथ परियोजना क्षेत्र की भौतिक और इलाके की विशेषताओं को दर्शाता है।



चित्र 1.3 परियोजना क्षेत्र की भूभागीय विशेषताएं

1.4 परियोजना के हितधारक

भानुपाली-बिलासपुर-बेरी रेलवे लाइन परियोजना के निर्माण में तीन प्रमुख हितधारक हैं।

1.4.1 कार्यान्वयन एजेंसी: रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल), चंडीगढ़

इस परियोजना में काम का यह हिस्सा रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल), रेल मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसे **2015** में परियोजना को तैयार करने के लिए सौंपा गया था। रेल मंत्रालय की तरफ से आरवीएनएल एक विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करता करता है। यह परियोजना विकास और संसाधन जुटाने आदि को सीधे या परियोजना विशिष्ट एसपीवी बनाकर या उपयुक्त पाए जाने वाले किसी अन्य वित्तपोषण ढांचे द्वारा एक अम्ब्रेला एसपीवी के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त है। आरवीएनएल के अध्यादेश में इक्विटी के मिश्रण के माध्यम से अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाना और बैंकों, वित्तीय संस्थानों, एशियाई विकास बैंक जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों, बंदरगाह और ग्रामिण क्षेत्रों से सम्पर्क के लिए परियोजना विशिष्ट एसपीवी के गठन द्वारा पीपीपी के माध्यम से परियोजना निष्पादन के लिए द्विपक्षीय एजेंसियों से ऋण लेना शामिल है। आरवीएनएल फास्ट ट्रेक पर रेल बुनियादी ढांचे की क्षमता के निर्माण और वृद्धि से संबंधित व्यवसाय में प्रवेश कर सकता है और उसे आगे बढ़ा सकता है।

पूर्व माननीय प्रधान मंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सहयोग से आरवीएनएल को **24 जनवरी, 2003** को चैन् के रूप में शामिल किया गया था। पूर्व माननीय प्रधान मंत्री का विचार से भारतीय रेलवे लाइन पर बुनियादी ढांचे की कमी को समाप्त करना था और तदनुसार **15.08.2002** को लाल किले से अपने संबोधन में राष्ट्रीय रेल विकास योजना के बारे में घोषणा की गई। एनआरवीआई को औपचारिक रूप से पूर्व माननीय प्रधान मंत्री द्वारा **26.12.2002** को लॉन्च किया गया था और एनआरवीआई को लागू करने के लिए, आरवीएनएल को तत्कालीन कंपनी अधिनियम **1956** के अनुसार रेल बुनियादी ढांचे की क्षमता के निर्माण और वृद्धि से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दोहरे उद्देश्यों के साथ शामिल किया गया था। कंपनी का काम ट्रैक आधार और रेल परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाना। कंपनी ने **2005** में निदेशक मंडल की नियुक्ति के साथ अपना संचालन शुरू किया। सितंबर **2013** में कंपनी को मिनीरत्न का दर्जा दिया गया था।

संगठनात्मक संरचना और वित्तीय रूपरेखा

आरवीएनएल में विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन इकाइयां (पीआईयू), संयुक्त उद्यम (जेवी) और विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) शामिल हैं। जिन परियोजनाओं का नेतृत्व आरवीएनएल करता है या पुरी तरह से आरवीएनएल पर निर्भर होते हैं, उन्हें मुख्य परियोजना प्रबंधक (सीपीएम) की अध्यक्षता में पीआईयू के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और रेल विकास निगम

लिमिटेड (आरवीएनएल) के जनादेश के एक भाग के रूप में परियोजना विकास, वित्तीय संसाधनों को जुटाने और लागू करने के लिए कार्य किया जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज को मजबूत करने और विभिन्न बंदरगाहों से बेहतर कनेक्टिविटी से संबंधित परियोजनाओं, संयुक्त उद्यमों (जेवी) के रूप में 6 विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन किया गया है। बीबीबी परियोजना का यह निर्माण मुख्य परियोजना प्रबंधक श्री राजीव सोनी की अध्यक्षता में पीआईयू चंडीगढ़ के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

आरवीएनएल की विशिष्ट भूमिका और कार्य इस प्रकार हैं रू

1. परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना। इस उद्देश्य के लिए, आरवीएनएल वित्तीय संस्थानों, बैंकों, घरेलू बाजार और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों से संपर्क करने के लिए अधिकृत है।
2. परियोजना के कार्यों का निष्पादन करके आगे बढ़ना।
3. यदि आवश्यक हो तो व्यक्तिगत कार्यों के लिए परियोजना विशिष्ट एसपीवी बनाना।
4. परियोजनाओं के आवश्यक के अनुसार व्यावसायीकरण करना।
5. आरवीएनएल द्वारा रेलवे परियोजना के पूरा होने पर, संबंधित क्षेत्रीय रेलवे एक विशिष्ट वित्तीय व्यवस्था के तहत इसका संचालन और रखरखाव करेगा।
6. आरवीएनएल को राजस्व स्रोत प्रदान करने के लिए, परियोजनाएं को आरवीएनएल द्वारा ठावू अवधारणा पर की जा सकती हैं, जहां रेल मंत्रालय को पहँच शुल्क उपयोग शुल्क का भुगतान करना है।/

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा ट्छस् को लगातार 9 वर्षों के लिए “उत्कृष्ट” दर्जा दिया गया है। ट्छस् को पिछले 5 वर्षों में से 4 बार रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों में पहला स्थान मिला है।

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के कारोबार में 44.44: की वृद्धि हुई है। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 3000 करोड़ रुपये हैं, जिसमें से 2085 करोड़ रुपये की भुगतान शेयर पूंजी के साथ कंपनी को आईपीओ के जरिए 12.16 हिस्सेदारी के विनिवेश के बाद सूचीबद्ध किया गया है।

1.4.2 भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण: जिला प्रशासन, बिलासपुर


जिला प्रशासन, बिलासपुर के राजस्व विभाग में भूमि अधिग्रहण कार्यालय (एलएओ) के माध्यम से भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। एलएओ कार्यालय का नेतृत्व उप मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) - एलएओ, श्री रामेश्वर प्रसाद करते हैं।

1.4.3 परियोजना से प्रभावित परिवार और गांव

परियोजना से प्रभावित परिवार बिलासपुर जिला के दो तहसीलों (सदर और एसएनडी) के 23 गांवों और 3 शहरी नगरपालिका क्षेत्रों (आधिकारिक तौर पर गांवों के रूप में सूचीबद्ध) से आते हैं। विस्तृत सामाजिक-आर्थिक और भौगोलिक रूपरेखा प्रतिवेदन के बाद के अध्यायों में दी गई है।

1.5 बनावट, विस्तार और समय

यह रेलवे लाइन एक ब्रॉड-गेज होगी जिसे 25 जू लोडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। कुल लंबाई में से लगभग 49 किमी रेल लाइन हिमाचल प्रदेश में है। आरवीएनएल के अनुसार, वैकल्पिक मार्गों पर कठोर कार्य करने के बाद, उनके स्थल सत्यापन और एक विशेषज्ञ समिति द्वारा आलोचनात्मक समीक्षा, जिसमें अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरिंग और डिजाइन विशेषज्ञ भी शामिल थे। परियोजना के लिए अंतिम संरक्षण को रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। कुल 63 किमी की लम्बाई में से लगभग 26 किमी रेल लाइन सुरंगों में बनाई जाएगी।




चित्र 1.4: प्रस्तावित 4 लेन राजमार्ग और राज्य की सीमा के साथ पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बीबीबी रेलवे लाइन का योजनाबद्ध संरेखण

चित्र 1.4 पंजाब और हिमाचल प्रदेश में रेलवे लाइन के योजनाबद्ध संरेखण का अवलोकन देता है। तालिका 1.1 बीबीबी रेलवे लाइन निर्माण की संरेखण सुविधाओं के सारांश के बारे में सूचित करती है। चित्र 1.5 प्रस्तावित रेलवे लाइन के मानचित्र का एक मूलभूत अवलोकन प्रदान करता है।

तालिका 1.2 संरेखण सुविधाओं का विवरण:

क्रमांक	विशेषता	विवरण
1.	कुल लम्बाई	63.10 किमी, जिसमें से 52 किमी जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में है
2.	अधिकतम गति	यात्री ट्रेन के लिए अधिकतम गति 100 किमी प्रति घंटा और मालगाड़ी के लिए 75 किमी प्रति घंटा हैं।
3.	सुरंगे	26.08 किलोमीटर की कुल लम्बाई में 20 सुरंगें। अधिकतम लम्बाई वाली सुरंग 3.18 किमी है।
4.	प्रमुख पुल	24 बड़े पुल, जिनकी कुल लम्बाई 8.43 किमी है। अधिकतम लम्बाई 1.22 किमी है। घाटी की अधिकतम गहराई 71 वर्ग मीटर है।
5.	नए चिह्नित स्टेशन	6 स्टेशन - थलुह, धरोत, पहाड़पुर, जगतखाना, बिलासपुर और बेरी
6.	कुड़ा उतारने का स्थान	झील सह की कुल क्षमता के साथ 13 नग है।



चित्र 1.5: बीबीबी रेलवे लाइन का रेखा आरेख

1.5.1 परियोजना की समयअवधि

इस रेल लाइन के निर्माण का प्रस्ताव **12** साल पहले यानी वित्तीय वर्ष **2008-09** में घोषित किया गया था, परंतु परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया **2012** में शुरू हुई थी, जो आज भी जारी है। परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी को भूमि अधिग्रहण के बाद लगभग **4** वर्षों में भानुपाली से बेरी तक रेल ट्रैक का निर्माण कार्य पूरा करने की उम्मीद है। आमतौर पर यह माना जाता है कि इस रेल ट्रैक को धीरे-धीरे कुल्लू-मनाली के रास्ते लेह (जम्मू-कश्मीर में) तक बढ़ाया जाएगा।

1.6 परियोजना का विकल्प

राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा कई विकल्पों पर विचार करने के बाद यह परियोजना विकल्प के रूप में निकाला। टीम ने वैकल्पिक मार्ग की संभावना का भी आकलन किया है। हालांकि, समुद्र के सामने सड़क के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है, लेकिन संरक्षण को सड़क से समायोजित किया जा सकता है। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त नक्शे के आधार पर प्रस्तावित चौड़ाई और संरक्षण क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान पाए गए संरक्षण के रूप में थोड़ा अनुपयुक्त है। एसआईए टीम से पीएएफ ने कहा कि यदि उनके सुझाव के अनुसार संरक्षण को समायोजित किया जाता है, तो पीएएफ की ओर से अधिग्रहण के साथ कोई समस्या नहीं है। अधिग्रहित की जाने वाली भूमि इस परियोजना को पूरा करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता है।

1.7 परियोजना की कानून और नीतियां

परियोजना की कानून और नीतियां इस प्रकार हैं रू

1. भारत सरकार के भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एंव पुनर्व्यवस्थापन (ऋज्ज्।त्त) अधिनियम, **2013** में उचित मुआवजे का अधिकार
2. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सामाजिक समाघात आकलन नियम, **2015**
3. भारतीय रेल सुरक्षा अधिनियम, **1948** की धारा

2. टीम संरचना, दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली

एस.आर. एशिया एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और कंपनी अधिनियम-2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत है और इसका मुख्यालय भारत में है और एशियाई क्षेत्र के 12 से अधिक देशों में इसकी उपस्थिति है। एस.आर. एशिया सतत स्थिरता (Sustainability) कार्यक्षेत्र में काम करता है और वर्तमान में सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र और बहुपक्षीय एजेंसियों के लिए काम कर रहा है। संगठन में ऐसे पेशेवर हैं जो योग्य हैं और सभी स्तरों पर कार्य करने वाले विविध विषयों में विशेषज्ञता रखते हैं। टीम में प्रबंधन पेशेवर, अर्थशास्त्री, सामाजिक वैज्ञानिक/मानवविज्ञानी आदि शामिल हैं। संगठन को देश के विभिन्न राज्यों में सामाजिक समाघात आकलन करने का अनुभव है। RFCTLARR-2013 अधिनियम के अनुसार एस. आई. ए. (SIA) अध्ययन आयोजित करने के लिए एस.आर. एशिया को विभिन्न राज्य सरकारों जैसे दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड आदि के साथ सूचीबद्ध किया गया है।

RFCTLARR-2013 अधिनियम की धारा 4 के लिए आवश्यक है कि सभी एस.आई.ए. अध्ययन के हिस्से के रूप में सर्वेक्षण/सार्वजनिक परामर्श करें। एस.आई.ए. का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परियोजना लाभार्थियों और प्रस्तावित परियोजना के आसपास की आम जनता सहित प्रस्तावित परियोजना में रुचि रखने वाले सभी हितधारकों की पहचान की जाए और परियोजना डिजाइन, निर्माण, संचालन और बंद करने के चरण के दौरान उनकी राय पर विचार किया जाए। नियमों की आवश्यकताओं के अनुपालन में, एस.आई.ए. टीम ने 2021 के जुलाई महीने के दौरान मूल्यांकन किया और परियोजना प्रभावित परिवारों, स्थानीय स्व-सरकारी नेताओं और वर्तमान परियोजना के अन्य हितधारकों के साथ बातचीत की। यह अध्याय सामाजिक समाघात आकलन करने के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली को दर्शाता है और अध्ययन की एस.आई.ए. इकाई और गतिविधि अनुसूची का एक अवलोकन देता है।

2.1 उद्देश्य और अध्ययन का दायरा

एस.आई.ए. अध्ययन RFCTLARR-2013 अधिनियम और एचपी एस.आई.ए. नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ आयोजित किया गया था:

- यह आकलन करने के लिए कि क्या प्रस्तावित अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करता है और यह जांचने के लिए कि परियोजना के लिए अधिग्रहीत भूमि की न्यूनतम आवश्यकता है।
- प्रभावित परिवारों की संख्या और उनमें से उन परिवारों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए जिनके आवासीय, व्यावसायिक या दोनों तरह से विस्थापित होने की संभावना है।
- परियोजना के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करना।
- सामान्य संपत्ति संसाधनों (सीपीआर), सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचे आदि के नुकसान के कारण प्रत्यक्ष भूमि खोने वाले परिवारों के साथ-साथ अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों को कवर करके परियोजना के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करना और समग्र लागत पर इन लागतों के प्रभाव का अध्ययन करना और परियोजना के लाभ।
- यह पता लगाने के लिए कि क्या उस उद्देश्य के लिए किसी वैकल्पिक साइट पर विचार किया गया है जहां कम से कम विस्थापन की समस्या है, लेकिन साइट स्वयं परियोजना के लिए उपयुक्त नहीं है।
- सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) के माध्यम से उपयुक्त नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन करके उपचारात्मक हस्तक्षेप उपायों का सुझाव देना।

2.2 बैठक

परियोजना के बारे में विवरण और ग्राहक संगठन के परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए, जूम (Zoom) ऐप पर एसआर एशिया कर्मचारियों के बीच 7 अगस्त, 2021 को एक बैठक आयोजित की गई थी और इस परियोजना के लिए विशेष रूप से एसआर एशिया फील्ड टीम का गठन किया गया था। परियोजना के औचित्य और अवधि के दौरान कार्यक्रम के संचालन के बारे में

संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए यह बैठक स्पष्ट रूप से फायदेमंद थी। अन्य बैठक कार्यक्रम और एसआर एशिया टीम के सदस्यों के बीच संपर्कों को अंतिम रूप दिया गया। इस बैठक के बाद, विस्तृत डेस्क कार्य, फील्ड जांचकर्ताओं की भर्ती, व्यापक टीम संरचनाएं और विशिष्ट भूमिकाएं/जिम्मेदारियां, प्रभाव मूल्यांकन मैनुअल और फील्ड गाइड की डिजाइनिंग, डेटा (Data) संग्रह की तैयारी और परियोजना के संबंध में रसद और यात्रा योजना एस.आर.एशिया टीम द्वारा अगले 1-2 सप्ताह में की गई।

2.3 हितधारक संवाद और क्षेत्र कार्य की शुरुआत



चित्र 2.1: श्री राजीव सोनी, मुख्य परियोजना प्रबंधक, आरवीएनएल पीआईयू चंडीगढ़ के साथ बैठक

चंडीगढ़ में रेल विकास निगम लिमिटेड) आरवीएनएल कार्यालय में मुख्य परियोजना प्रबंधक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) चंडीगढ़ के साथ निर्माण परियोजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। परियोजना के निर्माण के ऐतिहासिक अवलोकन के संबंध में चर्चा हुई।



चित्र 2.2: एसडीएम के साथ बैठक - एलएओ, जिला बिलासपुर



चित्र 2.3: क्षेत्र का पायलट अध्ययन

परियोजना स्थल पर पहुंचने के बाद, क्षेत्र के हितधारक की वचनबद्धता और पायलट अध्ययन के हिस्से के रूप में उप-मंडल मजिस्ट्रेट(एस डीएम) -एलएओ (और वार्ड पार्षदों सहित अन्य हितधारकों के साथ और बैठकें हुईं।



चित्र 2.4 :फील्ड टीम अभिविन्यास और प्रशिक्षण

क्षेत्र कार्य शुरू करने से पहले 15 जुलाई 2021 को टीम अभिविन्यास (orientation) और प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। इस प्रशिक्षण के दौरान सर्वेक्षण डेटा संग्रह, सार्वजनिक जुड़ाव के संबंध में प्रशिक्षण और स्पष्टीकरण पर जोर दिया गया।

2.4 टीम संरचना

कार्य के अनिवार्य दायरे और क्षेत्र सर्वेक्षण की आवश्यकताओं के अनुसार, हमने पूरी परियोजना और क्षेत्र के काम का अवलोकन करने के लिए प्रोजेक्ट टीम को जुटाया और बनाया। फील्ड साइट की प्रारंभिक ऑनलाइन(Online) सर्वेक्षण के बाद, फील्ड सर्वेक्षण के लिए कम से कम 2 अलग-अलग टीमों का निर्णय लिया गया, जिनमें से प्रत्येक अपनी भौगोलिक निकटता के अनुसार संबंधित गांवों के डेटा संग्रह और डेटा प्रविष्टि के लिए जिम्मेदार थे।

नाम	परियोजना भूमिका	उत्तरदायित्व	
एसआर एशिया कोर टीम			
श्री राकेश खरे	विशेषज्ञ	एसआईए अध्ययन की गुणवत्ता और दक्षता की देख रेख	
बीरेंद्र रतूड़ी	विशेषज्ञ		
डॉ. सुलभा खानवी	विशेषज्ञ		
एसआर एशिया फील्ड टीम			
नाम	पदनाम	परियोजना में भूमिका	प्रमुख जिम्मेदारियां
श्री कृष्णा यादव	परियोजना समन्वयक बी. ए .ऑनर्स (ह्यूमेनेटीज़ एंड सोशल साइंस)	शोधकर्ता	1. परियोजना की पूरी योजना और निष्पादन की देखरेख करना
			2. एस .आर .एशिया और क्लाइंट के बीच संचार का समन्वय और प्रबंधन
			3. अध्ययन पूरा होने के बाद ड्राफ्ट एस .आई .ए . रिपोर्ट को अंतिम रूप देना और जमा करना
श्री अमेय आत्मान	परियोजना प्रमुख (तकनीकी) एम. एस. सी.(M.Sc) अंतर्राष्ट्रीय विकास अध्ययन	शोधकर्ता	1. परियोजना की संपूर्ण योजना और निष्पादन की देखरेख करना ।
			2. परियोजना टीम के साथ चर्चा के माध्यम से आवश्यक एस .आई .ए .मैनुअल, सर्वेक्षण उपकरण और अन्य संसाधनों को तैयार करना
			3. अध्ययन पूरा होने के बाद ड्राफ्ट एस .आई .ए . रिपोर्ट को अंतिम रूप देना और जमा करना ।
श्री अरविंद कुमार	परियोजना सहयोगी एम .ए .सामाजिक उद्यमिता और प्रबंधन	अन्वेषक	1. परियोजना की सभी लॉजिस्टिक योजना और निष्पादन का प्रबंधन और समन्वय
			2. स्थानीय क्षेत्र के प्रगणकों की भर्ती करना और प्रगणकों की संबंधित टीमों के साथ समन्वय करना ।
श्री विवेक रंजन	परियोजना सहयोगी	अन्वेषक	1. फील्ड सर्वेक्षण डेटा संग्रह का प्रबंधन और नामित फील्ड टीमों के साथ समन्वय करना ।

	एम .ए .अर्थशास्त्र		2. एकत्रित क्षेत्र सर्वेक्षण डेटा का सारणीकरण और विश्लेषण और उसी के बारे में रिपोर्ट जमा करना ।
श्री फरदीन अहमद	परियोजना सहयोगी एम .ए .सामाजिक कार्य (एम .एस . डब्ल्यू)	अन्वेषक	3. आवश्यकतानुसार फोटोग्राफ और अन्य ऑडियो-विजुअल डेटा का दस्तावेजीकरण करना ।
श्री दुष्यंत	परियोजना सहयोगी एम .बी .ए) .कार्यकारी(अन्वेषक	4.शामिल सभी हितधारकों के साथ संचार में सहायता करना ।
सुश्री काजल नरवारा	उपपरियोजना समन्वयक एम .एस .सी .संसाधन प्रबंधन और डिजाइन अनुप्रयोग	अन्वेषक	
श्री अजय सिंह	परियोजना सहयोगी एम .ए .दर्शनशास्त्र	अन्वेषक	हिंदी में ड्राफ्ट एस .आई .ए .रिपोर्ट तैयार करना और प्रूफ-रीडिंग ।
श्री अवतार सिंह	गणनाकार	गणनाकार	क्षेत्र सर्वेक्षण डेटा संग्रह
श्री अश्विनी सिंह			
श्री लखविंदर			
श्री अनिल गुप्ता			
सुश्री सीमा			
सुश्री प्रियंका			

2.5 दृष्टिकोण और शोध कार्यप्रणाली

क्षेत्र में बी .बी .बी .रेलवे लाइन के निर्माण के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करने के लिए RFCTLARR-2013 अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना बनाई गई थी। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश सरकार के पास RFCTLARR-2013 अधिनियम का अपना संस्करण है, यानी हिमाचल प्रदेश सामाजिक समाघात आकलन नियम 2015)HP SIA नियम, (2015। इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान विधियों जैसे डेस्क अनुसंधान, परियोजना प्रभावित आबादी और जन प्रतिनिधियों के साथ सार्वजनिक परामर्श, फोकस समूह चर्चा और प्रश्नावली सर्वेक्षण का संयोजन शामिल था।

2.5.1 उपयोग की जाने वाली विधियाँ और उपकरण

एस.आई.ए. अध्ययन के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक तरीकों के मिश्रण का उपयोग किया गया था। इन विधियों ने गांव की रूपरेखा, पीएफ के सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल, बी.बी.बी. रेलवे लाइन के निर्माण के संभावित प्रभावों और परियोजना के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए अपनाए जा सकने वाले शमन उपायों को समझने में मदद की। SIA अध्ययन के लिए निम्नलिखित विधियों और उपकरणों को अपनाया गया:

- डेस्क (Desk) साहित्य समीक्षा
- क्षेत्र निरीक्षण
- पी. ए. एफ. के लिए व्यक्तिगत सर्वेक्षण प्रश्नावली
- संसाधन मानचित्रण और सामुदायिक मानचित्रण के लिए सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए)
- हितधारकों का परामर्श
- सार्वजनिक परामर्श/केन्द्रित समूह चर्चा
- डेटा विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन

डेस्क समीक्षा

अध्ययन के दौरान RFCTLARR अधिनियम 2013, RFCTLARR अधिनियम 2013, उपलब्ध रिपोर्ट, परियोजना से संबंधित दस्तावेज और राजस्व और भूमि सुधार विभाग से रिकॉर्ड, और मानचित्र सहित साहित्य, भूमि मालिकों के विवरण आदि की समीक्षा की गई। यह पीएफ की सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति, परियोजना के प्रभाव की भयावहता और परियोजना के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए किए जा सकने वाले उपायों को समझने के लिए किया गया था। डेस्क समीक्षा ने प्राथमिक डेटा संग्रह के लिए उपकरण विकसित करने में भी मदद की।

क्षेत्र निरीक्षण

परियोजना टीम ने भौतिक रूप से उस भूमि का दौरा किया जिसका अधिग्रहण किया जाना था ताकि परियोजना भूमि और भूमि उपयोग पैटर्न पर संसाधनों का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जा सके। इससे संभावित प्रभावों का आकलन करने में भी मदद मिली।

व्यक्तिगत सर्वेक्षण प्रश्नावली

प्रभावित परिवारों की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा और परियोजना के प्रभावों की सभी श्रेणियों को समझने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की गई थी। ऑफलाइन और ऑनलाइन (ZOH Survey) दोनों प्रश्नावली तैयार की गई थी। ऑफलाइन प्रश्नावली का उपयोग डेटा संग्रह उद्देश्य के लिए किया गया था, जबकि ऑनलाइन प्रश्नावली का उपयोग डेटा सारणीकरण और डेटा विश्लेषण उद्देश्य के लिए किया गया था। प्रश्नावली में अधिनियम के प्रावधान के अनुसार आवश्यक जानकारी प्राप्त करने वाले खुले और बंद दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल थे। प्रश्नावली का नमूना रिपोर्ट में अनुलग्नक 2 के रूप में संलग्न है।

साथ ही, समुदाय के मुद्दों को समझने के लिए क्षेत्र के दौरे और प्रश्नावली सर्वेक्षण के दौरान पीएफ के साथ केंद्रित समूह चर्चा आयोजित की गई। SIMP (सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना) को एक समग्र दृष्टिकोण देने के लिए इनका और विश्लेषण किया गया।

सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पी आर ए)

पीआरए गतिविधि परियोजना प्रभावित परिवारों के संसाधनों और सामुदायिक रूपरेखा का मानचित्रण करने के लिए की गई थी। संसाधन मानचित्र अनुलग्नक 3 में शामिल हैं। गांवों के समुदाय और सामाजिक-राजनीतिक प्रोफाइल का विस्तृत मूल्यांकन सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल पर अध्याय में दिया गया है।

हितधारकों का परामर्श

स्थिति की गहराई से समझ हासिल करने के लिए, परियोजना प्रभावित परिवारों, पंचायत सदस्यों, कलेक्टर के अधिकारियों आदि के साथ हितधारकों का परामर्श किया गया था। परियोजना स्थल के नक्शे और अन्य संबंधित दस्तावेज कलेक्टर कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। इन दस्तावेजों का उपयोग भूमि के बारे में विवरण, उस भूमि को प्राप्त करने की आवश्यकता, परियोजना से गांव को होने वाले लाभ और हितधारकों पर इसके प्रभाव को समझने के लिए किया गया था। रिपोर्ट के निम्नलिखित अध्याय में हुई चर्चाओं का विवरण दिया गया है।

सार्वजनिक परामर्श

भूमि की पृष्ठभूमि और परियोजना के संभावित प्रभाव पर पी.ए.एफ. के साथ चर्चा की गई। चर्चा ने रेलवे परियोजना के निर्माण के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के संबंध में पी.ए.एफ. की राय को समझने में मदद की। परामर्श के दौरान, पी.ए.एफ. ने भूमि अधिग्रहण के संबंध में अपनी चिंताओं और शर्तों को साझा किया। प्रभावित आबादी पर प्रासंगिक आधारभूत जानकारी का सारांश प्रदान करने के लिए प्रश्नावली सर्वेक्षण और परामर्श से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया गया था; परियोजना प्रभाव की सभी श्रेणियां जिनमें लोगों और सामान्य पर्यावरण पर भौतिक और/या आर्थिक प्रकृति का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव शामिल है। प्राप्त प्रतिक्रियाओं को इस रिपोर्ट के बाद के अध्यायों में दर्शाया गया है।

डेटा विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन

प्रभावित आबादी पर प्रासंगिक आधारभूत जानकारी का सारांश प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत प्रश्नावली और सार्वजनिक परामर्श के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण किया गया था; परियोजना प्रभाव की सभी श्रेणियां जिनमें लोगों और सामान्य पर्यावरण पर भौतिक और/या आर्थिक प्रकृति का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव शामिल है।

जनसुनवाई पूर्ण होने के बाद अंतिम रिपोर्ट जिला कलेक्टर को प्रस्तुत की जाती है। प्राथमिक और माध्यमिक अनुसंधान के माध्यम से एकत्र किए गए सभी डेटा को रिपोर्ट के रूप में संकलित और विश्लेषण किया गया था। हिमाचल प्रदेश सामाजिक प्रभाव आकलन नियम (2015) में निर्धारित प्रारूप।

2.6 जन सुनवाई

RFCTLARR अधिनियम 2013 की धारा 5 और HPSIA नियम 8, 2015 के अनुसार परिकल्पना है कि जब भी एक SIA अध्ययन आयोजित करने की आवश्यकता होती है, तो सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित क्षेत्र में एक जन सुनवाई आयोजित की जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रभावित परिवारों के विचार दर्ज किए गए हैं। किया गया हो और एसआईए रिपोर्ट में शामिल किया जाय। एसआर एशिया ने इस प्रक्रिया के दौरान प्रमुख स्थानों,

सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक, समाचार पत्रों में अधिसूचना आदि पर पोस्टर चिपकाने के माध्यम से सभी प्रभावित क्षेत्रों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने और विज्ञापन देने के बाद जन सुनवाई का आयोजन किया।

जनसुनवाई को नीचे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया गया था और योजना के अनुसार आयोजित परामर्श की श्रृंखला के आधार पर SIMP सहित नए प्रभावों को संशोधित किया गया था।

संख्या एल0ए0ओ0, (रेलवे) बिलासपुर: 3-1/2020- 2210-2)
कार्यालय उप मण्डल अधिकारी (ना), सदर - एवं-
भूमि-अर्जन अधिकारी, रेलवे बिलासपुर, जिला बिलासपुर हि0प्र0।

बिलासपुर दिनांक 03 सितम्बर, 2021.

सेवा में,

प्रधान/सचिव,
ग्राम पंचायत नौणी, कोट खास, धरोट, स्वाहण, मझोड, टाली,
कल्लर, रघुनाथपुरा, बामटा, पार्श्व बलोह, लखनपुर वार्ड 10,
उप महाल बिलासपुर वार्ड 10, डियारा, जिला बिलासपुर हि0प्र0

विषय: भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी, नई बी0जी0 रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु जन सुनवाई-अधिसूचना अधिनियम-8, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण एवं सहमति) नियम, 2015 के प्रचार बारे।

महोदय,

भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी, नई बी0जी0 रेलवे लाइन के निर्माण हेतु निम्नलिखित गांवों में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत भूमि अर्जित की जानी आपेक्षित है। इस बारे सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई द्वारा प्रस्तावित भूमि अर्जन के प्रयोजन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण को क्रियान्वित करने के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के कार्यान्वयन हेतु निम्न गांवों में, गांव के आगे दर्शाये गये स्थानों पर दर्शाई गई तिथियों को जन सुनवाई की जानी प्रस्तावित है। इस बारे प्रभावित व्यक्तियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे सम्बन्धित तिथियों को दर्शाये गये स्थानों पर आकर जन सुनवाई में भागीदार बनें।

क्र0	गांव का नाम	जन सुनवाई का स्थान	आपेक्षित भूमि (बिघों में)	सुनवाई की तिथि
1	खैरियां लुहणु	पंचायत घर बामटा	24-15	23.09.2021 सुबह 10.00 बजे
2	बामटा		5-17	23.09.21 सुबह 10.00 बजे
3	बैहल कन्डैला		55-6	23.09.21 सुबह 10.00 बजे
4	बध्यात		97-6	23.09.21 सुबह 10.00 बजे
5	रामपुर	पंचायत घर	12-1	23.09.2021 दोपहर 2.00 बजे
6	खनसरा	रघुनाथपुरा	11-3	23.09.2021 दोपहर 2.00 बजे
7	रघुनाथपुरा		34-14	23.09.2021 दोपहर 2.00 बजे
8	कोहलवी		3-15	23.09.2021 दोपहर 2.00 बजे
9	कोट	पंचायत घर कल्लर	7-17	24.09.21 सुबह 10.00 बजे
10	तुन्नु		3-13	24.09.21 सुबह 10.00 बजे
11	मनवां	पंचायत घर नौणी	30-11	24.09.21 दोपहर 2.30 बजे
12	थापना	पंचायत घर मझोड	5-10	25.09.2021 सुबह 10.00 बजे
13	समलेटु		0-8	25.09.2021 सुबह 10.00 बजे
14	जबल		51-8	25.09.2021 सुबह 10.00 बजे
15	टाली	पंचायत घर टाली	111-10	25.09.2021 दोपहर 2.00 बजे
16	टिकर		0-9	25.09.2021 दोपहर 2.00 बजे
17	दगडाहन		33-13	25.09.2021 दोपहर 2.00 बजे
18	भटेड		62-12	25.09.2021 दोपहर 2.00 बजे

19	खेरिया	पंचायत धर स्वातंत्र्य	0-7	27.09.21 शुबह 10.00 बजे
20	धरोट	पंचायत धर धरोट	0-14	27.09.2021 दोपहर 2.00 बजे
21	कागुवाली	पंचायत धर कोट खास	4-0	27.09.2021 दोपहर 2.00 बजे
22	डियारा	नगरपालिका हाल बिलासपुर	15-6	28.09.21 शुबह 10.00 बजे
23	उप-उप महाल बलोह	विकास खण्ड सदर	10-3	28.09.2021 दोपहर 2.00 बजे
24	उप-उप महाल बिलासपुर		15-10	29.09.2021 दोपहर 2.00 बजे

भू मालिकों की तफसील 7 जुलाई 2021 के पत्र के साथ आपको पहले प्रेषित की जा चुकी है। आपसे अनुरोध है कि इस बारे सम्बन्धित समस्त पंचायत प्रतिनिधियों व सम्बन्धित भू-स्वामियों तथा प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करने तथा इसकी एक प्रति पंचायत के सूचना पट पर प्रदर्शन करने का कष्ट करें।

भवदीय

उप मण्डल अधिकारी (ना), सदर - एवं -
भू-अर्जन अधिकारी, रेलवे बिलासपुर,
जिला बिलासपुर हि0प्र0।

दिनांक 03.09.2021

पृ० सं० उपरोक्त 222-223)

प्रतिलिपि अभिसूचना संख्या: टी.पी.टी.-एफ (2)4/2019-11 दिनांक 30.08.2021 सहित

- माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला सूचनार्थ प्रेषित है।
- माननीय उपायुक्त महोदय, बिलासपुर हि0प्र0 सूचनार्थ प्रेषित है।
- अतिरिक्त उपायुक्त-एवं-पुनर्वासन तथा पुनर्वास्यपन अधिकारी, बिलासपुर हि0प्र0 को इस अनुरोध सहित प्रेषित है कि उक्त बैठकों में भाग लेने की कृपा करें।
- सदस्य सचिव (SIAU) एवं उप सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला को उनके कार्यालय पत्र संख्या SIAU/HIPA(Const.of Bhan-Blaspr-Ber.B.G.R.L.)17/2021-3030 दिनांक 01-09-2021 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
- भू-अर्जन अधिकारी, रेलवे बिलासपुर, हि0प्र0 को सूचित है।
- उप मण्डल दण्डाधिकारी सदर/श्री नैणादेवीजी स्थित स्वारघाट
- तहसीलदार सदर/श्री नैणादेवी जी स्थित स्वारघाट जिला बिलासपुर।
- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी बिलासपुर को इस अनुरोध सहित प्रेषित है कि उक्त कार्यक्रम को विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार व प्रसार कराने की कृपा करें।
- एस0आर0 एशिया गाजियाबाद कैम्प बिलासपुर को उक्त पत्र के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप मण्डल अधिकारी (ना), सदर - एवं -
भू-अर्जन अधिकारी, रेलवे बिलासपुर, हि0प्र0

संख्या: एल0ए0ओ0(रेलवे)बिलासपुर 3-1/2020-2249-2250
 कार्यालय उप मण्डल अधिकारी (ना), सदर-एवं-
 भू-अर्जन अधिकारी, रेलवे बिलासपुर, जिला बिलासपुर हि0प्र0।

बिलासपुर दिनांक 22 सितम्बर, 2021.

सेवा में,

प्रधान/सचिव,
 ग्राम पंचायत
 रघुनाथपुरा, बामटा, जिला बिलासपुर हि0प्र0

विषय: भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी, नई बी0जी0 रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु जन सुनवाई-अधिसूचना अधीन नियम-8, भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण एवं सहमति) नियम, 2015 के प्रचार बारे।

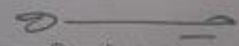
महोदय,

इस कार्यालय के सम संख्यक पत्र दिनांक 3 सितम्बर, 2021 के सन्दर्भ में अनुरोध है कि दिनांक 23 सितम्बर 2021 को माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर दौरा के कारण निम्नलिखित गांव की जन सुनवाई की तिथि 23.09.2021 को स्थागित किया जाता है तथा अब इन गांव के जन सुनवाई दिनांक 29.09.2021 को निर्धारित की जाती है। इस बारे प्रभावित व्यक्तियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे सम्बन्धित तिथियों को दर्शाये गये स्थानों पर आकर जन सुनवाई में भागीदार बने।

क्र0	गांव का नाम	जन सुनवाई का स्थान	आपेक्षित भूमि (विघों में)	सुनवाई की तिथि
1	खेरियां लुहणु	पंचायत घर बामटा	24-15	29.09.2021 सुबह 10.00 बजे
2	बामटा		5-17	29.09.21 सुबह 10.00 बजे
3	बैहल कण्डेला		55-6	29.09.21 सुबह 11.30 बजे
4	बध्यात		97-6	29.09.21 सुबह 11.30 बजे
5	रामपुर	पंचायत घर रघुनाथपुरा	12-1	29.09.2021 दोपहर 2.00 बजे
6	खनसरा		11-3	29.09.2021 दोपहर 2.00 बजे
7	रघुनाथपुरा		34-14	29.09.2021 दोपहर 2.00 बजे
8	बोहलदी		3-15	29.09.2021 दोपहर 2.00 बजे

भू मालिकों की तफसील 7 जुलाई 2021 के पत्र के साथ आपको पहले प्रेषित की जा चुकी है। आपसे अनुरोध है कि इस बारे सम्बन्धित समस्त पंचायत प्रतिनिधियों व सम्बन्धित भू-स्वामियों तथा प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करने तथा इसकी एक प्रति पंचायत के सूचना पट पर चस्पा करने का कष्ट करें।

भवदीय


 उप मण्डल अधिकारी (ना), सदर-एवं-
 भू-अर्जन अधिकारी, रेलवे बिलासपुर,
 जिला बिलासपुर हि0प्र0।

- पृ० सं० उपरोक्त 2251 - 2260 दिनांक 22.09.2021
- प्रतिलिपि अधिसूचना संख्या: टी.पी.टी.-एफ (2).4/2019-11 दिनांक 30.06.2021 सहित
- माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला सूचनार्थ प्रेषित है।
 - माननीय उपायुक्त महोदय, बिलासपुर हि०प्र० सूचनार्थ प्रेषित है।
 - पुलिस अधीक्षक बिलासपुर हि०प्र० को इस कार्यालय के पत्र सम संख्या दिनांक 21.09.2021 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
 - अतिरिक्त उपायुक्त-एवं-पुनर्वासन तथा पुनर्व्यस्थापन अधिकारी, बिलासपुर हि०प्र० को इस अनुरोध सहित प्रेषित है कि उक्त बैठकों में भाग लेने की कृपा करें।
 - सदस्य सचिव (SIAU) एवं उप सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला को उनके कार्यालय पत्र संख्या SIAU/HIPA(Const.of Bhan-Blaspr-Ber.B.G.R.L.)17/2021-3030 दिनांक 01-09-2021 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
 - मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लि० चण्डीगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है कि जन सुनवाई की तिथियों को RVNL का प्रतिनिधि भेजने का कष्ट करें।
 - उप मण्डल दण्डाधिकारी सदर/श्री नैणादेवीजी स्थित स्वारघाट
 - तहसीलदार सदर/श्री नैणादेवी जी स्थित स्वारघाट जिला बिलासपुर।
 - जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी बिलासपुर को इस अनुरोध सहित प्रेषित है कि उक्त कार्यक्रम को विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार व प्रसार कराने की कृपा करें।
 - एस०आर० एशिया गाजियाबाद कैम्प बिलासपुर को उक्त पत्र के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप मण्डल अधिकारी (ना), सदर -एवं-
नू-अर्जन अधिकारी, रेलवे बिलासपुर, हि०प्र०

2.7 कार्य योजना और अनुसूची

क्र. सं.	प्रमुख चरण और कार्य	दिनांक (2021)								
		9 जुलाई- 17 जुलाई	17 जुलाई- 29 जुलाई	29 जुलाई- 6 अगस्त	6 अगस्त- 20 अगस्त	21 अगस्त- 25 अगस्त	26 अगस्त- 31 अगस्त	1 सितंबर- 9 सितंबर	10 सितंबर- सितंबर 20	21 सितंबर - 9 अक्टूबर
1	साहित्य की समीक्षा									
2	डेटा संग्रह उपकरण) प्रश्नावली/अनुसूची/जांच सूची (तैयार करना और स्थापना रिपोर्ट प्रस्तुत करना									
3	डेटा संग्रह और क्षेत्र सर्वेक्षण									
4	डेटा विश्लेषण									
5	ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करना									
6	अधिनियम/नियमों के अनुसार पंचायतों, एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर कार्यालय, आवश्यक निकाय, एसआईएयू, आदि को प्रारूप SIA रिपोर्ट (हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रस्तुत करना)									
7	जन सुनवाई के दौरान व्यापक प्रचार के लिए सार्वजनिक सुनवाई के लिए नोटिस की घोषणा और प्रकाशन और निष्कर्षों के दृश्य/पोस्टर/पैम्फलेट तैयार करना/एसआईए रिपोर्ट का सारांश (हिंदी और अंग्रेजी दोनों में)									
8	अधिनियम/नियमों के अनुसार जन सुनवाई का संचालन									
9	अंतिम रिपोर्ट में सुनवाई के निष्कर्षों को शामिल करना और अंतिम रिपोर्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग और सॉफ्ट के साथ फॉर्म -II और III (हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अनुसार अंतिम एस.आई.ए. और एस.आई.एम.पी. रिपोर्ट प्रस्तुत करना)									

3. भूमि मूल्यांकन


जिला बिलासपुर शिवालिक पहाड़ियों में सतलुज घाटी में स्थित है और 1,167 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी सीमाएं ऊना, हमीरपुर, मंडी और सोलन जिलों को छूती हैं। सतलुज मुख्य नदी है जो जिले के मध्य से होकर गुजरती है और इसे लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है। नई बस्ती बिलासपुर को देश का पहला नियोजित पहाड़ी शहर माना जाना चाहिए।

3.1 परियोजना के लिए आवश्यक भूमि

इस परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली कुल निजी भूमि दो तहसीलों के 26 गांवों में 667 बीघा 15 बिस्वा मापी गई है; जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में सदर और श्री नैना देवीजी (एसएनडी) तहसील। भूमि का विवरण और आकार भूमि अधिग्रहण कार्यालय (एलएओ), जिला बिलासपुर से प्राप्त भूमि विवरण के अनुसार है। जिसमें से 308 बीघा 7 बिस्वा की निजी भूमि श्री नैना देवीजी (एसएनडी) तहसील के 10 राजस्व गांवों नामतः कांगुवाली, धारोट, खैरियां, थापना, समलेटू, जबल, टिककर, डगराहन, तल्ली और भटेर में स्थित है और 359 बीघा 8 बिस्वा भूमि, 16 राजस्व गांवों नामतः नई सारली, भरारी, उप-महोल बलोह, उप-महोल बिलासपुर, कोट, तुहनु, भरारी, मनवा, रामपुर, खानसरा, रघुनाथपुरा, कोहल्विन, बामटा, बहल कंडेला, बध्यात, खैरियान लुहनु, सदर तहसील में।

3.2 भूमि उपयोग पैटर्न

पीएफ के साथ चर्चा के दौरान, यह पाया गया कि अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का उपयोग ज्यादातर कृषि, बागवानी, वाणिज्यिक और आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में, भूमि का उपयोग सामान्य संपत्ति संसाधन (सीपीआर) के रूप में और सांस्कृतिक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता था। लगभग सभी पीएफ के पास आनुवंशिकता के माध्यम से भूमि का स्वामित्व है और वे बहुत लंबे समय से वाणिज्यिक और आवासीय उद्देश्यों में लगे हुए हैं। एसआईटी टीम द्वारा क्षेत्र के दौरे और पीएफ के साथ बातचीत के दौरान भूमि उपयोग पैटर्न और स्वामित्व में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं पाया गया।



भूमि का उपयोग काफी भिन्न होता है। सबसे ज्यादा हिस्सा फिर से कृषि के लिए है जो लगभग 86% है। कृषि के अलावा, परियोजना प्रभावित भूमि का उपयोग बागवानी, आवासीय और लकड़ी की लकड़ी के लिए कृषि के लिए भी किया जा रहा है और इसका उपयोग करने वाले पीएफ का हिस्सा क्रमशः 30%, 33% और 25% है। इसे चित्र 22 में दर्शाया गया है। एक छोटा वर्ग, लगभग 4%, अपनी भूमि का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भी करता है। भूमि के उपयोग के अन्य रूप धार्मिक उद्देश्य, सामुदायिक उद्देश्य और चारागाह भूमि के रूप में हैं।

चित्र 3.1: प्रभावित क्षेत्र में भूमि उपयोग पैटर्न

3.3 भूमि और मिट्टी का प्रकार

अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का उपयोग कृषि, वाणिज्यिक और आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, जहां कृषि गतिविधियां साइट क्षेत्र में व्यवसाय का प्राथमिक स्रोत हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी पहाड़ी मिट्टी है। यहां उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ककड़ी, तिलहन, सरसों, प्याज, आलू, सूखे मेवे और मटर आदि हैं।

विवरण

भूमि मूल्यांकन और संपत्ति सत्यापन

भूमि का स्वामित्व (अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि)	परियोजना प्रभावित परिवारों या सामुदायिक भूमि के निजी स्वामित्व में।
प्रस्तावित भूमि के संचालन के क्षेत्र का भूमि उपयोग विवरण	अधिकांश पीएफ ने साझा किया कि वे कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग करते हैं।
भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता का निर्धारण	लगभग 52 किमी की भानुपाली-बिलासपुर-बेरी (बीबीबी) ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है
साझा संपत्ति संसाधन (सीपीआर) जो प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के कारण बाधित हो सकता है	हां, दियारा सेक्टर में ऐतिहासिक प्रसिद्ध व्यास गुफा मंदिर, सदर तहसील सहित कुछ मंदिर हैं और कुछ अन्य कई गांवों में राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

3.4 भूमि का स्वामित्व

अधिग्रहित की जाने वाली भूमि निजी तौर पर 247 परिवारों के स्वामित्व में है, जो लगभग 647 प्लॉट संख्या में फैले हुए हैं। जमीन पर कुछ अतिक्रमणकारी भी हैं जो अधिग्रहण के तहत आ रहे हैं, जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षण किया गया था। भूमि के स्वामित्व के संबंध में, 98% से अधिक पीएफ मालिक हैं जबकि कुछ अन्य (लगभग 2%) अतिक्रमण करने वाले हैं। भूमि के स्वामित्व का विवरण इस प्रकार है;

तालिका 3.1: पीएफ और भूमि स्वामित्व का विवरण

सूची गांववार तहसील श्री नैना देवी जी/सदर जिला बिलासपुर हि0प्र0।											
क्र०स०	खेवट/ खतौनी नं०		सर्वेक्षण संख्या (खसरा नं०)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की किस्म	अर्जन का क्षेत्र (बीघों में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
								उ	द	पू	प
1	2		3	4	5	6	7	8			
1. कांगूवाली ह०नं० 358 तहसील श्री नैना देवी जी, स्थित स्वारघाट											
1	9 मिन	9 मिन	38/1	मुस्तर्का		5-18	कुल 45 भाग:— गुरदेव सिंह, पुत्र लच्छमण पुत्र रामजी 5 भाग महिन्दर पुत्र रामदिता पुत्र कहनू 6 भाग स्थानीय वासी कुल से 11/45 भाग रकवा 1—9 बिघा नोट:— कुल से 11/45 भाग रकवा तादादी 1—9 बिघा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है शेष भूमि 4—9 बिघा समझौता वार्ता से अर्जित हो चुकी है।	महाल बेहरजा	महाल झीजा, कोट	महाल मोदर	महाल खेड़ी बलोचजा
					वारानी	5-15					
					गैर मु० बीड़	0-3					
2	21 मिन	23 मिन	34/1	मुस्तर्का	चाही	0-1	कुल 348 भाग:—गुरदेव सिंह पुत्र लच्छमण पुत्र राम जी 29 भाग स्थानीय वासी कुल से 1/12 भाग रकवा 0—2 बिघा । नोट:— कुल से 1/12 भाग रकवा 0—2 बिघा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है। शेष भूमि 1—10 बिघा भूमि समझौता वार्ता से अर्जित हो चुकी है।				
			42/1		वारानी	1-5					
			55/1		वारानी	0-6					
			किता—3			1-12					
		24 मिन	43/1		वारानी	0-3		गुरवचन सिंह आदि वर्णित:— गुरवचन सिंह, गुरदेव सिंह, सुखदेव सिंह, वलदेव सिंह, पोहू लाल, परस राम समभाग हिस्सादारान वायान			
							कुल 36 भाग:— श्रीमति बग्गो देवी पुत्री				

							चिन्तराम पुत्र रलू 1 भाग स्थानीय वासी मुशत्री कुल से 1/36 भाग रकवा 0-1 बिघा				
							नोट:- कुल से 1/36 भाग रकवा				
							0-1 बिघा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है। शेष भूमि				
							0-2 बिघा भूमि समझौता वार्ता से अर्जित हो चुकी है।				
	जोड़ खेवट:-		किता-4			1-15					
3	27 मिन	30 मिन	93/1	मुस्तर्का	कोहली	1-18	कुल 180 भाग:- बिन्दर सिंह पुत्र बग्गा राम, पुत्र रतनू 1 भाग स्थानीय वासी कुल से 1/180 भाग रकवा कम अज विस्वा				
							नोट:- कुल से 1/180 भाग रकवा तादादी कमअज विस्वा बिघा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है। शेष भूमि 1-18 बिघा भूमि समझौता वार्ता से अर्जित हो चुकी है।				
4	39 मिन	42 मिन	121/36/1	मुस्तर्का		4-12	कुल 3 भाग:-राम दयाल पुत्र भगतू पुत्र रलू 1 भाग ईश्वर दास, महेन्दर पुत्र रामदिता पुत्र कहनू भाग बरावर 2 भाग स्थानीय वासी				
					वारानी	4-2					
					खडैतर	0-8					
					गैर मु0 बीड़	0-2					
		43 मिन	120/36/1			2-9	रामदयाल आदि मालकान वर्णित:- महेन्दर हिस्सादार मलकीयत दहिन्दा गुरवचन सिंह, गुरदेव सिंह, सुखदेव सिंह, बलदेव सिंह, पोहू लाल, परसराम पुत्र लच्छमण पुत्र रामजी समभाग स्थानीय वासी मलकीयत गरिन्दगान				
					चाही	2-8					
					गैर मु0 बीड़	0-1					
	जोड़ खेवट:-		किता-2			7-1					
5	43 मिन	47 मिन	39/1	मुस्तर्का		5-15	कुल 72 भाग:- श्रीमति बग्गो देवी पुत्री चिन्तराम पुत्र रलू 1 भाग स्थानीय वासी कुल से 1/72 भाग रकवा 0-3 बिघा				
					वारानी	5-5	नोट:- कुल से 1/72 भाग रकवा तादादी				
					खडैतर	0-9	0-3 बिघा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है। शेष भूमि				
					गैर मु0 बीड़	0-1	9-19 बिघा भूमि समझौता वार्ता से अर्जित हो चुकी है।				
			44			1-9					

					वारानी	0-14					
					गैर मु0 आवादी	0-10					
					गैर मु0 बीड़	0-5					
			61/1		वारानी	2-18					
			किता-3			10-2					
कुल जोड़:-			किता-11			26-14	कुल 8-16 बिघा भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित।				
2. घरोट											
ह0नं0 358											
1	11 मिन	13 मिन	462	मुस्तर्का	खडैतर	4-13	कुल 15650 भाग:- श्रीमति पूजा देवी पुत्री बतन सिंह पुत्र रणसिंह 1 भाग स्थानीय वासी कुल से 1/15650 भाग रकवा कम अज विस्वा। नोट:- कुल से 1/15650 भाग रकवा कमअज विस्वा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है। शेष भूमि 6-4 बिघा भूमि समझौता वार्ता से अर्जित हो चुकी है।	महाल मोहीवाल पंजाब	महाल समताह पंजाब	महाल धनसूई	महाल लखनू
			464/1		बंजर कदीम	1-11					
			किता-2			6-4					
2	29 मिन	36 मिन	349/1	मुस्तर्का	वारानी	0-4	कुल 6744 भाग:- सीता राम पुत्र जोघल पुत्र मोतू 50 भाग स्थानीय वासी कुल से 50/6744 भाग रकवा कम अज विस्वा। नोट:- कुल से 50/6744 भाग रकवा कमअज विस्वा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है। शेष भूमि 0-4 बिघा भूमि समझौता वार्ता से अर्जित हो चुकी है।				
3	38 मिन	51 मिन	387	गै0मौरूसी	गैर मु0 आवादी	0-9	कुल 21 भाग:- अरसाल सिंह 8 भाग विक्रम सिंह, कश्मीर सिंह, सुलेन्द्र सिंह, सतीश कुमार पुत्र व श्रीमती अरसाल देई भाग बराबर 5 भाग पुत्री व श्रीमती विद्या देवी 8 भाग विधवा अच्छर सिंह पुत्र मंगल सिंह स्थानीय वासी -----I----- वचित्र सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र लच्छमण स्थानीय वासी गैर मौरूसी				

4	110 मिन	128 मिन	290/1	गैर मौरूसी	बंजर कदीम	0-7	कुल 63 भाग:- श्रीमती विद्या देवी विधवा अच्छर सिंह पुत्र मंगल सिंह 24 भाग स्थानीय वासी -----X----- कुल 3 भाग:- लेख राम, रामपाल पुत्र चूहड़ा पुत्र कपूरा समभाग 1 भाग सतपाल पुत्र लच्छमण पुत्र कपूरा 1 भाग मनशा राम पुत्र कपूरा पुत्र वीरू 1 भाग निवासी समलाह पंजाब गैर मौरूसीयान । नोट:- कुल से 24/63 भाग रकवा तादादी 0-3 बिघा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है। शेष भूमि 0-4 बिघा भूमि समझौता वार्ता से अर्जित हो चुकी है।				
5	140 मिन	162 मिन	602/544/1	मुस्तर्का	वारानी	0-16	कुल 72 भाग:- जय नन्द पुत्र रामजी पुत्र बृजू 5 भाग स्थानीय वासी कुल से 5/72 भाग रकवा 0-2 बिघा नोट:- कुल से 5/72 भाग रकवा तादादी 0-2 बिघा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है। शेष भूमि 0-19 बिघा भूमि समझौता वार्ता से अर्जित हो चुकी है।				
			603/544/1		वारानी	0-5					
			किता-2			1-1					
कुल जोड़:-			किता-7			8-5	कुल 0-14 बिघा भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित।				
3. खैरियां ह0नं0 330											
1	26 मिन	30 मिन	459/1	मुस्तर्का		0-6	कुल 27 भाग:- हरमिंदर सिंह, सुरेन्द्र मोहन, अमरजीत सिंह, हरमीत सिंह पुत्र व श्रीमती अमरजीत कौर पुत्री व श्रीमती तेज कौर विधवा गुरवचन सिंह पुत्र कपूर सिंह समभाग 3 भाग.. निवासी कोटला तह0 आनन्दपुर साहिब.. कुल से 3/27 भाग रकवा कम अज विश्वा। नोट:- कुल से 3/27 भाग कमअज विश्वा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है। शेष भूमि	महाल लखाता	महाल मौद्दू, गप्पा, एन0पच0 21	महाल घनौर (पंजाब)	महाल स्वाहन
					बंजर कदीम	0-4					
					खडैतर	0-2					
			469/1		बंजर कदीम	0-3					

			किता-2			0-9	0-9 बिघा भूमि समझौता वार्ता से अर्जित हो चुकी है।				
2	60 मिन	67 मिन	473/1	मुस्तर्का	खडैतर	0-10	कुल 2 भाग :- राम गोपाल पुत्र प्रेम सिंह पुत्र इन्दरू 1 भाग स्थानीय वासी कुल से 1/2 भाग रकवा 0-5 बीघा। नोट:- कुल से 1/2 भाग रकवा तादादी 0-5 बिघा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है। शेष भूमि 0-5 बिघा भूमि समझौता वार्ता से अर्जित हो चुकी है।				
3	61 मिन	68 मिन	495/1	मुस्तर्का	कोहली	0-3	कुल 14 भाग:-भाग सिंह पुत्र व श्रीमती मंडी पुत्री व श्रीमती परमेश्वरी विधवा नरैणू पुत्र सुन्दर समभाग 3 भाग. स्थानीय वासी । कुल से 3/14 भाग रकवा कम अज विस्वा। नोट:- कुल से 3/14 भाग कमअज विस्वा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है। शेष भूमि 0-3 बिघा भूमि समझौता वार्ता से अर्जित हो चुकी है।				
4	89 मिन	98 मिन	535/1		गैर मु0 कुहल	0-5	मुहाजी मालकान ----- X ----- कब्जा स्वयं आवपाश कुनिन्दगान				
			535/3		गैर मु0 कुहल	0-1					
			535/5		गैर मु0 कुहल	0-1					
			किता-3			0-7					
कुल जोड़:-			किता-7			1-9	कुल 0-12 बिघा भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित				
4. थापना ह0नं0 309											
1	19 मिन	22 मिन	186/1	मुस्तर्का	खडैतर	4-13	कुल 534 भाग:-श्रीमती देवकी पुत्री ग्रैहणू पुत्र लोहका 267 भाग कुल से 1/2 भाग रकवा 4-2 बीघा। नोट:- कुल से 1/2 भाग रकवा तादादी 4-2 बिघा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है।	सतलुज	महाल मझेड़, पंगगा	महाल जब्बल, समलेटू	जंगल डङनाल
			186/2/1			0-14					
					वारानी	0-13					
					गैर मु0 बीड़	0-1					

			186/2/2		वारानी	0-7	शेष भूमि 4-2 बिघा भूमि समझौता वार्ता से अर्जित हो चुकी है।				
			186/2/3			2-8					
					वारानी	2-0					
					गैर मु0 बीड़	0-8					
			186/2/4		वारानी	0-2					
			किता-5			8-4					
		24 मिन	124/1	गैर मौरुसी	गैर मु0 चोई	0-6	कुल 534 भाग:- तेलू राम शेर सिंह पुत्र देवी राम पुत्र ग्रैहणू समभाग 187 भाग राज कुमार सुरेश कुमार पुत्र तेलू राम पुत्र देवी राम समभाग 40 भाग शिवम ठाकुर राम कुमार पुत्र शेर सिंह पुत्र देवी राम समभाग 40 भाग श्रीमती देवकी पुत्री ग्रैहणू पुत्र लोहका 267 भाग स्थानीय वासी ----- X ----- अमर सिंह, धर्म सिंह, नत्थु राम पुत्र कांशी राम पुत्र.....स्थानीय वासी गैर मौरुसीयान				
			125/1			0-18					
					वारानी	0-11					
					गैर मु0 बीड़	0-7					
			126/1		वारानी	0-2					
			किता-3			1-6					
	जोड़ खेवट:-		किता-8			9-10					
2	20 मिन	26 मिन	187/3/1	मुस्तर्का	वारानी	0-3	कुल 53400 भाग:- श्रीमती देवकी पुत्री ग्रैहणू पुत्र लोहका 26700 भाग स्थानीय वासी विकास खण्ड सदर बिलासपुर 534 भाग कुल से 27234 / 53400 भाग रकवा 0-2 बीघा। नोट:- कुल से 27234 / 53400 भाग रकवा तादादी 0-2 बिघा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है। शेष भूमि 0-1 बिघा भूमि समझौता वार्ता से अर्जित हो चुकी है।				
कुल जोड़:-			किता-9			9-13	कुल 5-10 बिघा भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित।				

[illegible]

							कुल 6843312000 भाग:-प्यारे लाल पुत्र राम सिंह पुत्र पूरण 256624200 भाग श्रीमती सुनैहरु पुत्री गोविन्दा पुत्र कालू 456220800 भाग रत्न सिंह, जीत राम, लच्छमण सिंह, शालीग्राम, नरेणदास, वासूदेव, हुकम चन्द पुत्र भगता पुत्र प्रभा समभाग 19769568 भाग सर्व श्रीमती भागो देवी, हुकमी देवी, हाकमी देवी पुत्रीयां श्रीमती दरोपती पुत्री प्रभा समभाग 6843312 भाग श्रीमती पूरणू विधवा सैहजा पुत्र जल्हो 684331200 भाग लच्छू पुत्र गंगा पुत्र कपूरा 17821125 भाग श्रीमती शीला देवी पुत्री व श्रीमती कलावती विधवा जयकरण पुत्र इन्दरू समभाग 760368 भाग स्थानीय वासी कुल से 1442370573 / 6843312000 भाग रकवा 0-7 बिघा ---x----- कुल 3 भाग:-छांगू राम, बली राम रतन लाल पुत्र भगतू पुत्र चिड़वा समभाग 1 भाग हरीपाल, बसीराम पुत्र जडू पुत्र चिड़वा समभाग 1 भाग श्रीमती निक्की विधवा महन्तू पुत्र चिड़वा 1 भाग गैर मौरूसीयान				
कुल जोड़:-			किता-3			1-19	कुल 1-2 बिघा भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित				
6. जब्बल ह0नं0 307											
1	1 मिन	1 मिन	15/1	निजि		4-16	सन्त राम पुत्र रामसरन पुत्र तानी निवासी क्यारियां	बी0बी0एम0बी0	महाल क्यारियां	महाल क्यारियां	महाल धापना
					बंजर कदीम	4-2					
					गैर मु0 पत्थर	0-13					
					गैर मु0 बीड़	0-1					
			20			4-15					
					बंजर कदीम	1-16					
					खडैतर	2-16					
					गैर मु0 पत्थर	0-3					
			किता-2			9-11					

2	2 मिन	2 मिन	51/16/2/1	निजि	बंजर कदीम	0-2	जोगिन्द्र सिंह पुत्र ठाकुर दास पुत्र रामसरन स्थानीय वासी				
			51/16/2/2			2-14					
					बंजर कदीम	2-6					
					गैर मु0 पत्थर	0-8					
			37/1			1-7					
					बंजर कदीम	1-2					
					गैर मु0 बीड़	0-5					
			39/1			2-17					
					बंजर कदीम	2-9					
					गैर मु0 बीड़	0-8					
			किता-4			7-0					
3	3 मिन	3 मिन	28/1	मुशतर्का		0-3	कुल 77 भाग प्रताप सिंह, राजेश कुमार समभाग 51 भाग.. अजमेर सिंह 26 भाग.. पुत्र शंकर दास पुत्र रामसरन स्थानीयवासी				
					बंजर कदीम	0-2					
					गैर मु0 बीड़	0-1					
			28/2		बंजर कदीम	0-2					
			31/1		बंजर कदीम	0-2					
			31/2			0-8					
					बंजर कदीम	0-5					
					खडैतर	0-2					
					गैर मु0 बीड़	0-1					
			34/1			0-8					
					बंजर कदीम	0-5					

					गैर मु0 बीड़	0-3					
			किता-5			1-3					
4	4 मिन	4 मिन	24/1	मुशतर्का		4-18	बलवीर सिंह, धर्मेन्द्र सिंह पुत्र नरैण दास पुत्र रामसरण समभाग स्थानीय वासी				
					बागीचा वारानी	0-5					
					बंजर कदीम	2-11					
					खडैतर	1-8					
					गैर मु0 बीड़	0-12					
					गैर मु0 पत्थर	0-2					
			24/2		बंजर कदीम	1-7					
			किता-2			6-5					
5	5 मिन	5 मिन	26	मुशतर्का		1-3	विरेन्द्र, सुरेन्द्र पुत्र व श्रीमती पुष्पा देवी विधवा भगत राम पुत्र रामसरण समभाग स्थानीयवासी				
					बंजर कदीम	0-16					
					खडैतर	0-2					
					गैर मु0 बीड़	0-5					
			35/1		बंजर कदीम	0-8					
			35/5			0-16					
					बंजर कदीम	0-15					
					गैर मु0 आवादी	0-1					
			35/6			2-18					
					बंजर कदीम	2-2					

					गैर मु0 बीड	0-13					
					गैर मु0 आवादी	0-3					
			किता-4			5-5					
6	6 मिन	6 मिन	27	निजि		1-2	दलीप सिंह पुत्र रामसरन पुत्र तानी स्थानीय वासी				
					बंजर कदीम	0-16					
					खडैतर	0-1					
					गैर मु0 बीड	0-5					
			36			6-18					
					बंजर कदीम	4-3					
					गैर मु0 बीड	2-15					
			किता-2			8-0					
7	8 मिन	8 मिन	23/1	मुशतर्का	बारानी	0-2	कुल 2247 भाग राम लाल 314 भाग पुत्र व राम कृष्ण, राम चन्द, श्याम लाल, पुत्र व श्रीमती फुलां देवी, श्रीमती बिन्द्रा देवी पुत्रियां व श्रीमती हुकम देई विधवा मल्हा पुत्र ठौकरिया समभाग 1926 भाग श्रीमती रशपाल कौर पत्नी रणविजय सिंह पुत्र लेख राम 7 भाग स्थानीय वासी				
			23/2			1-14					
					बारानी	0-9					
					बंजर कदीम	0-14					
					खडैतर	0-4					
					गैर मु0 बीड	0-7					
			23/3		बारानी	0-5					
			23/4			1-9					
					बारानी	0-8					

					बंजर कदीम	0-12					
					खडैतर	0-3					
					गैर मु0 पत्थर	0-6					
			25/1			3-2					
					बारानी	2-5					
					गैर मु0 बीड	0-17					
			25/2			3-0					
					बारानी	2-4					
					गैर मु0 बीड	0-16					
			44/32/1			0-9					
					बारानी	0-7					
					गैर मु0 पत्थर	0-2					
			33/1		बारानी	0-19					
			38/1			1-9					
					बारानी	0-12					
					बंजर कदीम	0-14					
					गैर मु0 बीड	0-3					
			किता-9			12-9					
8	9	9	53/40/1	निजि	गैर मु0 लहासा	1-8	रूप लाल पुत्र पोपो पुत्र शेरु निवासी थापना				
9	10	10	19		गैर मु0 आवादी	0-7	आवादी देह-----X-----आवादी देह				

			किता-30			51-8							
7. टिककर ह0नं0 304													
1	1 मिन	1 मिन	6/1	मुशतर्का		0-8	कुल 54768 भाग:-सुरेन्द्र कुमार, सुनील कुमार समभाग 3423 भाग पुत्र व श्रीमती ज्ञानो देवी 1141 भाग विधवा बालक राम पुत्र परस राम..., रामकृष्ण, मंगल सिंह पुत्र परस राम पुत्र गंगा राम समभाग 9128 भाग जीत राम, रूप लाल पुत्र लच्छमण पुत्र गंगा राम समभाग 13660 भाग, जोगिन्द्र सिंह, बलवीर सिंह, जयपाल चन्द, सुन्दर सिंह, विजेन्द्र सिंह पुत्र व श्रीमती द्रोपती विधवा नंद लाल पुत्र गंगा राम समभाग 13660 भाग कुलदीप पुत्र हरी सिंह पुत्र गंगा राम 13660 भाग, रामप्रकाश, कुलदीप सिंह पुत्र लेख राम पुत्र गुरदितू समभाग 64 भाग प्रदीप कुमार पुत्र जोगिन्द्र सिंह पुत्र लेख राम 32 भाग स्थानीय वासी	महाल रौणां	महाल दगड़ाहन	सतलुज	सतलुज		
					बंजर कदीम	0-7							
					बीड़ खडैतर	0-1							
2	27 मिन	35 मिन	138/7/1	मुशतर्का		0-9	कुल 3 भाग:- रामप्रकाश , कुलदीप सिंह पुत्र लेख राम पुत्र गुरदितू समभाग 2 भाग प्रदीप कुमार पुत्र जोगिन्द्र सिंह पुत्र लेख राम 1 भाग स्थानीय वासी ।						
					बंजर कदीम	0-6							
					बीड़ खडैतर	0-3							
3	35 मिन	43 मिन	8/1	मुशतर्का		0-7	कुल 15984 भाग:- श्रीमती नीशा देवी पुत्री श्याम लाल पुत्र बुधी राम 18 भाग श्रीमती इन्द्री देवी विधवा बुधी राम पुत्र पूर्ण 18 भाग स्थानीय वासी कुल से 36/15984 भाग रकवा कम अज विश्वा । नोट:- कुल से 36/15984 भाग रकवा तादादी कम अज विस्वा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है। शेष भूमि 0-7 बिघा भूमि समझौता वार्ता से अर्जित हो चुकी है।						
					बंजर कदीम	0-6							
					बीड़ खडैतर	0-1							
कुल जोड़:-			किता-3			1-4	कुल भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित 0-17 बिघा						
8. दगड़ाहन ह0नं0 299													
1			223/1	निजी	बंजर कदीम	0-4	रामधन पुत्र रघू पुत्र गुंजू स्थानीय वासी	महा	महा	गामर	महा		

	24 मिन	27 मिन									
2	30 मिन	36 मिन	266/1	मुशतर्का	वारानी	0-1	कुल 4 भाग:- प्रकाश चन्द, रूप लाल समभाग 1 भाग.. नन्द लाल 1 भाग.. पुत्र बुधी राम पुत्र रामदितू.. दुर्गू पुत्र रामदितू पुत्र हज्जारू 2 भाग.. स्थानीय वासी				
3	34 मिन	41	274	गैर मौरुसी	वारानी	0-3	कुल 6420 भाग:- रोशन लाल, दौलत राम समभाग 3210 भाग.. पुत्र व प्रेम लाल 1557 भाग.. पुत्र सुन्दर पुत्र सोहनू ... सन्दीप कुमार, परमिन्दर कुमार पुत्र रोशन लाल पुत्र सुन्दर समभाग 535 भाग.. श्रीमती भागो देवी पत्नी दौलत राम पुत्र सुन्दर 535 भाग.. श्रीमती अनिता देवी पत्नी प्रेम लाल पुत्र सुन्दर 535 भाग.. शरीफदीन पुत्र फजलदीन पुत्र नविया 48 भाग.. स्थानीय वासी -----X----- जीत राम पुत्र नरैणू पुत्र केसरीया स्थानीय वासी गैर मौरुसी अबल मार्फत लौहकु पुत्र नन्दु पुत्र अच्छरू स्थानीय वासी गैर मौरुसी दोम				
4	50 मिन	66 मिन	264/1	मुशतर्का	वारानी	1-6	कुल 3 भाग:- जगत राम, प्रेम लाल पुत्र सन्त राम पुत्र घनईया समभाग 2 भाग.. राकेश कुमार, उमेश कुमार पुत्र रोशन लाल पुत्र सन्त राम समभाग 1 भाग.. स्थानीय वासी				
5	55 मिन	71 मिन	265/1	मुशतर्का	वारानी	0-12	कुल 45 भाग:- भगवान दास, सुभाष चन्द, सोहन लाल समभाग 41 भाग पुत्र व श्रीमती लच्छमी देवी विधवा सदा राम पुत्र जोती 4 भाग स्थानीय वासी				
			265/2		वारानी	0-3					
			267			5-11					
					वारानी	5-9					
					गैर मु0 आवादी	0-2					

			किता-3			6-6					
6	75 मिन	97 मिन	271/1	मुशतर्का	वारानी	0-6	प्रेम लाल, जय सिंह पुत्र हरी राम पुत्र फिथू समभाग निवासी भटेड़				
			272/1		वारानी	0-12					
			किता-2			0-18					
7	78 मिन	100 मिन	273/1	मुशतर्का	वारानी	0-3	कुल 136 भाग:- हरी लाल 64 भाग.. पुत्र व श्रीमती गंगा देई 45 भाग विधवा विशम्बर पुत्र कांशी.. निर्मल सिंह पुत्र व श्रीमती कान्ता देवी पुत्री व श्रीमती शीला देवी विधवा देव राज पुत्र विशम्बर समभाग 27 भाग.. स्थानीय वासी				
	अब्ल		273/5/1		वारानी	1-8					
			किता-2			1-11					
8	78 मिन	100 मिन	273/2	निजी	वारानी	0-4	धनी राम पुत्र कांशी राम पुत्र मुंगा स्थानीय वासी				
	दोम		273/4/1		वारानी	1-2					
			किता-2			1-6					
9	78 मिन	100 मिन	273/3	निजी	वारानी	1-19	बिशन सिंह पुत्र कांशी राम पुत्र मुंगा स्थानीय वासी				
10	82 मिन	104 मिन	277	मुशतर्का		2-19	कुल 59 भाग:- जगत राम पुत्र हिरू पुत्र हजारू 54 भाग शौकत अली पुत्र अताह मुहम्मद पुत्र नत्थू 5 भाग स्थानीय वासी				
	अब्ल				बंजर कदीम	2-6					
					बीड़ खडैतर	0-7					
					गैर मु0 नाला	0-6					
11	82 मिन	104 मिन	281/1	निजी		1-9	जगत राम पुत्र हिरू पुत्र हजारू स्थानीय वासी				
	दोम				वारानी	1-3					
					बीड़ खडैतर	0-3					
					गैर मु0 नाला	0-3					

			281/2		वारानी	0-6					
			282/1		वारानी	0-6					
			284/1		वारानी	0-8					
			किता-4			2-9					
12	91 मिन	115 मिन	269/1	निजी	वारानी	0-13	नानक चन्द पुत्र दुर्गा पुत्र बंसी राम.स्थानीय वासी				
13	93 मिन	117 मिन	218/1	मुशतर्का		4-5	प्रकाश चन्द, प्रीतम चन्द, महेन्द्र कुमार, देश राज, पवन कुमार पुत्र व श्रीमती कृष्णी देवी विधवा सन्तोखा राम पुत्र रामदितू समभाग स्थानीय वासी				
					वारानी	2-0					
					बागीचा वारानी	2-0					
					गैर मु0 बीड़	0-5					
14	94 मिन	118 मिन	268/1	मुशतर्का	वारानी	0-1	कुल 3 भाग:- नन्द लाल, भगत राम पुत्र जीत राम पुत्र रामदितू समभाग 1 भाग.. श्रीमती कला देवी, सिकन्दरो देवी पुत्रियां व श्रीमती अमरी देवी विधवा सन्त राम पुत्र रामदितू समभाग 1 भाग.. प्रकाश चन्द प्रीतम चन्द, महेन्द्र कुमार, देश राज, पवन कुमार पुत्र व श्रीमती कृष्णी देवी विधवा सन्तोखा राम पुत्र रामदितू समभाग 1 भाग स्थानीय वासी				
			268/2		वारानी	0-2					
			किता-2			0-3					
15	95	119	221	मुशतर्का	खडैतर	1-0	कुल 30 भाग:- नन्द लाल, भगत राम पुत्र जीत राम पुत्र रामदितू समभाग 12 भाग.. प्रकाश चन्द, प्रीतम चन्द, महेन्द्र कुमार, देश राज, पवन कुमार समभाग 11 भाग.. पुत्र व श्रीमती कृष्णी देवी 1 भाग विधवा सन्तोखा राम पुत्र रामदितू... श्रीमती सुखदेई पुत्री रामदितू पुत्र भजना 6 भाग..स्थानीय वासी				
			222		वारानी	0-2					
			किता-2			1-2					
16			219/1	मुशतर्का	गैर मु0 आवादी	1-14					

	96 मिन	120 मिन					कुल 60 भाग:- नन्द लाल, भगत राम पुत्र जीत राम पुत्र रामदितु समभाग 12 भाग.. प्रकाश चन्द, प्रीतम चन्द, महेन्द्र कुमार, देश राज, पवन कुमार पुत्र समभाग 11 भाग.. श्रीमती कृष्णी देवी विधवा सन्तोखा राम पुत्र रामदितु 1 भाग.. सुखदेई पुत्री रामदितु पुत्र भजना 6 भाग.. श्रीमती जानकी उर्फ जैण्डी, श्रीमती सीता देवी पुत्रियां गंगा राम पुत्र संसारु समभाग 25 भाग.. कमलदेव, सुभाष चन्द पुत्र राम सिंह पुत्र सन्त राम समभाग 5 भाग स्थानीय वासी				
17	146 मिन	171 मिन	275/1	मुशतर्का	वारानी	1-1	कुल 62 भाग:- जय किशन पुत्र निकु पुत्र जियूणू 5 भाग... रमेश चन्द्र, बलवीर सिंह पुत्र भगत राम पुत्र गददी समभाग 6 भाग लौहकू पुत्र नन्दू पुत्र अच्छरू 47 भाग यशवन्त सिंह पुत्र नन्द लाल .2 भाग स्थानीय वासी. श्याम लाल, महेन्द्र सिंह पुत्र प्रेम लाल पुत्र हरी राम समभाग 2 भाग निवासी भटेड़				
18	149 मिन	174 मिन	276/1	मुशतर्का	गैर मु0 सड़क	0-7	कुल 2370480 भाग:- नन्द लाल, निका राम पुत्र सन्त राम पुत्र सुर्जन समभाग 25200 भाग श्रीमती जमना देवी पुत्री हरी राम पुत्र सुर्जन 12600 भाग. . सुभाष चन्द पुत्र कृष्ण लाल पुत्र बंसी राम 25200 भाग.. कृष्ण लाल पुत्र बंसी राम पुत्र सुर्जन 63000 भाग.. भण्डारी पुत्र जालम पुत्र सुल्तानी 37800 भाग.. जय कृष्ण, रणजीत सिंह, राम लाल, मदन लाल पुत्र निकु पुत्र जियूणू समभाग 12600 भाग.. जय सिंह पुत्र शिव राम पुत्र जियूणू 10080 भाग.. विनोद कुमार पुत्र व श्रीमती शीला देवी पत्नी जय सिंह पुत्र शिव राम समभाग 2520 भाग.. रतना पुत्र मुन्शी पुत्र जियूणू 37800 भाग.. महेन्द्र कुमार, धर्मपाल, रविन्द्र कुमार पुत्र व श्रीमती कौशलया देवी विधवा रूप सिंह पुत्र गोकल समभाग 15680 भाग मंगल सिंह, लेख राम समभाग 39200 भाग पुत्र व श्रीमती दया देवी विधवा गोकल पुत्र जियूणू 13720 भाग.. प्रकाश चन्द, मनोज कुमार समभाग 13720 भाग पुत्र व कुमारी सपना देवी, कुमारी सीमा देवी पुत्रियां व श्रीमती आशा देवी विधवा रोशन लाल पुत्र गोकल समभाग 5880 भाग.. श्रीमती कला देवी, रमीला देवी पुत्रियां जल्हा पुत्र जंगी समभाग 126000 भाग.. शुभम कुमार, मोहित कुमार पुत्र अमर सिंह पुत्र लच्छमण समभाग 75600 भाग..				

							अमर सिंह पुत्र लच्छमण पुत्र मुन्शी 75600 भाग..				
							प्रेम लाल, निका राम पुत्र जिन्दु पुत्र मुन्शी समभाग				
							63000 भाग.. कृष्ण लाल, शंकर सिंह पुत्र जीत				
							राम पुत्र गुंजू समभाग 75600 भाग.. कपल देव				
							पुत्र कृष्ण लाल पुत्र जीत राम 16800 भाग.. श्याम				
							लाल पुत्र शंकर सिंह पुत्र जीत राम 16800 भाग..				
							रामधन, नैन सिंह, हरी सिंह पुत्र रघु पुत्र गुंजू				
							समभाग 75600 भाग.. कमल किशोर 16800 भाग.				
							. पुत्र व श्रीमती प्रेमी देवी 75600 भाग पत्नी रामधन				
							पुत्र रघु.. प्रकाश चन्द, रूप लाल समभाग 19320				
							भाग.. पुत्र व नन्द लाल 19320 भाग.. पुत्र बुधी				
							राम पुत्र रामदितु ... दुर्गु पुत्र रामदितु पुत्र हजारू				
							38640 भाग.. लालजी पुत्र साधु पुत्र अतरा 25200				
							भाग.. रोशन लाल, दौलत राम समभाग 21600				
							भाग.. पुत्र व प्रेम लाल 5400 भाग.. पुत्र सुन्दर पुत्र				
							सोहणू ... सन्दीप कुमार, परमीन्दर कुमार पुत्र				
							रोशन लाल पुत्र सुन्दर समभाग 3600 भाग..				
							श्रीमती भागो देवी पत्नी दौलत राम पुत्र सुन्दर				
							3600 भाग.. अनीता देवी पत्नी प्रेम लाल पुत्र सुन्दर				
							3600 भाग.. सन्त राम पुत्र गंगा राम पुत्र मसदी				
							289800 भाग.. सुख राम पुत्र तुलसी पुत्र मेहलर				
							138600 भाग.. राम लाल, शेर सिंह समभाग 75600				
							भाग.. प्यार सिंह 9450 भाग.. पुत्र दुर्गा पुत्र जियूणू				
							. राजेश कुमार पुत्र प्यार सिंह पुत्र दुर्गा 28350				
							भाग.. लच्छमण सिंह पुत्र जगीसरू पुत्र जंगी				
							25200 भाग.. जय सिंह 25200 भाग पुत्र व श्रीमती				
							कला देवी विधवा निकु राम पुत्र कांशी 12600				
							भाग.. शेर सिंह, बलबीर सिंह पुत्र व श्रीमती निका				
							विधवा बालक राम पुत्र कांशी समभाग 37800 भाग.				
							. जगत राम, प्रेम लाल समभाग 16800 भाग.. पुत्र				
							व श्रीमती सन्ती देवी 1680 भाग पत्नी सन्त राम				
							पुत्र घनईया... प्रकाश चन्द, उमेश कुमार पुत्र व				
							सुरेन्द्रा कुमारी पुत्री व श्रीमती बिमला देवी विधवा				
							रोशन लाल पुत्र सन्त राम समभाग 6720 भाग				
							भगवान दास, सुभाष चन्द, सोहन लाल समभाग				
							11480 भाग पुत्र व श्रीमती लच्छमी विधवा सदा				
							राम पुत्र जोती 1120 भाग स्थानीय वासी... तिलक				
							राज पुत्र व श्रीमती कश्मीरा देवी, मीना देवी पुत्रियां				
							व श्रीमती यशोधा विधवा सीता राम समभाग 40320				
							भाग तृषा ठाकुर सानवी ठाकुर सृष्टी ठाकुर पुत्रियां				
							व श्रीमती सोनिया विधवा कृष्ण लाल पुत्र सीता				

							राम समभाग 10080 भाग.. राजेश कुमार पुत्र चेत राम पुत्र जोती 23940 भाग श्रीमती कशमीरी देवी विधवा श्याम लाल पुत्र चेत राम 23940 भाग, रतना, बालक राम, विजय पाल पुत्र जोती पुत्र नानकु .समभाग 143640 भाग... राकेश कुमार, पवन कुमार समभाग 38304 भाग पुत्र व श्रीमती जय देई विधवा जय सिंह पुत्र जोती 9576 भाग... निर्मल सिंह पुत्र व श्रीमती कान्ता देवी पुत्री व श्रीमती शीला देवी विधवा देव राज पुत्र बसम्बर समभाग 4725 भाग... हरी लाल 12600 भाग पुत्र व श्रीमती गंगा देवी विधवा बसम्बर पुत्र कांशी 7875 भाग... धनी राम, विशन सिंह पुत्र कांशी पुत्र मुंगा समभाग 50400 भाग... मदन लाल पुत्र परमा नन्द पुत्र नरैणदास 12600 भाग... जगत राम, सदा राम पुत्र हिरू पुत्र हजारू समभाग 63000 भाग... राम लाल पुत्र तुलसी राम पुत्र शेरू 63000 भाग.. लोहकु पुत्र नन्दु पुत्र अच्छरू 37800 भाग... बालकृष्ण, संजय कुमार पुत्र व श्रीमती श्याम देई विधवा देवीदिता पुत्र रामजी समभाग 9450 भाग राहुल पुत्र व श्रीमती मीरां देवी विधवा राधाकृष्ण पुत्र देवीदिता समभाग 3150 भाग बसीर मुहम्मद, कर्मदीन पुत्र नुरदीन पुत्र नबिया समभाग 50400 भाग.. श्रीमती भाड़ो पुत्री गंगा राम पुत्र मसदी 12600 भाग स्थानीय वासी				
19	168 मिन अब्बल	194 मिन	278/1	मुशतर्का		2-8	कुल 844 भाग:— शौकत अली 191 भाग.. गुलजार अली 211 भाग.. पुत्र अताह मोहम्मद पुत्र नत्थू ... जगत राम पुत्र हीरू पुत्र हजारू 20 भाग... अमीन मोहम्मद, जलालदीन पुत्र गुलाम मुहम्मद पुत्र नत्थू समभाग 422 भाग स्थानीय वासी				
					वारानी	1-9					
					बीड़ खडैतर	0-10					
					गैर मु0 नाला	0-9					
20	168 मिन दोम	194 मिन	279/1	मुशतर्का		1-11	कुल 2 भाग:— शौकत अली, गुलजारअली पुत्र अताह मोहम्मद पुत्र नत्थू समभाग 1 भाग... अमीन मोहम्मद, जलालदीन पुत्र गुलाम मुहम्मद पुत्र नत्थू समभाग 1 भाग स्थानीय वासी				
					वारानी	1-2					
					बीड़ खडैतर	0-6					
					गैर मु0 नाला	0-3					
21	177 मिन	203 मिन	220		गैर मु0 आवादी	1-7	आवादी देह				

कुल जोड़:-			किता-31			33-13					
9. टाली ह0नं0 298											
1	1 मिन अब्ल	1 मिन	177	निजी		1-7	सुन्दर सिंह पुत्र देवी सिंह पुत्र घुरकू स्थानीय वासी	महाल भटेड़	जंगल फतेहपुर	बी0बी0एम0बी0	महाल भटेड़
					बारानी	0-13					
					बीड़ खडैतर	0-14					
			179/1			2-14					
					बारानी	1-10					
					गैर मु0 बीड़	1-4					
			किता-2			4-1					
2	3	3	47	मुश्तर्का / गैर मौरूसी	बारानी	0-8	कुल 8 भाग:- श्रीमती द्रोपती पत्नी सीता राम पुत्र देवी सिंह 7 भाग.. भगवान दास पुत्र हीरा पुत्र घनईया 1 भाग स्थानीय वासी ——X—— कुल 7 भाग:- श्रीमती द्रोपती हिस्सेदारा बजातेही बनीज गैर मौरूसी 1 भाग मिनजानिब भगवानदास हिस्सेदार				
3	4 मिन	4 मिन	48	निजि	वारानी	0-2	श्रीमती कलावती विधवा निका पुत्र देवी सिंह स्थानीय वासी				
4	6 मिन	6 मिन	176/1	मुश्तर्का		0-13	कुल 5 भाग:- जय सिंह, रूप सिंह, राज कुमार पुत्र व श्रीमती द्रोपती देवी विधवा सीता राम पुत्र देवी सिंह समभाग 1 भाग सुन्दर सिंह, नरैण सिंह, कृष्ण लाल पुत्र देवी सिंह पुत्र घुरकू समभाग 3 भाग श्रीमती कलावती विधवा निका पुत्र देवी सिंह 1 भाग स्थानीय वासी				
					वारानी	0-12					
			खडैतर	0-1							
			176/2	वारानी	0-2						
			178		5-18						
					वारानी	4-17					
					बीड़ खडैतर	0-11					
					गैर मु0 बीड़	0-10					

			किता-3			6-13				
5	7 मिन अब्बल	7 मिन	49/3/1	मुश्तर्का	वारानी	3-12	कुल 60 भाग:- जय सिंह, रूप सिंह, राज कुमार पुत्र व श्रीमती द्रोपती देवी विधवा सीता राम पुत्र देवी सिंह समभाग 13 भाग सुन्दर सिंह, नरैण सिंह, कृष्ण लाल पुत्र देवी सिंह पुत्र घुरकू समभाग 39 भाग श्रीमती कलावती विधवा निका पुत्र देवी सिंह 8 भाग स्थानीय वासी			
6	8	8	17	मुश्तर्का	वारानी	0-1	कुल 20 भाग:- भगत राम पुत्र व श्रीमती रामकी विधवा तुलसी पुत्र बजीरू समभाग 5 भाग आत्मा राम, जोगेन्द्र, नानक चन्द, प्रेम लाल पुत्र दुर्गा पुत्र बंसी समभाग 3 भाग चेत राम, भगत राम पुत्र व श्रीमती बसंती विधवा बंसी पुत्र हीरामन समभाग 9 भाग सतीश कुमार पुत्र व सुरमलता पुत्री व श्रीमती लीला देवी विधवा जगत राम पुत्र बंसी समभाग 3 भाग स्थानीय वासी —X— कुल 40 भाग:- आत्मा राम, जोगेन्द्र, नानक चन्द, प्रेम लाल समभाग हिस्सादारान 6 भाग चेत राम, भगत राम, श्रीमती बसंती समभाग हिस्सादारान 18 भाग सतीश कुमार, सुरमलता, श्रीमती लीला देवी समभाग हिस्सेदारान बजातेही 6 भाग बनीज गैरमौरूसी 10 भाग मिनजानिब भगत राम व श्रीमती रामकी हिस्सेदारान			
7	12 मिन अब्बल	12 मिन	247/18	मुश्तर्का	बारानी	0-18	निका राम, परस राम, सदा राम पुत्र तुलसी पुत्र बजीरू समभाग स्थानीय वासी			
			249/18		वारानी	0-5				
			251/18		वारानी	0-18				
			252/18/1		वारानी	0-3				
			252/18/3/1		वारानी	3-1				
			255/35/2		वारानी	0-4				
			262/44/2/1		वारानी	0-3				
			45			0-16				
					वारानी	0-13				

					गैर मु0 टावर	0-3					
			किता-8			6-8					
8	15 मिन	17 मिन	199/1	मुश्तर्का		4-11	रणवीर सिंह, रणजोध सिंह पुत्र तुलसी पुत्र घनैईया समभाग स्थानीय वासी				
					वारानी	4-5					
					खडैतर	0-2					
					बीड़ खडैतर	0-4					
9	17 मिन	19 मिन	281/20	निजि	वारानी	0-10	रतन लाल पुत्र दुर्गा पुत्र घनैईया स्थानीय वासी				
			282/20/1		वारानी	0-15					
			282/20/2		वारानी	0-16					
			किता-3			2-1					
10	19 मिन	21 मिन	254/19/1	मुश्तर्का	वारानी	0-9	कुल 2 भाग:- राम लाल, सोढी राम पुत्र देवी राम पुत्र कैला समभाग 1 भाग.. रतन लाल पुत्र दुर्गा पुत्र घनैईया 1 भाग स्थानीय वासी				
11	20	22	13	निजि	वारानी	0-4	श्रीमती दुर्गी पुत्री घनैईया पुत्र धोला निवासी तुन्हू				
12	23 मिन अब्बल	25 मिन	174/2/1	निजि	वारानी	1-18	धनी राम पुत्र कांशी राम पुत्र मूंगा स्थानीय वासी				
13	23 मिन दोम	25 मिन	174/3	निजि	बारानी	2-4	रला राम पुत्र कांशी राम पुत्र मूंगा स्थानीय वासी				
14	23 मिन सोम	25 मिन	174/4	निजि		2-4	बिशन सिंह पुत्र कांशी राम पुत्र मूंगा स्थानीय वासी				
					वारानी	2-2					

					गैर मु0 आवादी	0-2					
15	23 मिन चतुर्थ	25 मिन	173/1	मुश्तर्का	वारानी	0-1	कुल 16 भाग:- हरी लाल 8 भाग पुत्र व श्रीमती गंगा देवी 5 भाग विधवा बिशम्बर पुत्र कांशी, निर्मल सिंह पुत्र व श्रीमती कांता देवी पुत्री व श्रीमती शीला देवी विधवा देव राज पुत्र बिशम्बर समभाग 3 भाग स्थानीय वासी				
			174/1/1		वारानी	0-3					
			174/5		वारानी	0-10					
			किता-3			0-14					
16	24 मिन	26 मिन	12	निजि	वारानी	3-11	श्रीमती रोशनी पुत्री जीयूण पुत्र घनैईया स्थानीय वासी				
17	31 मिन अब्बल	33 मिन	32/2	मुश्तर्का	वारानी	0-1	कुल 2 भाग:- भाग सिंह पुत्र भगवान दास पुत्र हीरा 1 भाग.. टैहकू उर्फ रिडकू पुत्र हीरा पुत्र घनैईया 1 भाग स्थानीय वासी				
			32/3/1		वारानी	0-3					
			किता-2			0-4					
18	33 मिन अब्बल	35 मिन	14/2	निजि	वारानी	1-4	लेख राम पुत्र छोटा राम पुत्र घनैईया स्थानीय वासी				
			14/3		वारानी	0-19					
			किता-2			2-3					
19	33 मिन दोम	35 मिन	14/1	निजि	वारानी	2-4	गोरखी राम पुत्र छोटा पुत्र घनैईया स्थानीय वासी				
20	36 मिन अब्बल	39 मिन	188/1	मुश्तर्का		6-19	कुल 420 भाग:- मंगल सिंह, कृष्ण सिंह समभाग 280 भाग बलदेव सिंह 131 भाग पुत्र गरदावर सिंह धर्मपुत्र श्रीमती मनसा देई स्थानीय वासी सरकार हि0प्र0 9 भाग				
					बंजर कदीम	5-19					
					गैर मु0 बीड़	1-0					
			188/2		बंजर कदीम	0-1					
			किता-2			7-0					

21	36 मिन दोम	39 मिन	189/1	मुश्तर्का	गैर मु0 आवादी	2-5	मंगल सिंह, कृष्ण सिंह, बलदेव सिंह पुत्र गरदावर सिंह धर्मपुत्र श्रीमती मनसा देई समभाग स्थानीय वासी				
			189/2		गैर मु0 आवादी	0-1					
			191/1			12-5					
					बारानी	11-7					
					बंजर कदीम	0-9					
					गैर मु0 बीड़	0-9					
			192/1			5-18					
					वारानी	4-5					
					बंजर कदीम	0-8					
					बीड़ खडैतर	0-5					
					खडैतर	0-19					
					गैर मु0 सप्पड़	0-1					
			193			5-7					
					खडैतर	4-10					
					गैर मु0 सप्पड़	0-17					
			किता-5			25-16					
22	37 मिन अब्बल	40 मिन	248/18	निजि	वारानी	0-5	सुखराम पुत्र संतराम पुत्र नरैणू स्थानीय वासी				
			250/18		बारानी	0-4					
			256/35/2/1		वारानी	0-1					
			37		वारानी	0-2					
			46			1-12					
					वारानी	1-2					
					गैर मु0 आवादी	0-10					

			किता-5			2-4					
23	39 मिन अब्ल	42 मिन	11/1	मुश्तर्का	वारानी	1-12	कुल 4 भाग:- श्रीमती सत्या देवी विधवा रूप लाल पुत्र प्रभ दयाल 1 भाग अबधेश, सचिन पुत्र व श्रीमती रमीला देवी विधवा किशन सिंह पुत्र प्रभदयाल समभाग 1 भाग सुरेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह पुत्र प्रभदयाल पुत्र छजू समभाग 2 भाग स्थानीय वासी				
			175/1			0-15					
					बंजर कदीम	0-13					
					बीड़ खडैतर	0-2					
			किता-2			2-7					
24	40	43	10/1	मुश्तर्का	वारानी	0-16	कुल 12 भाग:- शशीकान्त, ऋषि कान्त, पुत्र व कुमारी रीमा देवी कुमारी रीना देवी समभाग 2 भाग पुत्रियां व श्रीमती सत्या देवी 1 भाग विधवा रूप लाल पुत्र प्रभ दयाल, अबधेश, सचिन पुत्र व श्रीमती रमीला देवी विधवा किशन सिंह पुत्र प्रभदयाल समभाग 3 भाग सुरेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह पुत्र प्रभदयाल पुत्र छजू समभाग 6 भाग स्थानीय वासी				
25	44 मिन	47 मिन	219/1	मुश्तर्का		3-6	कुल 7095 भाग:- हीरा लाल पुत्र रामसरन पुत्र गोरीदत्त 1695 भाग अनिल कुमार 75 भाग पुत्र व श्रीमती सीता देवी 1770 भाग पत्नी हीरा लाल पुत्र रामसरन, प्रकाश चन्द, दीप कुमार, दिनेश कुमार समभाग 3081 भाग पुत्र व श्रीमती श्यामा देवी पुत्री व श्रीमती कौशल्या देवी समभाग 474 भाग विधवा राम लाल पुत्र साउणू स्थानीय वासी -----X----- हीरा लाल, श्रीमती सीता देवी समभाग हिस्सादारान				
					वारानी	2-13					
					खडैतर	0-13					
		49	220/1		वारानी	0-1	हीरा लाल आदि वर्णित:- दिनेश कुमार, दीप कुमार, प्रकाश चन्द, श्रीमती कौशल्या देवी, श्रीमती श्यामा देवी समभाग हिस्सादारान				
	जोड़ खेवट:-		किता-2			3-7					
26	47 मिन अब्ल	52 मिन	307/186/1/2/1	निजि		0-9	ब्रह्मा नन्द पुत्र निकू पुत्र साधु स्थानीय वासी				
					बारानी	0-6					
					खडैतर	0-3					

27	47 मिन दोम	52 मिन	307/186/1/1/1	निजि	वारानी	0-3	श्रीमती सुमना देवी उर्फ सुमन कुमारी पुत्री ब्रह्मा नन्द पुत्र निकू स्थानीय वासी				
28	49	54	187/1	मुश्तर्का		4-5	कुल 147 भाग:- चौधरी पुत्र साधु पुत्र सुलतानी 141 भाग राज कुमार, विजय कुमार पुत्र चौधरी पुत्र साधु समभाग 5 भाग स्थानीय वासी सरकार हि0प्र0 1 भाग				
					वारानी	2-14					
					खडैतर	1-6					
					गैर मु0 बीड़	0-5					
29	50	55	16	मुश्तर्का	वारानी	0-3	कुल 5 भाग:- आत्मा राम, जोगेन्द्र, नानक चन्द, प्रेम लाल पुत्र दुर्गा पुत्र बंसी समभाग 1 भाग चेत राम, भगत राम पुत्र व श्रीमती बसंती विधवा बंसी पुत्र हरीमन समभाग 3 भाग स्थानीय वासी सतीश कुमार पुत्र व सुरमलता पुत्री व श्रीमती लीला देवी विधवा जगत राम पुत्र बंसी समभाग 1 भाग निवासी भटेड़				
30	51	56	194	मुश्तर्का		7-3	कुल 8 भाग:- राजेश कुमार 3 भाग पुत्र व श्रीमती रोशनी 5 भाग. विधवा लेख राम पुत्र सालीग्राम स्थानीय वासी				
					वारानी	6-17					
					गैर मु0 आवादी	0-6					
31	57 मिन अब्ल	62 मिन	284/263/44/2/1	मुश्तर्का	वारानी	1-5	कुल 1855 भाग:- सुख राम, नरैण दास, प्रभु राम, रोशन लाल समभाग 1072 भाग पुत्र व श्रीमती सावित्री देवी 261 भाग श्रीमती निर्मला देवी 522 भाग पुत्रियां रामदितु पुत्र सुन्दर स्थानीय वासी				
			196/1			4-3					
					वारानी	3-18					
					गैर मु0 बीड़	0-5					
			196/2		वारानी	0-2					
			किता-3			5-10					
32	58 मिन	63 मिन	197/1	मुश्तर्का		0-10	कुल 28 भाग:- सुख राम, नरैण दास, प्रभु राम, रोशन लाल समभाग 25 भाग पुत्र व श्रीमती				

				वारानी	0-5	सावित्री देवी 1 भाग श्रीमती निर्मला देवी 2 भाग पुत्रियां रामदितु पुत्र सुन्दर स्थानीय वासी				
				खडैतर	0-5					
			197/2	खडैतर	0-1					
			किता-2		0-11					
33	59 मिन	64 मिन	223/1	मुश्तर्का	वारानी	0-1	कुल 287 भाग:- जगत राम पुत्र बालक राम पुत्र सुदामा 281 भाग निवासी भटेड़ सरकार हि0प्र0 6 भाग			
34	60 मिन	65 मिन	15	मुश्तर्का	वारानी	1-7	गोपाल कृष्ण, मदन गोपाल पुत्र सुरेश चन्द पुत्र पूर्ण चन्द समभाग स्थानीय वासी			
35	63	68	195/1	निजी	वारानी	1-6	श्रीमती हरदेई पत्नी सुख देव पुत्र तुलसी स्थानीय वासी			
			195/2		वारानी	0-1				
			किता-2			1-7				
36	69	78	181/1	निजी	वारानी	0-15	श्रीराम पुत्र गंगा राम धर्मपुत्र सिधु स्थानीय वासी			
37	73 मिन	82 मिन	180/1	मुश्तर्का		4-6	कुल 2 भाग:-भगत राम पुत्र बंसी राम पुत्र शिव दयाल 1 भाग स्थानीय वासी सुरेश कुमार, प्रकाश चन्द, दीना नाथ, कर्म चन्द पुत्र संत राम पुत्र बंसी समभाग 1 भाग निवासी भटेड़			
					वारानी	3-12				
					बंजर कदीम	0-14				
38	74 मिन	83 मिन	246/18	मुश्तर्का	वारानी	0-8	पुष्पेन्द्र, नरेश कुमार पुत्र ज्ञान चन्द पुत्र नाथू समभाग स्थानीय वासी			
कुल जोड़:-			किता-69			111-10				

10. भटेड़ ह0नं0 297															
1	2	2	124/1	निजी	बारानी	0-8	श्रीमती सत्या देवी पुत्री तुलसी राम पुत्र चुहड़ू स्थानीय वासी	महाल दगाड़हन	महाल टाली	महाल टाली	महाल सुनहन				
	मिन	मिन	124/2		बारानी	0-9									
			किता-2			0-17									
2	6	6	122/7/1	मुश्तर्का	बारानी	0-1	कुल 806 भाग:- नरेश 209 भाग पुत्र व श्रीमती सिकन्दरो देवी 418 भाग विधवा जीत राम पुत्र धनी राम उर्फ छोटा राम, श्रीमती शकुन्तला देवी 179 भाग पुत्री धनी राम उर्फ छोटा राम पुत्र चुहड़ू स्थानीय वासी								
	मिन	मिन													
3	25	31	151	मुश्तर्का	बारानी	0-10	कुल 16 भाग:- देव राज, जगदीश चन्द पुत्र शक्ति पुत्र कांशी राम समभाग 8 भाग राम प्रकाश 7 भाग पुत्र व श्रीमती कृष्णी देवी 1 भाग विधवा सुखदेव पुत्र कांशी राम स्थानीय वासी								
	मिन	मिन													
4	27	33	161/1	मुश्तर्का	बारानी	0-14	कुल 9840 भाग:- आत्मा राम 631 भाग नानक चन्द 303 भाग जोगेन्द्र 937 भाग पुत्र दुर्गा राम पुत्र बंसी राम, दिनेश कुमार, सुमन कुमार पुत्र जोगेन्द्र पुत्र दुर्गा राम समभाग 320 भाग चेत राम, भगत राम पुत्र बंसी राम पुत्र हीरामन समभाग 5094 भाग सतीश कुमार पुत्र व श्रीमती सुरमलता पुत्री व श्रीमती लीला देवी विधवा जगत राम पुत्र बंसी राम समभाग 2548 भाग प्रेम लाल पुत्र दुर्गा राम पुत्र बंसी राम 7 भाग स्थानीयवासी								
	मिन	मिन													
5	39	45	139/1	मुश्तर्का	बारानी	2-18	गोपाल कृष्ण, मदन गोपाल पुत्र सुरेश चन्द पुत्र पूर्ण चन्द समभाग स्थानीय वासी								
	मिन	मिन													
6	48	55	329/129	मुश्तर्का		0-19	कुल 608 भाग:- श्रीमती जशोदा देवी विधवा जगदीश चन्द पुत्र अनन्त राम 95 भाग निवासी बल्ह चलोग परगना बसेह तह0 झण्डुता, कमल								
					खडैतर	0-3									

					गैर मु0 मकान	0-5	देव, सुभाष चन्द समभाग 284 भाग पुत्र व श्रीमती सीता देवी 133 भाग विधवा राम सिंह पुत्र सन्त राम, श्रीराम पुत्र बलू राम पुत्र शिवू 96 भाग स्थानीय वासी				
					बारानी	0-11					
7	49 मिन	56 मिन	327/129	निजी	बारानी	0-1	राम पाल पुत्र बंसी राम पुत्र जियूणू स्थानीय वासी				
8	56	63	162	मुश्तर्का	बारानी	0-7	अजीत कुमार, पवन किशोर पुत्र गोरखी राम पुत्र छोटा राम समभाग निवासी टाली				
9	64	71	150	मुश्तर्का	बारानी	0-3	कुल 12 भाग:- श्रीमती चिन्ता देवी विधवा अनन्त राम पुत्र घुरकू 6 भाग जैण्डू राम, सीता राम, सुन्दर सिंह, नरेण सिंह, कृष्ण लाल पुत्र देवी सिंह पुत्र घुरकू समभाग 5 भाग श्रीमती कलावती विधवा निका राम पुत्र देवी सिंह 1 भाग निवासी टाली—x—काश्त श्रीमती चिन्ती हिस्सादारा				
10	66	73	328/129	निजी	बारानी	0-1	निका राम पुत्र तुलसी राम पुत्र बजीरू निवासी टाली				
11	67	74	142	मुश्तर्का	बारानी	0-6	कुल 5 भाग:- जगत राम, भगत राम समभाग 1 भाग पुत्र व निका राम, परस राम, सदा राम समभाग 4 भाग पुत्र तुलसी राम पुत्र बजीरू निवासी टाली				
12	68	75	159	निजी	बारानी	0-13	रतन लाल पुत्र दुर्गा पुत्र घनैईया निवासी टाली				
13	69	76	160	मुश्तर्का	बारानी	0-2	कुल 24 भाग:- चैत राम , प्रकाश चन्द पुत्र भगवाना राम पुत्र नेगी समभाग 4 भाग छोटू राम, मुन्शी राम पुत्र नेगी पुत्र वोहगा समभाग 8				

							भाग स्थानीय वासी, रणवीर सिंह, रणजोध सिंह पुत्र तुलसी पुत्र घनैईया समभाग 3 भाग निवासी टाली, रतन लाल, श्याम लाल पुत्र दुर्गा पुत्र घनैईया समभाग 6 भाग स्थानीय वासी रणजीत सिंह, बृज लाल पुत्र व श्रीमती शिवदेई, श्रीमती कलावती पुत्रियां व श्रीमती हरदेई विधवा सन्ता पुत्र घनैईया समभाग 3 भाग निवासी टाली ——x——रतन लाल, श्याम लाल, रणवीर सिंह, रणजोध सिंह समभाग हिस्सादारान				
		77	156		बारानी	0-4	चैत राम आदि वर्णित:-चैत राम , प्रकाश चन्द समभाग 1 भाग छोटू राम, मुन्शी राम समभाग 2 भाग हिस्सादारान				
		78 मिन	141		बारानी	0-10	चैत राम आदि वर्णित:- रणजीत सिंह, बृज लाल श्रीमती शिवदेई हिस्सादारान				
	जोड़ खेवट:-		किता-3			0-16					
14	70	79	153	मुश्तर्का	बारानी	0-10	कुल 6 भाग:- श्रीमती दर्शनू श्रीमती जयदेई पुत्रियां सरदारू पुत्र फिथू समभाग 1 भाग.. नत्थू पुत्र कपूरा पुत्र फिथू 3 भाग महेन्द्र पाल पुत्र नत्थू पुत्र कपूरा 2 भाग निवासी टाली ——x—— काश्त नत्थू हिस्सेदार				
		80	143		बारानी	0-5	श्रीमती दर्शनू आदि वर्णित:-काश्त महेन्द्र पाल हिस्सादार				
			154		बारानी	0-5					
			किता-2			0-10					
	जोड़ खेवट:-		किता-3			1-0					
15	71 मिन	81	158	गैर मौरुसी	बारानी	0-2	कुल 5 भाग:- श्रीमती रोशनी पुत्री जियूणू पुत्र घनैईया 2 भाग भगवान दास पुत्र हीरा पुत्र घनैईया 1 भाग लेख राम, गोरखी राम पुत्र छोटा पुत्र घनैईया समभाग 2 भाग निवासी टाली ——x—— सन्त राम पुत्र नरैणू पुत्र कादसू निवासी टाली गैर मौरुसी				

16	72	83	155	मुश्तर्का	बारानी	0-7	कुल 4 भाग:- श्रीमती रोशनी पुत्री जियूण पुत्र घनैईया 1 भाग भगवान दास, रिड़कू पुत्र हीरा पुत्र घनैईया समभाग 1 भाग लेख राम, गोरखी राम पुत्र छोटा पुत्र घनैईया समभाग 2 भाग निवासी टाली -----x----- श्रीमती रोशनी हिस्सादारा				
17	73	84	157	मुश्तर्का	बारानी	0-3	भगवान दास, रिड़कू पुत्र हीरा पुत्र घनैईया समभाग निवासी टाली				
18	74	85	140	मुश्तर्का		2-15	कुल 8 भाग:-अभिनव पुत्र व ईशा ठाकुर पुत्री व श्रीमती मीनां देवी विधवा पप्पू राम पुत्र राम लाल समभाग 3 भाग मदन लाल 4 भाग पुत्र व श्रीमती कमला देवी विधवा राम लाल पुत्र लेख राम 1 भाग स्थानीय वासी				
					बारानी	2-13					
					बंजर कदीम	0-2					
19	75 मिन	86 मिन	125/1	निजी	बारानी	1-0	श्रीराम पुत्र बलू पुत्र शिवू स्थानीयवासी				
	77 मिन	88 मिन	128/3/1		बारानी	0-1					
	78 मिन	89 मिन	133/1		बारानी	4-13					
	अब्बल		134			1-17					
					बारानी	1-11					
					बंजर कदीम	0-6					
			135			1-12					
					बारानी	0-12					
					बंजर कदीम	1-0					
			137/1		बारानी	1-0					
			किता-6			10-3					

20	78 मिन दोयम	89 मिन	137/3	निजी	बारानी	0-10	राम लाल पुत्र लेख राम पुत्र शिवू स्थानीय वासी				
21	78 मिन सोयम	89 मिन	128/4	मुश्तर्का	बारानी	0-3	कुल 3 भाग:- रंगी राम 2 भाग पुत्र व श्रीमती निक्की देवी 1 भाग विधवा लेख राम पुत्र शिवू स्थानीय वासी				
22	78 मिन चतुर्थ	89 मिन	137/2	निजी	बारानी	0-9	प्रेम लाल पुत्र लेख राम पुत्र शिवू स्थानीय वासी				
23	80 मिन	91 मिन	136	मुश्तर्का	बारानी	5-18	कुल 37818 भाग:- रूप लाल 14693 भाग व विजय राम 15089 भाग पुत्र व श्रीमती गीतो देवी 7640 भाग विधवा जोधा उर्फ बचना पुत्र गोविन्द, श्रीराम पुत्र बल्लू पुत्र शिवू 396 भाग स्थानीय वासी				
24	82 मिन	93 मिन	130	निजी	बारानी	0-14	श्रीमती मस्तू देवी पुत्री अनन्त राम पुत्र बली राम स्थानीय वासी				
25	83 मिन	94 मिन	55	मुश्तर्का		0-13	कुल 13 भाग:- प्रकाश चन्द 2 भाग सीता राम 4 भाग रतन लाल 1 भाग पुत्र गुलाबा पुत्र मेदू श्रीमती मस्तू देवी पुत्री अनन्त राम पुत्र बली राम 6 भाग स्थानीय वासी				
					बारानी	0-10					
					गैर मु0 मकान	0-3					
26	84 मिन	95 मिन	52/1	मुश्तर्का	बारानी	0-9	प्रेम लाल, जय सिंह पुत्र हरी राम पुत्र फिथू समभाग स्थानीय वासी				
27	88 मिन	99 मिन	54/1	मुश्तर्का	बारानी	0-17	कुल 22 भाग:- विजय पाल पुत्र तुलसी राम पुत्र काशी राम 21 भाग रतन लाल पुत्र गुलाबा पुत्र मेदू 1 भाग स्थानीय वासी				
28	91 मिन	102 मिन	163/1	निजी	बारानी	1-10	सुख राम पुत्र सन्त राम पुत्र नरैणू निवासी टाली				
29	93	104	147/1	मुश्तर्का	बारानी	5-2	कुल 100 भाग:- अवधेश, सचिन पुत्र व श्रीमती रमीला देवी विधवा कृष्ण चन्द पुत्र प्रमदयाल समभाग 25 भाग सुरेन्द्र पाल, नविन्द्र कुमार पुत्र				

							प्रभदयाल पुत्र छजू समभाग 50 भाग शशी कान्त, ऋषि कान्त पुत्र व रीमा कुमारी, रीना कुमारी समभाग 16 भाग पुत्रियां व श्रीमती सत्या देवी 9 भाग विधवा रूप लाल पुत्र प्रभदयाल निवासी टाली				
30	95	106	138	निजी	बारानी	1-16	रला राम पुत्र कांशी राम पुत्र मुंगा निवासी छडोल				
31	100 मिन	111 मिन	152/1	मुश्तर्का	बारानी	2-13	कुल 1528 भाग:- सुरेन्द्र कुमार पुत्र सन्त राम पुत्र बंसी 191 भाग भगत राम पुत्र बंसी पुत्र शिवदयाल 748 भाग विरेन्द्र कुमार पुत्र भगत राम पुत्र बंसी 16 भाग स्थानीय वासी, श्रीमती फूला देवी पत्नी राधा कृष्ण पुत्र परस राम 382 भाग श्रीमती रतनी देवी पत्नी गोरखी राम पुत्र छोटा राम 191 भाग निवासी टाली				
32	104 मिन अब्बल	115 मिन	164/2/1	मुश्तर्का	बारानी	0-10	पुष्पेन्द्र, नरेश कुमार पुत्र ज्ञान चन्द पुत्र नाथू समभाग निवासी टाली				
33	104 मिन दोयम	115 मिन	164/1/1	निजी	बारानी	0-3	भाग सिंह पुत्र भगवान दास पुत्र हीरा स्थानीय वासी				
34	109 मिन	120 मिन	20/1	मुश्तर्का	बारानी	5-4	कुल 24 भाग:- नन्द लाल, भगत राम पुत्र जीत राम पुत्र रामदितू समभाग 12 भाग प्रकाश चन्द, प्रीतम चन्द, महेन्द्र कुमार, देश राज, पवन कुमार समभाग 11 भाग पुत्र व श्रीमती कृष्णी विधवा सन्तोखा पुत्र रामदितू 1 भाग निवासी दगड़ाहन				
			51/1		बारानी	0-1					
			56		बारानी	0-8					
			131			3-18					
					बारानी	0-6					
					बंजर कदीम	3-3					
					खडैतर	0-9					
			किता-4			9-11					

35	110 मिन	121 मिन	19	मुश्तर्का	बारानी	0-2	कुल 4 भाग:-कमल देव, सुभाष चन्द समभाग 3 भाग.. पुत्र व श्रीमती सीता देवी 1 भाग विधवा राम सिंह पुत्र सन्त राम स्थानीयवासी				
			21/1		बारानी	0-9					
			21/2		बारानी	0-19					
			49/1		बारानी	0-1					
			53		बारानी	1-7					
			331/132			3-18					
					बंजर कदीम	0-9					
					खडैतर	3-9					
			किता-6			6-16					
36	111	122	148/1	निजी	बारानी	1-6	भगत राम पुत्र काहन दास पुत्र गुरदितु निवासी टाली				
37	112	123	149	मुश्तर्का	बारानी	0-3	कुल 25 भाग:- बाबू राम पुत्र बुधू उर्फ बुधू राम पुत्र काहन दास 6 भाग कमल देव, मदन लाल पुत्र श्रीमती गौरजू पुत्री काहन दास समभाग 7 भाग भगत राम पुत्र व श्रीमती साजू पुत्री काहन दास पुत्र गुरदितू समभाग 12 भाग निवासी टाली				
38	118	129	57/1	मुश्तर्का	गेर मु0 सड़क	0-11	कुल 20520 भाग:-दीना नाथ पुत्र फैली पुत्र मुन्शी 2520 भाग.. सुरेन्द्र पाल पुत्र बलदेव दास पुत्र नामालुम 720 भाग.. श्रीमती सत्या देवी पुत्री तुलसी राम पुत्र चुहड़ू 720 भाग.. नरेश 200 भाग.. पुत्र व श्रीमती सिकन्दरो देवी 400 भाग.. विधवा जीत राम पुत्र धनी राम उर्फ छोटा राम... श्रीमती शकुन्तला 120 भाग.. पुत्री धनी राम उर्फ छोटा राम..... कमल देव पुत्र बेली राम पुत्र चुहड़ू 360 भाग.. आत्मा राम, नानक चन्द समभाग 270 भाग.. पुत्र व जोगेन्द्र 243 भाग.. पुत्र दुर्गा राम पुत्र बंसी... चेत राम, भगत राम पुत्र बंसी राम पुत्र हीरामन समभाग 1080 भाग.. सतीश कुमार पुत्र व श्रीमती सुरमलता समभाग 504 भाग.. पुत्री				

							व श्रीमती लीला देवी 36 भाग विधवा जगत राम पुत्र बंसी राम.. गोपाल कृष्ण, मदन गोपाल पुत्र सुरेश चन्द पुत्र पूर्ण चन्द समभाग 2550 भाग... गुलाबा पुत्र मेदू पुत्र सिंहणू 1440 भाग.. प्रेम लाल, जय सिंह पुत्र हरी राम पुत्र फित्थू समभाग 1440 भाग.. लाल चन्द, भाग चन्द समभाग 1728 भाग पुत्र व श्रीमती कमला देवी 432 भाग विधवा लेख राम पुत्र तुलसी... विजय पाल पुत्र तुलसी राम पुत्र कांशी राम 1080 भाग... नन्द लाल, भगत राम पुत्र जीत राम पुत्र रामदितू समभाग 180 भाग स्थानीयवासी... श्रीमती सिकन्दरा देवी पुत्री व श्रीमती अमरी विधवा सन्त राम पुत्र रामदितू समभाग 60 भाग... प्रकाश चन्द, प्रीतम चन्द, महेन्द्र कुमार, देश राज, पवन कुमार पुत्र व श्रीमती कृष्णी विधवा सन्तोखा पुत्र रामदितू समभाग 90 भाग निवासी दगडाहन.. कमल देव, सुभाष चन्द समभाग 1080 भाग पुत्र व श्रीमती सीता देवी 360 भाग विधवा राम सिंह पुत्र सन्त राम.. श्रीमती रामकली पुत्री गंगु पुत्र रामदितू 2880 भाग... प्रेम लाल पुत्र दुर्गा राम पुत्र बंसी राम 27 भाग स्थानीय वासी -----x----- मकबूजा मालकान				
39	121	132	326/129	निजी	बारानी	0-2	श्रीमत विमला देवी पत्नी देवी राम पुत्र रामदिता स्थानीय वासी				
			330/132		खडैतर	0-0					
			किता-2			0-2					
कुल जोड़:-			किता-58			62-12					
जोड़ तह0 श्री नैना देवी जी			किता-228			276-14					
11. कोट											
ह0नं0 275 तहसील सदर											
1	4 मिन	4 मिन	19/1	मुशतर्का	वारानी	0-2	कुल 2 भाग:- इन्द्र सिंह पुत्र गपाला पुत्र जोती 1 भाग मदन लाल, कुलदीप पुत्र संतराम पुत्र छोटा समभाग 1 भाग स्थानीयवासी	महाल पुहन्	महाल बलपेयर	महाल तलसरी	गम्पर खड

2	7 मिन	7 मिन	21/1	मुशतर्का		1-5	रामलाल, रणजीत सिंह पुत्र गंगा राम पुत्र नरायणू समभाग स्थानीयवासी				
					वारानी	1-1					
					वा0कदीम	0-4					
3	8 मिन	8 मिन	91/29/1	निजी	वारानी	0-2	कृष्ण लाल पुत्र गंगा राम पुत्र नरायणू स्थानीय वासी				
4	9 मिन	9 मिन	89/23/1	निजी		2-5	कांशी राम पुत्र नरायणू पुत्र कादसू स्थानीय वासी				
					वारानी	1-17					
					बंजर कदीम	0-3					
					गैर मु0 बीड	0-5					
5	11 मिन	11 मिन	22	मुशतर्का	वारानी	1-5	पवन कुमार पुत्र व श्रीमति प्रेमलता श्रीमति शंकुतला देवी श्रीमति मीना कुमारी पुत्रियां व श्रीमति बिमला देवी विधवा तुलसी राम पुत्र नरायणू समभाग स्थानीय वासी				
			24/1			2-6					
					वारानी	2-3					
					खडैतर	0-3					
			किता-2			3-11					
6	14 मिन	17 मिन	42/1	मुशतर्का	बंजर कदीम	0-4	कुल 3 भाग संता, तेजू पुत्र खड़कू पुत्र काजी समभाग 1 भाग हरीमन पुत्र परसराम पुत्र काजी 1 भाग जोगिन्द्र सिंह, सोहन लाल, राकेश कुमार पुत्र व कुमारी सोमा पुत्री व श्रीमती गंगादेई विधवा भूरी सिंह पुत्र रांझू समभाग 1 भाग स्थानीय वासी				
			42/2		बंजर कदीम	0-2					
			किता-2			0-6					
7	15 मिन	19 मिन	25/1	मुशतर्का		0-5	कुल 24 भाग:- संता, तेजू समभाग 8 भाग पुत्र व श्रीमती बलेशरू 2 भाग पुत्री खड़कू पुत्र काजी, हरीमन पुत्र परसराम पुत्र काजी 7 भाग जोगिन्द्र सिंह, सोहन लाल, राकेश कुमार पुत्र व कुमारी सोमा पुत्री व श्रीमती गंगादेई विधवा भूरी सिंह पुत्र रांझू समभाग 7 भाग स्थानीय वासी				
					वारानी	0-4	—X—काशत व कब्जा				
					वंजर कदीम	0-1	संतराम, गंगा राम ,कांशी राम ,तुलसीराम पुत्र				
			25/2		वारानी	0-1					

							नरैणू पुत्र कादसू समभाग स्थानीयवासी गैर मौरुसी				
			किता-2			0-6					
	कुल जोड़-		किता-10			7-17					
12. तुहनु ह0न0 274											
1	40 मिन	44 मिन	147/1	मुशतर्का	वारानी	0-10	कुल 10 भाग:- संजीव कुमार, दीपकुमार पुत्र व श्रीमती केशरी देवी विधवा देवी राम पुत्र रामदास समभाग 3 भाग सुखराम 2 भाग पुत्र व श्रीमती रामप्यारी 5 भाग पुत्री रामदास पुत्र पोहलो स्थानीयवासी	महाल जलवार	महाल कोट	महाल कलर, तलसरी	गम्बर खड
2	41 मिन	45 मिन	153/1	मुशतर्का	वारानी	0-16	कुल 3 भाग:- हरी राम, शंकर पुत्र जयराम पुत्र रामदितू समभाग 2 भाग विशाल, अशोक पुत्र व श्रीमती सपना देवी पुत्री व श्रीमती नीमा देवी विधवा श्यामलाल पुत्र जय राम समभाग 1 भाग स्थानीय वासी				
3	43 मिन	47 मिन	152/1	निजी	वारानी	0-14	रोशन लाल पुत्र शिवदयाल पुत्र मोती स्थानीयवासी				
4	44	48	148/1	मुशतर्का	वारानी	0-16	कुल 2 भाग:-गगन सिंह पुत्र व कुमारी दीपिका पुत्री व श्रीमती सुनीता विधवा व श्रीमती लक्ष्मी देवी माता लालमन पुत्र रोशन लाल समभाग 1 भाग हरीमन पुत्र रोशन लाल पुत्र शिवदयाल 1 भाग स्थानीयवासी				
			किता-2			1-1					

	कुल जोड़—		किता—5			3-1					
13. न्याई सारली ह०नं० 233											
1	90 मिन	92 मिन	10/1	मुशतर्का		2-2	कुल 182 भाग:—जोगिन्द्र सिंह, बलवीर सिंह, रूप लाल, बाबू राम समभाग 160 भाग सुखराम 2 भाग पुत्र व श्रीमती प्रेमी देवी 20 भाग विधवा निक्का पुत्र सिंहणू स्थानीय वासी	महाल भराड़ी	महाल कल्लर	महाल रट	बी०बी०एम०बी०
					वारानी	1-19					
					गैर मु० बीड़	0-3					
2	92 मिन	94 मिन	9/1	मुशतर्का		1-14	सुखराम, हरीराम, सीता राम, जोगिन्द्र सिंह, बलवीर सिंह, रूपलाल, बाबू राम पुत्र निक्का पुत्र सिंहणू समभाग स्थानीय वासी				
					वारानी	1-11					
					गैर मु० बीड़	0-3					
	कुल जोड़:—		किता—2			3-16					
14. भराड़ी ह०नं० 227											
1	1 मिन	1 मिन	238/182/ 55/1	मुशतर्का		0-18	कुल 20689 भाग:—राम लाल, कर्म सिंह, इन्द्र सिंह, राजेश कुमार, राजकुमार पुत्र कृष्ण लाल पुत्र तेलू समभाग 2610 भाग चेत राम 3722 भाग पुत्र व प्रकाश चन्द 3657 भाग पुत्र तेलू पुत्र भण्डारू, हेमराज पुत्र प्रकाश चन्द पुत्र तेलू 75 भाग श्रीमती रतनी देवी विधवा निक्का राम पुत्र तेलू 3722 भाग श्रीमती निक्की विधवा छोटा पुत्र भण्डारू 6903 भाग स्थानीय वासी	महाल मण्डी	महाल न्याई सारली	महाल कोठीपुरा	बी०बी०एम०बी०
					वारानी	0-13					
					बंजर कदीम	0-1					
					खडैतर	0-2					
					बीड खैडतर	0-2					
			187/55/1/2/1			5-14					
					बंजर कदीम	4-13					
					खडैतर	0-17					
					बीड खैडतर	0-4					
			किता—2			6-12					
		2 मिन	181/55/1	मुशतर्का	वारानी	1-3	रामलाल आदि वर्णित:— चेत राम, प्रकाश चन्द, श्रीमती रतनी देवी समभाग हिस्सादारान मलकीयत दहिन्दगान कुल 7 भाग... इन्द्र सिंह,				

							कर्म सिंह, राज कुमार, राजेश कुमार, रामलाल पुत्र कृष्ण लाल पुत्र तेलू समभाग 6 भाग श्रीमती दसोधा देवी विधवा तेलू पुत्र भण्डारू 1 भाग स्थानीय वासी मलकीयत गरिन्दगान					
	जोड़ खेवट:-		किता-3			7-15						
2	7 मिन	8 मिन	63/1	निजी	वारानी	0-9	संजू पुत्र रणजीत सिंह पुत्र गंगा राम स्थानीय वासी					
	कुल जोड़:-		किता-4			8-4						
15. माणवां												
ह0नं0 221												
1	19 मिन	19 मिन	80/1	मुशतर्का	बंजर कदीम	0-9	कुल 3 भाग:-श्रीमती सुन्दरी, श्रीमती कमला समभाग 2 भाग पुत्रीयां व सोहन सिंह, प्रेम लाल पुत्र गंगा राम पुत्र हजारू समभाग 1 भाग निवासी भराड़ी	महाल रामपुर	महाल मण्डी	महाल साईफरड़ा	बी0बी0एम0बी0	
			80/2		बंजर कदीम	0-1						
			किता-2		0-10							
2	20 मिन	20 मिन	15/1	मुशतर्का	बारानी	0-1	रामपाल जगतपाल पुत्र सुन्दर पुत्र नरैणीयां समभाग स्थानीय वासी					
			38/1		0-13							
				बारानी	0-10							
				बीड़ खडैतर	0-3							
			38/2		बारानी	0-2						
			किता-3			0-16						
3	21 मिन	21 मिन	17/1	मुशतर्का		2-4	कुल 4 भाग:-राम सिंह, पवन कुमार समभाग 3 भाग पुत्र व श्रीमती श्रीमती प्रेमी देवी 1 भाग विधवा संत राम पुत्र नरैणीया स्थानीय वासी					
					बारानी	1-3						
					बंजर कदीम	0-5						

					खडैतर	0-16					
			28/1		बारानी	0-5					
			75/1		बारानी	0-7					
			किता-3			2-16					
4	22 मिन	22 मिन	79/1	मुशतर्का		0-16	कुल 2 भाग:-बलवीर पुत्र निक्कू पुत्र सायरु 1 भाग अमर सिंह पुत्र श्रीमती दशोध पुत्री सायरु 1 भाग स्थानीय वासी				
					बजर कदीम	0-13					
					बीड़ खडैतर	0-3					
5	24 मिन	24 मिन	32/1	निजी	बारानी	0-2	पैगडू उर्फ राम लाल पुत्र सायरु पुत्र कदारु स्थानीय वासी				
			32/2		बारानी	0-11					
			किता-2			0-13					
6	25 मिन	25 मिन	37/1	मुशतर्का	बारानी	0-9	काहना उर्फ लच्छू पुत्र व श्रीमती सभदरु विधवा सायरु पुत्र कदारु समभाग स्थानीय वासी				
			74/1		बंजर कदीम	2-8					
			किता-2			2-17					
7	28 मिन अबल	28 मिन अबल	40/1	निजि		1-12	राम किशन पुत्र नन्दू पुत्र मुन्शी स्थानीय वासी				
					बारानी	1-3					
					गैर मु0 आवादी	0-9					
			40/2		बारानी	0-2					
			किता-2			1-14					

		29	50	गैर मौरुसी	बंजर कदीम	0-2	राम किशन वर्णित :- निककू, रामलाल, लच्छू पुत्र सायरु पुत्र कदारु समभाग स्थानीय वासी गैर मौरुसीयान अवल मारफत वन्शी, वसन्ता पुत्र व श्रीमती अच्छरी पुत्री व श्रीमती मथरु विधवा रामधन पुत्र श्यामा समभाग स्थानीय वासी गैर मौरुसीयान दोयम				
	जोड खेवट:-		किता-3			1-16					
8	28 मिन दोम	28 मिन दोम	55	निजी	बारानी	0-10	छोटा राम पुत्र धुडू पुत्र हीरा स्थानीय वासी				
9	29 मिन	30 मिन	39	मुशतर्क	बारानी	0-14	कुल 3 भाग:-सदाराम 2 भाग पुत्र व श्रीमती भोटो देवी 1 भाग विधवा भगतू पुत्र शिव सरन स्थानीय वासी				
			42		बारानी	0-14					
			46			0-4					
					बारानी	0-3					
					बीड खडैतर	0-1					
			49/1		बजर कदीम	0-6					
			किता-4			1-18					
10	30 मिन	31 मिन	41	निजी		0-18	श्रीमती कमलेश पुत्री निकडा पुत्र शिव सरन स्थानीय वासी				
					बारानी	0-12					
					गैर मु0 पत्थर	0-2					
					गैर मु0 आवादी	0-4					
			43/1		बारानी	0-1					
			किता-2			0-19					

11	31	32	45	मुशतर्का		0-15	कुल 6 भाग:—सदाराम 2 भाग पुत्र व श्रीमती भोटो देवी 1 भाग विधवा भगतू पुत्र शिव सरन, श्रीमती कमलेश पुत्री निकडा पुत्र शिव सरण 3 भाग स्थानीय वासी				
					वारानी	0-8					
					बीड़ खड़ैतर	0-1					
					गैर मु0 आवादी	0-6					
12	34	35	16/1	मुशतर्का		1-6	कुल 9 भाग:—प्रेम लाल, रविन्द्र सिंह पुत्र वंशी पुत्र रामधन भाग बराबर 4 भाग, प्रकाश चन्द, रोशन लाल समभाग 4 भाग पुत्र व श्रीमती बोहरी 1 भाग विधवा बसन्ता पुत्र रामधन स्थानीय वासी				
					बारानी	0-13					
					बजर कदीम	0-6					
					खड़ैतर	0-1					
					बीड़ खड़ैतर	0-5					
					गैर मु0 आवादी	0-1					
			16/4		बारानी	0-17					
			47			0-3					
					बारानी	0-1					
					बीड़ खड़ैतर	0-2					
			51/1			3-1					
					बागीचा वारानी फलदार	0-12					
					बजर कदीम	2-2					
					बीड़ खड़ैतर	0-7					
			किता-4			5-7					
13			34/1	निजी		1-6					

	38 मिन	39 मिन			बारानी	1-1	शंकर सिंह पुत्र लच्छमण पुत्र श्यामा स्थानीय वासी				
					खडैतर	0-2					
					गैर मु0 आवादी	0-3					
			56/1			0-15					
					बारानी	0-12					
					बंजर कदीम	0-3					
			किता-2			2-1					
14	39 मिन	40 मिन	44/1	मुशतर्का/गैर मौरूसी	बारानी	0-2	कुल 2 भाग:- शंकर सिंह पुत्र लच्छमण पुत्र श्यामा 1 भाग अमर सिंह पुत्र रामदितू पुत्र बजीरू 1 भाग स्थानीय वासी ---X---अमर सिंह हिस्सदार बजाते ही 1 भाग वनीज गैर मौरूसी 1 भाग मिन जानिव शंकर सिंह पुत्र लच्छमण हिस्सदार				
			44/2		वरानी	0-1					
			किता-2			0-3					
15	77	79	36/1	निजी		1-2	राम कृष्ण पुत्र शंकर दास पुत्र साधू स्थानीय वासी				
					बारानी	1-0					
					बीड़ खडैतर	0-2					
16	78 मिन	80 मिन	33/1	मुशतर्का		3-0	कुल 3 भाग:- बाल कृष्ण पुत्र व श्रीमती कलासी पुत्री शंकर दास पुत्र साधू समभाग 2 भाग सचिन, आशीष कुमार पुत्र व श्रीमती रेखा देवी, रीता देवी, रीना देवी, सोनू देवी पुत्रीयां श्रीमती कश्मीरी पुत्री शंकर दास समभाग 1 भाग स्थानीय वासी				
					बारानी	2-12					
					खडैतर	0-1					
					बीड़ खडैतर	0-7					
			33/2		बारानी	0-1					
			किता-2			3-1					

17	79 मिन	81 मिन	35/1	मुशतर्का		1-1	कुल 4 भाग:-राम कृष्ण, बाल कृष्ण पुत्र व श्रीमती कलासी पुत्री शंकर दास पुत्र साधू समभाग 3 भाग सचिन, आशीष कुमार पुत्र व श्रीमती रेखा देवी, रीता देवी, रीना देवी, सोनू देवी पुत्रीयां श्रीमती कश्मीरी पुत्री शंकर दास समभाग 1 भाग स्थानीय वासी				
					बारानी	0-19					
					बीड़ खडैतर	0-2					
18	80	82	48/1	मुशतर्का		1-18	कुल 12 भाग:-राम कृष्ण, बाल कृष्ण समभाग 10 भाग पुत्र व श्रीमती कलासी 1 भाग पुत्री शंकर दास पुत्र साधू ,सचिन, आशीष कुमार पुत्र व श्रीमती रेखा देवी, रीता देवी, रीना देवी, सोनू देवी पुत्रीयां श्रीमती कश्मीरी पुत्री शंकर दास समभाग 1 भाग स्थानीय वासी				
					बारानी	1-13					
					बीड़ खडैतर	0-3					
					गैर मु0 आवादी	0-2					
19	262	269	54		गैर मु0 आवादी	1-12	आवादी देह				
	कुल जोड़:-		किता-38			30-11					
16. रामपुर ह0नं0 221											
1	2 मिन	3 मिन	49/42/15/1	निजी	खडैतर	1-12	दौलत राम पुत्र संता पुत्र पीरू निवासी खनसरा	महाल खनसरा	महाल माणवां	महाल रघुनाथपुरा	बी0बी0रम0बी0
2	4	5	47/42/15/1	मुशतर्का		2-9	सुरजीत, अमरजीत पुत्र व श्रीमती आशा देवी विधवा सदा राम पुत्र नरैणू समभाग स्थानीय वासी				
					बारानी	1-9					
					खडैतर	1-0					
3	6	7	21/1	निजी		1-8	अमरनाथ पुत्र कृष्णू पुत्र बजीरू स्थानीय वासी				
					बारानी	1-4					
					खडैतर	0-4					

4	7	8	50/42/15	मुशतर्का		2-2	कुल 3 भागः—अमर नाथ पुत्र व श्रीमती सुनीता देवी पुत्री कृष्ण पुत्र बजीरू समभाग 2 भाग जगदेव पुत्र व श्रीमती मीना देवी विधवा प्रेम लाल पुत्र कृष्ण समभाग 1 भाग स्थानीय वासी				
					बारानी	1-0					
					खडैतर	0-12					
					गैर मु0 आवादी	0-10					
5	8 मिन	9 मिन	41/15/1	मुशतर्का		1-6	कुल 223 भागः—सुनील 153 भाग रिडकू उर्फ राकेश 40 भाग पुत्र व श्रीमती विमला देवी 30 भाग विधवा जगदीश पुत्र हरी राम स्थानीय वासी				
					बारानी	1-1					
					खडैतर	0-5					
6	12 मिन	13 मिन	20/1	निजी		0-15	कांशी राम पुत्र रामदितू पुत्र थोहलू स्थानीय वासी				
					बारानी	0-11					
					खडैतर	0-3					
					बीड़ खडैतर	0-1					
7	13	14	16/1	मुशतर्का		0-18	सुन्दर लाल, श्याम लाल पुत्र राम दास पुत्र सन्तू समभाग स्थानीय वासी				
					बारानी	0-15					
					बीड़ खडैतर	0-3					
8	14	15	19/1	निजी	बारानी	0-1	रूपा उर्फ साजू राम पुत्र रूलियां पुत्र ख्याली स्थानीय वासी				
9	15	16	23/1		गैर मु0 आवादी	1-10	आवादी देह				
	कुल जोड़ः—		किता—9			12-1					
17. खनसरा ह0नं0 219											
1	1 मिन	1 मिन	30/1	मुशतर्का		0-9	कुल 4 भागः—दौलत राम पुत्र संता पुत्र पीरू 1 भाग छोटा राम, बुधू राम पुत्र व श्रीमती शंकरू पुत्री पीरू पुत्र सुरजू समभाग 3 भाग स्थानीय वासी	महाल रघुनाथपुरा	महाल रामपुर	महाल रघुनाथपुरा	बी0बी0एम0बी0
					बारानी	0-7					
					खडैतर	0-2					

[illegible]

							समभाग 4 भाग श्रीमती कोकला पत्नी दुर्गा पुत्र लखू 2 भाग स्थानीय वासी नरैणू इन्द्र पुत्र सुरजन पुत्र जोती समभाग 18 भाग निवासी स्योला, बाबूराम पुत्र मोहनू पुत्र निहाल सिंह 24 भाग निवासी किरतपुर तहसील आनंदपुर साहव जिला रोपड				
							-----X-----				
							कुल 38 भाग:- भण्डारी 4 भाग भगतू 4 भाग श्रीमती बोहरी, झीम्फ्री समभाग 4 भाग छोटा, सरस्वती, फूला, चन्दो समभाग 3 भाग जमनू 3 भाग कांशी राम, निकडु राम, सन्ती, महन्ती, बसन्ती समभाग 4 भाग बंशी, नंदु व श्रीमती कोकला 4 भाग बाबू राम 12 भाग हिस्सा दारान मार्फत श्रीमती रोशनी उर्फ जय देई पुत्री श्रीमती सनैहरु विधवा हीरा सिंह स्थानीय वासी गैर मौरुसी				
6	12 मिन वर्णित	17	37/1	गैर मौरुसी	बारानी	0-6	सुन्दर आदि मालकान वर्णित -----X-----भण्डारू आदि हिस्सादारान व श्रीमती रोशनी उर्फ जय देई गैर मौरुसी अवल वर्णित खतौनी न0 14 मारफत छोटा राम, सन्ता, बुधू राम व श्रीमती शंकरू पुत्री पीरू स्थानीय वासी समभाग गैर मौरुसी दोयम				
			37/2		बारानी	0-3					
			किता-2			0-9					
		18	33/1	गैर मौरुसी	बारानी	0-1	सुन्दर आदि मालकान वर्णित-----X-----भण्डारू आदि हिस्सादारान सन्ता आदि गैर मौरुसी वर्णित खतौनी न0 17 काश्त चुहका, लेहलो पुत्र कुन्दू गैर मौरुसी सोयम				
		19 मिन	34	गैर मौरुसी	बारानी	0-7	सुन्दर आदि मालकान वर्णित-----X-----श्रीमति जयदेई गैर मौरुसी अवल वर्णित खतौनी न0 14 मार्फत कुल 2 भाग विजय राम पुत्र शिव राम पुत्र सुरजू 1 भाग श्रीमती नानकी विधवा परस राम पुत्र सुरजू 1 भाग स्थानीय वासी गैर मौरुसीयान				
			39/1			2-7					
					बारानी	2-5					

					बीड़ खड़ैतर	0-2					
			39/2		बारानी	0-2					
			किता-3			2-16					
	जोड़ खेवट :- किता-7						3-15				
7	18 मिन	26 मिन	35	निजी	बारानी	0-4	मुकेश कुमार पुत्र राजेश उर्फ लेहलो पुत्र कुन्दू स्थानीय वासी				
	कुल जोड़:-		किता-15			11-3					
18. रघुनापुरा ह0नं0 218											
1	10 मिन	11 मिन	69/1	मुशतर्का		5-8	कुल 5 भाग:- रणधीर सिंह पुत्र राम सिंह पुत्र वीरी सिंह 4 भाग परमिन्द्र सिंह, उपेन्द्र सिंह पुत्र व श्रीमती रीमा कुमारी पुत्री श्रीमती निर्मला देवी पुत्री राम सिंह समभाग 1 भाग स्थानीयवासी	महाल बलोह	महाल खनसरा	महाल कोहलवी, जब्बली	बी0बी0रम0बी0
					बारानी	3-19					
				खड़ैतर	1-9						
			91/1		0-3						
				बारानी	0-2						
				खड़ैतर	0-1						
			किता-2			5-11					
2	15 मिन	16 मिन	93/1	मुशतर्का		3-8	राजेश पुत्र व सर्व श्रीमती मीरा देवी, राजो देवी, निशा देवी पुत्रियां व श्रीमती लीला देवी विधवा लेख राम पुत्र गोपाला समभाग स्थानीय वासी				
					बारानी	3-6					
				बंजर कदीम	0-2						
			93/3	बारानी	0-3						
			किता-2		3-11						
3	16 मिन	17 मिन	99/1	मुशतर्का		0-7	कुल 105 भाग:- जोगिन्दर सिंह, महेन्द्र सिंह पुत्र परस राम दत्तक पुत्र टेवू समभाग 89 भाग परमजीत सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह पुत्र परस राम				
					बारानी	0-5					

					खडैतर	0-2	8 भाग लखविन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह पुत्र परस राम 8 भाग स्थानीय वासी				
4	18 मिन	19 मिन	71/1	मुशतर्का		1-5	प्रेम लाल, कृष्ण लाल, रोशन लाल पुत्र सन्त राम पुत्र फिहनू समभाग स्थानीय वासी				
					बारानी	0-15					
	20 मिन	21 मिन			खडैतर	0-10					
			95/1		बारानी	0-4					
			98		बारानी	0-7					
			किता-3			1-16					
5	22 मिन	23 मिन	97/1	निजी		3-10	रणजीत सिंह पुत्र पोहलो पुत्र कपुरु स्थानीय वासी				
					बारानी	3-7					
					खडैतर	0-3					
6	25 मिन	27 मिन	76/1	मुशतर्का	बारानी	0-1	कुल 5 भाग:- रूपा, रतना, पपा उर्फ रमेश समभाग 4 भाग पुत्र व श्रीमती कौशलया 1 भाग विधवा गीता राम पुत्र साधू स्थानीय वासी				
			76/2		वारानी	0-2					
			किता-2			0-3					
7	28 मिन	31 मिन	75/1	मुशतर्का	बारानी	0-8	कुल 15 भाग:- प्रीतम सिंह, मेहर सिंह, प्यार सिंह समभाग 4 भाग पुत्र व श्रीमती चम्पा देवी 1 भाग विधवा श्याम सिंह पुत्र कांशी राम, गोरखा राम पुत्र कांशी राम पुत्र संसारू 5 भाग अजय सिंह, विजयपाल समभाग 3 भाग पुत्र व श्रीमती सपना पुत्री व श्रीमती बिमला देवी समभाग 2 भाग विधवा बलवीर सिंह पुत्र कांशी राम स्थानीय वासी				
			96/1		बारानी	0-12					
			96/3		बारानी	0-1					
			किता-3			1-1					
8	32 मिन	35 मिन	73/1	निजी	बारानी	0-1	श्रीमती अजुध्या विधवा हरी राम पुत्र संसारू स्थानीय वासी				
9			225/19	मुशतर्का	बारानी	0-6					

	40 मिन अब्बल	44 मिन					कुल 5 भाग:- अश्वनी कुमार 4 भाग पुत्र व श्रीमती बिमला देवी 1 भाग विधवा रूप लाल पुत्र प्रेमू स्थानीय वासी				
			225/20/1		बारानी	0-13					
			किता-2			0-19					
10	40 मिन दोम	44 मिन	225/2/1	निजी		3-15	निक्कू राम पुत्र प्रेमू पुत्र बुधी राम स्थानीय वासी				
					बारानी	1-18					
					बंजर कदीम	0-2					
					खडैतर	1-8					
					बीड़ खडैतर	0-6					
					गैर मु0 आवादी	0-1					
			225/2/3		बारानी	0-2					
			225/4		खडैतर	0-8					
			किता-3			4-5					
11	40 मिन सोम	44 मिन	225/1/1	निजी		3-4	श्रीमती सत्या देवी पत्नी चौधरी राम पुत्र प्रेमू स्थानीय वासी				
					बारानी	1-13					
					बंजर कदीम	0-2					
					खडैतर	1-4					
					बीड़ खडैतर	0-4					
					गैर मु0 आवादी	0-1					
12	40 मिन चतुर्थ	44 मिन	225/15/1	निजी		2-0	भगत राम पुत्र प्रेमू पुत्र बुधी राम स्थानीय वासी				
					बारानी	1-14					
					बंजर कदीम	0-1					
					बीड़ खडैतर	0-4					

					गैर मु0 आवादी	0-1					
			225/15/2			0-7					
					बारानी	0-6					
					बीड़ खडैतर	0-1					
			225/16		खडैतर	1-12					
			225/18/1			0-16					
					बंजर कदीम	0-2					
					खडैतर	0-14					
			किता-4			4-15					
13	40 मिन पंचम	44 मिन	225/8/1	निजी		1-12	सन्त राम पुत्र प्रेमू पुत्र बुधी राम स्थानीय वासी				
					बारानी	0-13					
					बंजर कदीम	0-1					
					खडैतर	0-14					
					बीड़ खडैतर	0-4					
			225/9/1		बारानी	0-6					
			225/11/1		बारानी	0-12					
			किता-3			2-10					
14	40 मिन षष्ठम	44 मिन	225/12/1	मुशतर्का		0-13	कुल 5 भाग:- सुनील कुमार, सतीश कुमार समभाग 4 भाग पुत्र व श्रीमती चम्पा देवी 1 भाग विधवा भागीरथ पुत्र प्रेमू स्थानीय वासी				
					बारानी	0-4					
					बंजर कदीम	0-1					
					खडैतर	0-6					
					बीड़ खडैतर	0-1					
					गैर मु0 आवादी	0-1					

pg. 87

					खडैतर	0-2	विधवा लाल सिंह पुत्र निकडू ,बलवीर पुत्र श्रीमती रोशनी पुत्री निकडू 2 भाग स्थानीय वासी				
			147/41/1		वारानी	2-7					
			किता-2			3-14					
2	46 मिन	52 मिन	73/3/1	निजी	बारानी	0-1	बालक राम पुत्र सुन्दर पुत्र मसदी स्थानीय वासी				
	कुल जोड़:-		किता-3			3-15					
20. वामटा											
ह0नं0 201											
1	24 मिन	34 मिन	4/1	मुशतर्का		2-11	कुल 6082272 भाग:-राम सिंह पुत्र भगत राम पुत्र नेगी 253428 भाग, जीत राम पुत्र नेगी पुत्र कैला 253428 भाग, निक्का राम, रतन लाल पुत्र लोभी पुत्र कैला समभाग 506856 भाग, नन्द लाल, सुरेन्द्र, राजेन्द्र सिंह पुत्र प्रेम लाल पुत्र जगरनाथू समभाग 696927 भाग, देवी राम, प्यारे लाल, प्रकाश चन्द समभाग 506856 भाग पुत्र व श्रीमती महन्ती देवी 126714 भाग विधवा अनन्तू पुत्र सरदारू, श्रीमती प्रसीनों पुत्री सरदारू पुत्र जगता 126714 भाग राम लाल 149988 भाग जयपाल 41376 भाग पुत्र व सर्व श्रीमती रामजानी, लीला, सत्या देवी, शकुन्तला समभाग 20688 भाग पुत्रियां कृष्णू पुत्र बुधू , श्रीमती सीता देवी पत्नी राम लाल पुत्र कृष्णू 116592 भाग संजीव कुमार पुत्र व श्रीमती सुनीता पुत्री श्रीमती कौशल्या पुत्री कृष्णू समभाग 5172 भाग बाबू राम, सोहन लाल पुत्र निक्कू पुत्र बुधू समभाग 362040 भाग मदन कुमार, सुरेन्द्र कुमार पुत्र व सर्व श्रीमती माया देवी, मंजू देवी, सीता देवी पुत्रियां श्रीमती रामकली पुत्री बुधू समभाग 217224 भाग राजेन्द्रपाल, कमलजीत समभाग 193088 भाग पुत्र व श्रीमती गीता देवी 60340 भाग विधवा सदा राम पुत्र बुधू , श्रीमती हरदेई विधवा कृष्णू राम पुत्र रामसरन 2027424 भाग गोरख राम पुत्र नत्थू पुत्र बरडू 217224 भाग सुमन सिंह पुत्र रूप लाल पुत्र हमीरा 28224 भाग मनोहर लाल पुत्र वरखी राम पुत्र किरपू	महाल बैहल कन्हैला	उप महाल निहाल	महाल उपरली खैरियां	बी0बी0एम0बी0 व खैरियां लुइणू
						बारानी					
				बीड खडैतर	0-4						

pg. 89

							राम लाल पुत्र कृष्णू 79019936520 भाग संजीव कुमार पुत्र व श्रीमती सुनीता पुत्री श्रीमती कौशल्या पुत्री कृष्णू समभाग 3505310070 भाग बाबू राम, सोहन लाल पुत्र निक्कू पुत्र बुधू समभाग 245371704900 भाग मदन कुमार, सुरेन्द्र कुमार पुत्र व सर्व श्रीमती माया देवी, मंजू देवी, सीता देवी पुत्रियां श्रीमती रामकली पुत्री बुधू समभाग 147223022940 भाग राजेन्द्रपाल, कमलजीत समभाग 147223022940 भाग पुत्र व श्रीमती गीता देवी 49074340980 भाग विधवा सदा राम पुत्र बुधू, श्रीमती हरदेई विधवा कृष्णू राम पुत्र रामसरन 1374081547440 भाग गोरख राम पुत्र नन्धू पुत्र बरडू 147223022940 भाग सुमन सिंह पुत्र रूप लाल पुत्र हमीरा 19128745440 भाग मनोहर लाल पुत्र वल्ली राम पुत्र किरपू 49074340980 भाग प्यारे लाल, सोहन लाल पुत्र व श्रीमती जयबन्ती विधवा सरवण राम पुत्र तुलसी राम समभाग 42940048485 भाग ईश्वरदास पुत्र अनन्त राम पुत्र दीवाना 13835479280 भाग स्थानीय वासी श्रीमती रेखा सुमन पुत्री सुख राम पुत्र मातावक्ष 23301859840 भाग निवासी डियारा मकान न0 51				
							—x— कुल 8820 भाग— राम लाल 540 भाग जयपाल 225 भाग सर्व श्रीमती सत्या देवी, रामजानी, लीला, शकुन्तला समभाग 480 भाग संजीव कुमार श्रीमती सुनीता समभाग 120 भाग श्रीमती सीता देवी 315 भाग निक्कू 1050 भाग श्रीमती रामकली 630 भाग देवी राम प्रकाश चन्द प्यारे लाल समभाग 1764 भाग श्रीमती महन्ती देवी 441 भाग कमलजीत, राजेन्द्रपाल समभाग 770 भाग श्रीमती गीता देवी 280 भाग सुरेन्द्र, नन्द लाल, राजेन्द्र सिंह समभाग 2205 भाग हिस्सादारान				
	कुल जोड़:-		किता-5			5-17					
21. बैहल कन्डैला ह0नं0 175											
1	2 मिन अब्बल	2 मिन	17/2/2	मुशतर्का	चाही सिंचित	5-4	कुल 8 भाग:- योगिन्द्र, विक्रम पुत्र श्रीमती चन्दो देवी विधवा महन्त राम पुत्र बंशी समभाग 2 भाग अन्नत राम, राजू राम पुत्र बंशी पुत्र बरडू समभाग 4 भाग अभिषेक 1 भाग पुत्र व श्रीमती	महाल वध्यात	उप महाल जैरिया नरणा	एन एच-21	अली खड्ड
			18/1		चाही सिंचित	4-1					
			18/2		चाही सिंचित	0-11					

			19		चाही सिंचित	0-4	स्वाती पुत्री व श्रीमती नीलम समभाग 1 भाग				
			306/212/23/1			3-8	विधवा सदा राम पुत्र बंशी स्थानीय वासी				
					चाही	3-2					
					बीड़ खडैतर	0-4					
					गैर मु0 टैंक	0-2					
			306/212/23/2		चाही	0-9					
			किता-6			13-17					
		3 मिन	17/1/1	मुर्तहिन		0-10	योगिन्द्र आदि वर्णित -----x----- अभिषेक,				
					वारानी	0-8	श्रीमती स्वाती, श्रीमती नीलम, श्रीमती सुन्दरी				
					गैर मु0 आवादी	0-2	देवी समभाग हिस्सादारान राहिनान सरकार				
							हिमाचल प्रदेश मुर्तहिन				
	जोड़ खेवट:-		किता-7			14-7					
2	2 मिन	2 मिन	17/2/1	निजी	चाही सिंचित	0-5	श्रीमती हरदेई पत्नी मनोहर लाल पुत्र बक्शी राम				
							गांव रोपड़ी तह0 घुमारवीं				
3	3 मिन	4 मिन	31	मुशतर्का	वारानी	0-3	कुल 1204 भाग:- रामपाल पुत्र परस राम पुत्र				
			32		वारानी	0-15					
			41		वारानी	2-16					
			42		वारानी	0-12					
							सीता राम 172 भाग धीरज कुमार, विक्रम सिंह				
							पुत्र व श्रीमती चम्पा देवी विधवा प्यार सिंह पुत्र				
							सीता राम समभाग 129 भाग भोला राम पुत्र व				
							सर्व श्रीमती कौशल्या देवी, कमला देवी, बिमला				
							देवी समभाग 688 भाग पुत्रियां व श्रीमती प्रेमी				
							देवी 131 भाग विधवा सीता राम पुत्र घोगड़,				
							सन्तोखा राम पुत्र बाबू राम पुत्र रामदितू 84 भाग				
							स्थानीय वासी				
			किता-4			4-6					
4	4 मिन	5 मिन	246/26/1	मुशतर्का		1-0	कुल 420 भाग:- रामपाल पुत्र परस राम पुत्र				
					वारानी	0-17					
							सीता राम 4 भाग धीरज कुमार, विक्रम सिंह पुत्र				
							व श्रीमती चम्पा देवी विधवा प्यार सिंह पुत्र सीता				

					बीड़ खडैतर	0-3	राम समभाग 3 भाग भोला राम पुत्र व सर्व श्रीमती कौशल्या देवी, कमला देवी, बिमला देवी समभाग 16 भाग पुत्रियां व श्रीमती प्रेमी देवी 5 भाग विधवा सीता राम पुत्र घोड़, भगत राम, सोहन लाल, संजीव कुमार समभाग 231 भाग पुत्र व सर्व श्रीमती चम्पा देवी, वीना देवी, माया देवी, सन्तोष कुमारी पुत्रियां व श्रीमती प्रेमी देवी समभाग 105 भाग विधवा सुख राम पुत्र घोड़, नन्द लाल, चेत राम पुत्र व सर्व श्रीमती रोशनी देवी, पंपलो देवी, प्रसीनू देवी पुत्रियां श्रीमती चिन्ती पुत्री घोड़ समभाग 28 भाग श्रीमती रूपं पुत्री घोड़ पुत्र फता 28 भाग स्थानीय वासी।				
			246/26/2		वारानी	0-1					
			किता-2			1-1					
5	5	9	15	बिला सिफत	वारानी	0-18	जगर नाथू पुत्र व सर्व श्रीमती लच्छमी, कृष्णी, निक्की पुत्रियां व श्रीमती सन्ती विधवा संसारु पुत्र लाभा समभाग निवासी बन्दला —x—कुल 2 भाग:-रणजीत सिंह पुत्र सफाला पुत्र कलिया 1 भाग महन्तू पुत्र कलिया पुत्र स्याहू 1 भाग स्थानीय वासी बिला सिफत				
6	6 मिन	10 मिन	248/28	मुशतर्का		3-6	कुल 5 भाग:- देवी राम, नन्द लाल, सोहन लाल, मणकू राम पुत्र दुर्गा पुत्र रामदितू समभाग 4 भाग मुनीष कुमार पुत्र व श्रीमती मीना देवी पुत्री व श्रीमती कमला देवी विधवा हरी राम पुत्र दुर्गा समभाग 1 भाग स्थानीय वासी				
					वारानी	3-3					
					बंजर कदीम	0-3					
7	8 मिन	13	11	गैर मौरुसी		1-10	कुल 280 भाग:-देवी राम, नन्द लाल, सोहन लाल, मणकू राम पुत्र दुर्गा पुत्र रामदितू समभाग 112 भाग मुनीष कुमार पुत्र व श्रीमती मीना देवी पुत्री व श्रीमती कमला देवी विधवा हरी राम पुत्र दुर्गा समभाग 28 भाग अभिषेक ठाकुर, विजय ठाकुर पुत्र व श्रीमती ऊषा देवी विधवा रमेश पुत्र				
					वारानी	0-12					
					खडैतर	0-17					
					बीड़ खडैतर	0-1					

							कृष्णू समभाग 45 भाग सुरेश 60 भाग पुत्र व श्रीमती दसोधां 35 भाग विधवा कृष्णू पुत्र रामदितू स्थानीय वासी ———x—— रणजीत पुत्र सफाला पुत्र कलिया, महन्तू पुत्र कलिया पुत्र स्याहू स्थानीय वासी गैर मौरूसीयान				
8	10 मिन	15 मिन	243/25	मुशतर्का		2-9	कुल 28 भाग:-अभिषेक ठाकुर, विजय ठाकुर पुत्र व श्रीमती ऊषा देवी विधवा रमेश पुत्र कृष्णू समभाग 9 भाग सुरेश 12 भाग पुत्र व श्रीमती दशोधां 7 भाग विधवा कृष्णू पुत्र रामदितू स्थानीय वासी				
					वारानी	2-7					
					बीड़ खडैतर	0-2					
9	11 मिन	16 मिन	13	निजी	वारानी	1-2	श्रीमती प्रेमी पुत्री मकोड़ू पुत्र गुरुमुख स्थानीय वासी				
			250/30/1			6-12					
					वारानी	4-18					
					बागीचा वारानी	1-0					
					गैर मु0 आवादी	0-11					
					बीड़ खडैतर	0-3					
			250/30/2		वारानी	0-3					
			47/1		वारानी	0-2					
			किता-4			7-19					
10	12 मिन	18 मिन	359/323/253/33/1	निजी		5-16	शिव राम पुत्र सुदामा पुत्र निहाला स्थानीय वासी				
					वारानी	4-10					
					बंजर कदीम	0-2					
					खडैतर	0-2					
					बीड़ खडैतर	0-7					

					गैर मु0 आवादी	0-15					
			359/323/253/33/2		वारानी	0-1					
			360/323/253/33		वारानी	0-1					
			किता-3			5-18					
11	13	19	322/253/33	निजी	वारानी	0-4	कुलदीप सिंह पुत्र शिव राम पुत्र सुदामा स्थानीय वासी				
12	14	16	43/1	मुशतर्का		2-11	कुल 7 भाग :-जगदीश कुमार 6 भाग पुत्र व श्रीमती भगती 1 भाग विधवा पोहलो पुत्र काशी राम स्थानीय वासी				
	मिन				वारानी	2-10					
					गैर मु0 आवादी	0-1					
			43/2		वारानी	0-4					
			किता-2			2-15					
13	15	21	14	मुशतर्का	वारानी	1-15	अमर सिंह, महेन्द्र सिंह, जीत राम पुत्र भगत राम पुत्र काशी राम समभाग स्थानीय वासी				
	मिन	मिन	22			3-4					
					चाही	3-3					
					बीड़ खडैतर	0-1					
			39			1-7					
					वारानी	0-16					
					खडैतर	0-7					
					गैर मु0 गोहड़	0-4					
			किता-3			6-6					
14	16	22	40	मुशतर्का		0-12	कुल 14 भाग:-जगदीश कुमार 6 भाग पुत्र व श्रीमती भगती 1 भाग विधवा पोहलो पुत्र काशी राम, अमर सिंह, महेन्द्र सिंह, जीत राम पुत्र भगत राम पुत्र काशी राम समभाग 7 भाग स्थानीय वासी				
					बंजर कदीम	0-5					
					गैर मु0 आवादी	0-7					

15	17	23	44/1	मुशतर्का	वारानी	0-3	कुल 28 भाग :- जगदीश कुमार 6 भाग पुत्र व श्रीमती भगती 1 भाग विधवा पोहलो पुत्र कांशी राम, अमर सिंह, महेन्द्र सिंह, जीत राम पुत्र भगत राम पुत्र काशी राम समभाग 7 भाग लच्छमण पुत्र व श्रीमती चन्दो पुत्री लोभी पुत्र काहना भाग बराबर 14 भाग स्थानीय वासी				
			44/2		वारानी	0-1					
			किता-2			0-4					
16	18	24	12	मुशतर्का	वारानी	0-5	लच्छमण पुत्र व श्रीमती चन्दो पुत्री लोभी पुत्र काहना भाग बराबर स्थानीय वासी				
17	34 मिन	40 मिन	21	निजी	चाही	1-4	रणजीत सिंह पुत्र सफाला पुत्र कलिया स्थानीय वासी				
			269/85/1		कोहली	0-1					
			किता-2			1-5					
18	36 मिन	42 मिन	20/3	निजी	चाही	0-9	दौलत राम पुत्र महन्तू पुत्र कलिया स्थानीय वासी				
	अबल		86/1/1			0-6					
	39 मिन	45 मिन			कोहली	0-5					
					गैर मु0 आवादी	0-1					
			किता-2			0-15					
19	36 मिन	42 मिन	20/2	निजी	चाही	0-9	कर्म चन्द पुत्र महन्तु पुत्र कलिया स्थानीय वासी				
	दोम										
20	36 मिन	42 मिन	20/1	मुशतर्का	चाही	0-9	कुल 5 भाग:- नरेश कुमार 3 भाग पुत्र व श्रीमती कोमल पुत्री व श्रीमती निर्मला देवी समभाग 2 भाग विधवा हरीश चन्द पुत्र महन्तू स्थानीय वासी				

21	41 मिन	47 मिन	16	मुशतर्का / गैर मौरूसी	वारानी	0-3	कुल 75 भाग:- श्रीमति सन्ती विधवा संसारु पुत्र लाभा 15 भाग रणजीत सिंह पुत्र सफाला पुत्र कलिया 30 भाग दौलत राम, कर्मचन्द पुत्र महन्तु पुत्र कलिया समभाग 20 भाग नरेश कुमार 6 भाग पुत्र व श्रीमती कोमल पुत्री व श्रीमती निर्मला देवी समभाग 4 भाग विधवा हरीश चन्द पुत्र महन्तू स्थानीय वासी —x—रणजीत सिंह 30 भाग दौलत राम, कर्मचन्द समभाग 20 भाग नरेश कुमार 6 भाग श्रीमती कोमल श्रीमती निर्मला देवी समभाग 4 भाग वनीज गैर मौरूसी मिन जानिव दीगर हिस्सादार 15 भाग				
	कुल जोड़:-		किता-42			55-6					

22. वध्यात ह0नं0 176															
1	1 मिन अब्वल	1 मिन	48	मुशतर्का		14-16	कुल 74 भाग:-अनिल कुमार पुत्र बली राम पुत्र नत्थू 5 भाग स्थानीय वासी श्री मति सत्या देवी पत्नी कर्म सिंह पुत्र फान्दी राम 69 भाग निवासी महाल छत तह0 घुमारवीं	महाल नोग	महाल बैहल कन्हैला	एन एच-21	अली खड्ड				
					वारानी	13-1									
					बागीचा वारानी	0-10									
					खडैतर	0-15									
					गैर मु0 आवादी	0-10									
2	1 मिन दोम	1 मिन	24	निजी	खडैतर	0-1	श्रीमति सत्या देवी पत्नी कर्म सिंह पुत्र फान्दी राम निवासी महाल छत तहसील घुमारवीं								
			322/49		खडैतर	0-1									
			100/1		खडैतर	0-11									
			किता-3			0-13									
3	2 मिन अब्वल	4 मिन	30/3/1	मुशतर्का		2-15	कुल 2 भाग:-अनिल कुमार 1 भाग पुत्र व कुमारी सुषमां पुत्री व श्रीमती आत्मी देवी समभाग 1 भाग विधवा बली राम पुत्र नत्थू स्थानीय वासी								
					वारानी	2-9									
					बंजर कदीम	0-3									
					बीड़खडैतर	0-3									

			44/2			0-12					
					बंजर कदीम	0-5					
					खडैतर	0-7					
			45/2		गैर मु0 आवादी	0-5					
			45/4			1-7					
					वारानी	1-5					
					गैर मु0 आवादी	0-2					
			किता-4			4-19					
4	2 मिन	4 मिन	30/1/1	मुशतर्का	वारानी	0-3	कुल 2 भाग:-पवन कुमार पुत्र व श्रीमती अंजना कुमारी समभाग 1 भाग पुत्री व श्रीमती बिमला देवी 1 भाग विधवा भाग सिंह पुत्र नत्थू स्थानीय वासी				
	दोम		44/1			1-0					
					बंजर कदीम	0-5					
					खडैतर	0-15					
			45/1			1-11					
					वारानी	1-3					
					बीड़ खडैतर	0-3					
					गैर मु0 आवादी	0-5					
			45/3		गैर मु0 आवादी	0-2					
			46		वारानी	0-2					
			किता-5			2-18					
5	4 मिन	6 मिन	40/1	मुशतर्का		6-19	कुल 9 भाग:-कर्म सिंह, नेत्र सिंह पुत्र पोहलो पुत्र रामदितू समभाग 6 भाग सौरभ 2 भाग पुत्र व श्रीमती अकांक्षा पुत्री व श्रीमती संदेश समभाग 1 भाग विधवा सोहन सिंह पुत्र पोहलो स्थानीय वासी				
					वारानी	6-5					
					बंजर कदीम	0-1					
					खडैतर	0-5					

					गैर मु0 आवादी	0-8					
			40/1/1			0-9					
					वारानी	0-3					
					खडैतर	0-6					
			96/1		वारानी	0-1					
			96/2		वारानी	0-1					
			किता-4			7-10					
6	6 मिन अब्ल	8 मिन	330/95/2	निजी		0-19	ज्ञान सिंह पुत्र जोधा पुत्र गुलाबा स्थानीय वासी				
					वारानी	0-7					
					बंजर कदीम	0-6					
					खडैतर	0-6					
			22			3-7					
					वारानी	1-12					
					बंजर कदीम	1-5					
					खडैतर	0-10					
			29			1-9					
					वारानी	1-7					
					बीड़ खडैतर	0-2					
			किता-3			5-15					
7	6 मिन दोम	8 मिन	330/95/1/1	मुशतर्का		0-5	मनोज कुमार , राजेश कुमार पुत्र श्रीमती प्रसीनों देवी पुत्री जोधा समभाग स्थानीय वासी				
					वारानी	0-2					
					बंजर कदीम	0-1					
					खडैतर	0-2					

			330/95/1/2		बंजर कदीम	0-1					
			किता-2			0-6					
8	7 मिन	10 मिन	28	मुशतर्का		5-17	निशांत सेन, संजय सेन पुत्र व श्रीमती कनिका देवी पुत्री व श्रीमती कश्मीरी देवी विधवा रतन सिंह पुत्र जोधा समभाग स्थानीय वासी				
					वारानी	5-11					
					खडैतर	0-6					
9	11 मिन	14 मिन	203/129/1	मुशतर्का	बंजर जदीद	1-0	राजेन्द्र सिंह, रविन्द्र सिंह पुत्र अतर सिंह पुत्र अच्छर सिंह समभाग स्थानीय वासी				
10	17	20	328/95/1	निजी	वारानी	0-5	योगेश पुत्र प्रताप सिंह पुत्र प्रभदयाल स्थानीय वासी				
			329/95		वारानी	0-1					
			किता-2			0-6					
11	19 मिन	22 मिन	104/1	निजी	वारानी	0-2	सुरेन्द्र सिंह पुत्र प्यार सिंह पुत्र प्रभदयाल स्थानीय वासी				
12	23 मिन	26 मिन	20/4	निजी		1-8	रूप सिंह पुत्र श्याम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह स्थानीय वासी				
	अब्बल				वारानी	1-1					
	26 मिन	29 मिन			बंजर कदीम	0-7					
	दोम		21/5		वारानी	0-2					
			21/6		वारानी	2-1					
			21/8		वारानी	1-2					
			21/9		वारानी	0-4					
			21/1/4/1			0-16					
					वारानी	0-9					
					खडैतर	0-7					

			21/1/4/2		वारानी	0-1					
			106/1		खडैतर	1-1					
			किता-8			6-15					
13	23 मिन दोम	26 मिन	20/2	निजी		1-5	हरनाम सिंह पुत्र श्याम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह स्थानीय वासी				
					वारानी	0-19					
	26 मिन सोम	29 मिन			खडैतर	0-6					
			20/5			0-8					
					खडैतर	0-5					
					गैर मु0 नाला	0-3					
			21/1/1		वारानी	0-1					
			21/1/2		वारानी	0-1					
			21/2			0-3					
					वारानी	0-2					
					गैर मु0 आवादी	0-1					
			21/3		गैर मु0 आवादी	0-4					
			21/7			2-5					
					वारानी	1-3					
					खडैतर	1-2					
			21/1/1/1			0-5					
					वारानी	0-2					
					गैर मु0 आवादी	0-3					
			21/1/1/2		गैर मु0 आवादी	0-1					
			105/1		खडैतर	0-19					
			105/2		खडैतर	0-1					

			106/2		खडैतर	0-13					
			किता-12			6-6					
14	24	27	19	निजी	वारानी	0-8	जसवन्त सिंह पुत्र केहर सिंह पुत्र श्याम सिंह				
			20/1			1-1	स्थानीय वासी				
	26 मिन अब्बल	29 मिन			वारानी	1-0					
					बंजर कदीम	0-1					
			21/1/3/1			1-4					
					वारानी	0-11					
					खडैतर	0-11					
					गैर मु0 आवादी	0-2					
			21/1/3/2		खडैतर	0-2					
			202/129			3-2					
					बंजर कदीम	2-15					
					गैर मु0 पत्थर	0-7					
			किता-5			5-17					
15	26 मिन चतुर्थ	29 मिन	20/3	मुशतर्का		1-12	कुल 2923 भाग:-मोहन सिंह, बलवीर सिंह समभाग 2544 भाग पुत्र व सर्व श्रीमती बचनी देवी, रोशनी देवी, आशा देवी, सुनीता देवी अनीता कुमारी, मंजुला देवी समभाग 54 भाग पुत्रियां व श्रीमती हरदेई विधवा तुलसी राम पुत्र श्याम सिंह 325 भाग स्थानीय वासी				
					वारानी	1-10					
					खडैतर	0-2					
			20/6		वारानी	0-1					
			21/4		वारानी	0-18					
			21/1/2/1		वारानी	0-2					
			107/1		बंजर कदीम	0-2					
			किता-5			2-15					

16	27 मिन	30 मिन	14/1	मुशतर्का	गैर मु0 आवादी	0-1	शक्ति सिंह, दुनी चन्द ,सतीश कुमार , प्यार सिंह पुत्र चौधरी पुत्र गपाला समभाग स्थानीय वासी				
			14/2		गैर मु0 आवादी	0-1					
			17/1		गैर मु0 आवादी	0-1					
			18/1			2-17					
					वारानी	2-16					
					खडैतर	0-1					
			27/1			3-5					
					वारानी	3-3					
					बीड़ खडैतर	0-2					
			103/1			4-18					
					वारानी	0-9					
					खडैतर	4-9					
			किता-6			11-3					
17	30 मिन	33 मिन	11/1	मुशतर्का	गैर मु0 आवादी	0-1	कुल 6 भाग:- सतीश कुमार ,सुशील कुमार, प्रकाश चन्द समभाग 5 भाग पुत्र व श्रीमती सीता देवी 1 भाग विधवा दलीप सिंह पुत्र शिव सिंह स्थानीय वासी				
18	36 मिन	39 मिन	88/1	मुशतर्का	वारानी	0-3	देवी राम पुत्र व सर्व श्रीमती चम्पा देवी, गोदावरी, ब्यासा देवी पुत्रियां रामदितू पुत्र धान्थू समभाग स्थानीय वासी				
19	37 मिन	40 मिन	86/1	निजी		1-9	देवी राम पुत्र रामदितू पुत्र धान्थू स्थानीय वासी				
	अब्बल				वारानी	1-5					
					बीड़ खडैतर	0-4					

20	37 मिन दोम	40 मिन	87	मुशतर्का	वारानी	0-8	कुल 2 भाग:—देवी राम पुत्र रामदितू पुत्र धान्यू 1 भाग राजेश कुमार सुरेश कुमार पुत्र देवी राम पुत्र रामदितू समभाग 1 भाग स्थानीय वासी				
21	38 मिन	41 मिन	47	निजी	गैर मु0 आवादी	0-1	दिला राम पुत्र गंगा राम पुत्र बेसरिया स्थानीय वासी				
			47/1		गैर मु0 आवादी	0-1					
			किता-2			0-2					
22	42	45	201/129	मुशतर्का	वारानी	0-10	राज कुमार पुत्र व सर्व श्रीमति बिमला देवी, उर्मिला देवी पुत्रियां सन्तराम पुत्र मंगतू समभाग स्थानीय वासी				
			233/205/129		गैर मु0 आवादी	0-4					
			किता-2			0-14					
23	43	46	125/1	मुशतर्का		2-13	कुल 42 भाग:—राज कुमार पुत्र व सर्व श्रीमति बिमला देवी, उर्मिला देवी पुत्रियां सन्तराम पुत्र मंगतू समभाग 7 भाग प्रेमलाल पुत्र व सर्व श्रीमति शीला देवी, कमला देवी, लीला देवी पुत्रियां मंगतू पुत्र मनसा समभाग 28 भाग रामपाल, रमेश पुत्र व सर्व श्रीमति कौशल्या देवी, नीलम कुमारी, मीरा देवी, कुमारी नीनां पुत्रियां सीता राम पुत्र मंगतू समभाग 6 भाग कुलदीप , विपन पुत्र व सर्व श्रीमति पुष्पलता, अनुराधा पुत्रियां किशोरी लाल पुत्र सीता राम समभाग 1 भाग स्थानीयवासी				
					वारानी	2-11					
					गैर मु0 आवादी	0-2					
24	45	48	126	मुशतर्का	वारानी	1-14	कुल 5 भाग:—देवी राम पुत्र व श्रीमति गीता पुत्री मंगतू पुत्र बरडू समभाग 2 भाग रूपलाल, राज कुमार पुत्र व श्रीमति निर्मला देवी पुत्री व श्रीमति शीला देवी विधवा जीतराम पुत्र मंगतू समभाग 1 भाग हिमांशू, पियूष पुत्र श्रीमति प्रेमलता पुत्री मंगतू समभाग 1 श्रीमति रेखा पुत्री व श्रीमति सीता देवी विधवा सुखराम पुत्र मंगतू समभाग 1 भाग स्थानीय वासी				

25	46	49	127	निजी	बंजर कदीम	0-5	सुरेन्द्र पाल पुत्र रोशन लाल पुत्र लोभी स्थानीय वासी				
26	47	50	193/129/1	निजी	बंजर कदीम	0-5	गिरधारी पुत्र लटूरिया पुत्र नामालूम स्थानीय वासी				
27	50	53	196/129/1	मुशतर्का	वारानी	0-17	कृष्ण कुमार , वेदप्रकाश, सचिन पुत्र व सर्व श्रीमति कृष्णा, रक्षा, चंचला कुमारी, रेवीता कुमारी पुत्रियां व श्रीमति शीला देवी विधवा परसराम पुत्र सन्तु समभाग स्थानीय वासी				
			197/129/1		वारानी	2-2					
			किता-2			2-19					
28	53 मिन	56 मिन	261/234/129/1	मुशतर्का	वारानी	0-1	कुल 4 भाग:-राजू राम 1 भाग शशीपाल ,सुनील कुमार भाग बराबर 3 भाग पुत्र निक्का पुत्र नत्थू स्थानीय वासी				
29	54	57	192/129/1	मुशतर्का	वारानी	0-18	कुल 51 भाग:-राजू राम, सुनील कुमार भाग बराबर 34 भाग पुत्र व शशी पाल 14 भाग पुत्र निका पुत्र नत्थू स्थानीय वासी सरकार हिमाचल प्रदेश 3 भाग ---X--- काश्त व कब्जा स्वयं राजू राम, सुनील कुमार भाग बराबर 34 भाग शशी पाल 14 भाग सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग 3 भाग हिस्सादारान				
30	55 मिन	58 मिन	199/129/1	निजी	वारानी	0-6	श्रीमति धनवन्ती देवी विधवा लेख राम पुत्र नत्थू स्थानीय वासी				
			200/129/1		बंजर कदीम	1-0					
			किता-2			1-6					
31	61 मिन	64 मिन	327/51/1	निजी	वारानी	0-2	धर्मपाल पुत्र रिफड़ पुत्र कपूरा स्थानीय वासी				

32	62 मिन	65 मिन	326/51	निजी	वारानी	0-1	राजेन्द्र कुमार पुत्र रिफंड पुत्र कपूरा स्थानीयवासी				
33	66	69	133/1	मुशतर्का	वारानी	0-5	रोड़ा, सन्तराम, निका पुत्र मसदी पुत्र माधो समभाग स्थानीय वासी				
34	68	71	130/1	मुशतर्का	वारानी	0-9	कुल 65 भाग:- श्रीमति कृष्णा पुत्री किरपा पुत्र ना मालूम निवासी धमणा 8 भाग श्रीमति कमला देवी पुत्री पोहलो राम पुत्र मंगतू राम 57 भाग निवासी दकड़ी तहसील घुमारवीं				
35	69	72	189/129	मुशतर्का	वारानी	0-2	सुन्दर लाल, रतन लाल, श्याम लाल पुत्र सन्तू पुत्र किरपू समभाग स्थानीय वासी				
			190/129		बागीचा वारानी	0-12					
			191/129		वारानी	0-3					
			232/148/1			2-0					
					वारानी	1-6					
					गैर मु0 बीड़	0-2					
					गैर मु0 आवादी	0-12					
			किता-4			2-17					
36	70 मिन	73 मिन	109	मुशतर्का	वारानी	0-10	अनन्तराम, मुकेश कुमार पुत्र व श्रीमति शकुन्तला पुत्री व श्रीमति रामप्यारी विधवा सूरज प्रकाश पुत्र मोती समभाग स्थानीय वासी				
			114/1		वारानी	0-1					
			119/1		वारानी	0-7					
			120/1		वारानी	1-0					
			किता-4			1-18					
37	71 मिन	74 मिन	110/2/1	निजी	वारानी	0-12	अनन्तराम पुत्र सूरज प्रकाश पुत्र मोती स्थानीय वासी				
	अब्बल		111		वारानी	0-11					
			किता-2			1-3					

38	71 मिन दोयम	74 मिन	110/1/1	निजी	वारानी	0-1	मुकेश कुमार पुत्र सूरज प्रकाश पुत्र मोती स्थानीय वासी				
			113		वारानी	0-1					
			किता-2			0-2					
39	71 मिन सोयम	74 मिन	112/1	मुशतर्का	गैर मु0 आवादी	0-8	कुल 3 भाग:- अनन्तराम 1 भाग मुकेश कुमार 2 भाग पुत्र सुरज प्रकाश पुत्र मोती स्थानीय वासी				
			112/2		गैर मु0 आवादी	0-1					
			किता-2			0-9					
40	73 मिन	76 मिन	52/1	मुशतर्का	वारानी	0-4	कुल 3 भाग:-पवन कुमार, रूपलाल पुत्र गणपत पुत्र हजारू समभाग 2 भाग बलवीर, रणधीर पुत्र व श्रीमति गम्मरी देवी विधवा चैतराम पुत्र गणपत समभाग 1 भाग स्थानीय वासी				
	कुल जोड़:-		किता-100			97-6					
जोड़ सदर जिला बिलासपुर			किता-266			273-11					
23. उप महाल बलोह ह0नं0 211/1											
कं0स0	खेवट / खतौनी नं0		सर्वेक्षण संख्या (खसरा नं0)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की किस्म	अर्जन का क्षेत्र (हैक्टरों में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
								व	द	पू	प
1	2		3	4	5	6	7	8			
1	1 मिन	1	93/1	मुशतर्का	खडैतर	478.45	कुल 158062 भाग :- रूप लाल पुत्र मुनसी पुत्र बजीरू 79031 भाग रूप लाल 9400 भाग अनन्तराम 29681 भाग पुत्र तुलसी पुत्र बजीरू, श्रीमती गंगा देवी विधवा इन्द्र सिंह पुत्र तुलसी 4700 भाग शिवानी, अनीता पुत्रियां प्रेम लाल पुत्र रोशन	उप महाल बिलासपुर	महाल रघुनाथपुरा	महाल लखनपुर	बीबीएमबी0

							लाल समभाग 4700 भाग सुरेश कुमार पुत्र रोशन लाल पुत्र तुलसी 30550 भाग स्थानीय वासी				
		2 मिन	82		वारानी	566-87	रूप लाल आदि वर्णित:—काश्त व कब्जा स्वयं रूप लाल हिस्सादार				
			90/1		वारानी	577.65					
			किता-2			1144.52					
		3 मिन	83		वारानी	92.25	रूप लाल आदि वर्णित:—काश्त व कब्जा स्वयं रूप लाल, अनन्त राम, सुरेश कुमार, श्रीमती गंगा देवी, शिवानी, अनीता हिस्सादारान				
			84		गैर मु0 मकान पक्का दो मंजिला	55.20					
			86/1		गैर मु0 मवेशीखाना	2.08					
			87/1		गैर मु0 सैहन	91.31					
			88		गैर मु0 रसोईघर	33.54					
			89/1		वारानी	1515.30					
			किता-6			1789.68					
		जोड़ खेवट:-	किता-9			3412.65					
2	2 मिन	4 मिन	71/1	निजी	वारानी	1061.15	रोशन लाल पुत्र निक्कू पुत्र साधू स्थानीय वासी				
3	19 मिन	23 मिन	65/1	मुशतर्का	बा0वा0 फलदार	5491.10	कुल 3924372 भाग:—राजीव 654062 भाग पुत्र व कुमारी रीता 1308124 भाग श्रीमती अर्चना 1046500 भाग पुत्रियां तुलसी पुत्र किशनदत्त स्थानीय वासी श्रीमती रेशमां पोशवाल पत्नी				
			211/81/1		वारानी	31.80					

							रामदयाल पुत्र साध राम 327031 भाग निवासी पंजैहरा, नन्द प्रकाश पुत्र धनी राम पुत्र सुदामा 588655 भाग निवासी नोआ				
			किता-2			5522.90					
4	30 मिन	34 मिन	33	निजी	बंजर कदीम	54.00	कृष्ण धर्मपुत्र गम्बो पुत्र जंगी स्थानीय वासी				
			34		बंजर कदीम	16.88					
			59		गैर मु0 मवेशीखाना	83.18					
			60		गैर मु0 सैहन	66.62					
			61		बा0वा0 फलदार	96.78					
			244/231/62/1		वारानी	1185.32					
			किता-6			1502.78					
5	48	54	111/1	निजी	गैर मु0 रास्ता	104.72	सिंहणू पुत्र निक्का पुत्र गोहडू स्थानीय वासी				
6	49	55	66	निजी	गैर मु0 रसोईघर	14.44	प्रेम लाल पुत्र बंगाली पुत्र पीरू स्थानीय वासी				
	51	57									
			67		गैर मु0 मकान एक मंजिला	26.04					
			68		गैर मु0 मवेशीखाना	16.50					
			69		बंजर कदीम	355.46					
			245/70		गैर मु0 सैहन	107.00					
			246/70		गैर मु0 सैहन	177.72					
			किता-6			697.16					
7	66 मिन	74 मिन	94/1	मुशतर्का		1511.75					

					वारानी	1345.03	भानूप्रताप सिंह पुत्र व श्रीमती सोनियां पुत्री व श्रीमती रामप्यारी देवी विधवा रामपाल पुत्र तवारसू समभाग निवासी उप महाल बिलासपुर				
					गैर मु0 बीड	166.72					
	कुल जोड़:-		किता-26			13813.11	(रकवा 18-7 बिघा)				
24. उपमहाल बिलासपुर ह0नं0 209/1, 210/1											
1	1 मिन अब्बल	1 मिन	1471/1	मुशतर्का	कोहली	3912.47	कुल 2855860 भाग:- राजेन्द्र सिंह. देवेन्द्र सिंह. यादेवेन्द्र सिंह. दानविन्द्र सिंह पुत्र व सर्व श्रीमति सुदक्षिणा कुमारी. शिवराज. सावित्री देवी. गायत्री देवी. अनसुया देवी पुत्रियां ईशवर सिंह पुत्र सोहण सिंह समभाग 1427930 भाग वरजिन्द्र सिंह 653757 भाग हरिन्द्र सिंह 713965 भाग पुत्र महेन्द्र सिंह पुत्र सोहण सिंह श्रीमती अरुणा कुमारी पत्नी ओंकार सिंह पुत्र 60208 भाग स्थानीय वासी	उप महाल डियारा	उप महाल बलोह	हाऊसिंग बोर्ड कलौनी	बी0बी0एम0बी0
2	1 मिन दोम	1 मिन	1403	मुशतर्का	वारानी	503.62	कुल 2 भाग:- राजेन्द्र सिंह. देवेन्द्र सिंह. यादेवेन्द्र सिंह. दानविन्द्र सिंह पुत्र व सर्व श्रीमति सुदक्षिणा कुमारी. शिवराज. सावित्री देवी. गायत्री देवी. अनसुया देवी पुत्रियां ईशवर सिंह पुत्र सोहण सिंह समभाग 1 भाग वरजिन्द्र सिंह, हरिन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह पुत्र सोहण सिंह समभाग 1 भाग स्थानीय वासी				
			1405/1		बंजर कदीम	1807.47					
			1476/1		वारानी	1237.25					
			1476/2		वारानी	2.25					
			किता-4			3550.59					
		2 मिन	1401/1	बिला सिफत	वारानी	632.62	राजेन्द्र सिंह आदि वर्णित:- राजेन्द्र सिंह , देवेन्द्र सिंह, यादेवेन्द्र सिंह, दानवेन्द्र सिंह सर्व श्रीमति सुदक्षिणा कुमारी, शिवराज, सावित्री देवी, गायत्री देवी, अनसुया देवी हिस्सादारान मारफत लच्छमण, पोहलो, निक्कू रोशन लाल, छोटा पुत्र कपूरा पुत्र सरदारू समभाग स्थानीय वासी बिला सिफत				
			1485/1		वारानी	29.75					
			किता-2			662.37					

		3 मिन	1472	बिला सिफत	वारानी	93.50	राजेन्द्र सिंह आदि वर्णित:-रामपाल, रोशन लाल, सुखराम, श्यामलाल, रामजी दास पुत्र व श्रीमति कमला देवी पुत्री गुरदीतू पुत्र कपूरू समभाग स्थानीय वासी बिला सिफत				
	जोड़ खेवट:-		किता-7			4306.46					
3	70 मिन	158	364	मुशतर्का	बंजर जदीद	277.50	कुल 70 भाग:- देवेन्द्र कुमार, दीपक कुमार, दलीप कुमार पुत्र व श्रीमति चिन्ता पुत्री कृष्ण लाल पुत्र सन्तराम समभाग 8 भाग संदीप कुमार, सुमीत कुमार पुत्र व श्रीमति सुमना देवी पुत्री व श्रीमति कमला विधवा दनेश कुमार पुत्र कृष्ण लाल समभाग 2 भाग जय किशन, रोशन लाल पुत्र सन्तराम पुत्र हमीरा समभाग 50 भाग सन्तराम पुत्र चैतराम पुत्र ना मालूम 5 भाग सुभम पुत्र व कुमारी साक्षी पुत्री व श्रीमति माया देवी विधवा नवीन पुत्र सन्तराम समभाग 1 भाग सर्व श्रीमति नवीता, ववीता, अर्चना, पूजा पुत्रियां सन्त राम पुत्र चैतराम समभाग 4 भाग स्थानीय वासी ———x———कब्जा स्वयं संदीप कुमार, देवेन्द्र कुमार, दलीप कुमार, दीपक कुमार, श्रीमति कमला, श्रीमति चिन्ता, श्रीमति सुमना देवी, सुमित कुमार समभाग हिस्सादारान				
4	71	160	358/1	मुशतर्का	बंजर जदीद	190.80	कुल 1120 भाग :- देवेन्द्र कुमार, दीपक कुमार, दलीप कुमार पुत्र व श्रीमति चिन्ता पुत्री कृष्ण लाल पुत्र सन्तराम समभाग 32 भाग संदीप कुमार, सुमीत कुमार पुत्र व श्रीमति सुमना देवी पुत्री व श्रीमति कमला विधवा दनेश कुमार पुत्र कृष्ण लाल समभाग 8 भाग जय किशन, रोशन लाल पुत्र सन्तराम पुत्र हमीरा समभाग 200 भाग रामरतन, आनन्द , अशोक पुत्र व सर्व श्रीमती रामप्यारी, आशा, रुपा पुत्रियां शालीग्राम पुत्र गंगू समभाग 630 भाग श्रीमती नेहा पुत्री व श्रीमती मीरां विधवा रविन्द्र नाथ पुत्र शालीग्राम समभाग 105 भाग श्रीमती रेखा, ववीता पुत्रियां श्रीमती सन्तोष पुत्री शालीग्राम समभाग 105 भाग सन्तराम पुत्र चैतराम पुत्र ना मालूम 20 भाग सुभम पुत्र व कुमारी साक्षी पुत्री व श्रीमति माया				
			360		गैर मु0 मकान कच्चा दो मंजिला	52.70					
			361		गैर मु0 मवेशीखाना	26.04					
			362		गैर मु0 स्नानघर	8.20					
			363		बंजर जदीद	92.50					
			366/1		बंजर कदीम	43.96					

			किता-6			414.20	देवी विधवा नवीन पुत्र सन्तराम समभाग 4 भाग सर्व श्रीमति नवीता, ववीता, अर्चना, पूजा पुत्रियां सन्त राम पुत्र चैतराम समभाग 16 भाग स्थानीय निवासी -----x-----कब्जा स्वयं जय किशन, संदीप कुमार, सुमीत कुमार, देवेन्द्र कुमार, दीपक कुमार, दलीप कुमार, रोशन लाल सर्व श्रीमती कमला, चिन्ता, सुमना देवी समभाग हिस्सादारान				
		161	359		गैर मु0 मकान कच्चा दो मंजिला	19.22	देवेन्द्र कुमार आदि वर्णित:-कब्जा स्वयं जय किशन हिस्सादार				
		162	365		गैर मु0 रास्ता	25.20	देवेन्द्र कुमार आदि वर्णित:- शारे आम				
	जोड़ खेवट:-		किता-8			458.62					
5	105	207	1402	मुशतर्का	वारानी	940.00	कुल 5 भाग:-प्यारे लाल, आत्मा राम, विशनदास, ओमप्रकाश पुत्र जमनू पुत्र भंगू समभाग 4 भाग संदीप पुत्र किशन दास पुत्र जमनू 1 भाग स्थानीय वासी				
6	194	393	2304/1413	निजी	वारानी	238.50	इन्द्रजीत पुत्र धनीराम पुत्र नामालूम स्थानीय वासी				
			1414		वारानी	45.50					
			1415		गैर मु0 मकान कच्चा दो मंजिला	52.48					
			1416		गैर मु0 रसोईघर	5.25					
			2307/1417		गैर मु0 सैहन	88.75					
			किता-5			430.48					
7	195 मिन	394 मिन	1406/1	मुशतर्का	वारानी	349.95	राकेश, राजेश, रमेश पुत्र व श्रीमति कमला देवी विधवा चेताराम पुत्र सोहनू समभाग स्थानीय वासी				
			1411/1		गैर मु0 सैहन	8.45					
			1412/1		गैर मु0 सैहन	34.45					
			2305/1413		वारानी	661.00					
			2306/1417		गैर मु0 सैहन	20.00					
			1418			34.20					

					गैर मु0 मकान कच्चा दो मंजिला						
			1419		गैर मु0 सैहन	105.90					
			1420/1		वारानी	4522.85					
			1420/2		वारानी	23.40					
			किता-9			5760.20					
		395 मिन	1421	बिला सिफत	वारानी	73.00	राकेश आदि वर्णित:---x---गोपाल, शशी कुमार, अशोक कुमार पुत्र व्यासदेव पुत्र बुहलू समभाग स्थानीय वासी बिला सिफत x				
			1422		गैर मु0 रसोईघर	8.58					
			1423		गैर मु0 मकान कच्चा दो मंजिला	48.60					
			1424		गैर मु0 सैहन	136.90					
			किता-4			267.08					
		396	1432/1	बिला सिफत	वारानी	688.00	राकेश आदि वर्णित:---x---कुल 6 भाग:- रामजी दास, रोशन लाल, रामपाल, श्यामलाल पुत्र व श्रीमति कमला देवी पुत्री गुरदितू पुत्र कपूरू समभाग 5 भाग मनोज कुमार, विनोद कुमार पुत्र व श्रीमती मोनिका पुत्री सुखराम पुत्र गुरदितू समभाग 1 भाग स्थानीय वासी बिला सिफत x				
		397 मिन	1427/1	बिला सिफत	गैर मु0 मवेशीखाना	10.80	राकेश आदि वर्णित:---x---कुल 6 भाग:- रामजी दास, रोशन लाल, रामपाल, श्यामलाल पुत्र व श्रीमति कमला देवी पुत्री गुरदितू पुत्र कपूरू समभाग 5 भाग मनोज कुमार, विनोद कुमार पुत्र व श्रीमती मोनिका पुत्री सुखराम पुत्र गुरदितू समभाग 1 भाग स्थानीय वासी बिला सिफत कब्जा स्वयं रामजी दास पुत्र गुरदितू पुत्र कपूरू स्थानीय वासी बिला सिफत				
	जोड़ खेवट:-		किता-15			6726.08					
8			1483/1/1	निजी	वारानी	5.50					

	256 मिन अब्बल	489 मिन	1483/1/2		वारानी	59.50	प्रीतलाल पुत्र कृष्ण दयाल पुत्र परसराम स्थानीय वासी				
			किता-2			65.00					
9	256 मिन दोम	489 मिन	1483/3/1	मुशतर्का	वारानी	749.53	कुल 512875 भाग:- विकाश कुमार पुत्र व श्रीमति प्रेमलता विधवा रामजी दास पुत्र गुरदितू समभाग 101146 भाग मनोज कुमार, विनोद कुमार पुत्र व श्रीमती मोनिका पुत्री सुखराम पुत्र गुरदितू समभाग 7145 भाग रोशन लाल, रामपाल, श्यामलाल पुत्र व श्रीमति कमला पुत्री गुरदितू पुत्र कपूरा समभाग 404584 भाग स्थानीय वासी				
10	256 मिन सोम	489 मिन	1473/1	मुशतर्का	वारानी	710.62	कुल 6 भाग :- विकाश कुमार पुत्र व श्रीमति प्रेमलता विधवा रामजी दास पुत्र गुरदितू समभाग 1 भाग मनोज कुमार, विनोद कुमार पुत्र व श्रीमती मोनिका पुत्री सुखराम पुत्र गुरदितू समभाग 1 रोशन लाल, रामपाल, श्यामलाल पुत्र व श्रीमति कमला पुत्री गुरदितू पुत्र कपूरा समभाग 4 भाग स्थानीय वासी				
			1474/1		वारानी	362.35					
			1479/1		वारानी	3.40					
			1481/1		गैर मु0 सैहन	81.31					
			1482		गैर मु0 मकान कच्चा दो मजिला	44.00					
			किता-5			1201.68					
11	257	491	1477/1	मुशतर्का	वारानी	1028.00	कुल 131424 भाग:- विकाश कुमार पुत्र व श्रीमति प्रेमलता विधवा रामजी दास पुत्र गुरदितू समभाग 21904 भाग रोशन लाल, 10249 भाग रामपाल, श्यामलाल पुत्र व श्रीमति कमला समभाग 65712 भाग पुत्री गुरदितू पुत्र कपूरा, मनोज कुमार, विनोद कुमार पुत्र व श्रीमती मोनिका पुत्री सुखराम पुत्र गुरदितू समभाग 21904 भाग रामकिशन पुत्र बलकारी पुत्र लटूरिया 11655 भाग स्थानीय वासी				
12	258 मिन	492 मिन	1469/1	मुशतर्का	वारानी	1930.49	कुल 4 भाग:- श्रीमति कमला देवी पुत्री श्रीमति शंकरी पुत्री छांगू 2 भाग श्रीमति रमादेवी पुत्र				
			1470		वारानी	78.00					

							हरी राम पुत्र छांगू 1 भाग कृष्ण चन्द पुत्र भण्डारू पुत्र गुसाऊ 1 भाग स्थानीय वासी				
			किता-2			2008.49					
	कुल जोड़:-		किता-49			22104.31	(रकवा 29-7 बिघा)				
25. डियारा ह0नं0 207											
1	1	1	36	निजी	खडैतर	825.33	मन्दिर व्यास गुफा बाहे तमाम श्री मति बन्ती गिरी चेली वावा लालगिर चेला आनन्द गिर स्थानीय वासी	उप महाल रौड़ा	उप महाल बिलासपुर	उप महाल चंगर	बी0बी0एम0बी0
			37		बंजर कदीम	2270.36					
			39		बारानी	1152.82					
			40		गै0मु0 मन्दिर समाधी	1.50					
			41		गै0मु0 सैहन	53.75					
			42		गै0मु0खण्डर	43.70					
			43		खडैतर	562.00					
			45		गै0मु0 सैहन	38.16					
			46		गै0मु0 मन्दिर	15.12					
			47		गै0मु0 गुफा मन्दिर	16.25					
			48		खडैतर	1967.48					
			किता-11			6946.47					
		2	38		गैर मु0 रास्ता	76.96	मन्दिर व्यास गुफा वर्णित:-शारे आम				
			44		गैर मु0 रास्ता	170.99					
			किता-2			247.95					
	जोड़ खेवट:-		किता-13			7194.42					
2	2	3	668	निजी	बंजर कदीम	1113.22	मन्दिर शिवाजी वाहेतमाम स्वामी जीवा नन्दपुरी स्थानीय वासी				

			669		गै0मु0 मन्दिर	10.56					
			670		गै0मु0 सैहन	15.44					
			671		बारानी	97.32					
			672		बंजर कदीम	1675.83					
			किता-5			2912.37					
3	6 मिन	8 मिन	24/1	पट्टादार	जाये सफेद	756.39	सरकार हिमाचल प्रदेश				
			27/1	पट्टा दोगमी	बा0वा0 फलदार	2.40	-----X-----				
			35/1		खडैतर	240.20	कंवर गोपाल चन्द पुत्र राजा आनन्द चन्द पुत्र				
							राजा विजय चन्द स्थानीय वासी पट्टादार पट्टा				
							दोगमी				
			किता-3			998.99					
		9 मिन	49/1	पट्टादार	बा0वा0 फलदार	207.88	सरकार हिमाचल प्रदेश				
			63/1	पट्टा दोगमी	गै0मु0 सैहन	25.08	-----X-----				
			64/1		वारानी	31.72	शुभेन्द्र चन्द पुत्र व श्रीमति सुभानी राजलक्ष्मी				
			1760/65/1		बा0वा0 फलदार	152.00	पुत्री व श्रीमति करुणा विधवा कंवर किर्ति चन्द				
							पुत्र राजा आनन्द चन्द समभाग स्थानीय वासी				
							पट्टादार पट्टा दोगमी				
			किता-4			416.68					
	जोड़ खेवट:-		किता-7			1415.67					
	कुल जोड़:-		किता-25			11522.46	(रकवा 15-6 बिघा)				
26. खैरियां लुहणू ह0नं0 202/1, 203/1											
1	1 मिन अब्बल	1 मिन	53/4/1	मुशतर्का	खडैतर	42.53	कुल 3 भाग:-उदय सिंह पुत्र लक्ष्मी सिंह पुत्र सुजान सिंह 1 भाग कशमीर सिंह, लक्ष्मी सिंह	महाल बैहल कटैया	महाल रौडा	उप महाल विहाल-रामदा	अली खड्ड

							पुत्र सुजान सिंह पुत्र इन्द्र सिंह समभाग 2 भाग स्थानीय वासी				
2	1 मिन दोम	1 मिन	50/1	मुशतर्का	खडैतर	257.39	कुल 48 भाग:-कश्मीर सिंह, लक्ष्मी सिंह पुत्र सुजान सिंह पुत्र इन्द्र सिंह समभाग 8 भाग उदय सिंह पुत्र लक्ष्मी सिंह पुत्र सुजान सिंह 4 भाग प्रवीण सिंह 6 भाग पुत्र व श्रीमती सोमां 3 भाग विधवा सुरत सिंह पुत्र इन्द्र सिंह, शमशेर सिंह, सुरजीत सिंह समभाग 24 भाग पुत्र व श्रामती शंकरी देवी 3 भाग विधवा इन्द्र सिंह पुत्र हीरा सिंह स्थानीय वासी				
			50/2		खडैतर	73.11					
			52/1		खडैतर	111.25					
			53/5/1		खडैतर	137.19					
			54/1		कोहली अब्बल	861.59					
			54/2		कोहली अब्बल	13.30					
			55/1		कोहली अब्बल	1006.13					
			67/1		कोहली अब्बल	1047.51					
			किता-8			3507.47					
		4	51		गैर मु0 रास्ता	27.90	कश्मीर सिंह आदि वर्णित:- नगरपालिका शारे आम				
	जोड़ खेवट:-		किता-9			3535.37					
3	2 मिन	5 मिन	36/1	मुशतर्का / गैर मौरुसी	गैर मु0 सैहन	12.30	कुल 96 भाग:-कश्मीर सिंह, लक्ष्मी सिंह पुत्र सुजान सिंह पुत्र इन्द्र सिंह समभाग 8 भाग उदय सिंह पुत्र लक्ष्मी सिंह पुत्र सुजान सिंह 4 भाग प्रवीण सिंह 6 भाग पुत्र व श्रीमती सोमां 3 भाग विधवा सुरत सिंह पुत्र इन्द्र सिंह, शमशेर सिंह, सुरजीत सिंह समभाग 24 भाग पुत्र व श्रामती शंकरी देवी 3 भाग विधवा इन्द्र सिंह पुत्र हीरा सिंह स्थानीय वासी देविन्द्र कुमार पुत्र तुलसी राम पुत्र शिव राम 48 भाग निवासी उप महाल डियारा-----X-----श्रीमती कातो देवी विधवा तेजा पुत्र खडकू स्थानीय वासी गैर मौरुसी मारफत सुजान सिंह, ,शमशेर सिंह, सुरजीत सिंह प्रवीण सिंह श्रीमती सोमां श्रीमती शंकरी देवी भाग वरावर हिस्सादारान				
4	4 मिन	9 मिन	63/1	निजी	कोहली अब्बल	2078.07	लेख राम पुत्र गुलाव सिंह पुत्र सुन्दर सिंह स्थानीय वासी				

			66		कोहली अब्बल	1265.70					
			किता-2			3343.77					
5	5 मिन	11 मिन	61/1	निजी	कोहली अब्बल	1499.77	श्याम सिंह पुत्र लेख राम पुत्र गुलाव सिंह स्थानीय वासी				
			62		कोहली अब्बल	40.77					
			किता-2			1540.54					
6	6 मिन	13 मिन	60/1	निजी	कोहली अब्बल	1645.30	बलवीर सिंह पुत्र दुनी सिंह पुत्र गुलाव सिंह स्थानीय वासी				
			488/68/1		कोहली अब्बल	508.90					
			किता-2			2154.20					
7	8 मिन	19	64	गैर मौरुसी	कोहली अब्बल	431.54	कुल 96 भाग:- कशमीर सिंह, लक्ष्मी सिंह पुत्र सुजान सिंह पुत्र इन्द्र सिंह समभाग 8 भाग उदय सिंह पुत्र लक्ष्मी सिंह पुत्र सुजान सिंह 4 भाग प्रवीण सिंह 6 भाग पुत्र व श्रीमती सोमां 3 भाग विधवा सुरत सिंह पुत्र इन्द्र सिंह, शमशेर सिंह, सुरजीत सिंह समभाग 24 भाग पुत्र व श्रीमती शंकरी देवी 3 भाग विधवा इन्द्र सिंह पुत्र हीरा सिंह, लेख राम पुत्र गुलाव सिंह पुत्र सुन्दर सिंह 16 भाग श्याम सिंह पुत्र लेख राम पुत्र गुलाव सिंह 16 भाग बलवीर सिंह पुत्र दुनी सिंह पुत्र गुलाव सिंह 16 भाग स्थानीय वासी—X— कुल 2 भाग:- श्रीमती कांशी विधवा शंकरु पुत्र गोसौऊ 1 भाग श्रीमती गीता पुत्री नरैणू पुत्र गोसौऊ 1 भाग स्थानीय वासी गैर मौरुसीयान				
8	14 मिन	33 मिन	56/1	निजी	कोहली अब्बल	12.69	सुभाष चन्द पुत्र चैन सिंह पुत्र मुनसी राम निवासी बढेड़ा तह0 नादोन				
			479/59/4/1		कोहली अब्बल	7.53					

			किता-2			20.22					
9	20	42	69	मुशतर्का	कोहली अब्बल	1011.93	कुल 3 भाग:- श्रीमती राम कला विधवा रतन लाल पुत्र आत्मा राम 1 भाग नरोतम पुत्र आतमा राम पुत्र धनैइया 2 भाग स्थानीय वासी				
			69/1		कोहली अब्बल	605.50					
			किता-2			1617.43					
10	25	68	65	मुशतर्का	कोहली अब्बल	167.64	कुल 2 भाग :- श्रीमती गीता देवी पुत्री नरैणू पुत्र गोसोऊ 1 भाग सुरेश चन्द्र, महेश चन्द्र, सतीश चन्द्र, हरीश चन्द्र, नागेश चन्द्र पुत्र बालमुकन्द पुत्र तुलसी राम समभाग 1 भाग स्थानीय वासी				
11	42	90	17	मुशतर्का	कोहली अब्बल	38.07	कुल 72 भाग:- कमालदीन 7 भाग व बसीर दीन 5 भाग पुत्र नत्थू पुत्र इन्दू, मुस्ताक मुहम्मद, सलीम मुहम्मद, संजीव पुत्र अल्लादीन पुत्र नत्थू समभाग 3 भाग सदीक मुहम्मद, रोशनदीन पुत्र सरफदीन पुत्र नत्थू भाग बरावर 3 भाग जैण्डू, माडू पुत्र गुलाबा पुत्र इन्दू भाग बरावर 18 भाग नूरदीन, मामदीन पुत्र चुहडू पुत्र इन्दू भाग बरावर 12 भाग युसुफ खान पुत्र व श्रीमती रजीना, सवीना पुत्रियां व श्रीमती पम्मी विधवा भूरदीन पुत्र चुहडू भाग बरावर 6 भाग शेरदीन पुत्र व श्रीमती हसमत बीबी विधवा नूरा पुत्र इन्दू भाग बरावर 18 भाग स्थानीय वासी ——X——काश्त व कब्जा स्वयं कुल 18 भाग:- कमालदीन 7 भाग बसीर दीन 5 भाग मुस्ताक मुहम्मद, सलीम मुहम्मद, संजीव समभाग 3 भाग सदीक मुहम्मद, रोशनदीन समभाग 3 भाग हिस्सादारान				
			18		गैर मु0 सैहन	57.28					
			19		गैर मु0 मकान	21.60					
			किता-3			116.95					
		91	22		गैर मु0 रसोईघर	13.44					
			23		कोहली अब्बल	111.90	कुल 3 भाग:- नूरदीन, मामदीन भाग बरावर 2 भाग युसुफ खान श्रीमती रजीना, सवीना श्रीमती पम्मी भाग बरावर 1 भाग हिस्सादारान				
			24		गैर मु0 सैहन	100.45					

			25		गैर मु0 मकान कच्चा दो मंजिला	34.32					
			26		गैर मु0 रसोईघर	6.30					
			28		कोहली अब्बल	19.25					
			किता-6			285.66					
		92	20		कोहली अब्बल	46.68	कमालदीन आदि वर्णित:- काश्त व कब्जा स्वयं, शेरदीन श्रीमती हसमत बीबी भाग बरावर हिस्सादारान				
			21		गैर मु0 सैहन	121.65					
			27		गैर मु0 मकान कच्चा एक मंजिला	48.16					
			29		कोहली अब्बल	28.00					
			किता-4			244.49					
		93	30		कोहली अब्बल	74.65	कमालदीन आदि वर्णित:- काश्त व कब्जा स्वयं, जैण्डू, माडू भाग बरावर हिस्सादारान				
			31		गैर मु0 मकान कच्चा एक मंजिला	53.00					
			32		गैर मु0 सैहन	223.83					
			33		कोहली अब्बल	171.60					
			किता-4			523.08					
	जोड़ खेवट:-		किता-17			1170.18					
12	43 मिन अब्बल	94	3	मुशतर्का/ गैर मौरूसी	गैर मु0 मकान	57.60	कुल 3456 भाग:-कशमीर सिंह, लक्ष्मी सिंह पुत्र सुजान सिंह पुत्र इन्द्र सिंह समभाग 168 भाग उदय सिंह पुत्र लक्ष्मी सिंह पुत्र सुजान सिंह 84 भाग प्रवीण सिंह 126 भाग पुत्र व श्रीमती सोमां 63 भाग विधवा सुरत सिंह पुत्र इन्द्र सिंह, शमशेर सिंह, सुरजीत सिंह समभाग 504 भाग पुत्र व श्रामती शंकरी देवी 63 भाग विधवा इन्द्र सिंह पुत्र हीरा सिंह, कमालदीन 238 भाग व बसीर दीन 170 भाग पुत्र नथू पुत्र इन्द्र ,				
					कच्चा एक मंजिला						
			4		गैर मु0रसोईघर	15.54					
			5		गैर मु0 स्नानगृह	1.96					
			6		गैर मु0 मवेशीखाना	4.84					

			7		गैर मु0 सैहन	117.63	मुस्ताक मुहम्मद सलीम मुहम्मद, संजीव पुत्र अल्लादीन पुत्र नत्थू समभाग 102 भाग सदीक मुहम्मद, रोशनदीन पुत्र सरफदीन पुत्र नत्थू भाग बरावर 102 भाग जैण्डू, माडू पुत्र गुलाबा पुत्र इन्दू भाग बरावर 612 भाग नूरदीन, मामदीन पुत्र चुहडू पुत्र इन्दू भाग बरावर 408 भाग युसुफ खान पुत्र व श्रीमती रजीना, सवीना पुत्रियां व श्रीमती पम्मी विधवा भूरदीन पुत्र चुहडू भाग बरावर 204 भाग शेरदीन पुत्र व श्रीमती हसमत बीबी विधवा नूरा पुत्र इन्दू भाग बरावर 612 भाग स्थानीय वासी ----X---- कमालदीन 238 भाग बसीरदीन 170 भाग मुस्ताक मुहम्मद सलीम मुहम्मद संजीव समभाग 102 भाग सदीक मुहम्मद, रोशनदीन भाग बरावर 102 भाग जैण्डू, माडू भाग बरावर 612 भाग नूरदीन, मामदीन भाग बरावर 408 भाग युसुफ खान, श्रीमती रजीना, सवीना, श्रीमती पम्मी भाग बरावर 204 भाग शेरदीन, श्रीमती हसमत बीबी भाग बरावर 612 भाग हिस्सादारान बजातेही 2448 भाग वनीज गैर मौरूसी 1008 भाग मिन जानिव दीगर हिस्सादारान काश्त व कब्जा स्वयं कमालदीन, बसीरदीन हिस्सादारान गैर मौरूसीयान				
			8/1		कोहली अब्बल	717.59					
			13		कोहली अब्बल	396.30					
			15		कोहली अब्बल	41.08					
			किता-8			1352.54					
		95	1/1		बंजर कदीम	51.62	कश्मीर सिंह आदि वर्णित:-कमालदीन 238 भाग बसीरदीन 170 भाग मुस्ताक मुहम्मद सलीम मुहम्मद संजीव समभाग 102 भाग सदीक मुहम्मद, रोशनदीन भाग बरावर 102 भाग जैण्डू, माडू भाग बरावर 612 भाग नूरदीन, मामदीन भाग बरावर 408 भाग युसुफ खान, श्रीमती रजीना, सवीना, श्रीमती पम्मी भाग बरावर 204 भाग शेरदीन, श्रीमती हसमत बीबी भाग बरावर 612 भाग हिस्सादारान बजातेही 2448 भाग वनीज गैर मौरूसी 1008 भाग मिन जानिव दीगर हिस्सादारान काश्त व कब्जा स्वयं नूरदीन, मामदीन युसुफ खान, श्रीमती रजीना, सवीना, श्रीमती पम्मी हिस्सादारान गैर मौरूसीयान				
			10		कोहली अब्बल	452.48					
			किता-2			504.10					
			11		कोहली अब्बल	142.92	कश्मीर सिंह आदि वर्णित:-कमालदीन 238 भाग बसीरदीन 170 भाग मुस्ताक मुहम्मद सलीम मुहम्मद संजीव समभाग 102 भाग सदीक मुहम्मद, रोशनदीन भाग बरावर 102 भाग जैण्डू, माडू भाग बरावर 612 भाग नूरदीन, मामदीन				
		96 मिन									

							भाग बरावर 408 भाग युसुफ खान, श्रीमती रजीना, सवीना, श्रीमती पम्मी भाग बरावर 204 भाग शेरदीन, श्रीमती हसमत बीबी भाग बरावर 612 भाग हिस्सादारान बजातेही 2448 भाग वनीज गैर मौरुसी 1008 भाग मिन जानिव दीगर हिस्सादारान काश्त व कब्जा स्वयं शेरदीन, श्रीमती हसमत बीबी हिस्सादारान गैर मौरुसीयान				
		97	2/1		कोहली अब्बल	30.78	कश्मीर सिंह आदि वर्णित:-कमालदीन 238 भाग बसीरदीन 170 भाग मुस्ताक मुहम्मद सलीम मुहम्मद संजीव समभाग 102 भाग सदीक मुहम्मद, रोशनदीन भाग बरावर 102 भाग जैण्डू, माडू भाग बरावर 612 भाग नूरदीन, मामदीन भाग बरावर 408 भाग युसुफ खान, श्रीमती रजीना, सवीना, श्रीमती पम्मी भाग बरावर 204 भाग शेरदीन, श्रीमती हसमत बीबी भाग बरावर 612 भाग हिस्सादारान बजातेही 2448 भाग वनीज गैर मौरुसी 1008 भाग मिन जानिव दीगर हिस्सादारान काश्त व कब्जा स्वयं जैण्डू, माडू हिस्सादारान गैर मौरुसीयान				
			12		कोहली अब्बल	97.55					
			14		कोहली अब्बल	55.12					
			34		कोहली अब्बल	321.44					
			किता-4			504.89					
	जोड़ खेवट:-		किता-15			2504.45					
13	43 मिन दोम	96 मिन	9	मुशतर्का / गैर मौरुसी	कोहली अब्बल	769.43	कुल 265915008 भाग:-कश्मीर सिंह, लक्ष्मी सिंह पुत्र सुजान सिंह पुत्र इन्द्र सिंह समभाग 12926424 भाग उदय सिंह पुत्र लक्ष्मी सिंह पुत्र सुजान सिंह 6463212 भाग प्रवीण सिंह 9694818 भाग पुत्र व श्रीमती सोमां 4847409 भाग विधवा सुरत सिंह पुत्र इन्द्र सिंह, शमशेर सिंह, सुरजीत सिंह समभाग 38779272 भाग पुत्र व श्रीमती शंकरी देवी 4847409 भाग विधवा इन्द्र सिंह पुत्र हीरा सिंह, कमालदीन 18312434 भाग व बसीर दीन 13080310 भाग पुत्र नत्थू पुत्र इन्द्र, मुस्ताक मुहम्मद, सलीम मुहम्मद, संजीव पुत्र अल्लादीन पुत्र नत्थू समभाग 7848186 भाग सदीक मुहम्मद, रोशनदीन पुत्र सरफदीन पुत्र नत्थू भाग बरावर 7848186 भाग जैण्डू, माडू पुत्र गुलाबा पुत्र इन्द्र भाग बरावर 47089116 भाग नूरदीन, मामदीन पुत्र चुहड़ू पुत्र इन्द्र भाग बरावर 31392744 भाग युसुफ खान पुत्र व श्रीमती रजीना, सवीना पुत्रियां व श्रीमती				

							पम्मी विधवा भूरदीन पुत्र चुहड़ू भाग बरावर 15696372 भाग शेरदीन पुत्र व श्रीमती हसमत बीबी विधवा नूरा पुत्र इन्दू भाग बरावर 21169116 भाग स्थानीय वासी ताजू दीन पुत्र मुहम्मद दीन पुत्र अलिया 25920000 भाग निवासी पालटी -----X----- कमालदीन 18312434 भाग बसीरदीन 13080310 भाग मुस्ताक मुहम्मद, सलीम मुहम्मद, संजीव समभाग 7848186 भाग सदीक मुहम्मद, रोशनदीन भाग बरावर 7848186 भाग जैण्डू, माडू भाग बरावर 47089116 भाग नूरदीन, मामदीन भाग बरावर 31392744 भाग युसुफ खान, श्रीमती रजीना, सवीना, श्रीमती पम्मी भाग बरावर 15696372 भाग शेरदीन, श्रीमती हसमत बीबी भाग बरावर 21169116 भाग ताजू दीन 25920000 भाग हिस्सादारान बजातेही 188356464 भाग वनीज गैर मौरुसी 77558544 भाग मिन जानिव दीगर हिस्सादारान काश्त स्वयं शेरदीन श्रीमती हसमत बीबी, ताजू दीन, हिस्सादारान गैर मौरुसीयान				
14	54 मिन	115 मिन	487/68	मुशतर्का	कोहली अब्बल	279.80	कुल 12 भाग:-सदा राम, कृष्ण लाल, रतन लाल पुत्र व श्रीमती महन्ती देवी विधवा सन्त राम पुत्र जहला समभाग 10 भाग रोहित 1 भाग पुत्र व श्रीमती शिवानी पुत्री व श्रीमती जमना भाग बरावर 1 भाग विधवा जगदीश कुमार पुत्र सन्त राम स्थानीय वासी				
			70		कोहली अब्बल	28.02					
			71		गैर मु0 रसोईघर	15.54					
			72		गैर मु0 मकान कच्चा एक मंजिला	23.31					
			73		गैर मु0 सैहन	73.32					
			74/1		कोहली अब्बल	376.35					
			किता-6			796.34					
15	55 मिन	116 मिन	41/1	निजी	कोहली अब्बल	28.88	रामजी पुत्र पंजू पुत्र जिन्दू स्थानीय वासी				
			42/1		गैर मु0 मकान पक्का एक मंजिला	5.46					
			43/1		गैर मु0 सैहन	69.28					

			44		गैर मु0 मकान कच्चा दो मंजिला	26.79				
			45/1		कोहली अब्बल	111.52				
			47/1		गैर मु0 नाला	34.08				
			47/2		गैर मु0 नाला	56.46				
			49/1		खडैतर	190.07				
			किता-8			522.54				
	कुल जोड़:-		किता-70			18628.48	(रकवा 24-15 बिघा)			
जोड तहसील सदर			किता-436			361-6	बिघा			

4. सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक रूपरेखा

हिमाचल प्रदेश पंजाब और शिमला हिल राज्य के 30 जिलों के विलय के परिणामस्वरूप, 15 अप्रैल, 1948 को भारतीय गणराज्य के 'सी' राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, जो पूर्व-आधुनिक समय के अनुसार काफी रूढ़िवादी रूप से व्यवस्थित थे। उस समय राज्य में 4 जिले थे। चंबा, महासू, मंडी, सिरमौर और इसका क्षेत्रफल 2,716,850 हेक्टेयर था। 12 अक्टूबर, 1948 को राज्य को केंद्रीय प्रशासन के अधीन ले लिया गया था। संसद के एक अधिनियम द्वारा 31वें राज्य बिलासपुर को, जो उस समय तक मुख्य आयुक्त के नियंत्रण में एक अलग इकाई था, 1 जुलाई, 1954 को हिमाचल प्रदेश के साथ एकीकृत किया गया था जिससे की 106,848 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ एक और जिला हिमाचल प्रदेश में जुड़ गया।

प्रारंभ में, इसमें दो तहसीलें, घुमारवीं और बिलासपुर सदर शामिल थीं। जनवरी, 1980 में राज्य सरकार ने बिलासपुर सदर तहसील से बाहर स्वारघाट में मुख्यालय के साथ नैना देवी नामक एक अलग उप-तहसील बनाई। 1984 में एक नई उप-तहसील, झंडुता नामक तहसील घुमारवीं के कुछ क्षेत्रों को तराश कर बनाई गई थी। झंडुता उप-तहसील को जनवरी, 1998 में पूर्ण तहसील का दर्जा दिया गया था। प्रशासनिक रूप से, जिले में 7 तहसीलें या उप-तहसील हैं, जिनमें से हमारे परियोजना प्रभावित गाँव, दो तहसीलों में हैं।

बिलासपुर 1891 और 1901 की जनगणनाओं में एक शहर था, लेकिन उसके बाद 1911 में इसे अवर्गीकृत कर दिया गया था। 1931 की जनगणना में, इसे फिर से शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया था और तब से यह जारी है। 1953 में पहली बार धार्मिक महत्व के स्थान नैना देवी को शहर घोषित किया गया था। 1960 तक इस स्थान के मामलों की देखभाल के लिए एक छोटी नगर समिति की स्थापना की गई थी। वर्ष 1961 में इसे नगरपालिका समिति के रूप में अधिसूचित किया गया था। 1981 की जनगणना के बाद एक और स्थान शाह तलाई को अधिसूचित क्षेत्र समिति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

4.1 क्षेत्र की भौगोलिक रूपरेखा

बिलासपुर शहर में मुख्यालय वाला जिला बंदला पहाड़ियों की तलहटी में और सतलुज नदी पर गोबिंद सागर के जलाशय के पास समुद्र तल से 673 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। न्यू टाउनशिप बिलासपुर को देश का पहला नियोजित पहाड़ी शहर माना जाना चाहिए। लोगों की बोली जाने वाली बोली कहलूरी है जो पंजाबी की ऑफ शूट पर है। ग्रियर्सन इसे पंजाब के होशियारपुर जिले में बोली जाने वाली "रूड (Rude) पंजाबी" के समान कहते हैं। कहलूरी बोली जाने वाली मुख्य भाषा है; हिंदी और अंग्रेजी भी व्यापक रूप से समझी जाती है।

जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 1167 वर्ग किलोमीटर है। किमी जो राज्य के 2.1% क्षेत्र को कवर करता है। जिला उत्तरी अक्षांश 31°12'30" और 31°35'45" और पूर्वी देशांतर 76°23'30" और 76°55'40" के बीच स्थित है। यह मुख्य रूप से निचली सतलुज घाटी में बाहरी पहाड़ियों में स्थित है। यह उत्तर में मंडी और हमीरपुर जिलों से, पश्चिम में ऊना और हमीरपुर जिलों से, दक्षिण में सोलन जिले के नालागढ़ और अर्की तहसील से और दक्षिण-पश्चिम की ओर पंजाब के रूपनगर जिले से घिरा है, जिससे यह एक आयताकार विन्यास देता है। जिले में ऊंचाई 1944 मीटर से लेकर उच्चतम बिंदु पर धार बहादुरपुर बिंदु की चोटी पर लगभग 305 मीटर सबसे कम है।

बिलासपुर 560 मीटर से 1879 मीटर AMSL की ऊंचाई पर स्थित है। इसका कारण कई निचली पहाड़ियों की श्रृंखला है जिन्हें धार के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में विभिन्न दिशाओं में कटी हुई सात निचली पहाड़ी श्रृंखलाएँ और गहरी घाटियाँ हैं। इन

पर्वतमालाओं को स्थानीय रूप से धार कहा जाता है और बहादुरपुर जिले में सबसे ऊंचा है। अन्य धार जिन्हें नैना देवी, कोट, तुनी, बंदला, झिजियारंद रतनपुर के नाम से जाना जाता है। प्राचार्य धर हैं नैना देवी; कोटकाहलुर जो कि सीमा के उत्तर-पश्चिमी छोर पर स्थित है, राज्य की प्राचीन राजधानी थी।

4.1.1. परियोजना क्षेत्र में नदी प्रणाली


बिलासपुर जिला राज्य के दक्षिण-पश्चिमी भाग में बाहरी पहाड़ियों में सतलुज घाटी में स्थित है। सतलुज मुख्य नदी है जो जिले के मध्य से होकर गुजरती है और इसे लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है। यह उत्तर पूर्व में 'कसोल' नामक स्थान के पास जिले में प्रवेश करती है और 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, इसे नैला के पास छोड़ देती है और दक्षिण-पश्चिम में पंजाब के क्षेत्र में प्रवेश करती है। सतलुज नदी दोनों ओर से कई सहायक नदियों से मिलती है। मुख्य तीन सहायक नदियाँ अली खड्ड, गमरोला खड्ड और सीर खड्ड हैं। पहले दो उद्गम जिला शिमला से और अंतिम जिला मंडी से। अन्य दो छोटे खड्ड सुकर और सरयाली जिला हमीरपुर जिले में उगते हैं और शीर खड्ड में शामिल होते हैं। मणि खड्ड और गंभीर खड्ड भी सतलुज नदी की सहायक नदियाँ हैं जो मुख्य रूप से मंडी और सोलन जिलों से निकलती हैं।

4.2 जिला बिलासपुर की जनसांख्यिकी रूपरेखा

जिले में कुल 1,088 गाँव हैं जो की 3,81,956 तहसीलों में फैले हुए हैं। जिले की कुल जनसंख्या 7 है जिसमें से 1,92,764 पुरुष और 1,89,192 महिलाएं हैं। परियोजना क्षेत्र में लिंग वितरण या लिंग अनुपात काफी अच्छा है जो एक स्थिर जनसांख्यिकीय परिदृश्य को दर्शाता है।

लोगों की बोली जाने वाली बोली कहलूरी है जो पंजाबी की तर्ज पर है। ग्रियर्सन इसे पंजाब के होशियारपुर जिले में बोली जाने वाली के समान कहते हैं। कहलूरी बोली जाने वाली मुख्य भाषा है "रूड पंजाबी"; हिंदी और अंग्रेजी भी व्यापक रूप से समझी जाती है। इस क्षेत्र के प्रारंभिक निवासी राजपूत, ब्राह्मण और कानेट थे। अन्य वर्गों के लोगों में ज्यादातर राठी, गुर्जर, जाट, चमार, कोली, बडी, लोहार, जुला और डूमना आदि हैं। राजपूत चंदेल वंश से अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं। राजपूतों को आमतौर पर कहलुरिया, मियां और चंदेल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कहलुरिया मियां वे हैं जो राजाओं के वंशज हैं और उन्होंने अजमेर चंदिया और कल्याण चंदिया का एक ही नाम अपनाया है। चंदेल अन्य राजपूत हैं, जिनका शासक परिवार से संबंध इतिहास में दर्ज है। ब्राह्मणों की मुख्य शाखाएँ शुक्ल और कृष्ण हैं। परियोजना प्रभावित परिवारों की विशिष्ट जनसांख्यिकीय रूपरेखा इस अध्याय में आगे दी गयी है।

4.3 परियोजना प्रभावित परिवारों की सामाजिक आर्थिक रूपरेखा-(PAFS)




चित्र 4.1 पीएफ का प्रतिशत (तहसीलवार)

कुल परियोजना प्रभावित परिवार हैं 247 जो प्लॉट संख्या में 647¹ ले हुए हैं। जिनमें से परियोजना 107 प्रभावित परिवार श्री नैना देवी तहसील के गांव 16 गांवों में हैं और शेष 10 सदर तहसील में हैं जैसा कि चित्र 4.1 में दर्शाया गया है। व्यक्तिगत सर्वेक्षण

और सार्वजनिक परामर्श के लिए सभी पीएफ से उनके गाँव जाकर और साथ ही टेलीफोन से संपर्क (यानी साइट पर जाकर) किया गया था। गांव जब्बल, समलेटू और माझेर पंचायत में कुछ पीएफ और बामटा के गांव बध्यात, बहल कंडेला, बामटा और खैरियां लुहनू में अधिकांश पीएफ ने सर्वेक्षण में भाग लेने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी मांगों और आपत्ति लिखित में दी। इसलिए दर्ज की गई प्रतिक्रियाएं आर्थिक रूपरेखा और अनुमान प्राप्त प्रतिक्रियाओं-हैं। विस्तृत सामाजिक 197 के आधार पर किया गया है।

4.3.1 सामाजिक रूपरेखा

यह खंड पीएफ की सामाजिक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। परियोजना प्रभावित परिवारों के सामाजिक प्रोफाइल की प्रतिनिधि तस्वीर प्राप्त करने के लिए विभिन्न मापदंडों को लिया गया है। निचे दिए गए चित्र में सामाजिक और धार्मिक प्रोफाइल, परिवार के प्रकार और आकार और परिवार में उच्चतम शिक्षा का सचित्र प्रतिनिधित्व है।




चित्र 4.2: सदर में पीएफ का ग्रामवार वितरण

चित्र 4.3: एसएनडी तहसील में पीएफ का ग्रामवार वितरण-

i) **पीएफ का ग्रामवार वितरण-** सर्वेक्षण किए गए पीएफ में से लगभग 72% सदर तहसील में हैं जो 16 गांवों में वितरित किए हैं और लगभग 28% पीएफ श्री नैना देवी जी तहसील के 10 गांवों के निवासी हैं। सदर तहसील और श्री नैना देवी जी तहसील में सर्वेक्षण किए गए पीएफ का ग्रामवार वितरण क्रमशः चित्र 4.2 और चित्र 4.3 में दर्शाया गया है।

ii) **उत्तरदाताओं की आयु:** उत्तरदाताओं में से अधिकांश, यानी लगभग 70%, 51 वर्ष या 51 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, इसके बाद कुल %20 उत्तरदाताओं की आयु सीमा 41- 50 वर्ष है। उत्तरदाताओं में से कोई भी 18 से कम नहीं है और बहुत कम हिस्से हैं, लगभग 1%, 18 - 30 वर्ष की आयु वर्ग के बीच हैं।




चित्र 4.4: उत्तरदाताओं की आयु

iii) उत्तरदाताओं का लिंग


लिंग के संदर्भ में एक प्रतिवादी के रूप में भागीदारी अनुपात पुरुष की ओर तिरछा है। उत्तरदाताओं की कुल संख्या में लगभग **82%** पुरुष हैं जबकि केवल **18%** महिलाएं थीं। उत्तरदाताओं में से किसी ने भी पुरुष या महिला के अलावा अपनी पहचान नहीं बनाई।

चित्र 4.5: उत्तरदाताओं का लिंग



iv) उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति

लगभग 85% विवाहित हैं और उनके बच्चे हैं, बहुत कम उत्तरदाता, लगभग 2%, विवाहित हैं लेकिन अभी तक उनके कोई बच्चे नहीं हैं। जबकि 3.21% अविवाहित हैं। लगभग 9% उत्तरदाता या तो तलाकशुदा हैं या विधवा हैं।




चित्र 4.6: उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति

v) सामाजिक समूह


उत्तरदाताओं में से अधिकांश सामान्य श्रेणी से आते हैं जो कुल का (जो आमतौर पर परिवार होते हैं) 70% है, इसके बाद एससी और ओबीसी जो की कुल पीएफ का लगभग 14% है। लगभग 1% परिवारों के घर में विकलांग व्यक्ति (PwD) के सदस्य भी हैं। इसे चित्र 4.8 में दर्शाया गया है और सामाजिक समूह का तहसीलवार वितरण चित्र 4.7 में दिया गया है।

सामाजिक समूह का तहसीलवार वितरण

लिंग के संदर्भ में एक प्रतिवादी के रूप में भागीदारी अनुपात पुरुष की ओर ज्यादा है। उत्तरदाताओं की कुल संख्या में लगभग 82% पुरुष हैं जबकि केवल 18% महिलाएं थीं। उत्तरदाताओं में से किसी ने भी पुरुष या महिला के अलावा अपनी पहचान नहीं बनाई।



चित्र 4.7: सामाजिक समूह का तहसीलवार वितरण





पीएफ का सामाजिक समूह

उत्तरदाताओं में से अधिकांश (जो आमतौर पर परिवार होते हैं) सामान्य श्रेणी से आते हैं जो कुल का 70% है, इसके बाद एससी और ओबीसी दोनों के साथ कुल पीएफ का लगभग 14% है। लगभग 1% परिवारों के घर में विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) सदस्य भी हैं। इसे चित्र 4.8 में दर्शाया गया है।

चित्र 4.8: पीएफ का सामाजिक समूह वितरण

vi) पीएफ की धार्मिक रूपरेखा

चित्र 4.9 और चित्र 4.10 पीएफ के धार्मिक वितरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रभावित परिवारों में 97% से अधिक हिंदू हैं और लगभग 3% मुस्लिम हैं। सदर तहसील में लगभग 96% हिंदू परिवार हैं और लगभग 4% मुस्लिम हैं जबकि श्री नैना देवी जी तहसील में कोई मुस्लिम पीएफ नहीं है।




पीएफ की धार्मिक रूपरेखा का तहसीलवार वितरण चित्र

4.9 पीएफ की धार्मिक रूपरेखा

vii) परिवार का प्रकार और आकार

परिवार के प्रकार और आकार को चित्र 4.10 में एक बार ग्राफ का उपयोग करके दर्शाया गया है। 37% से अधिक परिवार मध्यम आकार के हैं जिनमें 5 - 7 सदस्य हैं, इसके बाद एकल परिवार आते हैं जिनमें 2- 4 सदस्यों है और कुल परिवारों का 34% है। कुल 26% की हिस्सेदारी के साथ, संयुक्त परिवार का प्रकार अगला सबसे बड़ा वर्ग है। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले केवल 1 परिवार के साथ एक स्वनेतृत्व वाले घरेलू प्रकार की- उपस्थिति भी है।




चित्र 4.10: परिवार का प्रकार और पीएफ का आकार

viii) परिवार में प्राप्त उच्चतम शैक्षणिक योग्यता

चित्र 4.11 परिवार में किसी भी परिवार के सदस्य द्वारा प्राप्त उच्चतम शैक्षिक योग्यता का प्रतिनिधित्व करता है। परिवारों का एक अच्छा हिस्सा, लगभग 40% के पास कॉलेज स्तर की डिग्री के साथ कम से कम एक सदस्य है और उनमें से लगभग 15% स्नातकोत्तर हैं। 21% परिवारों की शिक्षा इंटरमीडिएट से कम है। जबकि कम से कम एक सदस्य वाले परिवारों के पास मध्यवर्ती स्तर की शिक्षा है, जो कुल प्रभावित परियोजना का लगभग 37% है।

चित्र 4.11: शैक्षणिक योग्यता




4.3.2 परियोजना प्रभावित परिवारों की आर्थिक (पीएफ) रूपरेखा


यह खंड समग्र रूप से परिवारों की प्रतिनिधि आर्थिक स्थिति से संबंधित है। पीएफ के आर्थिक प्रोफाइल को दर्शाने के लिए विभिन्न उपाय जैसे मासिक पारिवारिक आय, पारिवारिक व्यवसाय, परिवार में कमाने वाले सदस्यों की उपलब्धता, संपत्ति की उपलब्धता और गुणवत्ता, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच और सामाजिक आर्थिक भेद्यता को लिया गया है।-

i) मासिक पारिवारिक आय

पीएफ का सबसे बड़ा हिस्सा 5,000-10,000 मासिक आय वर्ग में आता है और कुल परिवारों का 30% हिस्सा है। लगभग 24% परिवारों की आय 5000 प्रति माह से कम है। 10,000-20,000 का हिस्सा; 20,000 -50,000 और 50,000 से अधिक मासिक आय समूह क्रमशः 20%, 20% और 5% हैं। इसे चित्र 4.12 में दिखाया गया है।

चित्र 4.12: पीएफ की मासिक पारिवारिक आय





ii) परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या


लगभग 69% परिवारों में एक अकेला कमाने वाला सदस्य है जिसमें 55% बार, उत्तरदाता स्वयं कमाने वाले सदस्य हैं। 22% परिवारों के परिवार में 2 कमाने वाले सदस्य हैं और लगभग 8% के परिवार में 3 या 3 से अधिक कमाने वाले सदस्य हैं।

चित्र 4.13: परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या

iii) मुख्य पारिवारिक व्यवसाय

चित्र 4.14 किसी भी व्यवसाय में शामिल परिवारों का प्रतिशत दर्शाता है। परियोजना प्रभावित क्षेत्र में कृषि सबसे अधिक रोजगार प्रदान करती है क्योंकि 70% परिवार इसे आय के मुख्य स्रोतों में से एक मानते हैं जो कि 54% (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, फरवरी 2020) से अधिक है। सरकारी नौकरियां दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता हैं, लेकिन कृषि की तुलना में लगभग 16% की हिस्सेदारी के साथ निजी नौकरियों और गैर कृषि श्रमिकों की तुलना में महत्वपूर्ण अंतर है।


चित्र 4.14: पीएफ का मुख्य पारिवारिक व्यवसाय



iv) पारिवारिक व्यवसाय के रूप में पशुधन

अधिकांश परिवार, लगभग 78%, पशुधन को भी अपने पारिवारिक व्यवसाय के रूप में रखते हैं और मुख्य रूप से मवेशियों के साथ कुछ बकरियां और भेड़ें हैं। आय के अन्य स्रोतों में दूध विक्रेता, पेंशन, सेवानिवृत्ति पेंशन और स्वरोजगार शामिल हैं। डेटा को चित्र 4.16 में दर्शाया गया है।


चित्र 4.15: पीएफ का मुख्य पारिवारिक व्यवसाय



v) पशुधन के प्रकार

चित्र 4.16 में पशुपालकों द्वारा आमतौर पर पाले जाने वाले पशुओं के प्रकार को दर्शाया गया है। मवेशी सबसे अधिक पाले जाने वाले पशुधन हैं, और लगभग 95% पशुपालकों द्वारा पाले जाते हैं। दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला जानवर बकरी है जिसे 14% द्वारा पाला जाता है, इसके बाद भेड़ें लगभग 8% पशुपालक होती हैं।


चित्र 4.16: पशुधन के प्रकार




vi) घर की संरचना के प्रकार

अधिकांश पीएफ, लगभग 54%, के पास पक्के आवासीय घर हैं, लगभग 12% के पास कच्चा घर है और बाकी लगभग 34% के पास मिश्रित घर हैं यानी घर का कुछ हिस्सा पक्का है और कुछ हिस्सा कच्चा है।

चित्र 4.17: घर की संरचना का प्रकार





vii) बैंक खाते की उपलब्धता


आर्थिक प्रोफाइल के आकलन में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच एक महत्वपूर्ण मानदंड है। बैंकों तक पहुंच इसके लिए एक संकेतक के रूप में कार्य करती है जिसे चित्र 4.18 में दर्शाया गया है। परियोजना प्रभावित क्षेत्र में 99% पीएफ के पास कम से कम एक बैंक खाता है जो कि वित्तीय बाजार तक पहुंच का संकेत देता है।

चित्र 4.18: बैंक खाते की उपलब्धता

vi) सामाजिक-आर्थिक भेद्यता

लगभग 9% परिवार बीपीएल श्रेणी में आते हैं और 10% के पास विधवा के घर हैं, 4% परिवार में विकलांग सदस्य हैं और 5% परिवार भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में हैं। 70% पीएफ ने किसी भी सामाजिक-आर्थिक भेद्यता को व्यक्त नहीं किया। इसका एक सचित्र निरूपण चित्र 20 में है।

चित्र 4.19: सामाजिक-आर्थिक भेद्यता



4.4 ग्राम/वार्ड प्रोफाइल (पंचायत/नगरपालिका वार)

सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) का उपयोग करते हुए ग्राम/वार्ड प्रोफाइलिंग पंचायत/शहरी नगर निगम-वार की गई है। पंचायतों और वार्डों के लिए संसाधन मानचित्रण भी किया गया है जो अनुबंध 3 में शामिल हैं। जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश की जिला सांख्यिकी पुस्तिका के माध्यम से जनसांख्यिकीय प्रोफाइल तैयार की गई है।

4.4.1 तहसील बिलासपुर सदर

शहरी नगर निगम	रूप महोल दियारा
प्रभावित वार्ड	वार्ड-8
ग्राम प्रधान	श्रीमती सोनिया प्रसाद

वार्ड	दिआरा सेक्टर8 वार्ड -				
बिलासपुर (एम् सी आई) का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	10.62				
कुल संख्या परिवारों की संख्या	273				
जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल जनसंख्या	624	52.04%	575	47.96%	1199
बच्चा (0-6)	55	53.40%	48	46.60%	103
अनुसूचित जाति	264	50.00%	264	50.00%	528
अनुसूचियां जनजाति	3	60.00%	2	40.00%	5
साक्षरता दर (%)	511	53.28%	448	46.72%	959
आर्थिक गतिविधियों में व्यस्तता	पुरुष		महिला		कुल

	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल कर्मचारी	326	78.93%	87	21.07%	413
किसान	-	-	-	-	-
खेतिहर मजदूर	2	66.67%	1	33.33%	3
घरेलू उद्योग के कर्मचारी	1	50.00%	1	50.00%	2
सीमांत कार्यकर्ता	19	63.33%	11	36.67%	30
अन्य कार्यकर्ता	293	78.55%	80	21.45%	373

1. सामाजिक-राजनीतिक संगठन

(ए) सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन - कुछ स्थानीय मंदिर समितियाँ हैं

(बी) प्रशासनिक संगठन - डाकघर दियारा सेक्टर के भीतर है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) का कार्यालय और साथ ही बिलासपुर सदर तहसील की नगर परिषद भी दियारा सेक्टर में स्थित है।

(सी) राजनीतिक संगठन - राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस और भाजपा आदि।

(डी) नागरिक समाज संगठन और सामाजिक आंदोलन - जिला वाल्मीकि संघ नाम का एक एनजीओ जिला स्तर तक सीमित है जो नशामुक्ति और पुनर्वास, और शिक्षा पर ध्यान देने के साथ दियारा क्षेत्र में संचालित होता है।

2. स्थानीय आर्थिक गतिविधियां

(ए) औपचारिक और अनौपचारिक, स्थानीय उद्योग - स्ट्रीट वेंडिंग, फल बेचना, दुकान कीपिंग, खुदरा विक्रेता स्थानीय लोगों के मुख्य व्यवसायों में से हैं।

(बी) क्रेडिट तक पहुंच - आस-पास कई बैंक और वित्तीय संस्थान हैं

(सी) मजदूरी दरें - निर्माण गतिविधियों के लिए विशिष्ट मजदूरी दरें बाजार मानक के अनुसार हैं। राजमिस्त्री को लगभग 750-1000 का दैनिक वेतन मिलता है और मजदूरों को 550-600 के ब्रैकेट में दैनिक मजदूरी मिलती है।

3. कारक जो स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं

(ए) प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच - सतलुज नदी घाटी और चरागाह क्षेत्र

(बी) सामान्य संपत्ति संसाधन- दियारा के भीतर एक रेन-बसेरा और एक चिल्ड्रन पार्क है

(सी) निजी संपत्ति - कुछ बागवानी क्षेत्र हैं।

(डी) सड़कें, परिवहन- सभी सड़कों का निर्माण अच्छी तरह से किया गया है और वे पक्की सड़कें हैं।

(ई) सिंचाई सुविधाएं - विद्युतीकृत नलकूप आदि।

(च) बाजारों तक पहुंच - बाजार एक किलोमीटर के भीतर स्थित है।

(छ) पर्यटन स्थल - व्यास गुफा बिलासपुर के कुछ प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है जो डी . में मौजूद है

(ज) सहकारी समितियां और अन्य आजीविका संबंधी संघ - एक स्वयं सहायता समूह मौजूद है

4. जीवित पर्यावरण की गुणवत्ता

(ए) **धारणाएं, सौंदर्य गुण, लगाव और आकांक्षाएं** - दियारा सेक्टर में स्थित एक व्यास गुफा है जिसे स्थानीय लोग ऐतिहासिक विरासत मानते हैं क्योंकि यह महाभारत के समय से है।

(बी) **बंदोबस्त पैटर्न** - शहर से फैली कुछ बस्तियों के साथ दियारा सेक्टर का बंदोबस्त पैटर्न प्रकृति में लगभग केंद्रीकृत है। सतलुज नदी क्षेत्र के सामाजिक-सांस्कृतिक पहलू में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि दियारा नदी के तट पर स्थित है।

(ग) **मकान** - सेक्टर के अधिकांश घर पक्के मकान हैं।

(डी) **सामुदायिक और नागरिक स्थान** - सामुदायिक केंद्र की उपलब्धता नागरिक उद्देश्यों के समुदाय स्तर की भागीदारी के उद्देश्य को पूरा करती है।

(ई) **धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ के स्थल** - व्यास गुफा क्षेत्र और कुछ मंदिर हैं

(च) **भौतिक आधारभूत संरचना** - अच्छी तरह से प्रबंधित जल आपूर्ति पाइपलाइन सेवा है

(छ) **सार्वजनिक सेवा अवसंरचना** - आंगनवाड़ी केंद्र, एक सार्वजनिक औषधालय, और दो सरकारी स्कूल (उनमें से एक प्राथमिक है और एक माध्यमिक विद्यालय है) यहाँ मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त, एक किलोमीटर के भीतर 3 निजी स्कूल और 2 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज है।

शहरी नगर निगम	उप मुहल बलोह और बिलासपुर
प्रभावित वार्ड	वार्ड -10 और वार्ड 11
ग्राम प्रधान	-----

वार्ड	उप मुहल बिलासपुर (वार्ड -10)				
बिलासपुर एमसीआई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	10.62				
कुल संख्या परिवारों की संख्या	243				
जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल जनसंख्या	519	51.49%	489	48.51%	1008
बच्चा (0-6)	42	58.33%	30	41.67%	72
अनुसूचित जाति	99	53.51%	86	46.49%	185

अनुसूचियां जनजाति	7	50.00%	7	50.00%	14
साक्षरता दर (%)	453	51.77%	422	48.23%	875
आर्थिक गतिविधियों में व्यस्तता	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल कर्मचारी	267	77.17%	79	22.83%	346
किसान	2	50.00%	2	50.00%	4
खेतिहर मजदूर	-	-	-	-	-
घरेलू उद्योग के कर्मचारी	30	90.91%	3	9.09%	33
सीमांत कार्यकर्ता	5	100.00%	0	0.00%	5
अन्य कार्यकर्ता	230	75.66%	74	24.34%	304

गाँव	उप मुहल बलोह (वार्ड -11)				
बिलासपुर एमसीआई का क्षेत्रफल (में हेक्टेयर)	10.62				
कुल संख्या परिवारों की संख्या	308				
जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल जनसंख्या	712	50.32%	703	49.68%	1415
बच्चा (0-6)	63	50.00%	63	50.00%	126
अनुसूचित जाति	151	49.35%	155	50.65%	306
अनुसूचियां जनजाति	4	50.00%	4	50.00%	8
साक्षरता दर (%)	613	52.66%	551	47.34%	1,164
आर्थिक गतिविधियों में व्यस्तता	पुरुष		महिला		कुल

	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल कर्मचारी	363	74.69%	123	25.31%	486
किसान	1	100.00%	0	0.00%	1
खेतिहर मजदूर	0	0.00%	1	100.00%	1
घरेलू उद्योग के कर्मचारी	3	100.00%	0	0.00%	3
सीमांत कार्यकर्ता	122	71.76%	48	28.24%	170
अन्य कार्यकर्ता	237	76.21%	74	23.79%	311

1. गांव में सामाजिक-राजनीतिक संगठन

(ए)। सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन – लागू नहीं

(बी)। प्रशासनिक संगठन- पंचायत भवन, पटवार खाना लखनपुर में स्थित हैं और बीडीओ (खंड विकास अधिकारी) बलोह पंचायत में स्थित हैं।

(सी)। राजनीतिक संगठन - लागू नहीं

(डी)। नागरिक समाज संगठन और सामाजिक आंदोलन- दोनों पंचायतों में वर्तमान में कोई भी नागरिक समाज संगठन काम नहीं कर रहा है।

2. स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ

(ए) औपचारिक और अनौपचारिक, स्थानीय उद्योग - दैनिक मजदूरी श्रम- कृषि, बागवानी और गैर-कृषि स्थानीय लोगों के मुख्य व्यवसाय हैं।

(बी) ऋण तक पहुंच (कितने बैंक) - बलोह पंचायत में कोई बैंक स्थित नहीं है, एक बैंक लखनपुर पंचायत में स्थित है जो बलोह पंचायत से 1-2 किमी दूर है।

(सी) मजदूरी दर (निर्माण, अन्य) - मनरेगा के अनुसार मजदूरी दर 203 है लेकिन स्थानीय बाजार के अनुसार मांग पर निर्माण गतिविधियों में मजदूरी दर राजमिस्त्री के लिए 800 और श्रमिकों के लिए 400 है।

(डी) विशिष्ट आजीविका गतिविधियों में महिलाएं शामिल हैं- महिलाएं कृषि गतिविधियों में मदद करती हैं लेकिन मुख्य रूप से वे गृहिणी हैं।

3. कारक जो स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं

(ए) प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच – लागू नहीं

(बी) सामान्य संपत्ति संसाधन- पंचायत द्वारा खाद, और हैंड-पंप

(सी) निजी संपत्ति- बोरवेल और पानी के टैंक

- (डी) **सड़कें, परिवहन**- कच्ची सड़कें बनी हैं और शिमला-धुमरवीं सड़क स्थानीय सड़कों से केवल 500 मीटर दूर है।
- (ई) **सिंचाई सुविधाएं**- बलोह के स्थानीय लोग खाद को सिंचाई के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं और फसलों की सिंचाई के लिए मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर होते हैं। जबकि, लखनपुर में स्थानीय लोग बोरवेल और पानी की टंकियों को सिंचाई के लिए पानी के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं।
- (एफ) **बाजारों तक पहुंच** - मुख्य बाजार दियारा सेक्टर में स्थित है जो दोनों पंचायतों से 2-2.5 किमी दूर है।
- (जी) **पर्यटन स्थल**- गोविंद सागर पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही पैराग्लाइडिंग पर्यटक यहां नौका विहार और स्थल देखने के लिए आते हैं।
- (एच) **सहकारी समितियां और अन्य आजीविका संबंधी संघ**-दोनों पंचायतों में कोई एसएचजी सक्रिय नहीं है

4. रहने वाले पर्यावरण की गुणवत्ता

- (ए) **धारणाएं, सौंदर्य गुण, लगाव और आकांक्षाएं** – लागू नहीं
- (बी) **आबादी पैटर्न** - दोनों पंचायतें सघन बसी हुई हैं
- (सी) **समुदाय और नागरिक स्थान** - लागू नहीं
- (डी) **धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ के स्थल** - दोनों पंचायतों में दो मंदिर हैं।
- (ई) **भौतिक अवसंरचना** - पेयजल के लिए उपलब्ध संसाधन कुएं, बोरवेल और हैंडपंप हैं।
- (एफ) **सार्वजनिक सेवा अवसंरचना** -दोनों पंचायतों में उच्च शिक्षा के लिए 1 सरकारी मिड-स्कूल है छात्रों को बिलासपुर गया है जो कि 2 किमी दूर है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, आंगनवाड़ी केंद्र है, और पंचायतों में स्थित डाकघर स्थानीय लोगों को किसी भी संबंधित काम के लिए आसपास के गांवों में जाना पड़ता है।
- (जी) **खाना पकाने का ईंधन**- अधिकांश लोग लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं और केवल कुछ ही सब्सिडी वाले एलपीजी कनेक्शन का उपयोग खाना पकाने के ईंधन के प्राथमिक स्रोत के रूप में कर रहे हैं।

ग्राम पंचायत	कल्लर
प्रभावित गाँव	कोट , तुष्टु
ग्राम प्रधान	श्रीमती सुनीता देवी

गाँव	कोट
बिलासपुर एमसीआई का क्षेत्रफल हेक्टेयर में)	126
कुल संख्या परिवारों की संख्या	18

जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल जनसंख्या	70	55.12%	57	44.88%	127
बच्चा (0-6)	11	64.71%	6	35.29%	17
अनुसूचित जाति	5	62.50%	3	37.50%	8
अनुसूचियां जनजाति	-	-	-	-	-
साक्षरता दर (%)	55	59.14%	38	40.86%	93
आर्थिक गतिविधियों में व्यस्तता	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल कर्मचारी	39	92.86%	3	7.14%	42
किसान	12	100.00%	0	0.00%	12
खेतिहर मजदूर	1	100.00%	0	0.00%	1
घरेलू उद्योग के कर्मचारी	-	-	-	-	-
सीमांत कार्यकर्ता	0	0.00%	1	100.00%	1
अन्य कार्यकर्ता	26	92.86%	2	7.14%	28

गाँव	तुल्य				
बिलासपुर एमसीआई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	228				
कुल संख्या परिवारों की संख्या	50				
जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल जनसंख्या	166	47.70%	182	52.30%	348
बच्चा (0-6)	17	50.00%	17	50.00%	34
अनुसूचित जाति	33	45.83%	39	54.17%	72

अनुसूचियां जनजाति	-	-	-	-	-
साक्षरता दर (%)	127	51.00%	122	49.00%	249
आर्थिक गतिविधियों में व्यस्तता	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल कर्मचारी	71	94.67%	4	5.33%	75
किसान	13	100.00%	0	0.00%	13
खेतिहर मजदूर	1	50.00%	1	50.00%	2
घरेलू उद्योग के कर्मचारी	-	-	-	-	-
सीमांत कार्यकर्ता	5	100.00%	0	0.00%	5
अन्य कार्यकर्ता	52	94.55%	3	5.45%	55

1. गांव में सामाजिक-राजनीतिक संगठन

(ए)। सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

(बी)। प्रशासनिक संगठन - पंचायत भवन और डाकघर कोट से 5 किमी और तुहनू से 3 किमी दूर स्थित है।

(सी)। राजनीतिक संगठन - राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस और भाजपा आदि।

2. स्थानीय आर्थिक गतिविधियां

(ए) औपचारिक और अनौपचारिक, स्थानीय उद्योग - दैनिक मजदूरी श्रम- कृषि और गैर-कृषि स्थानीय लोगों के मुख्य व्यवसाय हैं।

(बी) क्रेडिट तक पहुंच - चाडोल में एक बैंक है जो लगभग है। कल्लार से 8-9 किमी दूर।

(सी) मजदूरी दर - मनरेगा के अनुसार मजदूरी दर 203 है लेकिन स्थानीय बाजार के अनुसार मांग पर निर्माण गतिविधियों में मजदूरी दर राजमिस्त्री के लिए 700 और श्रमिकों के लिए 400 है।

(डी) विशिष्ट आजीविका गतिविधियों में महिलाएं शामिल हैं- महिलाएं मुख्य रूप से काम करती हैं और कृषि गतिविधियों में मदद करती हैं।

3. कारक जो स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं

(ए) प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच - कोई नहीं मिला

(बी) सामान्य संपत्ति संसाधन - कोई नहीं मिला

(सी) **निजी संपत्ति** - कोई नहीं मिला

(डी) **सड़कें, परिवहन**- पंचायत के भीतर जोड़ने वाली सड़कें कच्ची सड़कें हैं और एनएच 205 जो कल्लर गांव से जा रही है वह पक्की सड़क है।

(ई) **सिंचाई सुविधाएं**- सिंचाई सुविधा की कमी के कारण अत्यधिक वर्षा पर निर्भर करती है

(एफ़) **बाजारों तक पहुंच** - मुख्य बाजार कोट से 5 किमी दूर और तुहनू से 3 किमी दूर स्थित है। अन्यथा, दैनिक उपयोग के उत्पाद कोट और तुहनू के स्थानीय क्षेत्र में उपलब्ध हैं।

(जी) **पर्यटक स्थल**- कल्लार में कोई पर्यटन स्थल नहीं है।

(एच) **सहकारिता और अन्य आजीविका से संबंधित संघ**- कुल 7-8 एसएचजी कल्लर में मौजूद हैं, जिनमें से 2 कोट में और 3 टुनू में हैं।

4. रहने वाले पर्यावरण की गुणवत्ता

(ए) **धारणाएं, सौंदर्य गुण, लगाव और आकांक्षाएं** - कोई भी महत्वपूर्ण नहीं पाया गया

(बी) **आबादी पैटर्न** - कल्लार पंचायत का बंदोबस्त पैटर्न बिखरा हुआ है क्योंकि इसमें पाँच गाँव हैं: कोट, टुनू, कल्लार, पट्टा और तलशीरी। अगर हम विशेष रूप से टुनू के बारे में बात करते हैं, तो इसका एक रैखिक निपटान पैटर्न है और कोट ने निपटान पैटर्न फैलाया है।

(डी) **सामुदायिक और नागरिक स्थान** - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

(ई) **धार्मिक और सांस्कृतिक** - धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ के स्थलों कल्लर पंचायत में 5 मंदिर हैं (जिनमें से 2 कोट में हैं और 2 टुनू में हैं)

(एफ़) **भौतिक अवसंरचना** - जलापूर्ति की सुविधा पर्याप्त नहीं है। चूंकि, स्थानीय लोगों के लिए पीने के पानी का एकमात्र स्रोत पानी का टैंकर है और कभी-कभी यह 2-3 दिनों के बाद आता है और स्थानीय लोगों के बीच यह एक बड़ी समस्या है।

(जी) **लोक सेवा अवसंरचना** - कल्लार पंचायत में 5 आंगनवाड़ी केंद्र (कोट में 1 और टुनू में 1), एक सार्वजनिक औषधालय (कोट से 5 किलोमीटर और टुनू से 3 किलोमीटर दूर), और 6 सरकारी स्कूल (उनमें से 1 प्राथमिक स्कूल) हैं। कोट में है और 1 प्राथमिक विद्यालय टुनू में है, जबकि माध्यमिक विद्यालय केवल कल्लार में स्थित है। जिनमें से एक प्राथमिक है और एक माध्यमिक विद्यालय यहाँ मौजूद है।

(एच) **खाना पकाने का ईंधन**- अधिकांश लोग लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं और केवल कुछ ही सब्सिडी वाले एलपीजी कनेक्शन का उपयोग खाना पकाने के ईंधन के प्राथमिक स्रोत के रूप में कर रहे हैं।

ग्राम पंचायत	कोठीपुरा
प्रभावित गाँव	नई सरली

ग्राम प्रधान	श्रीमती पिकी कुमारी
--------------	---------------------

गाँव	नई सरली				
बिलासपुर एमसीआई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	168				
कुल संख्या परिवारों की संख्या	108				
जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल जनसंख्या	286	51.91%	265	48.09%	551
बच्चा (0-6)	36	54.55%	30	45.45%	66
अनुसूचित जाति	156	49.37%	160	50.63%	316
अनुसूचियां जनजाति	-	-	-	-	-
साक्षरता दर (%)	223	57.18%	167	42.82%	390
आर्थिक गतिविधियों में व्यस्तता	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल कर्मचारी	177	56.37%	137	43.63%	314
किसान	1	33.33%	2	66.67%	3
खेतिहर मजदूर	-	-	-	-	-
घरेलू उद्योग के कर्मचारी	-	-	-	-	-
सीमांत कार्यकर्ता	72	36.18%	127	63.82%	199
अन्य कार्यकर्ता	104	92.86%	8	7.14%	112

1. सामाजिक-राजनीतिक संगठन

(ए)। सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

(बी)। **प्रशासनिक संगठन** - पंचायत भवन और एक बैंक कोठीपुरा में स्थित है जो लगभग है। नई सरली से 2 किमी.

(सी)। **राजनीतिक संगठन** - कांग्रेस और भाजपा आदि जैसे राजनीतिक दलों के कार्यालय हैं।

(डी)। **नागरिक समाज संगठन और सामाजिक आंदोलन** - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

2. स्थानीय आर्थिक गतिविधियां

(ए) **औपचारिक और अनौपचारिक, स्थानीय उद्योग** - दैनिक मजदूरी- (लगभग 60%) कृषि और (लगभग 40%) गैर-कृषि स्थानीय लोगों के मुख्य व्यवसाय हैं।

(बी) **ऋण तक पहुंच** - कोठीपुरा में दो बैंक स्थित हैं जो नई सरली से 2 किमी दूर है।

(सी) **मजदूरी दर** - मनरेगा के अनुसार मजदूरी दर 203 है लेकिन स्थानीय बाजार के अनुसार निर्माण गतिविधियों में मांग दर पर राजमिस्त्री के लिए मजदूरी दर 800-900 रुपये है और श्रम के लिए 400-500 रुपये है।

(डी) **विशिष्ट आजीविका गतिविधियों में महिलाएं शामिल हैं**- महिलाएं कृषि गतिविधियों में शामिल हैं

3. कारक जो स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं

(ए) **प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच** - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

(बी) **सामान्य संपत्ति संसाधन** - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

(सी) **निजी संपत्ति** - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

(डी) **सड़कें, परिवहन** - जोड़ने वाली सड़कें कच्ची सड़क हैं

(ई) **सिंचाई सुविधाएं** - स्थानीय लोगों के पास निजी बोरवेल होते हैं जिनका उपयोग वे सिंचाई के लिए करते हैं और वर्षा सिंचाई का प्रमुख स्रोत है।

(च) **बाजारों तक पहुंच** - मुख्य बाजार कोठीपुरा में स्थित है जो नई सरली से 2 किमी दूर है।

(छ) **पर्यटक स्थल**- गोविंद सागर

(ज) सहकारिता और अन्य आजीविका से संबंधित संघ- कोठीपुरा में 4 एसएचजी हैं जो घरेलू स्तर पर आजीविका सृजन के लिए काम कर रहे हैं।

4. जीवित पर्यावरण की गुणवत्ता

(ए) **धारणाएं, सौंदर्य गुण, लगाव और आकांक्षाएं** - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

(बी) **बंदोबस्त पैटर्न** - नई सरली ने बंदोबस्त पैटर्न को फैलाया है।

(डी) **सामुदायिक और नागरिक स्थान** - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

(ई) **धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ के स्थल** - नई सरली में अधिकांश लोगों के घर में अपने निजी मंदिर हैं। इसके अलावा, कोठीपुरा में एक मस्जिद है जो लगभग है। नई सरली से 2 किमी.

(एफ) **भौतिक अवसंरचना** - पेयजल के लिए सरकारी पानी की पाइप लाइन है लेकिन उस पाइप लाइन से पानी की आपूर्ति अनियमित है. पेयजल सुविधा को लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

(जी) **सार्वजनिक सेवा का बुनियादी ढांचा** - कोठीपुरा पंचायत में नई सरली गांव में 1 आंगनवाड़ी केंद्र, 1 सार्वजनिक वितरण सेवा केंद्र और 1 प्राथमिक सरकार है। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को कोठीपुरा जाना पड़ता है जो नई सरली से 2 किमी दूर है और उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को कॉलेज और आईटीआई करने के लिए बिलासपुर जाना पड़ता है। कोठीपुरा पंचायत में एम्स अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है।

(एच) **खाना पकाने का ईंधन**- लोग खाना पकाने के ईंधन के प्राथमिक स्रोत के रूप में लकड़ी और सब्सिडी वाले एलपीजी कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं।

ग्राम पंचायत	बामटा पंचायत
प्रभावित गाँव और वार्ड	बामटा, बैहल कंडेला , बध्द और खेरियां लुहनु
ग्राम प्रधान	श्री विक्रम ठाकुर

गाँव	बामटा				
बिलासपुर एमसीआई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	25				
कुल संख्या परिवारों की संख्या	84				
जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल जनसंख्या	205	54.09%	174	45.91%	379
बच्चा (0-6)	28	75.68%	9	24.32%	37
अनुसूचित जाति	36	49.32%	37	50.68%	73
अनुसूचियां जनजाति	3	75.00%	1	25.00%	4
साक्षरता दर (%)	177	54.46%	148	45.54%	325
आर्थिक गतिविधियों में व्यस्तता	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	

कुल कर्मचारी	95	79.83%	24	20.17%	119
किसान	-	-	-	-	-
खेतिहर मजदूर	-	-	-	-	-
घरेलू उद्योग के कर्मचारी	2	100.00%	0	0.00%	2
सीमांत कार्यकर्ता	1	20.00%	4	80.00%	5
अन्य कार्यकर्ता	92	82.14%	20	17.86%	112

गाँव	बैहल कंडेला				
बिलासपुर एमसीआई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	45				
कुल संख्या परिवारों की संख्या	106				
जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल जनसंख्या	250	49.12%	259	50.88%	509
बच्चा (0-6)	21	41.18%	30	58.82%	51
अनुसूचित जाति	97	48.50%	103	51.50%	200
अनुसूचियां जनजाति	-	-	-	-	-
साक्षरता दर (%)	217	53.06%	192	46.94%	409
आर्थिक गतिविधियों में व्यस्तता	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल कर्मचारी	130	69.89%	56	30.11%	186
किसान	14	66.67%	7	33.33%	21
खेतिहर मजदूर	-	-	-	-	-
घरेलू उद्योग के कर्मचारी	11	100.00%	0	0.00%	11
सीमांत कार्यकर्ता	18	37.50%	30	62.50%	48

अन्य कार्यकर्ता	87	82.08%	19	17.92%	106
-----------------	----	--------	----	--------	-----

गाँव	बध्यात				
बिलासपुर एमसीआई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	71				
कुल संख्या परिवारों की संख्या	91				
जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल जनसंख्या	221	52.25%	202	47.75%	423
बच्चा (0-6)	18	60.00%	12	40.00%	30
अनुसूचित जाति	106	51.21%	101	48.79%	207
अनुसूचियां जनजाति	-	-	-	-	-
साक्षरता दर (%)	189	54.47%	158	45.53%	347
आर्थिक गतिविधियों में व्यस्तता	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल कर्मचारी	106	83.46%	21	16.54%	127
किसान	-	-	-	-	-
खेतिहर मजदूर	11	100.00%	0	0.00%	11
घरेलू उद्योग के कर्मचारी	1	100.00%	0	0.00%	1
सीमांत कार्यकर्ता	43	86.00%	7	14.00%	50
अन्य कार्यकर्ता	51	78.46%	14	21.54%	65

गाँव	खेरियां लुहनु
बिलासपुर एमसीआई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	12

कुल संख्या परिवारों की संख्या	104				
जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल जनसंख्या	269	52.23%	246	47.77%	515
बच्चा (0-6)	21	41.18%	30	58.82%	51
अनुसूचित जाति	35	55.56%	28	44.44%	63
अनुसूचियां जनजाति	4	57.14%	3	42.86%	7
साक्षरता दर (%)	191	51.21%	182	48.79%	373
आर्थिक गतिविधियों में व्यस्तता	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल कर्मचारी	149	80.98%	35	19.02%	184
किसान	11	84.62%	2	15.38%	13
खेतिहर मजदूर	1	50.00%	1	50.00%	2
घरेलू उद्योग के कर्मचारी	-	-	-	-	-
सीमांत कार्यकर्ता	6	40.00%	9	60.00%	15
अन्य कार्यकर्ता	131	84.52%	24	15.48%	155

1. गांव में सामाजिक-राजनीतिक संगठन

(ए) सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन – कोई लागू नहीं

(बी)। प्रशासनिक संगठन - पंचायत भवन बामटा पंचायत के भीतर स्थित है।

(सी)। राजनीतिक संगठन – कोई महत्वपूर्ण नहीं

(डी)। नागरिक समाज संगठन और सामाजिक आंदोलन- बामटा पंचायत में वर्तमान में कोई भी नागरिक समाज संगठन काम नहीं कर रहा है।

2. स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ

(ए) औपचारिक और अनौपचारिक, स्थानीय उद्योग - दैनिक मजदूरी श्रम- कृषि और गैर-कृषि स्थानीय लोगों के मुख्य व्यवसाय हैं।

(बी) क्रेडिट तक पहुंच (कितने बैंक) - कोई भी बैंक बामटा पंचायत में स्थित नहीं है।

(सी) मजदूरी दर (निर्माण, अन्य) - मनरेगा के अनुसार मजदूरी दर 203 है लेकिन स्थानीय बाजार के अनुसार मांग पर निर्माण गतिविधियों में मजदूरी दर राजमिस्त्री के लिए 800 और श्रमिकों के लिए 400 है।

(डी) विशिष्ट आजीविका गतिविधियों में महिलाएं शामिल हैं- महिलाएं सक्रिय रूप से स्वयं सहायता समूहों का नेतृत्व और संचालन कर रही हैं।

3. कारक जो स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं

(ए) प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच - कोई महत्वपूर्ण नहीं

(बी) सामान्य संपत्ति संसाधन- पंचायत द्वारा हैंड-पंप

(सी) निजी संपत्ति- बोरवेल और पानी के टैंक

(डी) सड़कें, परिवहन- पक्की सड़कें बनी हैं और परिवहन के लिए स्थानीय लोगों के लिए सरकारी बसें उपलब्ध हैं। साथ ही, NH154 स्थानीय सड़कों से केवल 500 मीटर दूर है।

(ई) सिंचाई सुविधाएं- बामा पंचायत के पास अपने स्थानीय लोगों के लिए बामटा सिंचाई योजना थी लेकिन यह पीडब्ल्यूडी के काम से प्रभावित हुई। इसलिए, वर्तमान में स्थानीय लोग सिंचाई के साधन के रूप में ब्रुक जल मार्ग का उपयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, जिनके पास बोरवेल हैं, वे पानी के स्रोत के रूप में बोरवेल का उपयोग करके अपने खेतों की सिंचाई करते हैं।

(एफ) बाजारों तक पहुंच (दूरी, आकार, बाजार की विशेषज्ञता) - मुख्य बाजार 2 किमी के दायरे में स्थित है।

(जी) पर्यटन स्थल- कुट्टीम झील, क्रिकेट स्टेडियम और बांधला धार बामटा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से हैं। साथ ही गोविंद सागर के पास स्थित पैराग्लाइडिंग स्पॉट पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है, साथ ही पैराग्लाइडिंग पर्यटक यहां बोटिंग और साइट देखने के लिए आते हैं।

(एच) सहकारिता और अन्य आजीविका से संबंधित संघ- बामटा पंचायत में कुल २-३ एसएचजी मौजूद हैं, जिनका नेतृत्व महिलाएं करती हैं और मुख्य गतिविधियाँ जिनमें वे शामिल हैं, मूल रूप से अचार बनाना, स्वेटर बनाना, और छोटे घरेलू स्तर के खाद्य निर्माण आदि।

4. रहने वाले पर्यावरण की गुणवत्ता

(ए) धारणाएं, सौंदर्य गुण, लगाव और आकांक्षाएं (ऐतिहासिक, लगाव,) - कोई महत्वपूर्ण नहीं

(बी) निपटान पैटर्न - बामटा पंचायत सघन और घनी बस्ती है। इसमें चार गाँव हैं: खैरिया लुहनु, बहेल खंडेला, बध्यात और बामटा।

(डी) समुदाय और नागरिक स्थान - कोई महत्वपूर्ण नहीं

(ई) धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ के स्थल - बामटा पंचायत में दो मुख्य मंदिर हैं।

(एफ) भौतिक अवसंरचना - पेयजल के लिए उपलब्ध संसाधन कुएं, बोरवेल और हैंडपंप हैं।

(जी) **सार्वजनिक सेवा अवसंरचना** - बामटा पंचायत में उप-केंद्र बामता, 1 आंगनवाड़ी केंद्र, और 2 सरकारी स्कूल (इनमें से 1 प्राथमिक विद्यालय और 1 मध्य विद्यालय है) के नाम से एक औषधालय है, उच्च शिक्षा के लिए छात्र बिलासपुर जाते हैं जो बामटा पंचायत से 1 किमी दूर है।

(एच) **खाना पकाने का ईंधन**- अधिकांश लोग लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं और केवल कुछ ही सब्सिडी वाले एलपीजी कनेक्शन का उपयोग खाना पकाने के ईंधन के प्राथमिक स्रोत के रूप में कर रहे हैं।

ग्राम पंचायत	भरारी
प्रभावित गाँव	भरारी और मानवा
ग्राम प्रधान	-----

गाँव	भरारी				
बिलासपुर एमसीआई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	112.54				
कुल संख्या परिवारों की संख्या	42				
जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल जनसंख्या	110	51.89%	102	48.11%	212
बच्चा (0-6)	11	61.11%	7	38.89%	18
अनुसूचित जाति	64	52.89%	57	47.11%	121
अनुसूचियां जनजाति	-	-	-	-	-
साक्षरता दर (%)	91	55.49%	73	44.51%	164
आर्थिक गतिविधियों में व्यस्तता	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल कर्मचारी	62	73.81%	22	26.19%	84
किसान	-	-	-	-	-
खेतिहर मजदूर	-	-	-	-	-

घरेलू उद्योग के कर्मचारी	-	-	-	-	-
सीमांत कार्यकर्ता	12	37.50%	20	62.50%	32
अन्य कार्यकर्ता	50	96.15%	2	3.85%	52

गाँव	मानवा				
बिलासपुर एमसीआई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	95.86				
कुल संख्या परिवारों की संख्या	179				
जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल जनसंख्या	472	50.64%	460	49.36%	932
बच्चा (0-6)	55	56.70%	42	43.30%	97
अनुसूचित जाति	282	52.42%	256	47.58%	538
अनुसूचियां जनजाति	-	-	-	-	-
साक्षरता दर (%)	390	54.85%	321	45.15%	711
आर्थिक गतिविधियों में व्यस्तता	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल कर्मचारी	247	64.66%	135	35.34%	382
किसान	12	35.29%	22	64.71%	34
खेतिहर मजदूर	8	72.73%	3	27.27%	11
घरेलू उद्योग के कर्मचारी	21	80.77%	5	19.23%	26
सीमांत कार्यकर्ता	46	36.80%	79	63.20%	125
अन्य कार्यकर्ता	160	86.02%	26	13.98%	186

ग्राम पंचायत	रघुनाथपुरा पंचायत
प्रभावित गाँव	रामपुर ,खानसरा , रघुनाथपुरा , और कोहलवीं
ग्राम प्रधान	श्रीमती मोना देवी चौधरी

गाँव	रामपुर				
बिलासपुर एमसीआई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	16.07				
कुल संख्या परिवारों की संख्या	10				
जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	संख्या	(%)
कुल जनसंख्या	26	63.41%	15	36.59%	41
बच्चा (0-6)	3	60.00%	2	40.00%	5
अनुसूचित जाति	16	64.00%	9	36.00%	25
अनुसूचियां जनजाति	-	-	-	-	-
साक्षरता दर (%)	21	67.74%	10	32.26%	31
आर्थिक गतिविधियों में व्यस्तता	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	संख्या	(%)
कुल कर्मचारी	15	88.24%	2	11.76%	17
किसान	-	-	-	-	-
खेतिहर मजदूर	-	-	-	-	-
घरेलू उद्योग के कर्मचारी	-	-	-	-	-
सीमांत कार्यकर्ता	6	100.00%	0	0.00%	6
अन्य कार्यकर्ता	9	81.82%	2	18.18%	11

गाँव	खानसरा
------	--------

बिलासपुर एमसीआई का क्षेत्रफल(हेक्टेयर में)	10.79				
कुल संख्या परिवारों की संख्या	18				
जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल जनसंख्या	31	40.79%	45	59.21%	76
बच्चा (0-6)	4	44.44%	5	55.56%	9
अनुसूचित जाति	2	100.00%	0	0.00%	2
अनुसूचियां जनजाति	-	-	-	-	-
साक्षरता दर (%)	26	45.61%	31	54.39%	57
आर्थिक गतिविधियों में व्यस्तता	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल कर्मचारी	18	94.74%	1	5.26%	19
किसान	2	100.00%	0	0.00%	2
खेतिहर मजदूर	-	-	-	-	-
घरेलू उद्योग के कर्मचारी	2	100.00%	0	0.00%	2
सीमांत कार्यकर्ता	3	100.00%	0	0.00%	3
अन्य कार्यकर्ता	11	91.67%	1	8.33%	12

गाँव	कोहलवी		
बिलासपुर एमसीआई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	40.36		
कुल संख्या परिवारों की संख्या	81		
जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	पुरुष	महिला	कुल

	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल जनसंख्या	189	52.94%	168	47.06%	357
बच्चा (0-6)	24	57.14%	18	42.86%	42
अनुसूचित जाति	45	51.14%	43	48.86%	88
अनुसूचियां जनजाति	-	-	-	-	-
साक्षरता दर (%)	148	55.85%	117	44.15%	265
आर्थिक गतिविधियों में व्यस्तता	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल कर्मचारी	120	90.23%	13	9.77%	133
किसान	26	92.86%	2	7.14%	28
खेतिहर मजदूर	4	66.67%	2	33.33%	6
घरेलू उद्योग के कर्मचारी	3	75.00%	1	25.00%	4
सीमांत कार्यकर्ता	2	100.00%	0	0.00%	2
अन्य कार्यकर्ता	85	91.40%	8	8.60%	93

गाँव	रघुनाथपुरा				
बिलासपुर एमसीआई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	65.54				
कुल संख्या परिवारों की संख्या	76				
जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल जनसंख्या	272	57.14%	204	42.86%	476
बच्चा (0-6)	20	46.51%	23	53.49%	43
अनुसूचित जाति	31	47.69%	34	52.31%	65

अनुसूचियां जनजाति	3	75.00%	1	25.00%	4
साक्षरता दर (%)	223	58.68%	157	41.32%	380
आर्थिक गतिविधियों में व्यस्तता	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल कर्मचारी	112	83.58%	22	16.42%	134
किसान	5	62.50%	3	37.50%	8
खेतिहर मजदूर	-	-	-	-	-
घरेलू उद्योग के कर्मचारी	1	100.00%	0	0.00%	1
सीमांत कार्यकर्ता	20	90.91%	2	9.09%	22
अन्य कार्यकर्ता	86	83.50%	17	16.50%	103

1. सामाजिक-राजनीतिक संगठन

(ए)। सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

(बी)। प्रशासनिक संगठन- पंचायत भवन एवं एक उप डाकघर रघुनाथपुरा पंचायत में स्थित है।

(सी)। राजनीतिक संगठन - कांग्रेस और भाजपा आदि जैसे राजनीतिक कार्यालय हैं।

(डी)। नागरिक समाज संगठन और सामाजिक आंदोलन- 3 महिला मंडल हैं जो महिलाओं को जागरूक करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षित करने का काम कर रही हैं। इसलिए, आजीविका सृजन के लिए वे महिलाओं को उन वस्तुओं को बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिन्हें गांवों में बेचा जा सकता है।

2. स्थानीय आर्थिक गतिविधियां

(ए) औपचारिक और अनौपचारिक, स्थानीय उद्योग - कृषि और गैर-कृषि जैसे दैनिक वेतन भोगी श्रमिक स्थानीय लोगों के मुख्य व्यवसाय हैं। लोगों के पास अपने पेशे के रूप में सरकारी और निजी नौकरियां भी हैं।

(बी) ऋण तक पहुंच - दो बैंक हैं जो जबली में स्थित हैं जो 2 किमी दूर है और एक बिलासपुर में है जो रघुनाथपुरा पंचायत से 9 किमी दूर है।

(सी) मजदूरी दर - मनरेगा के अनुसार मजदूरी दर 203 है लेकिन स्थानीय बाजार के अनुसार निर्माण गतिविधियों में मजदूरी दर राजमिस्त्री के लिए मांग दर 700-900 रुपये है और श्रम के लिए 500 रुपये है।

3. कारक जो स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं

- (ए) **प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच** - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला
- (बी) **सामान्य संपत्ति संसाधन**- पंचायत क्षेत्र के भीतर कार्यक्रम और समारोह आयोजित करने के लिए सामुदायिक हॉल है।
- (सी) **निजी संपत्ति**- कोई भी महत्वपूर्ण नहीं मिला
- (डी) **सड़कें, परिवहन** -लिकिंग सड़कों को पक्की सड़कों के रूप में बनाया गया है।
- (ई) **सिंचाई सुविधाएं**- आंशिक रूप से वर्षा पर निर्भर करती है और लोग सिंचाई के लिए बोरवेल का भी उपयोग करते हैं।
- (एफ) **बाजारों तक पहुंच** - मुख्य बाजार बिलापुर में स्थित है जो रघुनाथपुरा पंचायत से 4 किमी दूर है।

4. रहने वाले पर्यावरण की गुणवत्ता

- (ए) **धारणाएं, सौंदर्य गुण, लगाव और आकांक्षाएं** - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला
- (बी) **बंदोबस्त पैटर्न** - रघुनाथपुरा पंचायत में एक फैला हुआ बंदोबस्त पैटर्न है।
- (डी) सामुदायिक और नागरिक स्थान
- (ई) **धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ के स्थल** - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला
- (एफ) **भौतिक अवसंरचना** - पीने के पानी के लिए लोगों के पास सरकारी पाइपलाइन, निजी पानी की टंकियों और बोरवेल से नल के पानी के कनेक्शन हैं।
- (जी) **लोक सेवा अवसंरचना** - रघुनाथपुरा पंचायत में 2 प्राथमिक, 1 माध्यमिक और 1 माध्यमिक सरकारी स्कूल हैं। कॉलेज रघुनाथपुरा पंचायत से 4 किमी दूर स्थित है। रघुनाथपुरा पंचायत में 1 औषधालय व 1 अस्पताल है।
- (एच) **खाना पकाने का ईंधन**- लोग खाना पकाने के ईंधन के प्राथमिक स्रोत के रूप में लकड़ी और सब्सिडी वाले एलपीजी कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं।

4.4.2 तहसील श्री नैना देवी

ग्राम पंचायत	टाली
प्रभावित गाँव	टिककर , दगडाहन , भटेर, और टाली
ग्राम प्रधान	श्रीमती नीलम

गाँव	टाली				
बिलासपुर एमसीआई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	128.74				
कुल संख्या परिवारों की संख्या	78				
जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल जनसंख्या	187	51.37%	177	48.63%	364
बच्चा (0-6)	25	54.35%	21	45.65%	46
अनुसूचित जाति	15	53.57%	13	46.43%	28
अनुसूचियां जनजाति	-	-	-	-	-
साक्षरता दर (%)	156	57.78%	114	42.22%	270
आर्थिक गतिविधियों में व्यस्तता	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल कर्मचारी	132	52.38%	120	47.62%	252
किसान	84	90.32%	9	9.68%	93
खेतिहर मजदूर	-	-	-	-	-
घरेलू उद्योग के कर्मचारी	-	-	-	-	-
सीमांत कार्यकर्ता	30	22.39%	104	77.61%	134
अन्य कार्यकर्ता	18	72.00%	7	28.00%	25

गाँव	दगडाहन
बिलासपुर एमसीआई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	233.33
कुल संख्या परिवारों की संख्या	160

जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल जनसंख्या	490	53.49%	426	46.51%	916
बच्चा (0-6)	68	51.91%	63	48.09%	131
अनुसूचित जाति	204	52.99%	181	47.01%	385
अनुसूचियां जनजाति	-	-	-	-	-
साक्षरता दर (%)	379	58.49%	269	41.51%	648
आर्थिक गतिविधियों में व्यस्तता	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल कर्मचारी	323	53.65%	279	46.35%	602
किसान	6	100.00%	0	0.00%	6
खेतिहर मजदूर	-	-	-	-	-
घरेलू उद्योग के कर्मचारी	-	-	-	-	-
सीमांत कार्यकर्ता	140	34.83%	262	65.17%	402
अन्य कार्यकर्ता	176	92.15%	15	7.85%	191

गाँव	टिककर				
बिलासपुर एमसीआई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	99.59				
कुल संख्या परिवारों की संख्या	33				
जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल जनसंख्या	82	52.23%	75	47.77%	157
बच्चा (0-6)	10	66.67%	5	33.33%	15

अनुसूचित जाति	3	60.00%	2	40.00%	5
अनुसूचियां जनजाति	-	-	-	-	-
साक्षरता दर (%)	65	54.17%	55	45.83%	120
आर्थिक गतिविधियों में व्यस्तता	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल कर्मचारी	45	46.39%	52	53.61%	97
किसान	17	30.36%	39	69.64%	56
खेतिहर मजदूर	-	-	-	-	-
घरेलू उद्योग के कर्मचारी	3	100.00%	0	0.00%	3
सीमांत कार्यकर्ता	8	42.11%	11	57.89%	19
अन्य कार्यकर्ता	17	89.47%	2	10.53%	19

गाँव	भटेर				
बिलासपुर एमसीआई का क्षेत्रफल हेक्टेयर)	99.59				
कुल संख्या परिवारों की संख्या	33				
जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल जनसंख्या	226	51.36%	214	48.64%	440
बच्चा (0-6)	29	49.15%	30	50.85%	59
अनुसूचित जाति	20	57.14%	15	42.86%	35
अनुसूचियां जनजाति	-	-	-	-	-
साक्षरता दर (%)	191	54.57%	159	45.43%	350

आर्थिक गतिविधियों में व्यस्तता	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल कर्मचारी	102	86.44%	16	13.56%	118
किसान	69	76.67%	21	23.33%	90
खेतिहर मजदूर	2	100.00%	0	0.00%	2
घरेलू उद्योग के कर्मचारी	-	-	-	-	-
सीमांत कार्यकर्ता	30	21.43%	110	78.57%	140
अन्य कार्यकर्ता	41	83.67%	8	16.33%	49

1. गांव में सामाजिक-राजनीतिक संगठन

(ए)। सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

(बी)। प्रशासनिक संगठन - पंचायत भवन, पटवार खाना और डाकघर तल्ली पंचायत के भीतर स्थित हैं।

(सी)। राजनीतिक संगठन - राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस और भाजपा आदि।

(डी)। नागरिक समाज संगठन और सामाजिक आंदोलन- तल्ली पंचायत में 4 महिला मंडल हैं और वे इसके लिए काम कर रहे हैं:

1. लोगों को स्वच्छता अभियान और दैनिक जीवन में स्वच्छता के लाभों के बारे में जागरूक करें।
2. नशा करने वालों को जागरूक करें।

तल्ली में एक युवक मंडल भी है जो नशीली दवाओं के सेवन और लेने के खतरनाक प्रभावों के बारे में सामाजिक स्वयंसेवकों और जागरूक युवाओं की एक श्रृंखला बनाने के लिए काम कर रहा है।

2. स्थानीय आर्थिक गतिविधियां

(ए) औपचारिक और अनौपचारिक, स्थानीय उद्योग - कृषि और गैर-कृषि स्थानीय लोगों के मुख्य व्यवसाय हैं।

(बी) ऋण तक पहुंच - तल्ली पंचायत में केवल एक बैंक है।

(सी) मजदूरी दर- मनरेगा के अनुसार मजदूरी दर 203 है लेकिन स्थानीय बाजार के अनुसार निर्माण गतिविधियों में मांग पर मजदूरी दर राजमिस्त्री के लिए 1000 और श्रमिकों के लिए 600 है।

(डी) विशिष्ट आजीविका गतिविधियों में महिलाएं शामिल हैं- महिलाएं सक्रिय रूप से पंचायत प्रधान और पंचायत वार्ड सदस्यों, महिला मंडल के सदस्यों, एसएचजी चलाने जैसे प्रशासनिक कार्यकर्ताओं के रूप में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं।

3. कारक जो स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं

(ए) **प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच** - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

(बी) **सामान्य संपत्ति संसाधन**- पानी की टंकी

(सी) **निजी संपत्ति**- बोरवेल और हैंड पंप

(डी) **सड़कें, परिवहन**- पक्की सड़कों का निर्माण और परिवहन और सरकार के लिए किया जाता है। स्थानीय लोगों के लिए बसें उपलब्ध हैं।

(ई) **सिंचाई सुविधाएं**- सामुदायिक स्तर पर सिंचाई के लिए पानी के टैंक उपलब्ध हैं और व्यक्तिगत स्तर पर लोग सिंचाई के लिए बोरवेल का उपयोग करते हैं।

(एफ) **बाजारों तक पहुंच** - मुख्य बाजार 2 किमी के दायरे में स्थित है।

(जी) **पर्यटन स्थल**- बेदावाड़ा तल्ली में एक पर्यटन स्थल है जो गोविंद सागर के पास स्थित है। पर्यटक यहां बोटिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए आते हैं।

(एच) **आजीविका संवर्धन कार्यक्रम** - कोई महत्वपूर्ण नहीं पाया गया

(आई) **सहकारिता और अन्य आजीविका से संबंधित संघ**- तल्ली में कुल 6-7 एसएचजी मौजूद हैं। मुख्य गतिविधियाँ जिनमें वे शामिल हैं: अचार बनाना, स्वेटर बनाना और छोटे घरेलू स्तर पर खाद्य निर्माण आदि।

4. जीवित पर्यावरण की गुणवत्ता

(ए) **धारणाएं, सौंदर्य गुण, लगाव और आकांक्षाएं** - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

(बी) **बंदोबस्त पैटर्न** - तल्ली पंचायत कॉम्पैक्ट और घनी बसी हुई है। इसमें चार गाँव हैं: टिक्कर, दगराहन, भटेर और तल्ली।

(डी) सामुदायिक और नागरिक स्थान

(ई) **धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ के स्थल** - तल्ली पंचायत में 3 शिव मंदिर हैं

(एफ) **भौतिक अवसंरचना** - पेयजल के लिए उपलब्ध संसाधन कुएं, बोरवेल और हैंडपंप हैं। साथ ही, प्रत्येक घर से एक सरकारी पानी की पाइपलाइन जुड़ी हुई है।

(जी) **सार्वजनिक सेवा का बुनियादी ढांचा** - तल्ली पंचायत में 4 आंगनवाड़ी केंद्र, एक सार्वजनिक औषधालय, एक पशु चिकित्सा और 4 सरकारी स्कूल हैं (उनमें से 2 प्राथमिक विद्यालय और 2 माध्यमिक विद्यालय हैं)।

(एच) **खाना पकाने का ईंधन**- अधिकांश लोग लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं और केवल कुछ ही सब्सिडी वाले एलपीजी कनेक्शन का उपयोग खाना पकाने के ईंधन के प्राथमिक स्रोत के रूप में कर रहे हैं।

ग्राम पंचायत	मझेर
प्रभावित गाँव	थापना , जब्बल , और समलेटू

ग्राम प्रधान	श्री सोहन लाल
--------------	---------------

गाँव	थापना				
बिलासपुर एमसीआई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	127.93				
कुल संख्या परिवारों की संख्या	40				
जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल जनसंख्या	121	54.75%	100	45.25%	221
बच्चा (0-6)	19	76.00%	6	24.00%	25
अनुसूचित जाति	20	51.28%	19	48.72%	39
अनुसूचियां जनजाति	-	-	-	-	-
साक्षरता दर (%)	88	59.46%	60	40.54%	148
आर्थिक गतिविधियों में व्यस्तता	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल कर्मचारी	70	50.00%	70	50.00%	140
किसान	24	28.92%	59	71.08%	83
खेतिहर मजदूर	-	-	-	-	-
घरेलू उद्योग के कर्मचारी	-	-	-	-	-
सीमांत कार्यकर्ता	39	82.98%	8	17.02%	47
अन्य कार्यकर्ता	7	70.00%	3	30.00%	10

गाँव	जब्बल
बिलासपुर एमसीआई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	43

कुल संख्या परिवारों की संख्या	3				
जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल जनसंख्या	6	54.55%	5	45.45%	11
बच्चा (0-6)	-	-	-	-	-
अनुसूचित जाति	4	66.67%	2	33.33%	6
अनुसूचियां जनजाति	-	-	-	-	-
साक्षरता दर (%)	4	66.67%	2	33.33%	6
आर्थिक गतिविधियों में व्यस्तता	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल कर्मचारी	3	50.00%	3	50.00%	6
किसान	3	50.00%	3	50.00%	6
खेतिहर मजदूर	-	-	-	-	-
घरेलू उद्योग के कर्मचारी	-	-	-	-	-
सीमांत कार्यकर्ता	-	-	-	-	-
अन्य कार्यकर्ता	-	-	-	-	-

गाँव	समलेटू				
बिलासपुर एमसीआई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	66				
कुल संख्या परिवारों की संख्या	27				
जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल जनसंख्या	74	52.11%	68	47.89%	142

बच्चा (0-6)	9	60.00%	6	40.00%	15
अनुसूचित जाति	32	54.24%	27	45.76%	59
अनुसूचियां जनजाति	-	-	-	-	-
साक्षरता दर (%)	59	57.28%	44	42.72%	103
आर्थिक गतिविधियों में व्यस्तता	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल कर्मचारी	46	51.69%	43	48.31%	89
किसान	34	45.95%	40	54.05%	74
खेतिहर मजदूर	-	-	-	-	-
घरेलू उद्योग के कर्मचारी	1	100.00%	0	0.00%	1
सीमांत कार्यकर्ता	1	100.00%	0	0.00%	1
अन्य कार्यकर्ता	10	76.92%	3	23.08%	13

1. सामाजिक-राजनीतिक संगठन

(ए) सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन।- कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

(बी) प्रशासनिक संगठन - पंचायत भवन मझेड़ पंचायत के भीतर स्थित है और डाकघर लगभग स्थित है। कुठेला में माझेर से 2-4 किमी दूर।

(सी)। राजनीतिक संगठन - कांग्रेस और भाजपा जैसे कुछ राजनीतिक दलों के कार्यालय हैं

(डी)। नागरिक समाज संगठन और सामाजिक आंदोलन- मझेड़ पंचायत में 2 महिला मंडल और 1 युवा मंडल हैं और वे दोनों काम कर रहे हैं:

1. लोगों को स्वच्छता अभियान और दैनिक जीवन में स्वच्छता के लाभों के बारे में जागरूक करें।
2. जागरूक और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।
3. नशा करने वालों को जागरूक करें।

मझेड़ पंचायत में एक पंचायत सदास्य संघ भी है जो युवाओं को नशीली दवाओं के सेवन और लेने के खतरनाक प्रभावों के बारे में शिक्षित करने के लिए काम कर रहा है।

2. स्थानीय आर्थिक गतिविधियां

(ए) औपचारिक और अनौपचारिक, स्थानीय उद्योग - दैनिक मजदूरी श्रम- कृषि और गैर-कृषि स्थानीय लोगों के मुख्य व्यवसाय हैं।

(बी) ऋण तक पहुंच - मझेड़ पंचायत में कोई बैंक स्थित नहीं है, स्थानीय लोगों को बैंकिंग संबंधी काम के लिए स्वारघाट जाना पड़ता है जो मझेद से 25 किमी दूर स्थित है।

(सी) मजदूरी दर- मनरेगा के अनुसार मजदूरी दर 203 है लेकिन स्थानीय बाजार के अनुसार निर्माण गतिविधियों में मांग दर पर राजमिस्त्री के लिए मजदूरी दर 800 रुपये है और श्रम के लिए 500 रुपये है।

3. कारक जो स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं

(ए) प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

(बी) सामान्य संपत्ति संसाधन- कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

(सी) निजी संपत्ति- कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

(डी) सड़कें, परिवहन- अर्ध-पक्की सड़कें बनाई जाती हैं और परिवहन के लिए स्थानीय लोगों को या तो पैदल चलना पड़ता है या अपने वाहनों का उपयोग करना पड़ता है। सरकारी बसें उपलब्ध हैं लेकिन उनकी सेवाएं बहुत देर से आती हैं।

(ई) धार्मिक और सांस्कृतिक - पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर करती है।

(च) बाजारों तक पहुंच - मुख्य बाजार स्वारघाट में स्थित है जो मझेद से 25 किमी दूर है।

(छ) पर्यटन स्थल- बाघचल ब्रिज मझेद में एक पर्यटन स्थल है।

(ज)

(i) सहकारिता और अन्य आजीविका से संबंधित संघ- 2 एसएचजी मझेड़ में हैं जो घर स्तर पर सिलाई करके आजीविका सृजन के लिए काम कर रहे हैं।

4. रहने वाले पर्यावरण की गुणवत्ता

(ए) धारणाएं, सौंदर्य गुण, लगाव और आकांक्षाएं - बागचल ब्रिज को स्थानीय लोगों द्वारा ऐतिहासिक विरासत के रूप में माना जाता है क्योंकि इसे ब्रिटिश-सम्राट काल से निर्माणाधीन कहा जाता है।

(बी) बंदोबस्त पैटर्न - मझेड़ पंचायत कॉम्पैक्ट और घनी बसे हुए है। इसमें तीन गाँव हैं: थापना, जबल और समलेतु।

(डी) सामुदायिक और नागरिक स्थान - लागू नहीं

(ई) धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ के स्थल - मझेड़ पंचायत में 2 मंदिर हैं

(च) भौतिक अवसंरचना - पीने के लिए लोगों के घरों में निजी बोरवेल हैं। साथ ही, प्रत्येक घर से एक सरकारी पानी की पाइपलाइन जुड़ी हुई है।

(छ) सार्वजनिक सेवा का बुनियादी ढांचा - मझेड़ पंचायत में 1 आंगनवाड़ी केंद्र, 1 सार्वजनिक औषधालय, और 2 सरकारी स्कूल हैं (उनमें से 1 प्राथमिक विद्यालय है और 1 माध्यमिक विद्यालय है)।

ग्राम पंचायत	धरोट
प्रभावित गाँव	धरोट
ग्राम प्रधान	श्री भाग सिंह

गाँव	धरोट				
बिलासपुर एमसीआई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	503.58				
कुल संख्या परिवारों की संख्या	217				
जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल जनसंख्या	643	54.91%	528	45.09%	1171
बच्चा (0-6)	71	57.72%	52	42.28%	123
अनुसूचित जाति	207	55.20%	168	44.80%	375
अनुसूचियां जनजाति	169	55.41%	136	44.59%	305
साक्षरता दर (%)	491	61.45%	308	38.55%	799
आर्थिक गतिविधियों में व्यस्तता	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल कर्मचारी	317	95.48%	15	4.52%	332
किसान	132	98.51%	2	1.49%	134
खेतिहर मजदूर	-	-	-	-	-
घरेलू उद्योग के कर्मचारी	2	100.00%	0	0.00%	2
सीमांत कार्यकर्ता	50	96.15%	2	3.85%	52
अन्य कार्यकर्ता	133	92.36%	11	7.64%	144

1. सामाजिक-राजनीतिक संगठन

(ए)। **सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन** - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

(बी)। **प्रशासनिक संगठन**- पंचायत भवन धारोट गांव में स्थित है। डाकघर लाख नन गांव में स्थित है। लखनून और धारोट गांव के बीच की दूरी 2 किमी है।

(सी)। **राजनीतिक संगठन** - कांग्रेस और भाजपा आदि जैसे राजनीतिक कार्यालय हैं।

(डी)। **नागरिक समाज संगठन और सामाजिक आंदोलन** - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

2. स्थानीय आर्थिक गतिविधियां

(ए) औपचारिक और अनौपचारिक, स्थानीय उद्योग - दैनिक मजदूरी कृषि और गैर-कृषि श्रमिक स्थानीय लोगों के मुख्य व्यवसाय हैं। लोग पशुपालन को भी अपना पेशा मानते हैं।

(बी) क्रेडिट तक पहुंच - धारोट पंचायत में कोई बैंक स्थित नहीं है। स्थानीय लोगों को किसी भी बैंक संबंधी कार्य के लिए टोबा जाना पड़ता है जो धारोट पंचायत से 6 किमी दूर है।

(सी) मजदूरी दर- मनरेगा के अनुसार मजदूरी दर 203 है लेकिन स्थानीय बाजार के अनुसार निर्माण गतिविधियों में मांग दर पर राजमिस्त्री के लिए मजदूरी दर 650 रुपये है और श्रम के लिए 400 रुपये है।

(डी) विशिष्ट आजीविका गतिविधियों में महिलाएं शामिल हैं- महिलाएं दूध बेचने में शामिल हैं।

3. कारक जो स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं

(ए) **प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच** - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

(बी) **सामान्य संपत्ति संसाधन**- कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

(सी) **निजी संपत्ति**- कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

(डी) **सड़कें, परिवहन**-लिकिंग सड़कों को अर्ध-पक्की सड़कों के रूप में बनाया गया है।

(ई) **सिंचाई सुविधाएं**- सिंचाई के उद्देश्य के लिए नदी जल पाइपलाइन का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, लोगों के घरों में पानी के गड्ढे हैं जहां वे सिंचाई के उद्देश्य से वर्षा जल एकत्र करते हैं।

(च) **बाजारों तक पहुंच** - मुख्य बाजार आनंदपुर में स्थित है जो धारोट पंचायत से 8 किमी दूर है।

(छ) **सहकारिता एवं अन्य जीविकोपार्जन संबंधी संस्थाएं**- धारोट पंचायत में कार्यरत 6 स्वयं सहायता समूह घरेलू स्तर पर दूध एवं डेयरी उत्पाद बेचकर आजीविका सृजन का कार्य कर रहे हैं।

4. जीवित पर्यावरण की गुणवत्ता

(ए) धारणाएं, सौंदर्य गुण, लगाव और आकांक्षाएं - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

(बी) बंदोबस्त पैटर्न - धराओत और लखनू गांवों में सघन और सघन बसावट पैटर्न है।

(डी) सामुदायिक और नागरिक स्थान - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

(ई) धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ के स्थल - धारोट पंचायत में 3 मंदिर हैं।

(एफ) भौतिक अवसंरचना - पीने के पानी के लिए एक सरकारी पानी की पाइपलाइन स्थापित की गई है।

(छ) लोक सेवा अवसंरचना - धारोट पंचायत में केवल 1 सरकारी माध्यमिक विद्यालय है, माध्यमिक शिक्षा के लिए छात्रों को आनंदपुर जाना पड़ता है जो कि धारोट पंचायत से 8 किमी दूर है और उच्च शिक्षा के लिए यानी कॉलेज के छात्रों को नैना देवी जाना पड़ता है जो कि धारोट से 15 किमी. लखनू गांव में एक औषधालय है। टोबा में बैंक की सुविधा उपलब्ध है जो धारोट पंचायत से 6 किमी दूर है। धारोट पंचायत में कुल 3 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिनमें से 2 धारोट में और 1 लखनू में है।

(ज) खाना पकाने का ईंधन- लोग खाना पकाने के ईंधन के प्राथमिक स्रोत के रूप में लकड़ी और सब्सिडी वाले एलपीजी कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं।

ग्राम पंचायत	कोट खास पंचायत
प्रभावित गाँव	कंगुवाली
ग्राम प्रधान	श्री दीना नाथ

गाँव	कांगुवली				
बिलासपुर एमसीआई का क्षेत्रफल हेक्टेयर मे)	149.12				
कुल संख्या परिवारों की संख्या	54				
जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
	कुल जनसंख्या	143	54.79%	118	45.21%
बच्चा (0-6)	13	44.83%	16	55.17%	29

अनुसूचित जाति	66	51.56%	62	48.44%	128
अनुसूचियां जनजाति	64	58.18%	46	41.82%	110
साक्षरता दर (%)	106	64.63%	58	35.37%	164
आर्थिक गतिविधियों में व्यस्तता	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल कर्मचारी	95	54.29%	80	45.71%	175
किसान	80	50.96%	77	49.04%	157
खेतिहर मजदूर	-	-	-	-	-
घरेलू उद्योग के कर्मचारी	1	100.00%	0	0.00%	1
सीमांत कार्यकर्ता	1	50.00%	1	50.00%	2
अन्य कार्यकर्ता	13	86.67%	2	13.33%	15

1. सामाजिक-राजनीतिक संगठन

(ए)। सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

(बी)। प्रशासनिक संगठन- पंचायत भवन कंगुवाली में स्थित है। डाकघर टोबा में स्थित है जो कंगुवाली गांव से 3-4 किमी दूर है।

(सी)। राजनीतिक संगठन - कांग्रेस और भाजपा आदि जैसे राजनीतिक कार्यालय हैं।

(डी)। नागरिक समाज संगठन और सामाजिक आंदोलन - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

2. स्थानीय आर्थिक गतिविधियां

(ए) औपचारिक और अनौपचारिक, स्थानीय उद्योग - दैनिक मजदूरी श्रम- कृषि और गैर-कृषि स्थानीय लोगों के मुख्य व्यवसाय हैं। लोग पशुपालन को भी अपना पेशा मानते हैं।

(बी) क्रेडिट तक पहुंच - कंगुवाली में स्थित कोई बैंक नहीं है स्थानीय लोगों को बैंक से संबंधित किसी भी काम के लिए बस्सी जाना पड़ता है जो कंगुवाली से 8-9 किमी दूर है।

(सी) मजदूरी दर - मनरेगा के अनुसार मजदूरी दर 203 है लेकिन स्थानीय बाजार के अनुसार निर्माण गतिविधियों में मांग दर पर राजमिस्त्री के लिए मजदूरी दर 800 रुपये है और श्रम के लिए 500 रुपये है।

(डी) विशिष्ट आजीविका गतिविधियों में महिलाएं शामिल हैं- कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

3. कारक जो स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं

- (ए) **प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच** - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला
- (बी) **सामान्य संपत्ति संसाधन**- कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला
- (सी) **निजी संपत्ति**- कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला
- (डी) **सड़कें, परिवहन**-लिकिंग सड़कों को अर्ध-पक्की और पक्की सड़कों के रूप में बनाया गया है।
- (ई) **सिंचाई सुविधाएं**- पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर करती है।
- (एफ) **बाजारों तक पहुंच** - मुख्य बाजार आनंदपुर में स्थित है जो कंगुवाली गांव से 15 किमी दूर है।
- (जी) **पर्यटक स्थल**- कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला
- (एच) **आजीविका संवर्धन कार्यक्रम** - कोई महत्वपूर्ण नहीं पाया गया
- (आई) **सहकारिता और अन्य आजीविका से संबंधित संघ**- 5 स्वयं सहायता समूह हैं जो घरेलू स्तर पर दूध और डेयरी उत्पादों को बेचकर आजीविका सृजन के लिए कांगुवाली में काम कर रहे हैं।

4. जीवित पर्यावरण की गुणवत्ता

- (ए) **धारणाएं, सौंदर्य गुण, लगाव और आकांक्षाएं** - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला
- (बी) **बंदोबस्त पैटर्न** - कंगुवाली गांव में एक सघन और सघन बसावट पैटर्न है।
- (डी) **सामुदायिक और नागरिक स्थान** - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला
- (ई) **धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ के स्थल** - कोट खास पंचायत में 3 मंदिर हैं।
- (एफ) **भौतिक अवसंरचना** - पीने के पानी के लिए लोग नदी, बोरवेल और हैंडपंप जैसे जल संसाधनों पर निर्भर हैं।
- (जी) **लोक सेवा का बुनियादी ढांचा** - कोट खास पंचायत में ५ स्कूल हैं, जिनमें २ प्राथमिक स्कूल हैं और वे कंगुवाली गाँव से ५ किमी दूर हैं, २ माध्यमिक विद्यालय हैं जो कंगुवाली से ८ किमी दूर हैं, और १ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है जो कि कंगुवाली गांव से 4 किमी. कोट खास पंचायत में एक औषधालय है जो कांगुवाली गांव से 4 किमी दूर है।
- (एच) **खाना पकाने का ईंधन**- लोग खाना पकाने के ईंधन के प्राथमिक स्रोत के रूप में लकड़ी और सब्सिडी वाले एलपीजी कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं।

ग्राम पंचायत	खैरियाँ
प्रभावित गाँव	खैरियाँ
ग्राम प्रधान	श्रीमती सरिता देवी

गाँव	खैरियाँ				
बिलासपुर एमसीआई का क्षेत्रफल हेक्टेयर मे)	146.61				
कुल संख्या परिवारों की संख्या	54				
जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल जनसंख्या	165	55.56%	132	44.44%	297
बच्चा (0-6)	14	63.64%	8	36.36%	22
अनुसूचित जाति	36	50.70%	35	49.30%	71
अनुसूचियां जनजाति	-	-	-	-	-
साक्षरता दर (%)	128	63.68%	73	36.32%	201
आर्थिक गतिविधियों में व्यस्तता	पुरुष		महिला		कुल
	संख्या	(%)	संख्या	(%)	
कुल कर्मचारी	96	54.55%	80	45.45%	176
किसान	73	48.99%	76	51.01%	149
खेतिहर मजदूर	-	-	-	-	-
घरेलू उद्योग के कर्मचारी	1	100.00%	0	0.00%	1
सीमांत कार्यकर्ता	-	-	-	-	-
अन्य कार्यकर्ता	22	84.62%	4	15.38%	26

1. सामाजिक-राजनीतिक संगठन

(ए)। सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

(बी)। प्रशासनिक संगठन- पंचायत भवन, डाकघर और मनरेगा केंद्र खैरियां के भीतर स्थित है।

(सी)। राजनीतिक संगठन - कांग्रेस और भाजपा कार्यालय आदि।

(डी)। नागरिक समाज संगठन और सामाजिक आंदोलन- 1 महिला मंडल और 1 महिला समूह काम कर रहे हैं:

1. महिलाओं को जागरूक करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए शिक्षित करना। इसलिए आजीविका सृजन के लिए वे खैरियां गांव में महिलाओं को पेपर बैग, कपड़े के बैग, खाद्य सामग्री आदि बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

2. जघन क्षेत्र की एलर्जी और यौन समस्याओं के लिए निःशुल्क दवा वितरित करना।

2. स्थानीय आर्थिक गतिविधियां

(ए) औपचारिक और अनौपचारिक, स्थानीय उद्योग - दैनिक मजदूरी श्रम- कृषि और गैर-कृषि स्थानीय लोगों के मुख्य व्यवसाय हैं। लोग पशुपालन को भी अपना पेशा मानते हैं।

(बी) क्रेडिट तक पहुंच - खैरियां में कोई बैंक स्थित नहीं है। इसलिए, स्थानीय लोगों को किसी भी बैंक से संबंधित काम के लिए स्वान जाना पड़ता है जो खैरियां से 4 किमी दूर है।

(सी) मजदूरी दर - मनरेगा के अनुसार मजदूरी दर 203 है लेकिन स्थानीय बाजार के अनुसार निर्माण गतिविधियों में मांग दर पर राजमिस्त्री की मांग दर 600 रुपये है और श्रम के लिए 450 रुपये है।

(डी) विशिष्ट आजीविका गतिविधियों में महिलाएं शामिल हैं - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

3. स्थानीय आजीविका में योगदान करने वाले कारक

(ए) प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

(बी) सामान्य संपत्ति संसाधन- कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

(सी) निजी संपत्ति - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

(डी) सड़कें, परिवहन- अधिकांश जोड़ने वाली सड़कों को कच्ची सड़कों के रूप में बनाया गया है, कुछ जोड़ने वाली सड़कें पक्की सड़कें हैं।

(ई) सिंचाई सुविधाएं- पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर करती है।

(च) बाजारों तक पहुंच - मुख्य बाजार खैरियां, सवाहन में कैची मोड़ पर स्थित है जो खैरियां गांव से 3 किमी दूर है, और खीरतापुर जो खैरियां गांव से 6 किमी दूर है।

4. रहने वाले पर्यावरण की गुणवत्ता

(ए) धारणाएं, सौंदर्य गुण, लगाव और आकांक्षाएं - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला (बी) निपटान पैटर्न - खैरियां गांव में एक फैला हुआ निपटान पैटर्न है।

(डी) सामुदायिक और नागरिक स्थान - कोई महत्वपूर्ण नहीं मिला

(ई) **धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ के स्थल** - खैरियां पंचायत में 6 मंदिर हैं।

(च) **भौतिक अवसंरचना** - पेयजल के लिए लोगों के पास सरकारी पाइपलाइन से नल के पानी के कनेक्शन हैं।

(छ) **लोक सेवा का बुनियादी ढांचा** - खैरियां में १ प्राथमिक सरकारी स्कूल और सवाहन में १ माध्यमिक विद्यालय है जो खैरियाँ गाँव से ३ किलोमीटर दूर है। खैरियां गांव में एक डिस्पेंसरी है।

(ज) **खाना पकाने का ईंधन**- लोग खाना पकाने के ईंधन के प्राथमिक स्रोत के रूप में लकड़ी और सब्सिडी वाले एलपीजी कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं।

5. प्रभावित संपत्ति का आंकलन एवं गणना

इस अध्याय में सीधे प्रभावित भूस्वामियों और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण का उनके परिवार, संपत्ति, संसाधनों, संपत्ति, सामुदायिक संसाधनों आदि पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिग्रहित की जाने वाली 667 बीघा 15 बिस्वा भूमि लगभग 247 परिवारों के स्वामित्व वाले 647 भूखंड / सर्वेक्षण संख्या में फैली हुई है और जिनमें से कुछ समुदाय के स्वामित्व वाली सामुदायिक भूमि है। इसके अलावा, प्रभावित भूमि क्षेत्र का उपयोग कृषि के लिए किया जा रहा है, लेकिन भूमि उपयोग पैटर्न के अनुसार, पीएएफ बागवानी उत्पादों (पीएएफ का 30%), लकड़ी (पीएएफ का 25%), और आवासीय के लिए निर्मित संरचनाओं सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग करते हैं। (पीएफ का 33%) और व्यावसायिक उद्देश्य (पीएफ का लगभग 4%)। पीएएफ का एक बहुत छोटा वर्ग वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए भूमि का उपयोग करता है। भूमि के उपयोग के अन्य रूप धार्मिक उद्देश्य हैं, सामुदायिक उद्देश्य प्रभावित पारिवारिक संपत्ति के बारे में विवरण नीचे दिया गया है;

1) अर्जित की जा रही संपत्ति के प्रकार


चित्र में TURF विश्लेषण है। प्रभावित होने वाली संपत्ति पर संपत्ति को दर्शाता है। परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के लगभग 57% और 62% में क्रमशः फलदार पेड़ और अन्य पेड़ हैं। जिन परिवारों के पास अर्जित की जा रही संपत्ति पर पानी की टंकी है, उनकी संख्या लगभग 22% है, जबकि 6% नलकूप खो रहे हैं।

केवल 12% पीएएफ के पास अर्जित की जा रही संपत्ति पर कोई संपत्ति नहीं है।



Percent	Response count
	20
	1
	10
	35
	6
	100
	93
	7

चित्र 5.1: अधिग्रहित की जा रही भूमि पर संपत्ति का प्रकार



चित्र 5.2: निर्मित संरचनाओं के प्रकार


ii) अधिग्रहित की जा रही भूमि पर निर्मित संरचनाओं के प्रकार

चित्र 5.2 भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित होने वाली व्यापक, लेकिन संपूर्ण नहीं, निर्मित संरचनाओं को दर्शाता है। लगभग **45%** पीएफ किसी भी निर्मित संरचना को नहीं खो रहे हैं। **54%** के बीच, नुकसान विविध हैं। संपत्ति खोने वाले समूह में, **42%** परिवारों के आवासीय पक्के घर आंशिक रूप से या पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। लगभग **11%** कच्चे आवासीय ढांचे को खो रहे हैं और शेड के लिए हिस्सा समान है।

iii) प्रभाव की सीमा

45% अपनी पहचान के साथ 50% से अधिक बाहरी होते हैं।

26% PAF अपनी 25% से कम डोमेन में रहते हैं 29% PAF 25-50% प्रभाव श्रेणी में हैं। इस विचार को अंजीर में सुनाया गया है।



चित्र 5.3: प्रभाव की सीमा

Choices	Response percent	Response count
Less than 25%	25.81%	40
25% - 50%	29.03%	45
50% - 75%	18.71%	29
More than 75%	26.45%	41

5.1 निवासों की संख्या/प्रभावित ढाँचे

अधिग्रहित की जाने वाली अधिकांश भूमि का उपयोग आवासीय, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जो परियोजना स्थल पर भी मौजूद है। नीचे दी गई तालिका संक्षेप में प्रभावित संपत्ति के आकलन का वर्णन करती है।

तालिका 5.1: प्रभावित संरचनाओं और प्रभावित आवासों की संख्या

क्रमांक	नुकसान की श्रेणी	विवरण
1	कुल भूमि क्षेत्र	667 बीघा 15 बिस्वा
2	संरचनाएं	कम से कम 96
3	आजीविका	आय की हानि (कृषि आय के रूप में, गोदामों और सीमेंट कारखानों, दुकानों और स्ट्रीट फूड स्टॉल आदि से वाणिज्यिक आय के रूप में)
4	सामान्य संपत्ति संसाधन	सामुदायिक भवन, पेड़, ड्रेनेज लाइन और पानी की टंकियां आदि।
5	कोई अन्य (सांस्कृतिक विरासत)	दियारा सेक्टर में वेद व्यास गुफा और कुछ अन्य मंदिर

5.2 सामान्य संपत्ति की हानि

रेलवे लाइन के निर्माण और सौंदर्यीकरण से पेड़, पानी की टंकियां और सामुदायिक भवन प्रभावित होंगे।

क्रमांक	विवरण	कुल गणना
1	मंदिर	1 वेद व्यास गुफा
2	मस्जिद / गुरुद्वारा / चर्च	शून्य
3	हैंड पंप	शून्य
4	ट्रांसफार्मर	शून्य
5	बिजली के खंभे	शून्य
6	जल समिति	35 (पानी की टंकी)
7	सरकारी संरचनाएं	शून्य
8	शैक्षिक संस्था	शून्य
9	ड्रेनेज और सीवर लाइन	हां

तालिका 5.2: सामान्य संपत्ति संसाधनों की हानि

5.3 व्यक्तिगत संपत्ति की हानि

भूमि, मकान, शेड, वाणिज्यिक क्षेत्र के नुकसान के रूप में व्यक्तिगत संपत्ति परियोजना से प्रभावित होगी। विवरण नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है:

तालिका 5.3: व्यक्तिगत संपत्ति की हानि

क्रमांक	विवरण	कुल संख्या
1	आवासीय मकान	17 (Kuchha) & 64 (Pucca)
2	बोर वेल	11
3	खेत के तालाब	शून्य
4	शेड	17
5	यौगिक दीवार	5
6	पानी की टंकियां या हैंडपंप	35
7	पाइपलाइन	शून्य
8	वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	2 (गोदाम और दुकानें)
9	कोई अन्य गतिविधि	5 (भवन और शौचालय के कमरे)
10	फल देने वाले पेड़	93
11	अन्य पेड़	100

6. सामाजिक प्रभाव

पीएएफ, प्रभावित गांवों और आसपास के क्षेत्रों पर इस परियोजना के कई सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक प्रभाव होंगे। एचपीएसआईए नियम 2015 के फॉर्म II के अनुसार प्रमुख सामाजिक प्रभाव इस प्रकार हैं;

तालिका 6.1: प्रमुख सामाजिक प्रभाव

प्रभावों के प्रकार	प्रभावों की प्रकृति और सीमा		प्रभावित पंचायतें/गांव
	सकारात्मक प्रभाव	नकारात्मक प्रभाव	
भूमि, आजीविका और आय पर प्रभाव	<p>i) बगल में रेल संपर्क के साथ आसपास के क्षेत्र में जमीन की कीमतों में तेजी से वृद्धि होगी। इससे क्षेत्र में अचल संपत्ति बाजार और भूमि का मूल्यांकन बढ़ेगा।</p> <p>ii) किसी भी निर्माण परियोजना की तरह यह सभी प्रकार के कार्यबल (अर्थात नौकरशाह से लेकर अत्यधिक कुशल और प्रशिक्षित) को शामिल करते हुए कई नए रोजगार के अवसर खोलेगा।</p> <p>इससे न केवल परियोजना क्षेत्र बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।</p> <p>ii) कोई भी बुनियादी परियोजना बाजारों में वृद्धि, बेहतर सेवाओं के बड़े वर्गीकरण, परिवहन और संचार में सुधार और स्थानीय अर्थव्यवस्था के</p>	<p>i) अधिग्रहण के बाद परियोजना क्षेत्र में पीएएफ के बीच भूमिहीनता काफी व्यापक हो जाएगी। चूंकि लगभग 86 प्रतिशत भूमि का नुकसान कृषि होगा, इसका ग्रामीण आजीविका और आय स्रोत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इससे बाहर का स्थानान्तरण भी बढ़ सकता है। जैसा कि पीएएफ द्वारा रिपोर्ट किया गया है, प्राकृतिक संसाधनों में व्यवधान से भूमि की उर्वरता भी प्रभावित होगी।</p> <p>ii) विशेष रूप से, प्रस्तावित अधिग्रहण से पीएएफ के लिए आय के स्तर, जीवन स्तर, खाद्य सुरक्षा, पहुंच और उत्पादक संसाधनों पर नियंत्रण में कमी आ सकती है। यह पीएएफ के बीच आर्थिक निर्भरता या भेद्यता में वृद्धि का कारण बन सकता है।</p> <p>iii) मुख्य मुद्दे अधिग्रहण के लिए दिए गए मुआवजे की दर से संबंधित हैं। पीएएफ के अनुसार, उनके आवासीय और</p>	सभी 26 गांव

	विस्तार के मामले में स्थानीय क्षेत्र के लिए अच्छे भाग्य का वादा करती है।	आजीविका पुनर्वास के लिए मुआवजे की दर आवश्यकता से बहुत कम है। iv) कई लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में नए व्यवसाय के अवसर पैदा होंगे, जबकि कुछ का मानना है कि नए व्यवसाय का उदय मौजूदा व्यवसाय को प्रतिस्पर्धा और नुकसान पहुंचाएगा।	
भौतिक संसाधनों पर प्रभाव	<p>i) प्रस्तावित निर्माण में किए गए प्रारूप मापदंडों और लगभग 20 सुरंगों का व्यापक उपयोग भूमि पर इस दबाव को कम करेगा और इसे न्यूनतम बनाए रखेगा।</p> <p>इसके अलावा, यह संभावना है कि सुरंग निर्माण में शामिल आधुनिक परिष्कृत तकनीकों के उपयोग से न्यूनतम गाद और खतरनाक रासायनिक या जहरीली सामग्री का डंपिंग हो जाएगा। हालांकि, निर्माण परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता और प्रारूप योजना की अनुपलब्धता के कारण यह असत्यापित है।</p>	<p>i) जैसा कि किसी भी निर्माण या बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ आम है, इससे क्षेत्र में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण होगा।</p> <p>पर्वतीय क्षेत्रों में, आमतौर पर भूमि पर विशेष रूप से कृषि, शहरी और उपलब्ध अन्य सीमित संसाधनों पर भारी दबाव होता है।</p> <p>ii) चूंकि प्रत्येक निर्माण क्षेत्र में प्रस्तावित क्षेपण यार्ड हैं जहां सुरंगों का निर्माण किया जाना है, सतलुज घाटी में गाद में वृद्धि का एक उच्च जोखिम है, जो संभावित रूप से बाढ़ और भूस्खलन के जोखिम को बढ़ा सकता है।</p>	<p>सभी 26 गांव</p> <p>जिन पंचायत क्षेत्रों में रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है यानि धारोट और तल्ली एसएनडी तहसील में और शहरी नगरपालिका क्षेत्र और सदर तहसील में बामटा पंचायत.</p>
निजी संपत्तियों, सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं पर प्रभाव	<p>i) जिला बिलासपुर में रेलवे की शुरुआत के साथ, सार्वजनिक सेवाओं के बुनियादी ढांचे को निश्चित रूप से बढ़ाया जा रहा है। यात्री-यात्रा, कूरियर, वाणिज्यिक परिवहन और पर्यटन के बुनियादी ढांचे की आसानी से वृद्धि होगी और अंततः स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।</p>	<p>i) कुल पीएएफ के लगभग 40% के कुछ न कुछ निर्मित संरचनाएं हैं जो अधिग्रहण के अधीन आ रही हैं।</p> <p>अन्य प्रभावित संपत्ति सूचि की अनुपलब्धता के कारण, व्यक्तिगत सर्वेक्षण को यहां संदर्भित किया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार, ज्यादातर बागवानी उत्पाद (पीएएफ का 57%), अन्य पेड़ (62%) और निर्मित संरचनाएं हैं। ये संपत्तियां पीएएफ के लिए आय के मुख्य स्रोतों में से एक हैं।</p>	<p>सभी 26 गांव</p> <p>खासकर सदर तहसील के उप महोल बलोह, बिलासपुर जैसे वार्डों</p>


		<p>ii) अधिकांश पीएएफ जिनके आवासीय घर प्रभावित हो रहे हैं, वे आवासीय रूप से विस्थापित हो रहे हैं क्योंकि यही उनके रहने का एकमात्र स्थान है।</p> <p>इसके अलावा, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पीएएफ ने पुनर्वास के लिए कहीं जमीन ले ली है, लेकिन मुआवजे के वितरण में देरी के कारण, वे इसे खरीदने में सक्षम नहीं हैं। इसने उनकी आर्थिक भेद्यता को बढ़ा दिया है और उन्हें कर्ज में डाल दिया है।</p>	<p>में जहां मुआवजा दरों की घोषणा की गई है।</p>
स्वास्थ्य पर प्रभाव	चंडीगढ़ या पंजाब के अन्य क्षेत्रों में अग्रिम स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच बढ़ जाएगी।	<p>i) कान्गुवाली और धारोट जैसे गांवों में जहां सुरंगों और रेलवे स्टेशन के लिए निर्माण कार्य चल रहा है, वहां रासायनिक और खतरनाक सामग्री के उत्पादन और निकलने से विभिन्न त्वचा रोग आदि हो रहे हैं, जैसा कि पीएएफ द्वारा बताया गया है।</p> <p>ii) प्रस्तावित रेल परियोजना से ट्रेनों की संख्या और गति में वृद्धि होगी। इसके साथ अधिक शोर, अधिक धूल, भारी वायु प्रदूषण, दुर्घटनाओं में वृद्धि और चोट लगने की संभावना है।</p> <p>और आसपास के क्षेत्र में जानवरों और मनुष्यों के जीवन के लिए खतरा, और स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि।</p>	<p>श्री नैना देवीजी तहसील के ग्राम कंगुवाली व धारोट</p>
	इस परियोजना से आस-पास के क्षेत्रों के साथ सामाजिक-सांस्कृतिक आदान-प्रदान के अवसरों में वृद्धि हो सकती है।	<p>i) सदर तहसील के उप महोल दियारा वार्ड नं. 8 में वेद व्यास गुफा प्रभावित हो रही है जो महान ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का स्थान है। दियारा सेक्टर के पीएएफ इसे अधिग्रहण से सुरक्षित रखने की मांग कर रहे हैं।</p> <p>यदि अपरिहार्य हो तो इस मंदिर और स्थान के पुनर्वास के लिए उचित पुनर्वास पैकेज दिया जाना चाहिए।</p>	<p>सदर तहसील में उप महोल दियारा</p> <p>खासकर वहां जहां आवासीय और व्यावसायिक विस्थापन का उच्च जोखिम है। यह वहां बहुत है जहां रेलवे</p>

<p>प्रकृति और सामाजिक एकता पर प्रभाव</p>		<p>iii) उन गांवों में जहां आवासीय विस्थापन व्यापक होगा, इससे सांस्कृतिक अस्थिरता और सामाजिक एकता में व्यवधान पैदा होगा।</p> <p>iv) नातेदारी और अपराध - यह व्यापक रूप से माना जाता है कि एक सार्वजनिक परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण रिश्तेदारी संरचना में दरारें पैदा करेगा और भूमि अधिग्रहण से प्राप्त होने वाले मुआवजे का एक बड़ा हिस्सा हड़पने के लालच के कारण अपराध बंध सकता है।</p> <p>v) नशीली दवाओं और शराब का सेवन - एक समानांतर धारणा यह है कि प्रस्तावित परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण मुआवजे की प्राप्ति के बाद ड्रग्स और शराब की लत में वृद्धि के मुद्दे से संबंधित है।</p> <p>vi) तनाव और हिंसा - तनाव और सहवर्ती पारिवारिक हिंसा में वृद्धि एक संबंधित नकारात्मक प्रभाव है जो रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न होने की संभावना है। यह माना जा सकता है कि भूमि के नुकसान से भूमि खोने वाले घर के लिए तनाव आने की संभावना है क्योंकि भूमि एक मूल्यवान संपत्ति है, बीमा के लिए एक प्रीमियम और एक स्थिति का प्रतीक है, इसका नुकसान अपूरणीय होगा और भूमि की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाएगा। गृहस्थी खोना। तनाव जितना अधिक होता है, भूमि से उतना ही अधिक लगाव होता है और पैतृक भूमि से उतना ही अधिक। भूमि अधिग्रहण के बाद</p>	<p>स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है।</p>
---	--	--	--

		<p>मुआवजा भी तनाव का एक कारण है। यह सोच कि मुआवजा अपर्याप्त है, तुरंत वितरित नहीं किया जाएगा, जिस उपयोग के लिए इसे लगाया जाएगा, आदि इस तरह के तनाव के संभावित स्रोत हैं। यह स्पष्ट है कि तनाव पारिवारिक हिंसा में परिलक्षित होता है।</p> <p>vii) परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण कृषि जोतों के उप-विभाजन और विखंडन का कारण बनेगा, उन्हें अव्यवहार्य बना देगा, और कुछ भूमि खोने वाले परिवारों को शेष भूमि को बेचने और अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित करेगा। इससे गाँव में नातेदारी संरचना और सामुदायिक जीवन कमजोर होगा।</p> <p>कुछ लोग दृढ़ता से मानते हैं कि भूमि खोने वाले परिवार मुआवजे की प्राप्ति को आसान धन के रूप में मानेंगे और उत्साहित और ऊंचा महसूस करेंगे। उन्हें निवेश करने के बजाय उत्पादक उपक्रमों में, वे शराब पीने, ड्रग्स लेने और क्षणिक आनंद में लिप्त होने के लिए मुआवजे के पैसे बर्बाद कर सकते हैं। इसके गंभीर नकारात्मक सामाजिक परिणाम होंगे।</p>	
परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों पर प्रभाव			
पूर्व-निर्माण चरण	<p>i) भूमि की बढ़ती कीमतें</p> <p>ii) स्थानीय अर्थव्यवस्था में निवेश और विश्वास</p>	<p>i) भूमि अधिग्रहण</p> <p>ii) पीएएफ के लिए सामाजिक-आर्थिक भेद्यता</p>	सभी 26 गांव

निर्माण चरण	i) नौकरी के अवसर और रोजगार ii) निर्माण क्षेत्रों के आसपास वाणिज्यिक विकास	i) वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण ii) बाढ़ और भूस्खलन और अन्य पारिस्थितिक प्रभावों के जोखिम में वृद्धि iii) हरित पर्यावरण पर प्रभाव	सभी 26 गांव
कार्यवाही चरण	i) यात्रा में आसानी और पर्यटन में वृद्धि ii) हिमाचल प्रदेश के लिए रेल संपर्क iii) लद्दाख में अंतरराष्ट्रीय सीमा के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए रणनीतिक बुनियादी ढांचा	ट्रैफिक जाम एक संभावित प्रभाव हो सकता है। हालांकि, अन्य प्रभावों को सत्यापित करने की आवश्यकता है।	सभी 26 गांव
सेवामुक्त चरण	लागू नहीं	लागू नहीं	सभी 26 गांव
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव			
प्रत्यक्ष प्रभाव	भूमि, आजीविका और आय पर प्रभाव, भौतिक संसाधनों पर प्रभाव, पारिस्थितिक प्रभाव, और निजी संपत्तियों और सार्वजनिक सेवाओं पर प्रभाव		सभी 26 गांव
अप्रत्यक्ष प्रभाव	संस्कृति और सामाजिक सामंजस्य पर प्रभाव, पीएफ के स्वास्थ्य पर प्रभाव, प्रभावित गांवों के सामाजिक-सांस्कृतिक पर प्रभाव और सार्वजनिक उपयोगिताओं पर प्रभाव		सभी 26 गांव
विभेदक प्रभाव			
महिलाओं और बच्चों पर प्रभाव	तनाव और हिंसा, सामाजिक भेद्यता, बाल श्रम का जोखिम आदि।		सभी 26 गांव

इसके अलावा मुख्य मुद्दे सर्किल रेट और जमीन अधिग्रहण के मुआवजे के पैकेज के साथ हैं। 26 गांवों में सभी पीएफ द्वारा पहचाने गए प्रमुख मुद्दों का सारांश इस प्रकार है;



चित्र 6.1। भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दे

परेतो (Pareto) लाइन अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों के व्यापक मूल्यांकन को दर्शाती है। मुख्य मुद्दा सर्किल रेट से जुड़ा है। दूसरा सबसे प्रचलित मुद्दा प्रस्तावित परियोजना में कब्जे का नुकसान है। केवल 7% उत्तरदाताओं के पास कोई समस्या नहीं है। अन्य मुद्दे हैं भूमि का पंजीकरण किया जा रहा है लेकिन मुआवजा नहीं दिया जा रहा है; आवासीय संरचना और संपत्तियों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और प्रत्येक मुद्दे के लिए लगभग 6% पीएएफ हैं।

6.1 प्रभावों की पहचान के लिए रूपरेखा

प्रभावों की पहचान करने के लिए ढांचा और दृष्टिकोण प्रत्येक प्रभावित गांवों या गांवों के समूहों में सर्वेक्षण प्रश्नावली और सार्वजनिक परामर्श के माध्यम से होता है (यानी एक पंचायत को क्लस्टर के रूप में उपयोग करना)। सर्वेक्षण प्रश्नावली और सार्वजनिक परामर्श आयोजित करने का प्रारूप अनुलग्नक 1 और 2 में संलग्न किया गया है। व्यक्तिगत मुद्दों और प्रभावों को आम तौर पर सर्वेक्षण प्रश्नावली के माध्यम से दर्ज किया जाता है जबकि बड़े-मुद्दों या ग्राम स्तर के मुद्दों को सार्वजनिक परामर्श के माध्यम से दर्ज किया जाता है।

आयोजित इन परामर्शों में से प्रत्येक से बैठक के कार्यवृत्त का सारांश इस प्रकार है;

6.1.1 तहसील श्री नैना देवी जी

बैठक के कार्यवृत्त

सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रारूप

स्थान: कोट खास पंचायत [गांव कंगुवाली]

दिनांक / समय: 23 जुलाई, 2021 | 11:05 पूर्वाह्न

हितधारक: एसआर एशिया फील्ड टीम

श्री सुरेंद्र कुमार (ग्राम प्रधान)

परियोजना प्रभावित परिवार (पीएफ)

पीएपी की चिंताएं और सुझाव

1. दिहाड़ी मजदूरों के लिए मनरेगा की दर रु. 203 प्रति दिन।
2. पेयजल आपूर्ति के प्रमुख स्रोत नहर, हैंडपंप और कुएं हैं जो सुरंग निर्माण के कारण बाधित हो रहे हैं
3. मुख्य सिंचाई सुविधा वर्षा है
4. प्राकृतिक संसाधनों में व्यवधान के कारण भूमि और कृषि उपज आदि में उर्वरता में कमी आई।
5. सर्किल रेट रु. 36 लाख प्रति बीघा और क्षेत्र में केवल 2 गुना मुआवजा दिया जा रहा है।
6. सर्किल रेट = रु. कंगुवाली में 26 लाख प्रति बीघा, सर्किल रेट = रु. धरोटी में 28 लाख प्रति बीघा
7. प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं और समाप्त हो रहे हैं।
8. सुरंग निर्माण के लिए पहाड़ों में ब्लास्टिंग से रिहायशी इलाकों में नुकसान हुआ है
9. सुरक्षा दीवार निर्माण की आवश्यकता है
10. आसपास के गांवों की दरें अलग हैं, हालांकि भूमि की विशेषताएं काफी समान हैं।
11. गांव में कृषि और कृषि और गैर-कृषि श्रम मुख्य व्यवसाय है।
12. यदि तौबा गांव में कोई रेलवे स्टेशन या जंक्शन हो, तो यह गांव के लिए और पर्यटन के लिए श्री नैना देवीजी की तरह अच्छा होगा।
13. डौड़ा बेहरा, कंगुवाली (आंगनवाड़ी या महिला मंडल) प्रभावित हो रहा है और शेष सरकारी भूमि वन भूमि है।
14. गांव भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है और करीब 20 साल पहले हुए बड़े भूस्खलन में से एक गांव है।
15. फोर-लेन सड़क निर्माण में भूमि चिन्हांकन के मुद्दे हैं, न कि रेलवे परियोजना में।
16. जमीन का बाजार भाव करीब 8-9 लाख प्रति कनाल यानी करीब 80-90 लाख प्रति बीघा है।

बैठक के कार्यवृत्त
सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रारूप

स्थान: गांव खैरियां

दिनांक / समय: 22 जुलाई, 2021 | 11:15 पूर्वाह्न

हितधारक: एसआर एशिया फील्ड टीम

पंचायत सदस्य एवं सचिव

परियोजना प्रभावित परिवार (पीएफ)

पीएपी की चिंताएं और सुझाव

1. सर्कल रेट पर्याप्त नहीं है क्योंकि 1 बिस्वा के लिए मार्केट रेट को 1 बीघा के सर्कल रेट के रूप में लिया जाता है।
2. गांव भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है और जब सुरंग बनाई जाएगी तो भूस्खलन की आशंका बढ़ जाएगी।
3. मलकीत वह स्थान है जहाँ समस्त शासकीय एवं वन भूमि स्थित है।
4. सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। गांव सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर है।
5. पानी की आपूर्ति एक पाइपलाइन के माध्यम से होती है।

बैठक के कार्यवृत्त
सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रारूप

स्थान: धारोट गांव

दिनांक / समय: 23 जुलाई, 2021 | 12:30 बजे

हितधारक: एसआर एशिया फील्ड टीम

ग्राम प्रधान एवं वार्ड सदस्य

परियोजना प्रभावित परिवार (पीएफ)

पीएपी की चिंताएं और सुझाव

1. गांव में बेरोजगारी की समस्या है। कंपनियां स्थानीय योग्य लोगों को रोजगार नहीं दे रही हैं।
2. मुआवजा सर्किल रेट से दोगुना है। नियम के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में यह सर्किल रेट का 4 गुना है। इससे पीएएफ खुश नहीं है।
3. परियोजना ने प्राकृतिक जल संसाधनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है जो कि कृषि के लिए गांव में सिंचाई के लिए उपयोग किए जा रहे थे।
4. सड़क के किनारे और भीतरी क्षेत्रों के लिए मुआवजा दर समान है।
5. स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार सृजन नहीं दिया जाता है।
6. प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र है।
7. पुल के निर्माण से प्राकृतिक संसाधन प्रभावित हो रहे हैं।
8. प्रदूषण स्थानीय लोगों को प्रभावित कर रहा है क्योंकि सीमेंट उद्योग एलर्जी और कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रहे हैं।
9. रासायनिक कचरे का डंपिंग भूमिगत किया जा रहा है जिससे भूजल और पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रही है।
11. प्रदूषण नियंत्रण निकाय ने परियोजना के निर्माण से संबंधित प्रदूषण के कारण स्थानीय पीएएफ के आवेदनों पर कार्रवाई नहीं की है।
12. पेयजल आपूर्ति लाइनें और पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हैं और गांव में पानी की गंभीर और गंभीर कमी है।
13. 2018-19 में, मुआवजे की दर रुपये पर तय की गई है। 34 लाख प्रति बीघा और अब मुआवजे की दर रु। 17 लाख प्रति बीघा।
14. बाजार दर (सड़क के किनारे) रुपये है। 15-20 लाख प्रति कनाल और भीतरी क्षेत्रों के लिए 10-15 लाख रुपये प्रति कनाल है।
15. अधिनियम के अनुसार 4 गुना मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। राजस्व विभाग में भूमि मानचित्रण और पंजीकरण के मुद्दे हैं। इसे राजस्व विभाग के माध्यम से हल करने की आवश्यकता है।
16. मुआवजे के लिए भूमि के प्रकार पर विचार नहीं किया जा रहा है।
17. निर्मित संरचना को शामिल सामग्री के अनुसार पर्याप्त रूप से मुआवजा नहीं दिया गया है। दरें मनमानी हैं।
18. खंभों के निर्माण से पहाड़ी क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो रहा है जिससे भूस्खलन और जलधाराओं के बाढ़ आने का खतरा बढ़ सकता है।
19. अर्जुन सिंह पुत्र ओंकार सिंह का घर प्रभावित हो रहा है, यद्यपि यह मुआवजे के लिए पंजीकृत नहीं है। आस-पास के अन्य क्षेत्रों को नष्ट करने के कारण घर क्षतिग्रस्त हो रहा है।

20. जुलाई, 2020 में; गुरमीत सिंह को सर्वे हेल्पर के लिए भर्ती किया गया था और वह एक स्टाफ सदस्य के अस्पताल में भर्ती होने में शामिल था और उसे 4 महीने [अगस्त 2020 - नवंबर 2020] से वेतन नहीं दिया जा रहा है। वेतन राशि रु. 36, 000 और एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट द्वारा नियोजित किया गया था। लिमिटेड
21. गावों में वाहनों का प्रदूषण और जाम की समस्या हो रही है। पिछले महीने ही कंपनी के कर्मचारियों और ग्रामीणों के बीच मारपीट हो गई है।
22. निर्माण परियोजना में किसी चोट के कारण प्रभावित होने वाले किसी भी श्रमिक के लिए मुआवजा।
23. एक घायल कर्मचारी के मामले में शामिल लोगों को अब मामलों में शामिल होने से धमकाया और हतोत्साहित किया जा रहा है।
24. स्थानीय वन्यजीव और पशुधन प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि उनकी मुख्य पेयजल आपूर्ति बाधित है।
25. निर्माण परियोजना अधिकारियों से धमकी का मामला

बैठक के कार्यवृत्त

सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रारूप

स्थान: थापना गांव, माझेर पंचायत [गांव थापना, जबल और समलेतु]

दिनांक / समय: 22 जुलाई, 2021 | 12:30 बजे

हितधारक: एसआर एशिया फील्ड टीम

ग्राम प्रधान श्री सोहन लाल जी

परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ)

पीएपी की चिंताएं और सुझाव	
<ol style="list-style-type: none"> 1. भूस्खलन प्रभावित गाँव और सिंचाई सुविधा पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है और यह परियोजना के कारण बहुत अच्छी तरह से प्रभावित होगी। गांव के लिए रोजगार सृजन महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थानीय गांव के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है 2. सर्किल मुआवजा दर रुपये है। 35 लाख प्रति बीघा 3. निर्माण परियोजना के कारण आसपास के जुड़े हुए सड़क क्षेत्र प्रभावित होंगे 4. भूमि के पंजीकरण के संबंध में कई मुद्दे हैं क्योंकि क्षेत्रों में कई भूमिधारक है 5. मौजूदा 4-लेन सड़क परियोजना के निर्माण में स्थानीय रोजगार की योग्यता नहीं दी गई है और रेलवे परियोजना में भी ऐसा ही होने की संभावना है। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. भूस्खलन के मुद्दों से बचने या कम करने के लिए सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जाना चाहिए। 2. कुठेला और माझेर पंचायत के लिए लिंक रोड होना चाहिए क्योंकि

<p>6. रेलवे टनल बनने से मकानों में भूस्खलन और कंपन की संभावना बढ़ जाएगी।</p> <p>7. गाँव में रोजगार के बहुत कम अवसर उपलब्ध हैं क्योंकि गाँव बहुत भीतरी भाग में है।</p> <p>8. परियोजना के निर्माण से कुठेला और माझेर पंचायत को अलग कर दिया जाएगा क्योंकि इससे जुड़ी सड़कें प्रभावित होंगी।</p> <p>9. जमीन पर कई काश्तकार हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन पेपर इश्यू और प्रॉपर्टी के म्यूटेशन के कारण मुआवजा नहीं मिल रहा है।</p> <p>इन मुद्दों को भू-राजस्व विभाग और पटवारी कार्यालय के माध्यम से दूर किया जा सकता है।</p> <p>10. पंचायत की सीटें आरक्षित हैं और जबाल गांव और थापना में सरकारी जमीन प्रभावित हो रही है।</p> <p>11. निर्माण से पेयजल आपूर्ति पाइपलाइन प्रभावित होगी।</p> <p>12. रेलवे निर्माण से पेयजल आपूर्ति पाइपलाइन प्रभावित होगी।</p> <p>13. इस स्तर पर मुआवजे की दर पर कोई विवाद नहीं</p> <p>14. रेलवे परियोजना के निर्माण के कारण होने वाले तेज कंपन से आवासीय घर प्रभावित होंगे।</p> <p>15. भूमि मानचित्रण, पंजीकरण के मुद्दे यहां बहुत अधिक हैं। भूमि मानचित्रण और पंजीकरण को संशोधित किया जा सकता है क्योंकि लोगों को पर्याप्त और समय पर मुआवजा नहीं दिया जाता है।</p> <p>16. भूमि मानचित्रण को संशोधित और सटीक किया जाना चाहिए।</p> <p>17. परियोजना के माध्यम से स्थानीय रोजगार सृजित किया जाना चाहिए।</p> <p>18. जबल और समलेटु गांवों में मुआवजे की दर को लेकर विवाद हो सकता है।</p>	<p>उन्हें डी-लैंक किया जाएगा।</p> <p>3. पेयजल सुविधा में सुधार किया जाना चाहिए क्योंकि यह परियोजना के निर्माण के कारण प्रभावित हो रही है।</p> <p>4. यदि कोई ठहराव प्रदान किया जाता है, तो अच्छा होगा।</p>
---	---

बैठक के कार्यवृत्त

सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रारूप

स्थान: टाली गाँव, टाली पंचायत

दिनांक / समय: 22 जुलाई, 2021 | 3:00 बजे

हितधारक: एसआर एशिया फील्ड टीम

ग्राम प्रधान एवं वार्ड सदस्य

परियोजना प्रभावित परिवार (पीएफ)

पीएपी की चिंताएं और सुझाव

1. 2019-20 के लिए मुआवजा दर रुपये है। 19.53 लाख प्रति बीघा और अब 2021 में, यह रु। 9 लाख प्रति बीघा। बाजार भाव रु. 2 करोड़ प्रति बीघा [रु. 5 लाख प्रति बिस्वा]
2. यह परियोजना योग्यता और अनुभव के अनुसार विशेष रूप से स्थानीय लोगों के लिए कुछ रोजगार पैदा करेगी।
3. यहां एक जंक्शन है इसलिए जमीन की दर अधिक होनी चाहिए।
4. यह स्थान ऐतिहासिक महत्व का है इसलिए स्थानीय लोगों की उचित देखभाल की जानी चाहिए।
5. कृषि पंचायत का मुख्य व्यवसाय है। 2008 में पंचायत का शुद्ध बोया गया क्षेत्र 25% था लेकिन इसे घटाकर 5-8% कर दिया गया है।
6. बहुफसली भूमि, मैदानी और कृषि योग्य भूमि। मुख्य फसलें गेहूं, चावल, मक्का, चना, दालें और सरसों हैं।
7. वर्षा जल, बोरवेल और सिंचाई योजनाएँ सिंचाई का मुख्य स्रोत हैं।
8. किसी भी हताहत को कम करने के लिए नहर का निर्माण किया जाना चाहिए। सुरक्षा है प्रमुख प्राथमिकता
9. एक अनुसूचित क्षेत्र है जहां 15 परिवार (25 बीघा) हैं। उनके लाभ के लिए कुछ प्रावधान होने चाहिए।
10. रेलवे परियोजना और वहां रोजगार के नुकसान के कारण परिवहन, व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित होना चाहिए।
11. राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे परियोजना के कारण प्रदूषण में वृद्धि होगी, वनस्पति और कृषि भूमि का नुकसान होगा।
12. यह क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करेगा और स्थानीय आबादी बुरी तरह प्रभावित होगी।
13. वन भूमि कृषि भूमि से अधिक है। बाढ़ और भूस्खलन की कोई समस्या नहीं है।
14. रेलवे जंक्शन बनने से जमीन की कीमत घटने वाली है।
15. रेलवे जंक्शन बनने से जमीन की कीमत घटने वाली है।
16. मुख्य मुद्दे रोजगार सृजन, सर्किल रेट की पर्याप्तता और आर एंड आर (विशेषकर आवासीय) हैं।
17. हो सके तो वन भूमि को डायवर्जन।
18. रेलवे टनल बनने से कुछ घरों या बस्तियों का बंटवारा हो रहा है।
19. सिंचाई भूमि प्रभावित होने से बंदोबस्त पैटर्न अत्यधिक प्रभावित होगा, जो आजीविका का मुख्य स्रोत भी है।

6.1.2 तहसील बिलासपुर सदर

बैठक के कार्यवृत्त

सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रारूप

स्थान: कल्लर पंचायत भवन [प्रभावित गांव कोट और तुहनु के लिए]

दिनांक / समय: 19 जुलाई, 2021 | 12:00 बजे

हितधारक: एसआर एशिया फील्ड टीम

ग्राम प्रधान एवं वार्ड सदस्य

परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ)

पीएपी की चिंताएं और सुझाव

1. मुख्य मुद्दे पर्यावरण और रोजगार सृजन हैं।
2. घरों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दीवारों का निर्माण आवश्यक है।
3. पानी इस हद तक दूषित हो गया है कि इसका उपयोग निजी इस्तेमाल के लिए नहीं किया जा सकता है, खासकर पीने और नहाने आदि के लिए।
4. रेलवे लाइनों के निर्माण चरण के दौरान भूस्खलन में कई गुना वृद्धि का उच्च जोखिम है।
5. मुआवजा सर्कल से केवल दो गुना है जबकि यह लगभग चार गुना होना चाहिए था।
6. सर्किल रेट पिछले साल के मुकाबले घटा दिया गया है।
7. बागवानी और लकड़ी के पेड़ों को अलग से मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।
8. बागवानी परियोजना प्रभावित परिवारों को एक महत्वपूर्ण और नियमित आय प्रदान करती है। अतः फलदार वृक्षों की दर अधिक एवं महत्वपूर्ण होनी चाहिए।
9. पर्यावरणीय गिरावट की भरपाई शैक्षिक, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवाओं को वित्त पोषण या खोलकर की जानी चाहिए।
10. चरागाह भूमि में काफी कमी आएगी जिससे पशुओं द्वारा फसल को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाएगा।

बैठक के कार्यवृत्त

सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रारूप

स्थान: उप महोल बलोह और बिलासपुर (क्रमशः वार्ड संख्या 10 और 11)

दिनांक / समय: 17 जुलाई, 2021 | 5:00 बजे

हितधारक: एसआर एशिया फील्ड टीम

ग्राम प्रधान एवं वार्ड सदस्य

परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ)

पीएपी की चिंताएं और सुझाव

1. 3 लाख / बिस्वा को बढ़ाकर 6 लाख / बिस्वा
2. 1 साल पहले हुई थी बातचीत इसलिए उस समय के अनुसार दरें तय की गईं और परियोजना में देरी से संबंधित मुद्दे हैं। कई लोगों ने अगली जमीन के लिए एडवांस बुकिंग कर ली है
3. बाजार दर- 1 करोड़ / बीघा
4. आवासीय रूप से विस्थापित और भूमिहीनों के लिए अधिक मायूसी है।
5. विधायक- सुभाष ठाकुर
6. बातचीत और जनसुनवाई में रेलवे अधिकारी शामिल हों
7. आर एंड आर के संबंध में मुद्दा यह है कि पीएफ किसी भी दूर के क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्वास नहीं करना चाहते हैं।
8. पुनर्वास प्रभावित क्षेत्र के 5-10 किमी के दायरे में किया जाना चाहिए।
9. पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास में दी जाने वाली भूमि का प्रकार अधिग्रहित भूमि के अनुसार होना चाहिए जैसे उपजाऊ भूमि के लिए उपजाऊ भूमि और भूमि के लिए बंजर भूमि
10. रेलवे लाइन के लिए सरिखण गाँव को गाँव के बीच में दो भागों में विभाजित कर रहा है
11. पीडब्ल्यूडी का मूल्यांकन 20 साल पहले की दर के अनुसार है।
12. सर्किल रेट में संशोधन कर मुआवजे का समय पर भुगतान हो
13. कोट में, पीएफ आर एंड आर क्षेत्र के भीतर होना चाहिए

बैठक के कार्यवृत्त

सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रारूप

स्थान: रघुनाथपुरा पंचायत भवन (रामपुर, खानसारा, कोहलवीन और रघुनाथपुरा के लिए)

दिनांक / समय: 18 जुलाई, 2021 | 3:00 बजे

हितधारक: एसआर एशिया फील्ड टीम

ग्राम प्रधान एवं वार्ड सदस्य

परियोजना प्रभावित परिवार (पीएफ)

पीएपी की चिंताएं और सुझाव

1. गलत तरीके से जमीन का अधिग्रहण किया गया है। वास्तविक अंकन पंजीकरण के अनुसार नहीं है।
2. सर्किल रेट बाजार भाव से काफी कम है।
3. आवासीय क्षेत्रों की उचित कीमत नहीं दी गई है।

4. ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद मुआवजा सर्किल रेट से सिर्फ दो गुना है और मुआवजा सर्किल रेट का चार गुना होना चाहिए।
5. रेलवे लाइन के निर्माण में 70:30 के अनुपात में स्थानीय रोजगार का ध्यान रखा जाए।
6. अधिग्रहण के बाद जमीन का बचा हुआ छोटा हिस्सा किसी काम का नहीं रहेगा। अतः इसे भी अर्जित करना चाहिए।
7. प्रभावित होने वाली संपत्तियों की कीमत पीएफ के परामर्श से तय की जानी चाहिए
8. जो परिवार अपना रोजगार खो रहे हैं, उन्हें नौकरी की गारंटी दी जानी चाहिए।
9. आर एंड आर 2015 के नियमों को उचित तरीके से लागू किया जाना चाहिए और पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए।
10. संभावित दुर्घटनाओं के कारण होने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए वैकल्पिक डायवर्जन होना चाहिए।
11. ग्रामीण क्षेत्र के भीतर आर एंड आर पर विचार किया जाना चाहिए ताकि सांस्कृतिक लगाव प्रभावित न हो।

बैठक के कार्यवृत्त

सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रारूप

स्थान: नई सरली में पीएफ का घर

दिनांक / समय: 19 जुलाई, 2021 | 12:30 बजे

हितधारक: एसआर एशिया फील्ड टीम

ग्राम प्रधान एवं वार्ड सदस्य

परियोजना प्रभावित परिवार (पीएफ)

पीएपी की चिंताएं और सुझाव

1. मार्केट रेट सर्किल रेट से काफी ज्यादा है। बाजार में बिक्री दर रु. 80,000 प्रति बिस्वा।
2. फल देने वाले पेड़ों की कीमत अलग से नहीं थी
3. मुआवजा सर्किल रेट से केवल दो गुना है, भले ही अधिग्रहित भूमि ग्रामीण क्षेत्रों में है।
4. रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान परिवार के कम से कम एक सदस्य के लिए नौकरी की गारंटी होनी चाहिए।
5. रेलवे लाइन के निर्माण से बोरवेल और अन्य सिंचाई सुविधाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
6. परियोजना प्रभावित गांवों को कोई आर्थिक लाभ नहीं है क्योंकि कोई स्टेशन पास में नहीं है।
7. भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए सुरक्षा दीवारों का निर्माण होना चाहिए।

बैठक के कार्यवृत्त
सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रारूप

स्थान: नौनी पंचायत भवन (भराड़ी और मानवा गांवों के लिए)

दिनांक / समय: 18 जुलाई, 2021 | 12:30 बजे

हितधारक: एसआर एशिया फील्ड टीम

ग्राम प्रधान एवं वार्ड सदस्य

परियोजना प्रभावित परिवार (पीएफ)

पीएपी की चिंताएं और सुझाव

1. बाजार भाव के मुकाबले मुआवजा बहुत कम है। हम अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं लेकिन अगर उचित होगा तो पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। पर्याप्त सर्किल रेट दिया जाना चाहिए।
2. निर्माण अन्य उपलब्ध सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, परिवहन और अन्य आजीविका गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला है।
3. यह कृषि गतिविधियों और प्राकृतिक वनस्पतियों को भी प्रभावित करने वाला है
4. इसे स्थानीय युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार पैदा करना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका सुविधाओं पर जोर दिया जाना चाहिए।
5. रिहायशी इलाकों का अधिग्रहण किया जा रहा है। जिन स्थानों पर पुनर्वास किया जाएगा, वहां सड़क, बिजली और मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएं।
6. आर एंड आर (R&R) का प्रावधान उचित तरीके से होना चाहिए। हम अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं अगर व्यवस्थित और
7. इस परियोजना से प्रभावित गांवों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार पैदा होना चाहिए। इसे शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका गतिविधियों में सुधार के महत्व पर भी विचार करना चाहिए।
8. इस क्षेत्र में कई पर्यटन स्थल हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग और फोर-लेन के चल रहे निर्माण के साथ संभावित पर्यटक प्रवाह की संभावना है। अतः भूमि का बाजार मूल्य बहुत अधिक है।

बैठक के कार्यवृत्त
सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रारूप

स्थान: बामटा पंचायत भवन (प्रभावित ग्राम बामता, बधियात और बहेल कंडेला के लिए)

दिनांक / समय: 17 जुलाई, 2021 और 28 जुलाई, 2021 | 12:30 बजे

हितधारक: एसआर एशिया फील्ड टीम

ग्राम प्रधान एवं वार्ड सदस्य

परियोजना प्रभावित परिवार (पीएफ)

पीएपी की चिंताएं और सुझाव

1. मुआवजा दर में दो बार इसमें कमी की गई है।
2. भाखड़ा नांगल के दौरान हुए कई अधिग्रहण
3. एफआरए (2006) अधिनियम यहां बामटा गांव में लागू होता है
4. बामटा गांव में है आदिवासी आबादी
5. बोरवेल और नहर सिंचाई
6. रोजगार सृजन अच्छा होना चाहिए। पलायन से बचना चाहिए।
7. अधिग्रहण में कोई वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है
8. सर्किल रेट लगभग 25 लाख प्रति बीघा है लेकिन पंचायत गांवों में बाजार दर करीब 15 लाख प्रति बिस्वा है।
9. मुख्य आपत्ति सर्किल रेट के खिलाफ है।
10. लगातार चौथी बार जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। क्षेत्र में एकाधिक अधिग्रहण ने सामाजिक और सांस्कृतिक अस्थिरता को जन्म दिया है
11. मुआवजा सर्किल रेट की मांग रु. 1 करोड़ प्रति बीघा
12. अधिकांश पीएफ आवासीय और व्यावसायिक रूप से विस्थापित हो रहे हैं और संभावित रूप से प्रवासन बढ़ा सकते हैं।
13. प्रस्तावित रेलवे लाइन का विस्तार लेह, लद्दाख तक किया जाएगा
14. ऐसा लगता है कि इस परियोजना का उद्देश्य एसीसी, अंबुजा और जेपी सीमेंट कारखानों की सेवा करना है
15. क्षेत्र में रोजगार सृजन प्राथमिकता होनी चाहिए।
16. यहां बामटा पंचायत में रेलवे जंक्शन की चौड़ाई करीब 150 मीटर है
17. यदि आर एंड आर किया जाएगा, तो यह क्षेत्र के 10-15 किलोमीटर के भीतर होना चाहिए
18. एसआर एशिया फील्ड टीम ने आवेदनों और आपत्तियों को एकत्र किया और बहेल कंडेला और बध्यायत गांव के पीएफ को रिसीविंग दी।
19. जंक्शन के निर्माण के लिए वैकल्पिक क्षेत्रों पर विचार किया जाना चाहिए। यह चिंता का प्रमुख मुद्दा है।
20. दूसरे, यदि इस सुझाव पर विचार नहीं किया जा रहा है तो पीएफ के लिए निर्दिष्ट बाजार दरों के अनुसार पर्याप्त सर्किल रेट होना चाहिए।
21. सर्किल रेट में वृद्धि के संबंध में गजट नोटिफिकेशन और 10 बिस्वा के तहत उस भूमि से संबंधित क्लॉज को इस सर्किल रेट के तहत मान्यता नहीं दी जाएगी।
22. जिन पीएफ की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, उनके लिए राजपत्र अधिसूचना स्थानीय समाचार पत्रों में नहीं दी जाती है।
23. पीएफ के अनुसार, उन्हें पीडब्ल्यूडी मूल्यांकन मानदंड और दरों के बारे में जानकारी प्रदान नहीं की गई है।
24. साथ ही निर्माण के लिए दरों में संशोधन किया गया है जैसे कुछ जगहों पर 20 साल पहले की दरें लागू की गई थीं।

25. सर्किल रेट और पीडब्ल्यूडी वैल्यूएशन क्राइटेरिया को लेकर शोक में असंतोष है।
26. चिंता का मुख्य मुद्दा सर्किल रेट और पीडब्ल्यूडी मूल्यांकन मानदंड के बारे में जागरूकता और जानकारी के बारे में है।
27. पीएफ के अनुसार, वार्ता के दौरान, सभी हितधारकों के प्रतिनिधियों को उपस्थित होना चाहिए और इसमें शामिल होना चाहिए।

बैठक के कार्यवृत्त

सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रारूप

स्थान: कामधेनु मिठाई के पास, खैरियां लुहनू गांव

दिनांक / समय: 28 जुलाई, 2021 | 10:00 बजे

हितधारक: एसआर एशिया फील्ड टीम

वार्ड सदस्य श्री रतन लाल

परियोजना प्रभावित परिवार (पीएफ)

पीएपी की चिंताएं और सुझाव

1. खैरियां लुहनू एक आरक्षित सीट पंचायत है।
2. मुआवजे के लिए सर्किल रेट - रु. 21 लाख प्रति बीघा
3. बाजार दर - रु. 10-12 लाख प्रति बिस्वा
4. डिमांड सर्किल रेट- 1 करोड़ प्रति बीघा
5. अदरक, मक्का, गेहूं, चावल और सब्जियों और बागवानी आदि जैसी प्रमुख फसलों के साथ काफी उपजाऊ और सिंचित भूमि। चिंता का प्रमुख मुद्दा बेरी जंक्शन के निर्माण के बारे में है, न कि रेलवे पटरियों के बारे में।
6. यदि आर एंड आर किया जा रहा है, तो भूमि के लिए भूमि 3-4 किमी . के भीतर दी जानी चाहिए
7. पीएफ के अनुसार, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) को भूमि वापस पीएफ को वापस करनी चाहिए जो उसने रेलवे को वापस देने के बजाय पहले ली थी।
8. BBMB भूमि जो बाढ़ के अधीन नहीं है उसे पीएफ को वापस कर दिया जाना चाहिए
9. परियोजना के निर्माण के लिए रोजगार सृजन में स्थानीय पीएफ को प्राथमिकता दी जानी चाहिए
10. यदि जंक्शन के पास या क्षेत्र में कोई व्यावसायिक विकास होता है, तो स्थानीय पीएफ को वरीयता दी जानी चाहिए
11. निर्माण कार्य में लॉजिस्टिक सामग्री और स्थानीय कार्य स्थानीय पीएफ से लिया जाना चाहिए।
12. गोविंद सागर और श्मशान भूमि को जोड़ने वाला मार्ग प्रभावित हो रहा है। इस सड़क, पानी के आउटलेट और सिंचाई की सुविधा के लिए कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए।
13. निर्माण के कारण प्रमुख प्रभावित क्षेत्र निचले क्षेत्र बन सकते हैं और बाढ़, जलभराव आदि से प्रभावित होंगे।

14. भूमि अधिग्रहण के बारे में राजपत्र अधिसूचना पर्याप्त रूप से नहीं की गई है और बामटा पंचायत के गांवों में भूमि मूल्यांकन के संबंध में जानकारी है।

7. लागत और लाभ विश्लेषण

भानुपाली-बिलासपुर-बेरी नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के निर्माण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद, एसआईए टीम ने लागत की तुलना इसके लाभों से की। निम्नलिखित अनुभाग में, लाभों और संबंधित लागतों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना की विशिष्ट लागत उपलब्ध कराई गई थी लेकिन जैसा कि पैरामीटर अनुमानित हैं और सटीक नहीं हैं; इसलिए सटीक लागत-लाभ विश्लेषण नहीं किया जा रहा है।

7.1. सार्वजनिक उद्देश्य का आकलन

नई भानुपाली-बिलासपुर-बेरी नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के निर्माण से आने वाले वर्षों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी और इससे बेहतर बुनियादी ढांचा, पर्यटन विकास और रेल संपर्क भी बढ़ेगा। यह परियोजना लंबी अवधि में पीएफ और आसपास के क्षेत्रों के लिए उपयोगी साबित होगी। साथ ही, यह परियोजना आने वाले भविष्य में एक रणनीतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है जो राष्ट्रीय हित के लिए भी इसके महत्व को दर्शाती है।

यह आगे स्थापित किया जा सकता है कि निजी भूमि का अधिग्रहण करके और इस तरह परियोजना के निर्माण को पूरा करके एक सार्वजनिक उद्देश्य निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। यदि परियोजना पूरी हो जाती है, तो यह कनेक्टिविटी में सुधार करेगी और यात्रियों को सुगम, तेज और सुरक्षित आवागमन और परिवहन सेवाएं प्रदान करेगी। यदि परियोजना में देरी होती है, तो इससे परियोजना की कुल लागत में वृद्धि होगी, जिसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश सरकार और इसके निवासियों दोनों पर पड़ेगा। यदि परियोजना को रोक दिया जाता है, तो इससे न केवल धन की हानि होगी, बल्कि परियोजना पर अब तक खर्च किए गए संपूर्ण जनशक्ति और संसाधनों की भी बर्बादी होगी। इसलिए, प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की सामाजिक लागत और लाभों का आकलन यह मानकर किया गया है कि परियोजना के स्थान या अधिग्रहण की जाने वाली भूमि की मात्रा में कोई बदलाव नहीं होगा।

7.2 संरचनाओं और इसके परिमाण पर प्रभाव

एक महत्वपूर्ण नं। पीएफ यानी लगभग 96 पीएफ आवासीय, वाणिज्यिक और सामुदायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा रही निर्मित संरचनाओं को खो देंगे, जिससे वे अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं और आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जा रहे घर भी। शुरू से, यह पीएफ के लिए उनकी आजीविका और आवासीय उद्देश्य दोनों के लिए काफी प्रभाव और नुकसान लगता है।

7.3 मुआवजे के निर्धारक

RFCTLARR-2013 की धारा 26 और 27 के अनुसार, कलेक्टर भूमि के बाजार मूल्य और मुआवजे की राशि का आकलन और निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाएगा। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में निर्दिष्ट बाजार मूल्य, बिक्री विलेख के पंजीकरण के लिए या जहां भूमि स्थित है, बेचने के समझौते के लिए, निकटतम गांव या निकटतम आसपास में स्थित समान प्रकार की भूमि का औसत बिक्री मूल्य।

पीएफ और पीपी के साथ बातचीत के दौरान, उनमें से अधिकांश औसतन 1-2 करोड़ रुपये प्रति बीघा मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उनके अनुसार, ऐसी दरों का भुगतान उसी क्षेत्र के अन्य बिल्डरों/खरीदारों द्वारा पहले ही किया जा चुका है। एचपी सरकार के RFCTLARR-2013 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मुआवजा दिया जाना चाहिए।

7.4 पात्रता मैट्रिक्स

पीएफ निम्नलिखित छह प्रकार के मुआवजे और सहायता पैकेज के हकदार होंगे:

- भूमि, फसलों/पेड़ों के नुकसान के लिए उनकी प्रतिस्थापन लागत पर मुआवजा;
- संरचनाओं (आवासीय/वाणिज्यिक) के लिए मुआवजा, यदि कोई हो और अन्य अचल संपत्ति उनकी प्रतिस्थापन लागत पर;
- व्यापार/मजदूरी आय और आय बहाली सहायता के नुकसान के एवज में सहायता;
- शारीरिक रूप से विस्थापित परिवारों के लिए जिनके पास कोई मकान स्थल नहीं है, घर के बदले वैकल्पिक आवास या नकद;
- स्थानांतरण के लिए सहायता और स्थानांतरण स्थल के लिए प्रावधान (यदि आवश्यक हो), और
- सामुदायिक संसाधनों/सुविधाओं का पुनर्निर्माण और/या बहाली

RFCTLARR-2013 की धारा **26** और **27** के अनुसार, कलेक्टर भूमि के बाजार मूल्य और मुआवजे की राशि का आकलन और निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाएगा। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में निर्दिष्ट बाजार मूल्य, बिक्री विलेख के पंजीकरण के लिए या जहां जमीन स्थित है, बेचने के समझौते के लिए।

- निकटतम गांव या नजदीकी क्षेत्र में स्थित समान प्रकार की भूमि का औसत बिक्री मूल्य,
- निजी कंपनियों के लिए भूमि के अधिग्रहण के मामले में धारा **2** की उप-धारा (**2**) के तहत सहमति के अनुसार मुआवजे की राशि
- **RFCTLARR-2013** के अनुसार **R&R** पैकेज

नीचे दी गई तालिका आरएफसीटीएलएआरआर के अनुसार प्रभाव की श्रेणी और आर एंड आर की पात्रता के अनुसार पात्रता मैट्रिक्स दिखाती है। मुआवजा संरचना को नियंत्रित करने वाले मूल सिद्धांत तालिका **7** में दिखाए गए हैं।

तालिका 7.1: मुआवजे की संरचना को नियंत्रित करने वाले पात्रता मैट्रिक्स और बुनियादी सिद्धांत

क्रमांक	प्रभाव की श्रेणी	मुआवजे के लिए पात्रता	प्रासंगिक RFCTLARR अधिनियम 2013	
1	भूमि की हानि	शीर्षक होल्डर	भूमि का बाजार मूल्य। यह डीसी द्वारा आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की धारा 26 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। खोई हुई संपत्ति के प्रतिस्थापन के लिए मुआवजे की राशि पर वर्तमान स्टॉप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के बराबर राशि।	RTFCTLARR अधिनियम 2013 के अनुसार लागू।
		प्रभावित परिवार/व्यक्ति भूमि	भूमि के लिए भूमि	RTFCTLARR अधिनियम 2013 के अनुसार लागू।
2	अन्य संपत्तियों की हानि	शीर्षक होल्डर	भूमि या भवन से जुड़ी संपत्ति का मूल्य जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है: 3.1 भूमि मूल्यांकन अध्याय में संपत्ति की हानि।	यह प्रभावित परिवारों को RFCTLARR अधिनियम 2013 (प्रथम अनुसूची क्रमांक 2 के तहत प्रावधान (उक्त अधिनियम की धारा 29) के तहत प्रदान किया जाएगा। यह भूमि और/या संरचना के नुकसान के साथ प्रदान किया जाएगा जो कि जिला कलेक्टर द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।
3.	विलम्ब-शुल्क	शीर्षक धारक या किरायेदार	खड़ी फसलों के लिए मुआवजा जो भूमि पर कब्जा करने के समय भूमि पर हो सकता है, का भुगतान धारा 28 RFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।	
4	भूमि और अन्य संपत्ति का नुकसान	शीर्षक होल्डर	भूमि के बाजार मूल्य पर अतिरिक्त 12%	भूमि का मूल्य, भूमि के संबंध में धारा 4 की sub-धारा (2) के तहत एसआईए की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से शुरू होने वाले ऐसे बाजार मूल्य पर अतिरिक्त 12% प्रतिवर्ष का भुगतान किया जाना है, जब तक कि अधिनिर्णय या कब्जा लेने की तिथि भूमि जो भी पहले हो।
	हरजाना	शीर्षक होल्डर	मुआवजा राशि मुआवजे के अतिरिक्त और मुआवजे की राशि के 100% के बराबर होगी (यू/एस 30 RFCTLARR अधिनियम, 2013)	
	अतिरिक्त घटक	शीर्षक होल्डर	भूमि के बाजार मूल्य के अलावा, प्राधिकरण प्रत्येक मामले में एसआईए अधिसूचना दिनांक धारा 4 से पुरस्कार की तिथि तक की अवधि के लिए ऐसे बाजार मूल्य पर 12% प्रति वर्ष की दर से गणना की गई राशि प्रदान करेगा। या भूमि का कब्जा लेने की तिथि, जो भी पहले हो [यू/एस 30 (3) RFCTLARR अधिनियम, 2013]।	

7.5 भूमि और निर्मित संपत्तियों की लागत का अनुमान

भू-राजस्व विभाग, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश से प्राप्त एक दस्तावेज के आधार पर मुआवजे के लिए अनुमान की निम्नलिखित लागत नीचे दी गई है। जिला प्रशासन बिलासपुर, एच.पी. बिलासपुर जिले की सदर एवं श्री नैना देवी जी तहसील में आवासीय, व्यवसायिक एवं कृषि भूमि हेतु विभिन्न सर्किल दरों का वर्गीकरण किया है। अंतिम मुआवजे का फैसला पीएफ की सहमति से और आरएफसीटीएलएआरआर **2013** के अनुसार किया जाना चाहिए।

7.5.1 भूमि लागत अनुमान

कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक भूमि की लागत का अनुमान इस प्रकार है;

तालिका 7.2: भूमि लागत अनुमान

गाँव	कुल भूखंड	कुल भूखंड (बीघा में)	सर्किल दर	कुल लागत (रुपया में)	पूरा मुआवज़ा
श्री नैना देवी जी तहसील					
कांगुवाली	12	26-14	10,53,047	28116354.9	112465419.6
धरोट	7	8-5	6,50,000	5362500	21450000
खैरियाँ	7	1-9	1,00,000	145000	580000
थापना	9	9-13	1948436	18802407.4	75209629.6
समलेटू	3	1-19	1750000	3412500	13650000
टिक्कर	2	1-4	901768	10,82,121.6	4328486
जब्बल	30	51-8	1339837	68867621.8	275470487.2
दगडाहन	31	33-13	901768	30344493.2	121377972.8
भटेर	58	62-12 47137.8 (Sqrt)	270	12727206	25454412
टाली	69	111-10	9,01,768	100547132	402188528
कुल				268325215	1052174935
सदर तहसील					
कोट	10	7-17	6,26,540	4918339	19673356
तुन्नू	5	3-1	9,50,000	2897500	11590000
मानवा	38	30-11	19,70,640	60203052	240812208
रामपुर	9	12-1	8,36,660	10081753	40327012
खानसरा	15	11-3	8,36,660	9328759	37315036
रघुनाथपुरा	33	34-14	19,04,390	66082333	264329332
कोहलवीं	3	3-15	19,04,390	7141462.5	28565850
डीआरा	25	15-6 11522.46 (Sqrt)	3,288	37194500.9	74389001.8
खेरिआं लुहनु	70	24-15	3844.4	71607877.1	143215754

		18628.48 (Sqrt)			
बामटा	5	5-17	16,50,000	9652500	38610000
बैहल कंडेला	42	55-6	16,50,000	91245000	364980000
बध्यत	100	97-6	16,50,000	160545000	642180000
नई सरली	2	3-16	9,50,000	3610000	14440000
भरारी	4	8-4	8,36,660	6860612	27442448
उप मुहल बलोह	26	18-7 13813-11 (Sqrt)	2,955	40817740.05	81635480.1
उप मुहल बिलासपुर	49	29-7 22104-31 (Sqrt)	3,288	72678971.28	145357942.6
कुल				654865399.8	2174863421

परिशिष्ट 7.1: भूमि अधिग्रहण कार्यालय (एलएओ) जिला प्रशासन, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदान की गई सर्कल दरों के माध्यम से उपरोक्त लागत का अनुमान लगाया गया है। हालांकि बामटा और तल्ली पंचायत में पीएफ ने अपने-अपने गांवों में बेची गई संपत्ति के 6-7 बिक्री विलेख प्रदान किए हैं। इसलिए अगर जमीन की दरों में संशोधन किया जाएगा तो लागत में और बदलाव हो सकता है।

7.5.2 निर्मित आस्तियों का अनुमान

तालिका 7.3: निर्मित संपत्तियों का मूल्यांकन

क्रमांक	मालिक का नाम	मौजा/मोहाल	खसरा नं	संरचना का कुल मूल्यांकन मूल्य	प्लिंथ क्षेत्र (वर्ग मी.)
1	श्री चम्बेल सिंह स/ओ बलदेव सिंह	धरोट	392	15,16,700.00	30
2	हंस राज स/ओ श्री बलदेव	धरोट	392	20,04,320.00	30
3	सुरेंदर सिंह, रविन्द्र सिंह स/ओ कालू राम	धरोट	388	15,40,000.00	30
4	जीतेन्द्र सिंह स/ओ श्री कालू राम	धरोट	384	51,300.00	30
5	श्रवण सिंह स/ओ नरेन्द्र सिंह	धरोट	386	61,061	30

		धरोट	384	2,58,960	30
6	सूबेदार विचित्र सिंह स/ओ अमर सिंह	धरोट	387	54,400.00	30
		धरोट	384	1,19,480	30
		धरोट	384	12,28,080	30
		धरोट	384	15,024	30
7	जगत राम स/ओ बबलू राम	धरोट	384	22,416	30
8	राम सिंह स/ओ श्री रणजीत सिंह	धरोट	384	19,440	30
9	गुरदेव सिंह, नरेश सिंह, श्याम लाल स/ओ मेहर सिंह	धरोट	341	1,26,500	30
		धरोट	341	16,10,513	30
		धरोट	341	26,030	30
10	गुरनाम सिंह स/ओ अजमेर सिंह	धरोट	341	26,57,080	30
11	भजन स/ओ रोदल राम	धरोट	341	29,03,660	30
12	करम सिंह, कवल सिंह स/ओ श्री संसार सिंह	धरोट	347	7,14,750	30
		धरोट	384	11,020	30
13	श्री नाथू राम स/ओ श्री कांशी राम गाँव/ मौजा थापना डाकघर कुठेला , तहसील श्री नैना देवी जी, स्वारघाट जिला बिलासपुर (ह. प्र.)	थापना	125/1	8,63,756	83.96
14	श्री जगदेव स/ओ श्री रत्ती राम गाँव/ मौजा थापना डाकघर कुठेला , तहसील श्री नैना देवी जी, स्वारघाट जिला बिलासपुर (ह. प्र.)	थापना	261/1/118/1	4,26,223	83.96
15	श्री विजय राम स/ओ गोकुल गाँव/ मौजा थापना डाकघर कुठेला , तहसील श्री नैना देवी जी, स्वारघाट जिला बिलासपुर (ह. प्र.)	थापना	185/2	12,52,934	83.96

16	श्री नन्द लाल स/ओ श्री राम किशन गाँव/ मौजा थापना डाकघर कुठेला , तहसील श्री नैना देवी जी, स्वारघाट जिला बिलासपुर (ह. प्र.)	थापना	234/2/3/1	16,90,765	83.96
17	श्री प्रीतम चंद स/ओ संतोख राम Ram (STR No. 1/B & 2/B) गाँव/ मौजा भटेर, खसरा न. 20/1 डाकघर ज़कातखाना, तहसील श्री नैना देवी जी, स्वारघाट जिला बिलासपुर (ह. प्र.)	भटेर	20/1	17,26,400	160.34
18	श्री नन्द लाल और भगत राम स /ओ श्री जीत राम (STR No. 3/B) गाँव/ मौजा भटेर, खसरा न. 56 डाकघर ज़कातखाना, तहसील श्री नैना देवी जी, स्वारघाट जिला बिलासपुर (ह. प्र.)	भटेर	56	6,28,130	68.68
19	श्री सीता राम स/ ओ श्री गुलाबा राम और श्रीमती मस्तो डी/ओ अनन्त राम (बराबर हिस्सेदारी) (STR No. 4 /B, 5/B, 6/B & 7/B) गाँव/ मौजा भटेर, खसरा न. 55, डाकघर ज़कातखाना, तहसील श्री नैना देवी जी, स्वारघाट जिला बिलासपुर (ह. प्र.)	भटेर	55	49,74,200	479.92
20	श्री प्रकाश चंद स/ओ श्री गुलाबा राम (STR No. 8/B) गाँव/ मौजा भटेर, खसरा न. 55, डाकघर ज़कातखाना, तहसील श्री नैना देवी जी, स्वारघाट जिला बिलासपुर (ह. प्र.)	भटेर	55	18,32,300	144.2
21	श्री रतन लाल स/ओ श्री गुलाबा राम (STR No. 9 /B) गाँव/ मौजा भटेर, खसरा न. 55, डाकघर ज़कातखाना, तहसील श्री नैना देवी जी, स्वारघाट जिला बिलासपुर (ह. प्र.)	भटेर	55	28,69,600	230.59
22	श्री सुभाष चंद स/ओ राम सिंह (STR No. 11 /B & 16/B) गाँव/ मौजा भटेर, खसरा न. 329/129, डाकघर ज़कातखाना, तहसील श्री नैना देवी जी, स्वारघाट जिला बिलासपुर (ह. प्र.)	भटेर	329/129	2,06,200	25.29
23	श्री जसोदा देवी व/ओ श्री जगदीश चंद (STR No. 10/B) गाँव/ मौजा भटेर, खसरा न. 329/129, डाकघर ज़कातखाना, तहसील श्री नैना देवी जी, स्वारघाट जिला बिलासपुर (ह. प्र.)	भटेर	329/130	3,13,100	35.45
24	श्री सुभाष चंद (2 हिस्सा) पुत्र और श्रीमती सीता देवी (1 हिस्सा) व /ओ श्री राम सिंह (STR No. 13/B) गाँव/ मौजा भटेर, खसरा न. 329/129 डाकघर ज़कातखाना, तहसील श्री नैना देवी जी, स्वारघाट जिला बिलासपुर (ह. प्र.)	भटेर	329/131	2,60,200	36.39
25	श्री कमलदेव और श्री सुभाष चंद (STR No. 12/B, 14/B & 15/B) गाँव/ मौजा भटेर, खसरा न. 329/129, 220 डाकघर ज़कातखाना, तहसील श्री नैना देवी जी, स्वारघाट जिला बिलासपुर (ह. प्र.)	भटेर	329/132	3,11,000	51.74
		भटेर	329/133	7,76,200	99.49
		दगराहन	220	8,000	2.56
26	श्री भगत राम स/ओ श्री जीत राम (STR No. 18/B) गाँव/ मौजा भटेर, खसरा न. 131 डाकघर ज़कातखाना, तहसील श्री नैना देवी जी, स्वारघाट जिला बिलासपुर (ह. प्र.)	भटेर	131	9,73,100	141.05
	श्री सुरेन्द्र पाल स/ओ श्री प्रभादयल (STR No. 17/B) गाँव/ मौजा भटेर, खसरा न. 147/1 डाकघर	Talli Mauja भटेर	147/1	3,67,100	50.4

27	ज़कातखाना, तहसील श्री नैना देवी जी, स्वारघाट जिला बिलासपुर (ह. प्र.)				
28	श्री प्रकाश चंद, प्रीतम चंद, महिंदर कुमार, देश राज, पवन कुमार और श्रीमती कृशन देवी व/ओ श्री संतोख राम (STR No. 1/D & 2/D, 3/D, 4/D & 5/D) गाँव/ मौजा दगराहन, खसरा न. 218/1, 219/1 डाकघर ज़कातखाना, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर (ह. प्र.)	दगराहन	218/1	9,33,000	16.7
		दगराहन	219/1,	2,77,200	9.76
		दगराहन	219/1	22,47,900	253.629
29	श्री नन्द लाल, श्री भगत राम स/ओ श्री जीत राम (STR No. 7/D, 8/D, 10/D, & 18/D गाँव/ मौजा दगराहन, खसरा न. 218/1, 219/1 डाकघर ज़कातखाना, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर (ह. प्र.)	दगराहन	219/1	3,40,300	52.22
		दगराहन	219/1	11,58,700	94.98
		दगराहन	219/1 & 220	3,83,400	75.62
30	श्री कमल देव और सुभाष चंद स/ओ श्री राम सिंह (STR No. 16/D) गाँव/ मौजा दगराहन, खसरा न. 220 डाकघर ज़कातखाना, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर (ह. प्र.)	दगराहन	220	8,000	2.56
31	श्री देशराज स/ओ श्री संतोखा राम (STR No. 6/D & 17/D) गाँव/ मौजा दगराहन, खसरा न. 219/1 & 220 डाकघर ज़कातखाना, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर (ह. प्र.)	दगराहन	219/1 & 220	2,97,200	48.89
32	श्री सुभाष चंद स/ओ राम सिंह (STR No. 13/D & 14 /D) गाँव/ मौजा दगराहन, खसरा न. 219/1, 220 डाकघर ज़कातखाना, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर (ह. प्र.)	दगराहन	219/1 & 220	1,42,900	76.78
33	श्री नन्द लाल स/ ओ श्री जीत राम (STR No. 9/D & 11/D) गाँव/ मौजा दगराहन, खसरा न. 219/1 डाकघर ज़कातखाना, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर (ह. प्र.)	दगराहन	219/1	2,63,800	24.32
34	श्री कमल देव स/ओ श्री राम सिंह (STR No. 12 /D & 22/D) गाँव/ मौजा दगराहन, खसरा न. 219/1 & 220 डाकघर ज़कातखाना, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर (ह. प्र.)	दगराहन	219/1 & 220	2,80,800	81.16
35	श्री। भगवान दास, सुभाष चंद, सोहन लाल और श्रीमती। लछमी देवी डब्ल्यू/ओ श्री सदा राम (एसटीआर नं. 19/डी, 20/डी, 21/डी और 22डी) गाँव/मौजा दगराहन खसरा नंबर 265/2 और 267 पीओ जकातखाना तहसील श्री। नैना-देवी जी जिला बिलासपुर (हि.प्र.)	दगराहन	265/2 & 267	10,27,700	107.34
36	श्री। बलबीर सिंह, पुत्र श्री. भगत राम (एसटीआर नं. 23डी) ग्राम/मौजा दगराहन खसरा नं. 275/1 पीओ जकातखाना तहसील श्री. नैना-देवी जी जिला बिलासपुर (हि.प्र.)	दगराहन	275/1	10,44,100	123.57

37	श्री। राम लाल, पुत्र श्री. मल्हा राम (एसटीआर नंबर 1/जे, 2/जे, 3/जे, 4/जे, 5/जे, 6/जे) गांव/मौजा जबले खसरा नंबर 275/1, 25 पीओ कुठेला तहसील श्री। नैना-देवी जी जिला बिलासपुर (हि.प्र.)	जबबल	275/1	21,54,100	259.93
		जबबल	25	22,25,100	187.8
38	श्री। श्याम लाल, पुत्र श्री. मल्हा राम (एसटीआर नं. टी/जे) गांव/मौजा जबले खसरा नं. 25 पीओ कुठेला तहसील श्री। नैना-देवी जी जिला बिलासपुर (हि.प्र.)	जबबल	25	24,96,300	170.91
39	श्री। अनिल कुमार, पुत्र श्री. हीरा लाल (एसटीआर नंबर 1/टी) गांव/मौजा ताली खसरा नंबर 219/1 पीओ जकातखाना, तहसील श्री। नैना-देवी जी जिला बिलासपुर (हि.प्र.)	टाली	219/1	38,19,950	293.15
40	श्री। हीरा लाल, पुत्र श्री. राम सरन (एसटीआर नंबर 2/टी, 3/टी, 4/टी, 5/टी) गांव/मौजा ताली खसरा नंबर 219/1 पीओ जकातखाना, तहसील श्री। नैना-देवी जी जिला बिलासपुर (हि.प्र.)	टाली	219/1	11,86,900	105.22
41	श्री। मंगल सिंह, श्री कृष्ण सिंह, श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री। गांव/मौजा ताली खसरा नं. 189/1 और 191/1 पी.ओ. जकातखाना, तहसील श. नैना-देवी जी जिला बिलासपुर (हि.प्र.)	टाली	189/1 & 191/1	12,24,700	131.13
42	श्री कृष्ण सिंह, श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री। गांव/मौजा ताली खसरा नं. 191/1 पीओ जकातखाना, तहसील श. नैना-देवी जी जिला बिलासपुर (हि.प्र.)	टाली	191/1	20,75,900	166.92
43	श्री। मंगल सिंह पुत्र श्री. गरदयार सिंह (एसटीआर नं. 14/टी, 15/टी) गांव/मौजा ताली खसरा नं. 191/1 पीओ जकातखाना, तहसील श्री. नैना-देवी जी जिला बिलासपुर (हि.प्र.)	टाली	191/1	21,07,500	164.27
44	श्री। ब्रम्हा सिंह पुत्र श्री. निक्कू राम (एसटीआर नंबर 16/टी, 17/टी और 18/टी) गांव/मौजा ताली खसरा नंबर 307,186/12/1 पीओ जकातखाना, तहसील श्री। नैना-देवी जी जिला बिलासपुर (हि.प्र.)	टाली	307, 186/12/1	78,300	Temple
45	श्रीमती हरदेई डब्ल्यू/ ओ श। सुख देव (एसटीआर नंबर 19/टी, 20/टी) गांव/मौजा ताली खसरा नंबर 63/68 पीओ जकातखाना, तहसील श्री। नैना-देवी जी जिला बिलासपुर (हि.प्र.)	टाली	63/68	21,73,200	205.15
46	श्रीमती रोशनी देवी डब्ल्यू/ओ श्री. लेख राम (एसटीआर नंबर 21/टी, 22/टी, 23/टी, 24/टी, 25/टी और 26/टी) गांव/मौजा ताली खसरा नंबर	टाली	194	17,09,300	162.09

	194 पीओ जकातखाना, तहसील श्री। नैना-देवी जी जिला बिलासपुर (हि.प्र.)				
47	श्री बिशन सिंह पुत्र श्री. कांशी राम (एसटीआर नं. 27/टी, 28/टी, 29/टी और 30/टी) गांव/मौजा ताली खसरा नं. 174/4 पीओ जकातखाना, तहसील श. नैना-देवी जी जिला बिलासपुर (हि.प्र.)	टाली	174/4	23,76,600	232.35
48	श्री, राला राम एस / ओ श्री। कांशी राम (एसटीआर नंबर 31/टी) गांव/मौजा ताली खसरा नंबर 174/1 पीओ जकातखाना, तहसील श्री। नैना-देवी जी जिला बिलासपुर (हि.प्र.)	टाली	174/1	6,12,700	63.96
49	श्री, सुख राम एस / ओ श्री। संत राम (एसटीआर नंबर 32/टी, 33/टी, 34/टी, 35/टी और 36/टी) गांव/मौजा ताली खसरा नंबर 46 पीओ जकातखाना, तहसील श्री। नैना-देवी जी जिला बिलासपुर (हि.प्र.)	टाली	46	32,84,450	293.09
50	श्री, जगत राम एस / ओ श्री। हीरू राम (एसटीआर नं. 24 एवं 25) ग्राम/मौजा दगराहन खसरा नं. 277 पी.ओ. जकातखाना, तहसील श्री. नैना-देवी जी जिला बिलासपुर (हि.प्र.)	टाली	277	73,87,000	235.7
51	श्री। प्रेम लाल पुत्र श्री. लेख राम, ग्राम/मौजा भाटेर डाकघर जकातखाना तहसील श्री. नैना देवी जी (स्वारघाट में) जिला बिलासपुर (हि.प्र.)	टाली	137/2	16,400	10.54
52	श्री। सुंदर सिंह पुत्र श्री. देवी सिंह, ग्राम/मौजा तल्ली डाकघर जकातखाना तहसील श्री. नैना देवी जी (स्वारघाट पर) जिला बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश)	टाली	179	64,000	
53	श्री। धनी राम एस / ओ श्री। कांशी राम, ग्राम/मौजा तल्ली डाकघर जकातखाना तहसील श्री. नैना देवी जी (स्वारघाट पर) जिला बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश)	टाली	0172/2/1	1,32,900	Bore Well
54	श्री। विजय राम एस / ओ श्री। श्री। शिवराम ग्राम खानसारा वार्ड नं. 07 जिला। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	खानसारा	31/1	25,637	4.825

55	श्री। मुकेश कुमार एस / ओ श्री। राजेश कुमार ग्राम खानसारा वार्ड नं. 07 जिला। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	खानसारा	33/1, 35	10,47,221	151.38
56	श्री। राम किशनएस/ओ श्री. शंकर दास ग्राम मनवा वार्ड नं. 03, जिला। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	मनवा	48/1	1558986	96.98
		मनवा	48/1	77,161	12
		मनवा	48/1	412976	25.69
		मनवा	48/1	140177	8.72
		मनवा	48/1	120281	7.28
		मनवा	48/1	64190	10.325
		मनवा	48/1	166342	25.17
		मनवा	48/1	64814	11.13
		मनवा	48/1	101711	15.39
		मनवा	48/1	510581	98.58
57	श्री। राम किशन बाल कृष्ण पुत्र श्री. शंकर दास ग्राम मनवा वार्ड नं. 03, जिला। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	मनवा	48/1	326887	92.58
58	श्री। शंकर सिंह एस / ओ श्री। शंकर दास ग्राम मनवा वार्ड नं. 03, जिला। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	मनवा	56/1	875273	59.4
		मनवा	56/1	157519	10.69
59	श्री। राम कृष्ण एस / ओ श्री। शंकर दास ग्राम मनवा वार्ड नं. 03, जिला। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	मनवा	40/1	1949105	117.97
		मनवा	40/1	344802	23.76
		मनवा	40/1	423514	72.96
		मनवा	40/1	411787	70.94

		मनवा	40/1	169809	28.81
60	श्रीमती कमलेश डी/ओ श्री. निकड़ा ग्राम मनवा वार्ड नं. 03, जिला। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	मनवा	41/1	2057352	131.64
			41/2	38888	7.04
			41/3	363486	22
			41/4	297542	18.77
			41/5	362059	22.84
			41/6	1187504	187.28
			41/7	215270	33.95
61	श्री। सदा राम डी/ओ श्री. भगत राम ग्राम मनवा वार्ड नं. 03, जिला। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	मनवा	45/2	996481	63.76
			45/3	308040	19.71
			45/4	441934	73.86
			45/5	311714	53.7
			45/6	325388	20.82
62	श्री। राजिंदर सिंह एस / ओ श्री। राम सिंह ग्राम वार्ड नंबर 4 रघुनाथपुरा जिला। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	रघुनाथपुरा	69/1, 91/1	171473	10.24
			69/1, 91/1	441878	65.97
63	श्री। सुरेंदर, पुरुषोत्तम पुत्र श्री. नाथू राम ग्राम वार्ड नंबर 4 रघुनाथपुरा जिला। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	रघुनाथपुरा	92	1329644	93.79
			92	156293	10.72
			92	83786	18.72
			92	48479	11.82
64	श्री। रोशन लाल S/O Sh. निक्कू राम ग्राम वार्ड नंबर 4 रघुनाथपुरा जिला। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	रघुनाथपुरा	92	170743	91.32
		रघुनाथपुरा	92	140085	37.59
		रघुनाथपुरा	92	924221	58.88
65	श्रीमती सुनीता देवी डी/ओ श्री. सीता राम ग्राम वार्ड नं. 4 रघुनाथपुरा जिला। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	रघुनाथपुरा	92	686955	46.62
		रघुनाथपुरा	92	84911	16.98
		रघुनाथपुरा	92	91417	15.51
		रघुनाथपुरा	92	77675	12.25

		रघुनाथपुरा	92	178887	11.775
66	श्रीमती निशा देवी डी/ओ श्री. लेख राम ग्राम वार्ड नंबर 4 रघुनाथपुरा जिला। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	रघुनाथपुरा	93/1	2452301	150.46
67	श्री। निक्का राम एस / ओ श्री। प्रेमू ग्राम वार्ड नंबर 4 रघुनाथपुरा जिला। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	रघुनाथपुरा	93/1	2550745	156.5
		रघुनाथपुरा	93/1	113170	7.04
		रघुनाथपुरा	93/1	38095	2.68
68	श्री। सुनील दत्त, सतीश कुमार, श्रीमती। चंपा देवी डी/ओ श्री. भागीरथ ग्राम वार्ड नं. 4 रघुनाथपुरा जिला। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	रघुनाथपुरा	225/13	3241955	196.22
		रघुनाथपुरा	225/13	292605	17.71
69	श्री। संत राम एस / ओ श्री। प्रेमू ग्राम वार्ड नंबर 4 रघुनाथपुरा जिला। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	रघुनाथपुरा	0225/9/1	1257823	76.13
		रघुनाथपुरा	0225/9/1	217020	12.96
70	श्री। भगत राम एस / ओ श्री। प्रेमू ग्राम वार्ड नंबर 4 रघुनाथपुरा जिला। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	रघुनाथपुरा	0225/15/1	936388	58.25
			0225/15/1	279446	16.8
			0225/15/1	35425	2.25
71	श्रीमती सत्या देवी पुत्र श्री. चौधरी राम ग्राम वार्ड नंबर 4 रघुनाथपुरा जिला। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	रघुनाथपुरा	225/1	1985995	121.85
			225/1	192660	13.03
			225/1	122924	18.6
72	श्रीमती नविता देवी डब्ल्यू/ओ श्री. प्रेम लाल ग्राम वार्ड क्रमांक 11 लखनपुर	उप मुहल बलोह	90/1	773532	46.88
		Up Muhal Baloh	90/1	109727	6.65
73	श्रीमती गंगा देवी डब्ल्यू/ ओ श्री। इंद्रा सिंह ग्राम वार्ड क्रमांक 11 लखनपुर	उप मुहल बलोह	90/1	461874	28.395
74	श्रीमती रजनी देवी डब्ल्यू/ओ श्री. सुरेश कुमार ग्राम वार्ड क्रमांक 11 लखनपुर	उप मुहल बलोह	84	187565	49.5
			84	25417	5.6
			84	12928	3.21
75	6 शेयर श्रीमती। नबीता डब्ल्यू/ओ श. प्रेम लाल 1 शेयर, सुरेश कुमार पुत्र रौशन लाल 1 शेयर, अनंत राम पुत्र तुलसी 2 शेयर, श्रीमती। गंगा देवी डब्ल्यू/ओ इंद्रा सिंह 2 शेयर गांव वार्ड नंबर 11 लखनपुर	उप मुहल बलोह	87/1	209064	38.18

76	श्री। अनंत राम एस / ओ श्री। तुलसी राम ग्राम वार्ड क्रमांक 11 लखनपुर	उप मुहल बलोह	87/1	1681047	101.88
			87/1	68773	10.42
			87/1	200638	15.16
77	एस. भानुप्रताप डब्ल्यू/ओ श्री. राम पाल ग्राम वार्ड क्रमांक 11 लखनपुर	उप मुहल बलोह	94/1	3464697	237.28
			94/1	449879	30.81
			94/1	105132	7.2
78	प्रेम लाल पुत्र बंगाली राम ग्राम वार्ड क्रमांक 11 लखनपुर	उप मुहल बलोह	67	1800096	109.095
			67	60721	3.68
			67	115333	7.425
			67	107551	16.53
			67	111410	17.94
79	श्री। रूप लाल पुत्र श्री. मुंशीराम ग्राम वार्ड क्रमांक 11 लखनपुर	उप मुहल बलोह	82	944328	56.43
		उप मुहल बलोह	82	95624	7.14
80	श्री। विनोद कुमार एस / ओ श्री। सुख राम ग्राम वार्ड क्रमांक 11 लखनपुर	उप मुहल बिलासपुर	1483/3/1	1323202	83.76
			1483/3/1	69134	12.04
			1483/3/1	668921	40.54
81	श्री। राम पाल पुत्र श्री. स्वर्गीय श. गुडीटू ग्राम वार्ड क्रमांक 11 लखनपुर	उप मुहल बिलासपुर	1483/3/1	82058	18.22
82	श्रीमती मनोज कुमार एस / ओ श्री। सुखराम ग्राम वार्ड क्रमांक 11 लखनपुर	उप मुहल बिलासपुर	1483/3/1	1002391	60.75
			1483/3/1	169515	11.23
			1483/3/1	88512	17.44
			1483/3/1	37964	23.98
83	श्रीमती प्रेम लता डब्ल्यू/ओ श्री. राम जी दास ग्राम वार्ड क्रमांक 11 लखनपुर	उप मुहल बिलासपुर	1432/1, 1483/3/1	1227469	77.7
			1432/1, 1483/3/1	119366	8.34
			1432/1, 1483/3/1	185083	34.75
84	श्री। शशि कुमार पुत्र श्री. व्यास देव ग्राम वार्ड नं. 11 लखनपुर, जिला। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	उप मुहल बिलासपुर	1424	938374	59.4
			1424	108676	28.2
			1424	51525	3.6
85	श्री। अशोक कुमार एस / ओ श्री। व्यास देव ग्राम वार्ड नं. 11 लखनपुर, जिला। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	उप मुहल बिलासपुर	1424	1280283	83.52
			1424	145598	40
			1424	65068	5
			1424	1581650	100.12
			1424	114494	15.25

86	श्री। गोपाल कृष्णन एस / ओ श्री। व्यास देव ग्राम वार्ड नं. 11 लखनपुर, जिला। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	उप मुहल बिलासपुर	1424	150694	41.4
87	श्री। रमेश कुमार एस / ओ श्री। चेत राम ग्राम वार्ड नं. 11 लखनपुर, जिला। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	उप मुहल बिलासपुर	1420/1	1267774	77.94
			1420/1	121652	18.86
			1420/1	66999	11.6
			1420/1	24324	4.1
88	श्री। राजेश कुमार एस / ओ श्री। चेत राम ग्राम वार्ड नं. 11 लखनपुर, जिला। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	उप मुहल बिलासपुर	1420/1	3153006	193.84
			1420/1	139161	25.3
			1420/1	136668	8.33
			1420/1	176044	10.73
89	श्री। राजेश, राकेश 2 शेयर रमेश 2 शेयर, श्रीमती। कमला देवी 1 शेयर श. चेत राम ग्राम वार्ड नं. 11 लखनपुर, जिला। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	उप मुहल बिलासपुर	1418, 1419	1399440	92.71
			1418, 1419	285774	21.88
			1419	1879735	120.78
			1419	59209	9.98
90	श्री। राकेश कुमार एस / ओ श्री। चेत राम ग्राम वार्ड नं. 11 लखनपुर, जिला। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	उप मुहल बिलासपुर	1419	63019	9.77
			1419	105832	6.8
			1420/1, 1411	1893677	113.16
			1420/1, 1411	58046	10.86
91	श्री। विशाल कुमार एस / ओ श्री। राकेश कुमार ग्राम वार्ड क्रमांक 11 लखनपुर, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	उप मुहल बिलासपुर	1420/1, 1411	101504	6.69
			1420/1, 1411	226597	50.37
			1420/1, 1411	157668	9.61
			1415, 1416	2102926	160.72
92	श्री। इंदर जीत एस/ओ श्री. ढाणी राम ग्राम वार्ड क्रमांक 11 लखनपुर, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	उप मुहल बिलासपुर	1415, 1416	136307	13.4
			1415, 1416	119523	18.53
			1415, 1416	296148	22.4
			1415, 1416	870760	55.12
93	श्री। दलीप, देवेंद्र, दीपक कुमार पुत्र चिंता देवी डब्ल्यू/ओ श्री। कृष्णन लाल 4 शेयर जयकिशन रोशन लाल, पुत्र श्री। संत राम 1 शेयर सुमित, श्रीमती। सुमा देवी डी/ओ कमला देवी डब्ल्यू/ओ दिनेश कुमार 1 शेयर ग्राम वार्ड नंबर 11 लखनपुर, जिला। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	उप मुहल बिलासपुर	1415, 1416	288384	29.52
			360, 361, 362	330926	96.9
			360, 361, 362	141102	40
			360, 361, 362	88588	25.93
	श्री। प्रीत लाल एस / ओ श्री। कृष्ण दयाल ग्राम वार्ड नं. 11 लखनपुर जिला। बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश		1483/1	1647260	101.27
			1483/1	91452	7

94		उप मुहल बिलासपुर	1483/1	68317	4.2
			1483/1	53434	4.09
95	श्री। दलीप कुमार पुत्र श्री. कृष्ण लाल ग्राम वार्ड नं 11 लखनपुर, जिला। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	उप मुहल बिलासपुर	360	158834	11
			360	43379	9.3
96	श्री। राकेश, राजेश पुत्र श्री. चेत राम ग्राम वार्ड नं. 11 लखनपुर, जिला। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	उप मुहल बिलासपुर	1419	221846	37.19

RFCTLARR अधिनियम 2013 के अनुसार या शहरी क्षेत्रों में सर्किल रेट के कम से कम दो गुना और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्किल रेट के चार गुना आबादी की मांग के अनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए। अतः प्रस्तावित भूमि की कुल अनुमानित लागत लगभग है। **3,22,70,38,356** रुपये और निर्मित संपत्ति की कुल अनुमानित लागत लगभग है। सर्किल रेट वर्ष 2020 के अनुसार **17,20,52,378** रुपये। मुआवजे में आवासीय और वाणिज्यिक सुविधाओं का नुकसान, अवसर की हानि, और खोए हुए बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए अतिरिक्त लागत, किसानों द्वारा उगाई गई चारा फसलों को भी शामिल किया जाना चाहिए। सामुदायिक भूमि को खोने वाले भूस्वामियों को भूमि, संरचना और उससे अर्जित राजस्व के नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए।

कुल - रु. 3,39, 90, 90, 734.00

नोट: कुल बजट या मुआवजे की राशि संबंधित एजेंसियों द्वारा तैयार नहीं की गई आर एंड आर योजना पर प्राप्त नहीं की जा सकती है।

7.6 परियोजना की लागत और लाभ

भानुपाली-बिलासपुर-बेरी नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का निर्माण आर्थिक विकास और अन्य लाभों के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। संभावित लाभों में से कुछ हैं:

- बेरी में पहले से मौजूद तीन सीमेंट कारखानों अर्थात् एसीसी, अंबुजा और जेपी तक रेलवे लाइनों की पहुंच परिवहन में महत्वपूर्ण लागत में कमी प्रदान करेगी और साथ ही कच्चे माल की उपलब्धता और बाजार तक उत्पादन की पहुंच को सुगम बनाएगी। यह लागत में कमी और बढ़ती मांग और इसलिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि की गुंजाइश प्रदान करेगा।
- रेलवे लाइन बिछाने से क्षेत्र में जमीन की कीमत बढ़ जाएगी जिसका सीधा लाभ परियोजना क्षेत्र के जमींदारों को होगा।
- रेलवे की सुगमता के कारण परिवहन में सुधार से बिलासपुर जिले में पर्यटन का विकास होगा। इससे पर्यटन के फॉरवर्ड लिंकेज क्षेत्रों जैसे स्थानीय परिवहन, होटल और मेहमाननवाजी उद्योग और स्थानीय उत्पाद बाजारों में वृद्धि को और अधिक लाभ होगा।
- पैराग्लाइडिंग, बिलासपुर में उभरते हुए पर्यटन खेल को भारत में संभावित रूप से सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यह अधिकतम निरंतर उड़ान घंटे और सुरक्षित और बड़े लैंडिंग स्थान प्रदान करता है। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की संभावना परियोजना की व्यावसायिक सफलता को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

• चूंकि लेह क्षेत्र की ओर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को जोड़ने के लिए रेलवे लाइन का प्रस्ताव है, यह रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करेगा।

I) लागत

भानुपाली-बिलासपुर-बेरी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के निर्माण की लागत में आर्थिक, परिचालन और पर्यावरणीय लागत शामिल है।

(i) आर्थिक और बुनियादी ढांचे की लागत में शामिल हैं (ए) परियोजना की योजना बनाने में शामिल लागत, (बी) इसके लिए आवश्यक भूमि की लागत, (सी) भवन की लागत, (डी) पटरियों, साइडिंग, सिग्नलिंग आदि से जुड़ी लागत, (ई) विद्युतीकरण की लागत और (एफ) सुरक्षा उपकरणों की लागत। इनमें भारी खर्च होता है और ये आर्थिक लागत का गठन करते हैं।

(ii) परिचालन लागत में (ए) ऊर्जा और बिजली की लागत, (बी) श्रम लागत, (सी) सामग्री की लागत और (डी) वार्षिक रखरखाव लागत शामिल है। परिचालन लागत भी आर्थिक लागत है लेकिन बाद के चरण में उत्पन्न होगी।

(iii) परियोजना की बाहरी, पर्यावरणीय और सामाजिक लागतों में शामिल हैं (ए) वायु, पानी और ध्वनि प्रदूषण की लागत, (बी) ग्लोबल वार्मिंग में योगदान के लिए जिम्मेदार लागत और (सी) बाधा प्रभाव यानी देरी, असुविधा और पहुंच की कमी कि रेल यातायात गैर-रेल मोड पर लागू होता है। रेलवे लाइनों को पार करने की कोशिश कर रहे कुछ जानवरों के लिए यातायात एक तत्काल खतरा है। रेलवे कई, शायद अधिकांश, स्थलीय जानवरों के लिए प्रवास अवरोध और मौत का जाल दोनों हैं। आबादी के लिए यातायात अवरोध के दीर्घकालिक पारिस्थितिक परिणाम भी हो सकते हैं। पेड़ों का नुकसान, खुले माल की आवाजाही, बढ़ती आवृत्ति और तेज गति वाली ट्रेनें ध्वनि और धूल प्रदूषण बढ़ाएंगी। रेलवे लाइनों के संचालन के बाद हॉर्न में चार गुना वृद्धि होगी और इससे जल्दी जागना, नींद न आना और इसी तरह की अन्य बीमारियां होंगी। दुर्घटनाओं के कारण होने वाली चोटें और हताहत गंभीर लागत हैं। एनओएक्स और सीओ₂ उत्सर्जन के मामले में वायु प्रदूषक प्राकृतिक संसाधन प्रणाली और मानव समाज के साथ कहर बरपा सकते हैं। प्रभाव पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने में बाधाएं हैं।

(i), (ii) और (iii) को जोड़ने से कुल लागत प्राप्त होती है और इन लागतों को परियोजना की अनुमानित जीवन अवधि में देखने से संचयी कुल लागत प्राप्त होगी। जब इस कुल को सामाजिक छूट दर पर छूट दी जाती है, तो संचयी कुल लागत (पीवीसी) का वर्तमान मूल्य प्राप्त होता है। 7 1

इसके लिए सूत्र है:

$$C_0 = \sum_{t=1}^n \frac{C}{(1+i)^t}$$

कहा पे,

C_0 = कुल लागत या PVC का वर्तमान मूल्य

C = संचयी कुल लागत

t = परियोजना का जीवन

i = सामाजिक छूट दर

ii) लाभ

रेल परियोजना के पूरा होने और उसके संचालन पर मिलने वाले लाभों में निम्नलिखित शामिल हैं।

(i) आर्थिक लाभ: इनमें शामिल हैं (ए) राजस्व में वृद्धि, (बी) कम लागत परिवहन, (सी) भूमि मूल्य में वृद्धि, (डी) व्यापार के अवसर, (ई) आजीविका विकल्प, (एफ) रोजगार और आय, और (जी) मजबूत बाजार ताकतें। रेल लाइनों की संख्या में वृद्धि और परिणामस्वरूप ट्रेनों की संख्या और गति में वृद्धि से यात्री टिकटों और माल ढुलाई से राजस्व में वृद्धि होगी; लोगों की आवाजाही और माल ढुलाई की लागत कम हो जाएगी; व्यापार के नए अवसर सृजित होंगे; आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और विविधीकरण से आजीविका के विकल्प बढ़ेंगे; मजबूत बाजार ताकतें पैदा होंगी; और ये सभी लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करने और आय में वृद्धि करने में मदद करेंगे। कम लागत परिवहन, भूमि मूल्यों में वृद्धि, नौकरियों और व्यापार के लिए नए स्थानों तक पहुंच और व्यापार करने में आसानी में सुधार होगा।

(ii) बाहरी या सामाजिक लाभ: इनमें (ए) लोगों और सामानों की आवाजाही में आसानी, (बी) पहुंच समय, प्रतीक्षा समय और ट्रेन में समय की बचत, (सी) सड़क परिवहन में कमी और टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण प्रदूषण में कमी शामिल है। रेलवे से NO_x और CO₂ उत्सर्जन कम होता है, (d) भीड़भाड़ और देरी से बचकर परिवहन में विश्वसनीयता में सुधार होता है और (e) सुरक्षा में सुधार होता है जो यातायात दुर्घटनाओं और जीवन रक्षा में कमी लाने में मदद करता है। सड़क के बुनियादी ढांचे पर कम खर्च के रूप में बचत भी परियोजना के बाहरी लाभ का एक उदाहरण हो सकता है। यह आशा की जाती है कि अतिरिक्त लाइनों के निर्माण और संचालन के साथ पहुंच समय, प्रतीक्षा समय और ट्रेन के भीतर यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा; भीड़भाड़ और देरी कम हो जाएगी और परिवहन की विश्वसनीयता में उल्लेखनीय सुधार होगा; और यातायात दुर्घटनाएं और वहां से होने वाली चोट और जीवन की हानि में कमी आएगी। बेहतर पहुंच, कम प्रतीक्षा समय और कम इन-ट्रेन समय और उच्च गति से यात्रियों के लिए प्रति घंटे लगभग 15 मिनट और माल ढुलाई के लिए लगभग 30 मिनट प्रति घंटे की बचत होगी।

(iii) सांस्कृतिक लाभ: तीसरी और चौथी पंक्तियों के निर्माण और संचालन के साथ एक तरह की व्यवसाय और वाणिज्यिक संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा, जो नए व्यापार के अवसरों, आजीविका के विकल्प, मजबूत बाजार ताकतों, लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करने और आय में वृद्धि के साथ-साथ खपत में वृद्धि करेगा। आराम और विलासिता के सामान और इलाके के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि।

(i), (ii) और (iii) रेल परियोजना के संचयी कुल लाभों को जोड़ते हैं। कुल संचयी लाभ (PVB) का वर्तमान मूल्य निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके प्राप्त किया जाएगा:

$$B_0 = \sum_{t=1}^n \frac{B}{(1+i)^t}$$

जहाँ,

B_0 = कुल लागत या PVC का वर्तमान मूल्य

B = संचयी कुल लागत

t = परियोजना का जीवन

i = सामाजिक छूट दर

B_0 से c_0 घटाने पर हमें परियोजना का शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) प्राप्त होता है। इस प्रकार

एनपीवी = $B_0 - C_0$

यदि $B_0 > C_0$ यानि NPV धनात्मक है, तो परियोजना सार्थक है। मौजूदा मामले में, एनपीवी के सकारात्मक और पर्याप्त होने की उम्मीद है।

लागत, लाभ और एनपीवी तुलना के परिणाम तालिका -8.1 में संक्षेपित हैं।

रेल परियोजना में निवेश एक महत्वपूर्ण सामाजिक निर्णय है। विस्तार परियोजना की एक बड़ी कमी भूमि अधिग्रहण और उससे जुड़ी लागत है। हालांकि, सार्वजनिक निर्णय निर्माताओं को न केवल वित्तीय लागत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बल्कि समाज पर स्पिलओवर से होने वाले संभावित सकारात्मक प्रभावों पर भी ध्यान देना चाहिए। सीबीए दिखाता है कि इस परियोजना में एक सकारात्मक एनपीवी है जो पूरी तरह से प्रदर्शित करता है कि परियोजना लागू करने योग्य है। टिकट राजस्व, यात्रा समय की बचत और सुरक्षा सुधार के कारण, परियोजना लागत प्रभावी और सार्थक होगी।

तालिका-7.1: लागत-लाभ तुलना

लागत		लाभ	
आर्थिक और बुनियादी ढांचा लागत	योजना भूमि इमारत पटरियों साइडिंग सिग्नलिंग विद्युतीकरण सुरक्षा उपकरण	आर्थिक लाभ	यात्री और माल ढुलाई राजस्व कम लागत परिवहन भूमि मूल्य में वृद्धि व्यवसाय के सुनहरे अवसर आजीविका विकल्प रोज़गार से आमदनी मजबूत बाजार ताकत
संचालन लागत	ऊर्जा श्रम सामग्री वार्षिक रखरखाव	सामाजिक लाभ	विकसित परिवहन नए स्थानों तक पहुंच यात्रा के समय में बचत परिवहन की विश्वसनीयता सुरक्षा में सुधार सड़क अवसंरचना में बचत
बाहरी और पर्यावरणीय लागत	दुर्घटना और हताहत प्रदूषण और वार्मिंग बाधा प्रभाव सांस्कृतिक आक्रमण	सांस्कृतिक लाभ	व्यापार संस्कृति को बढ़ावा देना आराम और विलासिता की खपत
कुल लागत		कुल लाभ	
कुल लागत का वर्तमान मूल्य (C_0)		कुल लाभ का वर्तमान मूल्य (B_0)	

लाभ विश्लेषण लागू करने में समस्याएं-लागत 7.6.1

किसी परियोजना के संबंध में निर्णय लेने में लागत-लाभ विश्लेषण एक उपयोगी उपकरण है। लेकिन सीबीए की शुद्धता और विश्वसनीयता लागत और लाभों के आकलन की सटीकता से निर्धारित होती है। सीबीए में, लागत और लाभ दोनों में मौद्रिक और गैर-मौद्रिक तत्व होते हैं और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हितधारकों के संदर्भ में होते हैं। सामाजिक लाभ भी भावी पीढ़ी और गैर-मानवीय हितधारकों से संबंधित हैं। इसलिए किसी परियोजना की सभी लागतों और लाभों का आर्थिक मूल्यांकन संभव नहीं है। कई मामलों में, मूल्यों को आरोपित करना पड़ता है और अनुमान कार्य करना पड़ता है। इसलिए, सीबीए एक अत्यधिक जटिल और बहुत ही चुनौतीपूर्ण अभ्यास है और मूल्यांकन के गलत होने की अधिक संभावना है।

इस दृष्टि से भानुपाली-बिलासपुर-बेरी नवीन ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना के निर्माण की लागत एवं लाभ का अनुमान लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। लेकिन सहज तर्क से यह उम्मीद की जाती है कि परियोजना से होने वाले लाभ इसकी लागत से कहीं अधिक होंगे और इसलिए यह परियोजना उस पर निर्देशित होने के लिए समय, धन और प्रयास के लायक है और रेलवे और अर्थव्यवस्था के विकास में एक सार्थक अत्यधिक योगदान देगी।

7.7 भूमि के अधिग्रहण के लिए 7 शर्तें और सिफारिशें

परियोजना के पूरा होने के बाद समुदाय को मिलने वाले लाभों की तुलना में परियोजना की सामाजिक लागतों के प्रभाव की तुलना करना; एसआईए टीम निम्नलिखित प्रस्तुत करती है -

- परियोजना आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 4 की उप-धारा (4) द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है, जिसके लिए यह आवश्यक है कि परियोजना सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करती है और इसके लिए न्यूनतम भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।
- संभावित पीएच और पर्यावरण द्वारा वहन की जाने वाली लागत को कम किया जा सकता है और पूरी तरह से अपूरणीय नहीं है।
- इसलिए, अपेक्षित निकाय के अनुरोध के अनुसार भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है ताकि परियोजना को पूरा किया जा सके।

हालांकि, भूमि का अधिग्रहण नीचे दी गई शर्तों और सिफारिशों के अधीन होना चाहिए और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना और इस रिपोर्ट के अन्य प्रासंगिक अध्यायों में दिए गए हैं, जो बदले में उपरोक्त लागत-लाभ विश्लेषण पर आधारित हैं।

7.8 भूस्वामियों को दी जाने वाली मुआवजा राशि

जन परामर्श में भू-स्वामियों ने परियोजना के लिए अपनी भूमि और संरचनाओं के मुआवजे की राशि और प्रक्रिया के प्रति अपनी आशंका व्यक्त की है। मुआवजे की राशि उचित और कानून के अनुसार होनी चाहिए। इसके अलावा, यह भूमि और संरचना के मालिकों के लिए फायदेमंद होना चाहिए जो अपनी भूमि और संरचनाओं को खो देंगे। जिला कलेक्टरों को स्थानीय भू-राजस्व विभाग से इस मूल्य की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 26(1) के अनुसार भूमि के मौजूदा मूल्य का निर्धारण करते समय इस पर सक्रिय रूप से विचार करना चाहिए।

7.8.1 अचल संपत्तियों के लिए मूल्यांकन और मुआवजा

यदि भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो भूमि के मालिकों की अचल संपत्ति, जैसे पेड़, कुएं, बोरवेल, शेड, चारदीवारी और अन्य अचल संपत्ति प्रभावित होगी। यह अनुशंसा की जाती है कि इन अचल संपत्तियों का मूल्यांकन और मुआवजा RFCTLARR अधिनियम, 2013 की धारा 28 और 29 के आधार पर होना चाहिए।

7.8.2 प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों की आजीविका की बहाली

प्रभावित परिवारों को अपनी कृषि आय और कृषि आधारित आजीविका या अपनी मौजूदा आजीविका का एक हिस्सा या पूरी तरह से खोने की संभावना है। यह अनुशंसा की जाती है कि यदि भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो उनकी आजीविका को बहाल करने के लिए आवश्यक निकाय द्वारा पर्याप्त वित्तीय और भौतिक सहायता प्रदान की जानी च

8.0 जन सुनवाई

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम (आरएफसीटीएलएआरआर), 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार के तहत जन सुनवाई अनिवार्य है। यह प्रभावित आबादी के विचारों को निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है। जन सुनवाई कई पार्टियों के लिए अपनी चिंताओं को व्यक्त करने, सभी लोगों के दृष्टिकोण को समझने और आम सहमति पर पहुंचने के लिए एक सामान्य मंच के रूप में कार्य करती है। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार परियोजना प्रभावित गांवों में 24 सितंबर से 29 सितंबर 2021 तक निर्धारित समय के अनुसार जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी सभी ग्रामों के जिला एवं प्रखंड स्तर के संबंधित अधिकारियों, ग्राम सरपंच एवं चौकीदार को दे दी गयी है। पीएएफ (परियोजना प्रभावित परिवारों) को भी ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्यों, सरपंच के माध्यम से और व्यक्तिगत स्रोतों और फोन कॉल के माध्यम से, समाचार पत्र और वेबसाइट में सार्वजनिक अधिसूचना, प्रमुख स्थानों पर बैनर और पोस्टर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन सुनवाई के बारे में पहले से ही सूचित किया गया था। जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप। प्रत्येक बैठक की उपस्थिति पत्रक भी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

एसआई की टीम ने डीसी अधिकारी के साथ मिलकर जनसुनवाई के सभी सत्रों का संचालन किया। श्री बीरेंद्र रतूड़ी (निदेशक) एसआर एशिया के स्वागत भाषण के साथ सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई में जनता के सभी सदस्यों को परियोजना विवरण समझाया गया था और व्यक्तिगत साक्षात्कार के दौरान उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को भी विस्तार से जनता को बताया गया था। प्रत्येक प्रतिवादी को अपनी चिंताओं को विस्तृत करने के लिए समय दिया गया था, जिसे वीडियो रिकॉर्ड किया गया था और नोट भी किया गया था। जन सुनवाई के दौरान आरवीएनएल के अधिकारी भी एसआई टीम के साथ थे।

8.1 प्रतिलेख और जन सुनवाई के मुख्य बिंदु - तिथिवार

पंचायत घर-कल्लार दिनांक 24/-9/2021

- जनसुनवाई के दौरान गांव के कुछ लोगों ने अपनी भूमि के अधिग्रहण और पुनर्वास/पुनर्स्थापन योजना के संबंध में मुद्दा और आपत्ति की थी क्योंकि यह उनके लिए स्पष्ट नहीं है।
- श्री मोहन लाल : वे चाहते हैं कि जिन घरों में विभिन्न प्रकार के ब्लास्टिंग के कारण सुरंग के निर्माण कार्य के दौरान दरारें विकसित हो सकती हैं और क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, पीएएफ और परियोजना प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ निर्माण के बाद के संघर्ष से बचने के लिए / गाँव।
- टुनू गांव में प्रस्तावित लिंक रोड का निर्माण पहले से किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीणों पर प्रभाव को कम किया जा सके।
- गांव के लोग अपने पीने के पानी के प्राकृतिक स्रोतों के बारे में चिंतित हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सुरंग का काम और निर्माण बिना किसी कीमत के उन्हें मिलने वाले पानी को फिर से चालू कर देगा। इसलिए निर्माण कार्य से पहले उन्हें पानी की आपूर्ति मुफ्त में उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- लोग अधिकारियों से अनुरोध कर रहे हैं कि जहां भी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, वहां ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए कई जगह सुरक्षा दीवार/बाड़ लगवाएं।
- कोट के ग्रामीणों ने सुरंग के काम से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बार फिर लिंक रोड के सर्वेक्षण की मांग की है जिससे उनके पूरे गांव को खतरा हो सकता है।
- सुरंग का काम उनके गांव में उपलब्ध प्राकृतिक जल स्रोतों को बाधित करेगा, इसलिए निर्माण कार्य शुरू करने से पहले पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

पंचायत घर नूनी दिनांक 24/09/2021

- गांव के अधिकांश लोगों को अपनी भूमि के अधिग्रहण और पुनर्वास/पुनर्स्थापन योजना के संबंध में समस्या और आपत्ति है क्योंकि यह उनके लिए स्पष्ट नहीं है।
- श्रीमती विद्या देवी मनवा : उन्होंने कहा, परियोजना के लिए उनकी पूरी जमीन अधिकारियों द्वारा अधिग्रहित कर ली गई है, वह अपनी जमीन का उचित मुआवजा चाहती हैं, या तो सर्कल रेट का चार गुना या पुनर्वास/पुनर्स्थापन।

पंचायत घर माझेर दिनांक 25/09/2021

- परियोजना की जनसुनवाई के दौरान गांव के कुछ लोगों ने भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास/पुनर्स्थापन योजना को लेकर विवाद व आपत्ति जताई थी।
- जिन लोगों का घर सुरंग के ऊपर है वो भी सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
- सुरंग का निर्माण इस तरह से किया जाना चाहिए कि गांव के अन्य क्षेत्र और प्राकृतिक संसाधन ब्लास्टिंग या निर्माण कार्य से प्रभावित न हों।
- निर्माण अवधि के दौरान जल संसाधनों जैसे प्राकृतिक संसाधनों का ध्यान रखना चाहिए।
- आरवीएनएल को निर्माण अवधि के दौरान सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहिए जैसे प्राकृतिक संसाधनों, घरों और अन्य भूमि को फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के रूप में पोस्ट निर्माण क्षति और संघर्ष से बचने के लिए।
- श्री दुखी लाल, जब्बल- जिन परिवारों की भूमि का कुछ भाग अधिग्रहण के बाद शेष रह जाता है, उन्हें भी अधिग्रहित किया जाना चाहिए क्योंकि अब वह शेष भूमि उनके उपयोग की नहीं है।
- श्री श्यामलाल, थापना- रेलवे लाइन के लिए अपनी जमीन देने वालों के लिए नया मकान बनाने के लिए गांव में कोई सुरक्षित जगह या जमीन उपलब्ध नहीं है। इसका कारण यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में स्थलाकृति/मिट्टी आदि के कारण कहीं भी और हर जगह मकान नहीं बन पाते हैं।
- पिछले और पिछले भूमि अधिग्रहण में, अधिकारियों ने तब उचित मुआवजे, पुनर्वास और मुद्दों और चिंताओं को हल करने का वादा किया था, लेकिन कभी पूरा नहीं हुआ। इसलिए ग्रामीणों को इस बार भी आरवीएनएल अधिकारियों और अन्य की मंशा पर शक है।

पंचायत घर तल्ली दिनांक 25/09/2021

- परियोजना की जनसुनवाई के दौरान गांव के कुछ लोगों ने अपनी भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास/पुनर्स्थापन योजना के संबंध में मुद्दों और आपत्तियों का सामना किया था।
- श्री दुखी राम, टिक्कर ग्राम- 8 बिस्वा भूमि निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई है, लेकिन आधिकारिक दस्तावेजों में केवल 7 बिस्वा दर्ज हैं।
- श्रीमती रश्मि देवी, तल्ली गांव- उनकी पूरी 8 बिस्वा भूमि अधिग्रहित कर ली गई है, इसलिए या तो वह चाहती हैं
- चार गुना दर या पुनर्वास और पुनर्स्थापन के साथ उचित मुआवजा। उसने यह भी कहा, कि घर का मुआवजा उसे बनाने में खर्च की गई लागत के करीब नहीं है।
- श्री हीरा लाल, टल्ली - सरकार निर्माणाधीन फलदार एवं अफलदायी वृक्षों के लिये उतनी ही मुआवजा दर प्रदान कर रही है। लेकिन गांव के लोग चाहते हैं कि रुद्राक्ष और चंदन के पेड़ों को उनके बाजार मूल्य या अधिक दर पर मुआवजा दिया जाए।

पंचायत घर स्वाहन दिनांक 27/09/2021

- आज तक किसी भी अधिकारी या सरकारी अधिकारी ने गांव का दौरा नहीं किया है।
- जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने सुरंग के निर्माण के कारण जल संसाधनों में भेद्यता में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की।
- परियोजना में काम करने के लिए स्थानीय लोगों को काम पर रखा जाना चाहिए और निर्माण कार्य में उनकी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- जिन लोगों का घर या जमीन सुरंग के ऊपर है, उन्हें भी सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए क्योंकि सुरंग निर्माण कार्य के कारण जल स्रोत सूख सकते हैं।
- जनसुनवाई के दौरान ग्रामीण अपने घरों की पहले से ही उचित वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना चाहते थे ताकि निर्माण अवधि के दौरान नुकसान का रिकॉर्ड हो और निर्माण के बाद के संघर्षों से बचा जा सके।
- रेलवे परियोजना में सीधे तौर पर प्रभावित नहीं होने वाले परिवार भी जानना चाहते हैं कि निर्माण के दौरान या परियोजना के पूरा होने के बाद उनका घर भी क्षतिग्रस्त होने पर क्या मुआवजा दिया जाएगा।
- मेला से शमशान घाट लिंक रोड का निर्माण परियोजना शुरू होने से पहले किया जाना चाहिए ताकि अनुष्ठानों और प्रथाओं को अप्रभावित रखा जा सके।
- परियोजना के कारण मेला गांव में भूस्खलन की संभावना बढ़ गई है।

पंचायत घर धरोट दिनांक 27/09/2021

- प्रस्तावित मुआवजा स्वीकार्य नहीं है और वर्ष 2019 में प्रचलित सर्किल दरों का चार गुना होना चाहिए।
- ग्रामीण अवरुद्ध जल निकासी प्रणाली से प्रभावित होते हैं जो संपर्ककर्ताओं/आरवीएनएल द्वारा मलबे के अवैध डंपिंग द्वारा अवरुद्ध है। कृषि उपज के नुकसान की सूचना है। साथ ही कई लोगों ने बताया है कि उनके घरों और खेतों में भी कीचड़ घुस गया है।
- भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य के कारण पशुओं का चारा क्षेत्र / चराई क्षेत्र खो गया है और इसलिए मवेशियों के लिए चराई क्षेत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- जिस लिंक रोड के लिए ग्रामीणों ने अपनी जमीन दी है और केवल ग्रामीणों के लिए बनाई गई है और भारी वाहनों/निर्माण मशीनरी के लिए कोई क्षमता नहीं है, वह हर दिन क्षतिग्रस्त हो जाती है। इससे गड्ढे, दरारें और जलभराव आदि हो गए हैं। गांव की सड़क पर वाहनों के लगातार चलने से इतना धूल प्रदूषण, वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया है और इस पर तत्काल सुनवाई और सुधार की मांग की है। ग्रामीणों ने ठेकेदार (आरवीएनएल) को सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करने पर वाहनों को रोकने की चेतावनी दी है।
- ठेकेदार द्वारा टनलिंग कार्य से उत्पन्न होने वाले ग्राम क्षेत्रों में व उसके आसपास अवैध स्थानों पर मलबा डंप किया जा रहा है, जिसके कारण पानी की आपूर्ति पाइप लाइन टूट जाती है और महीनों तक बिना ध्यान के रह जाती है।
- बारिश के दौरान कई बार मलबा गिरने से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है और इसके परिणामस्वरूप घरों और खेतों में कीचड़ घुस गया है।
- गैर-निर्दिष्ट क्षेत्र में डंपिंग के कारण लिफ्ट सिंचाई अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त हो गई है।
- श्री जसवीर सिंह ने अपने घर के बगल में संचालित रॉक क्रशर प्लांट से उत्पन्न धूल प्रदूषण के कारण अपनी त्वचा पर अपनी स्वास्थ्य समस्या को उजागर किया।

- श्री हरविंदर सिंह बताते हैं कि तीन नाले हैं, जो उनके गांव के पास से गुजरते हैं और एक दूसरे के पास हैं लेकिन अलग-अलग दिशा में उड़ते हैं। उन्होंने आगे शिकायत की कि गैर-निर्दिष्ट क्षेत्र में डंपिंग प्रथाएं की गई हैं, जिससे तीन जल निकासी अवरुद्ध हो गई है, और पानी एक ही स्थान पर जमा होना शुरू हो गया है, जिससे उनकी खड़ी फसल और इस संचय से पानी बर्बाद हो गया है, जो घरों में प्रवेश कर गया है, जिससे बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया है। मुश्किलें खड़ी की और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी। उनकी मांग है कि कंपनी को इस नुकसान के लिए जिम्मेदार बनाया जाए और प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा, कंपनी को गैर-निर्दिष्ट क्षेत्र में डंपिंग और इसे करने की अवैध प्रथाओं के लिए दंडित किया जाना चाहिए।
- श्री नरेश ने उस दुकान से अपनी कमाई के नुकसान के बारे में शिकायत की, जो अधिग्रहित की जाने वाली भूमि पर थी, और मुआवजा नहीं दिया गया है। मुआवजे की राशि सिर्फ ढांचे के लिए दी गई है, दुकान से होने वाली आय के नुकसान के लिए नहीं।
- श्री केशव सिंह ने कंपनी द्वारा निर्माण में प्रयोग किये जाने वाले भारी वाहनों के प्रयोग से स्थानीय गांव की सड़क को भारी नुकसान की ओर इशारा किया।
- ठेकेदार द्वारा स्थानीय मुद्दों का अनुपालन नहीं करने की सूचना दी गई।

नगर पालिका हॉल-डायरा 28/09/2021

पिछले कई दशकों से व्यास गुफा और मंदिर की देखभाल करने वाली श्रीमती बंटी देवी चाहती हैं कि व्यास गुफा के किसी भी हिस्से को कभी भी क्षतिग्रस्त नहीं किया जाना चाहिए और रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान किसी भी कीमत पर संरक्षित करने की आवश्यकता है। यह भी साझा किया गया है कि व्यास गुफा जिला बिलासपुर के लिए ऐतिहासिक महत्व की है और इसे संरक्षित किया जाएगा। यदि मंदिर का अधिग्रहण किया जाता है या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो प्रशासन या तो उसका निर्माण / मरम्मत करेगा या पुनर्निर्माण के लिए उचित मुआवजा देगा।

विकास खंड सदर- उप मुहल बिलासपुर, उप मुहल बलोह 28/09/2021

- श्री हरिंदर सिंह उन्हें दी जाने वाली मुआवजे की दर से सहमत नहीं हैं।
- श्री नवीन जी के अनुसार वे 58 लाख प्रति बीघा के सर्किल रेट पर सहमत हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि RFCTLARR 2013 के अनुसार सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए यह मुआवजा दर उन्हें मंजूर नहीं है।
- 58 लाख प्रति बीघा मुआवजा दर अधिकारियों द्वारा निर्धारित है जबकि बाजार दर 1.5 करोड़ प्रति बीघा है। इस दर पर वे न तो जमीन खरीद सकेंगे और न ही कहीं और मकान बना सकेंगे।
- पीडब्ल्यूडी ने सामान्य रूप से परियोजना में प्रभावित होने वाले मकान, संरचनाओं का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया है।
- श्री प्रेमलाल की चिंता यह है कि न तो पेड़ों के लिए मुआवजा दिया गया है और न ही भवन की नींव पर संरचना के मुआवजे के लिए विचार किया गया है।
- श्रीमती कंचन (श्री वृजेंद्र सिंह की पत्नी) भी मुआवजे के लिए पेड़ों के नुकसान के बहिष्कार के बारे में चिंतित हैं। वह यह भी चाहती हैं कि मुआवजा नियमों का विवरण पारदर्शी हो और पीएफ को प्रदान किया जाए।

- अधिकारियों ने जानकारी दी है कि ट्रैक से 15 मीटर की दूरी पर भूमि के मालिक द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है लेकिन इतना क्षेत्र अधिग्रहित नहीं किया गया है और इस प्रकार मुआवजा भी नहीं दिया गया है। वह असमंजस में है कि क्या करे।
- श्री भानुप्रताप की शिकायत है कि लोक निर्माण विभाग ने संख्या का मूल्यांकन नहीं किया है। परियोजना के कारण प्रभावित बोरवेल और पाइपलाइन की। उनकी एक और चिंता यह है कि 2014 की कीमतों के आधार पर कच्चे माल की लागत को देखते हुए संरचनाओं की मुआवजा दर तय की जा रही है लेकिन उन्होंने 2019 में अपना घर बनाया है। इसलिए उन्हें उनकी लागत के हिसाब से मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।
- श्री जेके शर्मा ने मुआवजे की राशि देर से जारी करने की शिकायत की। वह उसी के लिए एक आसान और सुगम प्रक्रिया की अपेक्षा करते हैं।
- श्रीमती सुरेंद्र (अशोक की पत्नी) ने अपनी चिंता व्यक्त की और बताया कि उनकी इमारत तीन मंजिला है जिसकी लागत करोड़ों में है लेकिन मुआवजे की राशि केवल 33 लाख है। यह संरचना की वास्तविक लागत के करीब भी नहीं है। वह इस मुआवजे की दर पर निवास नहीं कर पाएगी।
- पीएफ की मांग है कि भूखंड में अधिग्रहित की जा रही भूमि की राशि और भूमि के शेष क्षेत्र (अधिग्रहण के संबंध में जानकारी) की जानकारी भूस्वामियों को प्रदान की जानी चाहिए।
- श्री दिलीप की चिंता यह है कि उनके घर का प्रवेश द्वार निर्माण के कारण अवरुद्ध हो गया है और समस्या के समाधान के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। साथ ही उनके घर की तीसरी मंजिल का मूल्यांकन भी नहीं किया गया है।
- ग्रामीण चाहते हैं कि स्टेशन को लखनपुर में स्थानांतरित कर दिया जाए। एम्स और प्रस्तावित हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की उपस्थिति से स्थानीय के साथ-साथ इसका लाभ मिलेगा

पंचायत घर बमटा दिनांक 29/09/2021

ग्राम-खेरिया लुहनु

- बैठक में उपस्थित ग्रामीणों ने साझा किया कि सभी हितधारकों के साथ कोई भी बातचीत एक साथ की जाएगी और किसी एक परिवार को व्यक्तिगत रूप से अपनी भूमि अधिग्रहण के लिए बातचीत करने के लिए राजी नहीं किया जाना चाहिए।
- श्री रतनलाल जी (वार्ड सदस्य, ९४१८०९४६९१) प्रस्ताव करते हैं कि मुआवजे का विवरण, विशेष रूप से भूमि और संरचनाओं की मुआवजे की दर को सार्वजनिक और प्रकाशित किया जाना चाहिए। यह जागरूकता के साथ-साथ अधिग्रहण प्रथाओं की पारदर्शिता का नेतृत्व करेगा।
- श्री कृष्णलाल की मांग है कि बची हुई जमीन पर पीसीबी एक्ट न थोपा जाए।

ग्राम : बध्यात, बहल खण्डला, बध्याटी

- केबीबीबी पंजीकृत सोसायटी का गठन और पंजीकरण चार ग्रामीणों के पीएफ द्वारा उनके भूमि अधिकारों और आरवीएनएल परियोजनाओं से उचित मुआवजा प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है। उनके द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। उन्होंने कहा है, वे अपनी मांगों के अनुसार मुआवजा दिए बिना झुकेंगे नहीं।

- पीएफ की शिकायत है कि उनके साथ मुआवजे की बातचीत नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने रेलवे ट्रैक के निर्माण के लिए जमीन देने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन रेलवे स्टेशन के लिए नहीं क्योंकि रेलवे स्टेशन से उनकी आजीविका को भारी नुकसान होगा और उन्हें पहले ही कई बार विभिन्न परियोजनाओं में स्थानांतरित किया जा चुका है।
- श्री बलदेव जी की शिकायत है कि पिछली परियोजनाओं में किये गये वादे पूरे नहीं किये गये। वे इस परियोजना में किए जा रहे वादों के पूरा होने को लेकर भी संशय में हैं। उन्हें विश्वास में लिया जाना चाहिए और उनकी मांगों को जल्द से जल्द प्रदान किया जाना चाहिए।
- केवल चांदपुर ब्रिज नामक पुल से अलग किए गए दो आसन्न क्षेत्रों के लिए प्रदान की जा रही मुआवजे की दर में अंतर बहुत बड़ा है। एक को 80 लाख प्रति बीघा और दूसरे को 8 लाख प्रति बीघा दिया जाता है।
- श्री नेत्र सिंह का सुझाव है कि प्लेटफार्म स्टेशन को लखनपुर में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

पंचायत घर रघुनाथपुर दिनांक 29/09/2021

- श्री आर एल चौधरी अपनी चिंता व्यक्त करते हैं और शिकायत करते हैं कि पीएफ द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर किए गए किसी भी निर्माण को बिना किसी आधिकारिक राजपत्रित अधिसूचना के प्रतिबंधित कर दिया गया है। आधिकारिक अधिसूचना प्रकाशित करके इस प्रथा का पालन किया जाना चाहिए।
- श्री चौधरी राम बचे हुए भूमि, जो आकार में बहुत कम हैं, का कोई उत्पादक उपयोग नहीं होने के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं और सुझाव देते हैं कि इन बचे हुए भूमि को भी अधिग्रहित किया जाना चाहिए क्योंकि उस भूमि के टुकड़े का कोई मूल्य शेष नहीं है और यह कुल नुकसान है पीएफ।
- श्री राजू भूमि अधिग्रहण के कारण अपने बेघर होने से चिंतित हैं। उनका कहना है कि न तो उनके पास दूसरा घर बनाने के लिए उपयुक्त और सुरक्षित जमीन है और न ही मुआवजे की राशि इतनी है कि वह दूसरा घर खरीद सकें।
- पीएफ की मांग है कि बची हुई भूमि, जो आकार में कम है और इसके संशोधित आकार के कारण कोई उत्पादक उपयोग नहीं है, स्वचालित रूप से अधिग्रहित की जानी चाहिए और अधिग्रहण के बारे में सभी विवरण पीएफ के साथ साझा किए जाने चाहिए।
- श्री रंजीत, श्रीमती विमला देवी, श्री राजेश कुमार, श्री राकेश कुमार, बचे हुए भूमि के उत्पादक उपयोग नहीं होने की समान चिंता साझा करते हैं और भूमि के ऐसे टुकड़ों को हासिल करने का सुझाव देते हैं।
- पीएफ की मांग है कि पुनर्वास और पुनर्वास उनके संबंधित स्थानों के 3-4 किमी के भीतर किया जाना चाहिए।
- श्री विजय राम (शिव राम के पुत्र) साझा करते हैं कि अधिग्रहण प्रक्रिया में उनका बोरवेल प्रभावित हो रहा है क्योंकि यह अधिग्रहण की जा रही भूमि पर है और मांग करता है कि उन्हें इसकी किस्त की मुआवजा राशि और बिजली की सुविधा नए स्थान पर प्रदान की जानी चाहिए। बोरवेल के रूप में वर्तमान स्थान में यह सुविधा है।
- श्री अमरजीत सिंह (रामपुर) का सुझाव है कि अधिकारियों को उन स्थानों का उचित निरीक्षण करना चाहिए जहां पर संपत्ति प्रभावित हो रही है।
- कुछ बची हुई जमीनें हैं जो परियोजना के पूरा होने के बाद एक तरफ से गोविंद सागर झील और दूसरी तरफ से रेलवे ट्रैक से घिरी होंगी। अधिग्रहण से बहुत कम जमीन बची है, जिससे कोई उत्पादक उपयोग न हो। रेलवे को स्थानीय लोगों के साथ समझौते में इस बचे हुए के लिए एक मुआवजा योजना भी प्रस्तावित करनी चाहिए।
- रघुनाथपुरा में एम्स के रूप में एक रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा और एक इंजीनियरिंग कॉलेज पहले से ही निर्माण चरण में है और काम प्रगति पर है। कई लाभार्थी इन संस्थानों में आ रहे होंगे और अन्यथा बाजार से यात्रा के लिए

अतिरिक्त लागत वहन करना होगा। इससे आम लोगों को अतिरिक्त खर्चा उठाना पड़ेगा और इससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण होगा।

- पीएफ ने एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा अपने घरों और संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन / पुनर्मूल्यांकन की मांग की है ताकि उनके घरों, संबद्ध संपत्तियों और पेड़ों का उचित मूल्यांकन किया जा सके और संभावित खतरे के जोखिम मूल्यांकन सहित निर्माण कार्य न केवल पीएफ का कारण बन सकता है लेकिन भविष्य में सभी निवासियों और ग्रामीणों को भी। चूंकि अधिग्रहण क्षेत्रों में भूमि की दरें काफी अधिक हैं, मुआवजे की वर्तमान दर समान घर के पुनर्निर्माण और जीवन की गुणवत्ता और आसपास की सुविधाओं और सुविधाओं के पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है। जमीन और मकान के नुकसान के परिणाम के रूप में लोगों के सामने आने वाली वास्तविकता और मुद्दों की चुनौतियों का समग्र दृष्टिकोण किसी भी टकराव से बचने के लिए अग्रिम रूप से माना जाना चाहिए।
- एसआईए टीम ने जन सुनवाई में एकत्रित सभी सूचनाओं की समीक्षा की और इसे विश्लेषण में शामिल किया। परियोजना से जुड़े मुद्दों के अलावा लोगों ने परियोजना को लेकर अपनी शंकाओं का समाधान भी किया। एसआईए टीम की उपस्थिति में बिलासपुर और श्री नैनादेवी तहसील के सभी छब्बीस गांवों को कवर करने के लिए दस सत्र आयोजित किए गए। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, पूरे कार्यक्रम की फोटो खींची गई और वीडियो रिकॉर्ड किया गया (वीडियोग्राफी की डीवीडी संलग्न है)। जन सुनवाई के सभी सत्रों का विवरण तालिका में दिया गया है
- सभी गांवों में लोगों द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख मुद्दों और मांगों को निम्नलिखित तालिकाओं में संक्षेप में दिया गया है:

तालिका: पीएफ और अन्य हितधारकों द्वारा सामान्य समस्याएं और मांगें

क्रम संख्या समस्याएं मांगें

1. कम मुआवजा बार-बार विस्थापित होने पर, सर्कल रेट का 4 गुना और पूर्ण पुनर्वास और पुनर्वास पैकेज प्रदान करें
2. अध्ययन के माध्यम से प्राकृतिक जल स्रोतों, पाइप लाइन ए के नुकसान की सिफारिश की जाती है और किसी भी निर्माण कार्य से पहले ग्रामवार सभी वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।
3. नियोजित निर्माण के तहत रेलवे लाइनों और ओवर टनल से सटे घरों को संभावित नुकसान जिला अधिकारियों द्वारा घरों की अग्रिम वीडियो रिकॉर्डिंग और मुआवजे का भुगतान कौन करेगा, इसकी पहचान की जाएगी
4. सरकार द्वारा अनदेखा अच्छा/बाजार दर
5. आजीविका का नुकसान परियोजना में योग्यता के साथ परिवार के किसी सदस्य को उपयुक्त नौकरी देना
6. घर का नुकसान उचित पुनर्वास और पुनर्वास
7. भूमि का नुकसान उचित पुनर्वास और पुनर्वास
8. बार-बार प्रवासन पहली बार भूमि अधिग्रहण के रूप में, एक सामान्य प्रावधान पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए दर्द और शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार को अधिक उदार हृदय की आवश्यकता है
9. उर्वर भूमि का हास आजीविका प्रावधान की पेशकश की जानी चाहिए

10. आय की हानि

11. वनों की कटाई पुनर्वास

12. विस्थापन के कारण अनिश्चितता और अव्यवस्था पुनर्वास

13. निर्माण गतिविधियों के कारण ग्रामीणों को होने वाली समस्याएं लिंक रोड, पानी की आपूर्ति, नियमित आधार पर सड़कों की मरम्मत, प्रदूषण पर नियंत्रण और उपयुक्त और चिन्हित स्थानों पर डंपिंग सुनिश्चित करें।

14 व्यावसायिक गतिविधियों का नुकसान कानून के अनुसार मुआवजा और पेशकश

सभी अतिरिक्त मुद्दे और चिंताएं वही हैं जो गांवों में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के रिकॉर्ड में उल्लिखित हैं और इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

जनसुनवाई कार्यक्रम के अनुसार वीडियो रिकॉर्डिंग एवं उपस्थिति पत्रक संलग्न है।

8.2 केबीबीबी द्वारा प्रतिनिधित्व:

केबीबीबी पंजीकृत सोसायटी से एसआईई टीम द्वारा निम्नलिखित प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था, जो पूरी तरह से उनके भूमि अधिकारों और उचित मुआवजा प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था।

KBBB पंजीकृत सोसायटी (सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत) निम्नानुसार प्रस्तुत करती है:

I. हिमाचल प्रदेश सरकार अधिसूचना संख्या। टीपीटी-एफ(2)-4/2019-II दिनांक 30/06/2021 ने 'हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति) नियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार' के नियम 3 के तहत एक अधिसूचना जारी की।, 2015' बिलासपुर में पड़ने वाले 26 गांवों के सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन के लिए। उक्त नियम भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 109 के तहत तैयार किए गए थे। अधिसूचना के अनुसार, गांवों खेरियानलुहनु, बध्यायत, बामटा और बहल कंडिला में रेलवे जंक्शन प्रस्तावित किया गया है।

'हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति) नियम, 2015' में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार के अनुसार, एसआईई अधिसूचना अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में जारी की जानी है,

समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित करना और चिपकाना प्रभावित क्षेत्रों में विशिष्ट स्थानों पर। दुर्भाग्य से, हमारे मामले में इनमें से कुछ प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। इस प्रकार इस अवसर पर लोगों के हितों और कल्याण की रक्षा के लिए एक समाज (KBBB) का उदय हुआ। इस परियोजना से जुड़ी समग्र समस्याओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है और विभिन्न अधिकारियों को लिखित रूप में दिया गया है, जिसमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि रेलवे स्टेशन को किसी बंजर भूमि में स्थानांतरित किया जा सकता है।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि भाखड़ा बांध के निर्माण के दौरान प्रभावित निवासियों को पहले ही विस्थापित किया जा चुका है, जिसमें उपजाऊ भूमि, जो सतलुज्जिवर और अली-खड़ के तट पर थी, जलमग्न हो गई थी। इस अधिग्रहण से विस्थापित परिवारों का आज तक निपटारा नहीं हो सका है क्योंकि राज्य सरकार ने भूखंडों का आवंटन नहीं किया है और एक लंबी सूची है, जो अभी भी पुनर्वास के लिए लंबित है। भाखड़ा दामण्ड अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के बाद विस्थापितों का स्वयं ही बंदोबस्त की प्रक्रिया में थे, उस अवधि के दौरान सरकार ने फिर से न्यू टाउनशिप बिलासपुर, औद्योगिक क्षेत्र बिलासपुर, सरकार के लिए भूमि का अधिग्रहण किया। आईटीआई बिलासपुर। बाद में, सरकार ने फिर से राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के निर्माण/चौड़ाई के लिए भूमि का अधिग्रहण किया।

द्वितीय. प्रस्तावित रेलवे स्टेशन प्रभावित परिवारों के दैनिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। प्रस्तावित अधिग्रहण परिवारों की संख्या को विस्थापित करेगा। इन परिवारों को पहले भी भाखड़ा बांध परियोजना, न्यू टाउनशिप बिलासपुर, औद्योगिक क्षेत्र बिलासपुर, सरकार जैसी विभिन्न परियोजनाओं में 3-4 बार विस्थापित किया जा चुका है। आईटीआई बिलासपुर और राष्ट्रीय राजमार्ग NH-21 और राज्य राजमार्ग का निर्माण/चौड़ाई।

आपको सूचित किया जाता है कि इन गांवों की कुल 1155 बीघा (86.92 हेक्टेयर) भूमि इस परियोजना से पहले ही सरकार द्वारा अधिग्रहित की जा चुकी है। पूर्व में अधिग्रहित भूमि का विवरण इस प्रकार है

Sr. No.	Name of Project	Year of Acquisition	Total Land Acquired Bighas (Hectare)
1	Bhakra Dam Construction	1956	845-08 (63.63)
2	Establishment of New Bilaspur Township	1958	120-05 (9.05)
3	Establishment of Govt. ITI	1959	24.12 (1.85)
4	Establishment of Industrial Area	1965	91.17 (6.91)

5	Construction / widening of National Highway and State Highway	Construction- 1954 Widening- 1997	72.18 (5.49)
----------	---	--------------------------------------	--------------

इन परियोजनाओं के तहत अधिग्रहित भूमि (क्रमांक 1 से 4; क्रमांक 5 एनएच / एसएच पुरस्कार प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण) सरकार द्वारा रुपये की मामूली प्रतिपूरक राशि के साथ अधिग्रहित की गई है। 1,70,556.70। प्रतिपूरक राशि वाले दस्तावेज़ का पूरा विवरण इसके साथ संलग्न है।

नीतिगत मामले के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि विस्थापितों के रूप में एक बार विस्थापित हुए व्यक्तियों को बार-बार विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। इन गांवों में, सरकार ने पहले ही अपनी 50% से अधिक भूमि का अधिग्रहण कर लिया है और इस प्रस्तावित रेलवे अधिग्रहण से कुछ निवासी भूमिहीन हो जाएंगे और उनके पास घर बनाने के लिए भी उनके पास जमीन नहीं बचेगी।

इस प्रकार, हम इन गाँवों में रेलवे स्टेशन के निर्माण का पुरजोर विरोध करते हैं, अर्थात् इसे किसी अन्य स्थान पर पुनः आवंटित किया जा सकता है जहाँ बंजर भूमि उपलब्ध है। हालाँकि, हम इन गाँवों के माध्यम से रेलवे लाइनों के निर्माण का राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए विरोध नहीं करते हैं। परियोजना लेकिन हम रेलवे स्टेशन के निर्माण का पुरजोर विरोध करते हैं जिसके लिए भूमि के एक बहुत बड़े हिस्से का अधिग्रहण करने की आवश्यकता है।

यदि रेलवे स्टेशन का पुनः आवंटन किया जाता है, तो यह न केवल उपजाऊ खेती वाली भूमि को बचाएगा, जिसकी उपलब्धता पहाड़ी इलाकों में कम है, बल्कि यह घरों के विस्थापन को भी बचाएगा।

III. हाल ही में, सरकार। हिमाचल प्रदेश के खेरिया लुहनु, बध्यायत, बामटा और बहल कंडैला गांवों के निवासियों के साथ सर्किल रेट कम करके कहर बरपाया है जबकि थोड़ी दूरी पर आसपास के क्षेत्र में सर्किल रेट 10 गुना अधिक है। यह हमारे खिलाफ एक गणनात्मक कदम है ताकि मुआवजे का आकलन निचले स्तर पर हो। कंदौर से कोठी चौक तक की सड़क को केवल रिकॉर्ड में दिखाया गया है जबकि यह सड़क जबकि इस सड़क की भूमि एनएच मानदंडों के अनुसार अधिग्रहित की गई है और यह एनएच 21 को कंडरौर 88 से बामटा न्यू 154 में जोड़ती है। इसलिए यह कनेक्टिंग रोड नहीं है कोठी चौक के लिए लेकिन यह राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ता है और इसका नाम 88A रखा गया है। इसलिए सर्किल रेट कोठी चौक के सर्किल रेट से अधिक होना चाहिए क्योंकि जिला मुख्यालय बध्यायत आदि के पास अधिक है। बिलासपुर जैसे पहाड़ी इलाकों में जमीन की कमी के कारण जमीन सहित हर वस्तु की दरें तेज हो रही हैं।

चतुर्थ। इस अधिग्रहण के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का निवासियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, अर्थात्:

ए। दूध विक्रेताओं जैसे छोटे व्यवसायों में लगे व्यक्तियों और घर के छोटे व्यवसायों में शामिल लोगों की आजीविका से वंचित होना। लिफाफा, लघु कुटीर उद्योग और आटा चक्की आदि बनाना।

बी। स्थानीय समुदाय पंडित, मोलविस, दर्जी, नाई, कुम्हार और मोची आदि में पेशेवर काम करने वाले व्यक्तियों की आजीविका से वंचित होना।

सी। महिला मंडलों, स्वयं सहायता समूहों आदि की गतिविधियों का विघटन।

डी। भूमि अधिग्रहण के बाद गांवों में एक आम जगह पर लोगों को 'सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव' से अलग कर दें।

V. भारतीय रेलवे वर्तमान में सीवेज निपटान के लिए 'ड्रॉप चूट टॉयलेट' प्रणाली का उपयोग कर रहा है, जो एक समस्याग्रस्त है और विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य खतरों और पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। मानव अपशिष्ट में बड़ी संख्या में कीटाणु होते हैं जो विभिन्न प्रकार के संचारी रोगों, परजीवी संक्रमणों और अन्य जल जनित रोगों का कारण बनते हैं। रेलवे स्टेशन पर एकत्रित सीवेज और मानव मल को संभवतः पास के जल स्रोतों (मुख्य रूप से सतलुज नदी और अलीखड़) में छोड़ा जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप इन स्रोतों में जल प्रदूषण और मीठे पानी की कमी होगी। ये जल निकाय पेयजल स्रोत और मछली पालन के स्रोत (गोबिंद सागर झील में) के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, रेलवे स्टेशन और आसपास के क्षेत्र में सीवेज से दुर्गंध आने से वायु प्रदूषण होगा और इन क्षेत्रों के निवासियों के लिए संभावित स्वास्थ्य खतरा होगा।

VI. यदि अधिग्रहण राष्ट्र के हित में अपरिहार्य है, तो हम निम्नानुसार प्रस्तुत करना चाहेंगे:

ए। विस्थापित परिवारों को जमीन और मकानों पर कब्जा करने की बात करने से पहले बसाया जाना चाहिए। यह जिला मुख्यालय के पास रेलवे के विस्थापित विस्थापितों के लिए एक सेक्टर उठाकर किया जाना चाहिए क्योंकि विस्थापित निवासी तत्कालीन शासकों के समय से जिला मुख्यालय के पास निवास कर रहे हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने बखरा बांध के संकुचन के बाद नई बिलासपुर टाउनशिप की स्थापना के लिए 120.05 बीघा भूमि का अधिग्रहण किया है, ताकि इस सादृश्य भूमि को कोठी चौक क्षेत्र में विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए अधिग्रहित किया जा सके ताकि विस्थापित परिवार अपने स्थानीय को न खोएं। कनेक्शन।

बी। विस्थापित परिवारों के सदस्यों को भूमि एवं मकान का कब्जा लेने से पूर्व रेलवे/केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जा सकता है।

सी। प्रभावित/विस्थापित परिवारों को खेती के उद्देश्य से सड़क दी जा सकती है और रेलवे स्टेशन के किनारे के घरों को बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, सीवेज, सामुदायिक कल्याण केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी अन्य सभी सुविधाओं के साथ मोटर योग्य पक्का सड़क दी जा सकती है। कॉमन लाइब्रेरी, चिल्ड्रन पार्क आदि।

डी। विस्थापित व्यक्ति को रेलवे स्टेशन के किनारे बची हुई भूमि को विकसित करने की अनुमति दी जा सकती है। उन्हें रेलवे लाइनों को पार करने के लिए ओवरहेड ब्रिज, रेलवे स्टेशन के दूसरी ओर की भूमि तक पहुंचने के लिए प्रावधान/पथ और मवेशियों के लिए पथ आदि की सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए।

इ। विस्थापित परिवारों के सदस्यों को रेलवे स्टेशन के अंदर बूथ और दुकानें या अन्य व्यावसायिक स्थल दिए जाने चाहिए। स्थानीय निवासियों को रेलवे स्टेशन तक पहुंच प्रदान की जा सकती है ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।

एफ। रेलवे अधिकारियों को टैक्सियों, ट्रैक्टरों, पानी के टैंकरों, ट्रकों और परिवहन वाहनों, जेसीबी और विस्थापित परिवारों की अन्य एचईएमएम मशीनों को रोजगार के स्रोत के रूप में लगाना चाहिए।

जी। रेलवे अधिकारियों को भारत में ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों की यात्रा के लिए वर्ष में एक बार प्रदर्शित परिवारों को मुफ्त पास जारी करना चाहिए।

एच। विस्थापित परिवारों की बची हुई भूमि का विकास रेलवे प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

मैं। KBBB के रिपेरेटिव को अधिग्रहण की प्रक्रिया से निपटान और पुनर्वास तक जोड़ा जाना चाहिए। हम अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे प्रतिनिधि भी विस्थापित परिवारों के बेहतर निपटान के लिए रेलवे अधिग्रहण समिति में शामिल हों।

बी बी रेलवे लाइन का सामाजिक समाघात मूल्यांकन | जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

जे। इसके संचालन में आने के बाद यदि कोई जान, माल, पशु आदि का नुकसान होता है तो मुआवजे की पूरी जिम्मेदारी रेलवे प्राधिकरण की होगी।

क। KBBB regd को प्रदान की गई प्रतिलिपि साइट योजना और ट्रैक स्तरीय योजना। बढ़यत और भेलकेनडेला में प्रस्तावित रेलवे जंक्शन की समिति।

9. सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना

9.1 शमन की प्रक्रियाँ

एसआईए टीम ने विभिन्न सामाजिक प्रभावों की पहचान और शमन उपायों के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान प्रक्रियाओं को समावेशित किया है। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पद्धतियों के संयोजन को अपनाने का उद्देश्य मूल्यांकन के किसी भी महत्वपूर्ण क्षेत्र को छोड़े बिना अधिक व्यापक आंकड़ा और समग्र परिणाम प्राप्त करना है। प्रस्तावित शमन उपायों को विभिन्न श्रेणियों अर्थात् परियोजना प्रभावित जनसंख्या, पंचायत सदस्य, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत और चर्चाओं के माध्यम से प्राप्त किया गया है। शमन योजना को तैयार करने के लिए सामाजिक प्रभाव पर एकत्रित जानकारी का अध्ययन किया गया और विशेषज्ञों के साथ आंतरिक और बाह्य रूप से चर्चा की गई।

यह अध्याय नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रमुख सामाजिक प्रभावों का सार प्रस्तुत करता है। नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने और सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के दृष्टिकोण के साथ परियोजना के विभिन्न चरणों में लागू किए जाने वाले शमन उपायों को प्रस्तुत करता है।

9.2 नकारात्मक प्रभाव एवं क्षतिपूर्ति को कम करने के उपाय

प्रारंभिक समीक्षा एवं अध्ययन के दौरान विभिन्न हितधारकों के साथ किए गए परामर्श के आधार पर इस परियोजना के निम्नलिखित सामाजिक समाघात शमन योजना (एसआईएमपी) विकसित की गई है। परियोजना क्षेत्र अर्थात् जिला बिलासपुर के दो तहसीलों के 26 गांवों में इससे उत्पन्न होने वाले नकारात्मक सामाजिक प्रभावों जैसे कि भूमिहीनता, पारिस्थितिक भेद्यता, आजीविका और निजी सम्पत्ति पर प्रभाव परियोजना के प्रमुख नकारात्मक प्रभाव बताये गये। हालांकि, सभी संभावित नकारात्मक प्रभाव को परोपकारी इरादों के साथ निहित रूप से प्रबंधित किए जा सकता हैं। इस सम्बंध में निम्नलिखित शमन उपायों को अपनाया जा सकता है:

9.2.1 आर्थिक उपाय

- वर्तमान स्थान पर परियोजना के निर्माण के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव 647 भूखंड संख्या में फैले 247 परिवारों के लिए सम्पत्ति का नुकसान है। रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भूमि के अधिग्रहण के कारण सम्पत्ति के नुकसान एवं सम्पत्ति के नुकसान की भरपाई अधिनियम धारा 26-31 के तहत अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। जो 247 परिवारों के लिए अधिनियम की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।
- परियोजना प्रभावित परिवारों का मुख्य मुद्दा अधिग्रहण के लिए दिए जाने वाले मुआवजे का निर्धारण / बाजार मूल्य के साथ हैं। एसआईए के अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी मुआवजा सर्किल रेट से दोगुना है। जैसा कि रूख्सत्त अधिनियम, 2013 की पहली और दूसरी अनुसूचियों में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के संबंध में

कहा गया है कि अंतिम मुआवजा भूमि के बाजार मूल्य का चार गुना होना चाहिए। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा RFCTLARR अधिनियम, 2013 की पहली अनुसूची के अनुसार बाजार मूल्य और सम्पत्ति की लागत का चार गुना होना चाहिए।

- बामटा और टल्ली पंचायत के लगभग 6-7 पीएफ ने हमें भूमि के विक्रय अविलेखों को प्रदान किया है। वे अपने भूमि दर के अनुसार मुआवजा राशि देने की भी मांग कर रहे हैं। इसलिए, एसआईए टीम का सुझाव है कि सभी 26 गांवों के लिए मुआवजा राशि उसी के अनुसार निर्धारण होना चाहिए। साथ ही पीएफ के साथ भी बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए परामर्श किया जा सकता है।
- RFCTLARR अधिनियम, 2013 की धारा 27 के अनुसार निर्मित संरचनाओं, घरों, फलदार पेड़ों और अन्य पेड़ों सहित सम्पत्ति के नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए। गांवों में निर्मित सम्पत्ति का मूल्यांकन पहले ही किया जा चुका है, लेकिन पीएफ के मुद्दों सम्पत्ति का मूल्यांकन विशेष रूप से आवासीय भूमि, फलदार पेड़ और अन्य बागवानी उत्पादों के सम्बंध में हैं।
- इसलिए सम्पत्ति मूल्यांकन का उचित सत्यापन ब्लूज्.त् अधिनियम, 2013 की धारा 29 के अनुसार किया जाना चाहिए। पीएफ को अपने दावों के लिए मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए और उसके बाद सम्पत्ति के मूल्यांकन के सम्बंध में निर्णय लिया जाना चाहिए।
- परियोजना से प्रभावित परिवारों का सम्पत्ति के नुकसान के साथ आजीविका का भी नुकसान है, क्योंकि वे मुख्य रूप से कृषि या बागवानी गतिविधियों में शामिल थे। कृषि और बागवानी गतिविधियों से जुड़े पीएफ को प्राथमिकता के आधार पर उचित प्रतिकर दी जानी चाहिए और उनकी आजीविका के लिए उचित शमन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। RFCTLARR अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची के क्रमांक 4 के अनुसार व्यावसायिक रूप से विस्थापित पीएफ को रोजगार दिया जाना चाहिए।
- जहां भी प्रस्तावित रेलवे स्टेशनों का निर्माण किया जाना है अर्थात् बामता, तल्ली, धारोट और नगर निगम क्षेत्रों में व्यापक पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन पैकेज (प्रभावित क्षेत्र के 10-15 किलोमीटर के भीतर) को डिजाइन और कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
- भूमि अधिग्रहण के समय खड़ी फसलों के लिए मुआवजा RFCTLARR अधिनियम, 2013 धारा 28 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।
- एसआईए टीम के अध्ययन के दौरान एफजीडी, सार्वजनिक परामर्श और चर्चाओं में दर्ज सभी फीडबैक, मुद्दों, चिंताओं को समस्या के आधार पर दोनों पक्षों के लिए उपयुक्त रूप से हल किया जाना चाहिए।

9.2.2 पर्यावरणीय उपाय

- पेड़ों और परती भूमि के नुकसान के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि प्रस्तावक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजना क्षेत्र में अधिक संख्या में पेड़ लगाए जाएं।
- प्रस्तावक या आवश्यक निकाय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि परियोजना स्थल पर उपलब्ध जल संसाधनों को बनाए रखे या संरक्षित किया जाए ताकि इन संसाधनों का उपयोग क्षेत्र में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सके। निर्माण के दौरान सीवर लाइनों और पानी की टंकियों को प्रभावित करने से कमोबेश बचना चाहिए एवं क्षेत्र में उपयुक्त जल स्रोत उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यह मौजूदा पेयजल और पानी की आवश्यकता वाली अन्य सुविधाओं के प्रभाव को कम कर सकता है।
- परियोजना के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट निपटान प्रबंधन को स्पष्ट रूप से विकसित किया जाना चाहिए।

- परियोजना के निर्माण के दौरान भूस्खलन एवं गाद के जोखिम को कम करने के लिए पहाड़ों में सुरक्षा दीवारों का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सुरंगों और पुलों के पास डम्पिंग यार्ड के लिए चिन्हित स्थल बंजर होने चाहिए। यदि सम्भव हो तो क्षेत्र की वनस्पतियों पर गाद एवं बाढ़ के प्रतिकूल प्रभावों के जोखिम से बचने के लिए उचित देखभाल की जानी चाहिए।
- निर्माण चरण के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के लिए साइट पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए।

9.2.3 पुनर्वास के उपाय

- अधिकांश पीएफ आवासीय उद्देश्यों के लिए अपनी भूमि का उपयोग करते हैं। उनमें से अधिकांश नकद मुआवजे के लिए सहमत हो गए हैं लेकिन निवास के नुकसान को कम करने के लिए उचित विचार किया जाना चाहिए।
- परियोजना से सामुदायिक भूमि का नुकसान एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, इसलिए संतोषजनक सांस्कृतिक कार्याकल्प और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए पीएफ के साथ व्यापक परामर्श किया जाना चाहिए।

9.2.4 अन्य उपाय

- परियोजना के निर्माण चरण के दौरान प्रभावित आबादी (यदि कोई हो) की चिंताओं को दूर करने के लिए परियोजना स्थल पर एक सार्वजनिक निवारण तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।
- प्रस्तावक को एक विस्तार विंग स्थापित करना चाहिए जो आस-पास के गांवों के समग्र विकास के लिए अभिनव कार्यक्रमों को डिजाइन, योजना एवं कार्यान्वित करेगा। यह परियोजना को बाहर के लोगों के साथ एकीकृत करने में सहायक होगा।
- भू-स्वामियों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
- निर्माण सामग्री एवं कचरे को परिवहन के दौरान अच्छी तरह से ढका जाना चाहिए ताकि रिसाव और फैलाव से बचा जा सके।

तालिका 8.1: प्रस्तावित शमन का विवरण

प्रभाव	प्रस्तावित शमन
भूमि का नुकसान	RFCTLARR अधिनियम, 2013 की धारा 26 एवं पहली अनुसूची के अनुसार मुआवजा राशि
नर्मित संरचनाओं, फलदार वृक्षों और अन्य वृक्षों आदि सहित सम्पत्ति का नुकसान	RFCTLARR अधिनियम, 2013 की धारा 27 और 29 के अनुसार मुआवजा राशि
आजीविका एवं आय के स्रोत का नुकसान	RFCTLARR अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची के क्रमांक 4 के अनुसार पुनर्वास पैकेज
निवास की हानि	RFCTLARR अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची के अनुसार मुआवजा राशि

पारिस्थितिक प्रभाव	इलाके की पानी की जरूरतों को पूरा करने लिए जल स्रोतों को सुरक्षित रखना और अन्य उपायों को SIMP योजना के अनुसार कम किया जाना चाहिए।
--------------------	--

9.3 शिकायत निवारण तंत्र

एसआईए टीम ने विभिन्न सामाजिक प्रभावों की पहचान और शमन उपायों के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान प्रक्रियाओं को समावेशित किया। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पद्धतियों के संयोजन को अपनाने का उद्देश्य मूल्यांकन के किसी भी महत्वपूर्ण क्षेत्र को छोड़े बिना अधिक व्यापक आंकड़ा और समग्र परिणाम प्राप्त करना है। प्रस्तावित शमन उपायों को विभिन्न श्रेणियों अर्थात् परियोजना प्रभावित जनसंख्या, पंचायत सदस्य, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत और चर्चाओं के माध्यम से प्राप्त किया गया है। शमन योजना को तैयार करने के लिए सामाजिक प्रभाव पर एकत्रित जानकारी का अध्ययन किया गया और विशेषज्ञों के साथ आंतरिक और बाह्य रूप से चर्चा की गई।

यह अध्याय नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रमुख सामाजिक प्रभावों का सार प्रस्तुत करता है। नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने और सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के दृष्टिकोण के साथ परियोजना के विभिन्न चरणों में पालन किए जाने वाले शमन उपायों को प्रस्तुत करता है।

9.4 सांस्थानिक संरचनाएं और SIMP कार्यावाही के प्रमुख व्यक्ति

तालिका 8.2 SIMP समयरेखा और संस्थानिक संरचनाये

प्रभाव का प्रकार	मुद्दे/चिंताएं	शमन के प्रस्तावित उपाय	संभावित नोडल व्यक्ति समिति	निगरानी की जिम्मेदारी	कार्यान्वयन की जिम्मेदारी	समय
सामाजिक प्रभाव	पहुंच की समस्या क्योंकि ग्रामीणों को अतिरिक्त मील का सफर तय करना होगा	ग्रामीणों को रेलवे लाइन के पार अपने खेत में जाने की सुविधा के लिए गांव के बगल में अंडरपास का निर्माण किया जाना चाहिए। इन अंडरपासों का प्रावधान विकलांगों के अनुकूल होना चाहिए।	ग्रामवार समितियों से मिलकर बने जिनमे; i) एसडीम-एलएओ (SDM-LAO) अधिकारी, जिला प्रशासन ii) प्रभावित पंचायतों के ग्राम प्रधान और प्रभावित गांवों में से प्रत्येक से एक नामित वार्ड सदस्य, iii) आरवीएनएल, चंडीगढ़ के साइट इंजीनियर	जिला प्रशासन, बिलासपुर	आरवीएनएल, चंडीगढ़ के अधिकारी	परियोजना की शुरुआत से एक वर्ष के भीतर
	रेलवे लाइन पार करते समय सुरक्षा के मुद्दे	यातायात के घंटों के दौरान रेलवे लाइन को पार करने के लिए स्कूलों या भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों के पास ओवरब्रिज का निर्माण किया जाना चाहिए।				रेलवे लाइन के संचालन चरण द्वारा
		रेलवे लाइनों के बैरिकेड्स पर ट्रेनों की गति, विद्युतीकरण और अन्य खतरनाक उपायों के बारे में होर्डिंग लगाए जाएं।				निर्माण चरण के साथ
		रेलगाड़ियों के चलने के कारण वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए मानक निवारक उपायों का अध्ययन एक विशेष एजेंसी द्वारा उचित उपाय करने के लिए किया जाना चाहिए।				संचालन चरण से पहले
		कम से कम गांव के आसपास के इलाकों में रेलवे ट्रैक के चारों ओर बैरिकेड्स और बाड़ का निर्माण किया जाना चाहिए				

आर्थिक प्रभाव	स्वच्छता और स्वच्छता	निर्माण और संचालन चरण के दौरान व्यापक इन-सीटू श्रम प्रवास, पर्यटकों के लिए नियंत्रण और प्रबंधन दिशानिर्देश विकसित किए जाने चाहिए				निर्माण चरण की शुरुआत से पहले
	रोजगार के अवसरों का नुकसान	पीएफ को तालिका 8.1 में वर्णित आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए	ग्रामवार समितियों से मिलकर बने जिनमे; i) एसडीम-एलएओ (SDM-LAO) अधिकारी, जिला प्रशासन	जिला प्रशासन, बिलासपुर	जिला प्रशासन, बिलासपुर	जमीन लेने से पहले
		रेलवे लाइन के निर्माण और रखरखाव के दौरान पीएपी के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं	ii) प्रभावित पंचायतों के ग्राम प्रधान और प्रभावित गांवों में से प्रत्येक से एक नामित वार्ड सदस्य, iii) आरवीएनएल, चंडीगढ़ के साइट इंजीनियर		आरवीएनएल, चंडीगढ़ के अधिकारी	आवश्यकता आधारित
	भूमि, संपत्ति और संपत्ति का नुकसान	पीएफ को तालिका 8.1 में वर्णित आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 26-31 और पहली अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए।			जिला प्रशासन, बिलासपुर	जमीन लेने से पहले
पर्यावरणीय प्रभावों	वृक्षारोपण और पेड़ों का नुकसान	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और वन संरक्षण नियम 2003 के अनुसार किसी भी पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।	ग्रामवार समितियों से मिलकर बने जिनमे; i) एसडीम-एलएओ (SDM-LAO) अधिकारी, जिला प्रशासन	आरवीएनएल चंडीगढ़ के अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित कोई भी संबंधित अधिकारी	आरवीएनएल, चंडीगढ़ के अधिकारी	संचालन चरण के 3 वर्षों के भीतर
	जल संसाधनों की हानि	सिंचाई और पेयजल सुविधाओं के लिए उचित जल निकासी व्यवस्था और जल मार्ग का निर्माण।	ii) प्रभावित पंचायतों के ग्राम प्रधान और प्रभावित गांवों में से प्रत्येक से एक नामित वार्ड सदस्य,			परियोजना की समयसीमा के समानांतर
	खतरनाक अपशिष्ट उत्पादन	प्रत्येक निर्माण स्थल पर उचित अपशिष्ट निपटान तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।				परियोजना के निर्माण चरण से पहले

आर एंड आर			iii) आरवीएनएल, चंडीगढ़ के साइट इंजीनियर			
	प्रतिनिधित्व, मुद्दे और चुनौतियां	जैसा कि KBBB पंजीकृत सोसायटी द्वारा सुझाया गया है, PAF और अन्य हितधारकों (बैठकों का कार्यवृत्त) क्षेत्र के दौरे और जन सुनवाई के दौरा रिकॉर्ड साझा किया। RCFLARR 2013/2015 के अनुसार सभी मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक पुनर्वास योजना बनाई और कार्यान्वित की जाएगी	सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी	हिमाचल प्रदेश सरकार	हिमाचल प्रदेश सरकार	परियोजना के निर्माण चरण से पहले

9.5 अतिरिक्त सुझाव- शमन उपाय

1. जागरूकता शिविर - क्षेत्र में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, सामाजिक अधिकार आदि से संबंधित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम अक्सर आयोजित किए जाएंगे। इससे प्रभावित ग्रामीणों को आबादी के विशाल प्रवाह और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के पैटर्न में प्रत्याशित परिवर्तनों से लाए गए सामाजिक परिवर्तनों का सामना करने में मदद मिलेगी।
 2. श्मशान स्थल - उत्तरदाताओं के अनुसार श्मशान स्थलों को रेलवे लाइन के कारण विभाजित किया जाएगा। इसलिए, निर्माण से पहले प्रभावित पंचायत के निवासियों के परामर्श से लिंक रोड/अंडरपास/ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे।
 3. ड्रेनेज सिस्टम- प्रभावित गांवों में उचित ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता है। दी गई इलाके की परिस्थितियों में सड़कों के किनारे जल निकासी पाइप की व्यवहार्यता का पता लगाया जाना चाहिए।
-

9.6 आय बहाली की गतिविधियां

रेलवे लाइन परियोजना अधिग्रहण प्रस्ताव में 26 गांवों को शामिल किया गया है जो मुख्य रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। यह परियोजना परियोजना प्रभावित परिवारों की आजीविका पर कुछ सकारात्मक और प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों, परिवारों, परिवारों के पुनर्वास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आय के पूर्व-परियोजना स्तरों की बहाली है। इस प्रकार, आय बहाली गतिविधियों का मूल उद्देश्य यह है कि सभी भूमि-हारे जीवन की गुणवत्ता का उतना ही आनंद लेंगे जितना उन्होंने अधिग्रहण से पहले आनंद लिया था।

ए) बागवानी और हर्बल पौधों को बढ़ावा देना: बिलासपुर जिले की कृषि-जलवायु परिस्थितियाँ उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फलों के लिए काफी उपयुक्त हैं। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर सेब, चेरी, आलूबुखारा, खूबानी और निचले क्षेत्रों में आम, लीची, अमरूद और खट्टे फल पैदा होते हैं। इस क्षेत्र में कागजी नींबू, किनू और संतरा जैसे खट्टे फलों का प्रचार किया जा सकता है। प्रभावित क्षेत्र में पौध संरक्षण, कारंटाइन एवं भण्डारण केंद्र भी स्थापित किए जाएं। संबंधित विभाग के सहयोग से क्षेत्र में हर्बल पौधों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

बी) पर्यटन को बढ़ावा देना: यदि प्रशासन द्वारा पर्याप्त ध्यान दिया जाता है, तो यह क्षेत्र पर्यटन स्थल के साथ-साथ पानी से संबंधित गतिविधियों/खेल के हब के रूप में विकसित हो सकता है। पीपीपी मोड में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सकता है जिससे प्रभावित परिवारों के लिए नियमित आय हो सकती है।

ग) मत्स्य पालन को बढ़ावा: प्रभावित क्षेत्र में इच्छुक व्यक्तियों को मछली पालन में प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इच्छुक लोगों और पारंपरिक मछुआरों (प्रभावित परिवारों से) को संबंधित विभाग से मछली पकड़ने का लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता की जा सकती है।

डी) पशुपालन: प्रभावित आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए कृषि के बाद पशुधन मुख्य धन है और प्रभावित क्षेत्रों में हर घर में हमेशा गाय या भैंस, भेड़, बकरियां होती हैं। पशुपालन, जो छोटे के लिए सहायक और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनका व्यवसायीकरण किया जा सकता है। क्षेत्र में एक दुग्ध सहकारिता को बढ़ावा दिया जा सकता है जिससे न केवल परियोजना प्रभावित परिवारों को बल्कि पूरे क्षेत्र को लाभ होगा।

ई) स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन और सुदृढ़ीकरण: आवश्यक निकाय को महिलाओं को एक साथ आने और एसएचजी बनाने और मौजूदा लोगों को उचित प्रशिक्षण के साथ मजबूत करने और पंजीकृत एसएचजी को दिए गए बैंक ऋण के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। हस्तशिल्प, डायरी, शॉल बनाना, सिलाई और कशीदाकारी आदि का परिचय दिया जा सकता है।

एफ) खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ: परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए स्थायी आय स्रोतों के लिए अर्गो-आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाई और मत्स्य पालन और संबंधित प्रसंस्करण इकाइयाँ एक अन्य क्षेत्र हो सकती हैं। प्रभावित आबादी के बीच संबंधित विभागों/जिला प्रशासन और उद्यमियों के परामर्श से ऐसी इकाइयों की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है।

छ) आय बहाली के लिए संस्थागत जुड़ाव: सर्वेक्षण के दौरान, यह देखा गया कि आय बहाली के लिए कुछ पात्र परिवार बागवानी, छोटे व्यवसायों और पशुधन के माध्यम से अपनी आजीविका कमा रहे थे। कुछ व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण अवसर प्राप्त करने के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को संगठित करने के लिए प्रभावित परिवार के सदस्यों को संगठित करने के लिए आवश्यक निकाय सक्रिय भूमिका निभा सकता है और विपणन और क्रेडिट सुविधाओं के अलावा कच्चे माल, इनपुट के लिए आगे और पिछड़े लिंकेज स्थापित करने में भी सहायता कर सकता है। जिला प्रशासन और संस्थागत वित्त पोषण और विपणन में अन्य हितधारक ऐसी गतिविधियों को शुरू करने के लिए सूक्ष्म योजना तैयार करेंगे। वैकल्पिक आजीविका योजनाओं के निर्माण के मामले में, लक्षित आबादी की जरूरतों का

अध्ययन किया जाएगा और भागीदारीपूर्ण तरीके से प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न गरीबी उन्मूलन और आय सृजन योजनाएं। और प्रभावित आबादी को आय बहाली के विकल्प प्रदान करने के लिए भारत सरकार को एक साथ लाया जाएगा।

एच) परियोजना आधारित रोजगार: परियोजना से संबंधित रोजगार के अवसर जैसे परियोजना निर्माण और रखरखाव ठेकेदारों के तहत काम भी प्रभावित आबादी के लिए खुले होंगे।

-
- 1) स्थानीय क्षेत्र विकास निधि एलएडीएफ का योगदान परियोजना की निर्माण अवधि के दौरान परियोजना लागत का 1.5% है। तत्पश्चात एलएडीएफ के लिए परियोजना के जीवन पर निरंतर और निरंतर आधार पर आय सृजन और कल्याणकारी योजनाओं की एक नियमित धारा प्रदान करने के लिए 1% निर्धारित किया जाएगा। सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार एलएडीएफ को योजना/बजटीय प्रावधानों के माध्यम से 12% के अपने हिस्से से मिलते-जुलते 1% भी मुफ्त प्रदान कर सकती है। इन प्रावधानों पर परियोजना प्रभावित परिवारों के साथ व्यापक रूप से चर्चा करने की आवश्यकता है और इसके लिए एक स्थानीय क्षेत्र विकास समिति (एलएडीसी) का गठन किया जा सकता है जिसमें विभिन्न हितधारक जैसे सरकारी विभाग, परियोजना प्रभावित परिवारों के सदस्य और आवश्यक निकाय अधिकारी शामिल हैं।
-

9.7 हिमाचल प्रदेश नियम 2015 के अनुसार आवश्यक निकाय द्वारा उपाय

यह एसआईए रिपोर्ट आवश्यक निकाय के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने और सार्वजनिक परामर्श और सर्वेक्षण के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों और अन्य हितधारकों द्वारा व्यक्त की गई आकांक्षा के अनुसार कार्य योजना तैयार करने के लिए फायदेमंद होगी। अध्ययन के निष्कर्षों के आलोक में अपेक्षित सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं।

भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार के नियम 2015, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार एक पूर्ण आर एंड आर नीति और योजना विकसित की जाएगी ताकि पीएएफ के पुनर्वास और पुनर्वास के लिए कानून के अनुसार भूमिहीन और बेघर होने के साथ-साथ पीएएफ के बार-बार और में विस्थापन पर विचार किया जा सके। कुछ मामले इस रेलवे परियोजना के लिए चौथी बार हैं जैसा कि ग्रामीणों ने साझा किया है

9.7.1 पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत व्यवस्था

अधिनियम 2013 के अनुसार, जहां अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि 100 एकड़ के बराबर या उससे अधिक है, वहां सरकार कलेक्टर की अध्यक्षता में एक "पुनर्वास और पुनर्वास समिति" का गठन करेगी। इस समिति का उद्देश्य पुनर्वास और पुनर्वास योजनाओं या योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना और ग्राम सभा के परामर्श से कार्यान्वयन के बाद की सामाजिक लेखा परीक्षा करना है। इसके बाद कार्यान्वयन और सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल होने वाले सदस्य निम्नानुसार हो सकते हैं:

1. प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं का प्रतिनिधि।
2. प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिनिधि।
3. क्षेत्र में कार्यरत एक स्वैच्छिक संगठन (एनजीओ) का प्रतिनिधि।
4. परियोजना के भूमि अधिग्रहण अधिकारी।
5. प्रभावित क्षेत्र की पंचायतों के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित।
6. संसद सदस्य और संबंधित क्षेत्र के विधान सभा सदस्य या उनके नामित। (जीपी प्रधान)

7. आवश्यक निकाय का एक प्रतिनिधि।

8. संयोजक के रूप में आर एंड आर के प्रशासक।

9.8. शिकायत निवारण समिति (जीआरसी)

पीएएफ को उनके प्रश्नों और शिकायतों को तत्काल आधार पर हल करने में सहायता करने के लिए जल्द से जल्द कुशल शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया जाएगा। पीएएफ की शिकायतों को पहले परियोजना के क्षेत्र स्तर के अधिकारियों के ध्यान में लाया जाएगा। तब तक निवारण नहीं होने वाली शिकायतों को शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) में लाया जाएगा। प्रस्तावित जीआरसी की संरचना आर एंड आर समिति के समान हो सकती है। यह समिति मासिक आधार पर बैठक कर सकती है या मामले को राज्य सरकार द्वारा परिभाषित किया जा सकता है।


जीआरसी की मुख्य जिम्मेदारियां हो सकती हैं:

भूमि/संपत्ति अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर पीएएफ को सहायता प्रदान करना;

पीएएफ की शिकायतों को रिकॉर्ड करें, शिकायतों को वर्गीकृत और प्राथमिकता दें और उनका समाधान करें; तथा,

पीएएफ को उनकी शिकायतों और जीआरसी के निर्णयों के संबंध में विकास पर रिपोर्ट करें।

कानून की अदालत के तहत स्वामित्व अधिकारों से संबंधित विवादों के अलावा, जीआरसी सभी पुनर्वास लाभों, मुआवजे, स्थानांतरण, प्रतिस्थापन लागत और अन्य सहायता से संबंधित शिकायतों की समीक्षा करेगा। जब किसी शिकायत को क्षेत्र स्तर के पदाधिकारियों के पास लाया जाता है, तो उसे शिकायत की तारीख से 15 दिनों के भीतर हल किया जाना चाहिए। जीआरसी हर महीने बैठक करेगा (यदि शिकायतें समिति के पास लाई जाती हैं), प्रत्येक शिकायत की योग्यता का निर्धारण करें, और शिकायत प्राप्त होने के एक महीने के भीतर शिकायतों का समाधान करें - ऐसा न करने पर, शिकायत निवारण के लिए उचित न्यायालय में भेजा जाएगा। प्राप्त सभी शिकायतों का रिकॉर्ड रखा जाएगा जिनमें शामिल हैं: शिकायत का संपर्क विवरण, शिकायत की तारीख, शिकायत की प्रकृति, की गई सुधारात्मक कार्रवाई और उनके प्रभावी होने की तारीख, और अंतिम परिणाम। शिकायत निवारण तंत्र का एक प्रवाह चार्ट नीचे चित्र 9.3 में दर्शाया गया है:



चित्र-9.3: शिकायत निवारण के चरण

10. निगरानी और मूल्यांकन

एसआईएमपी कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन आवश्यक है क्योंकि गतिविधियों को कई एजेंसियों द्वारा समयबद्ध तरीके से निष्पादित किया जाना है। निगरानी में यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर जाँच शामिल है कि क्या गतिविधियाँ अनुसूची के अनुसार आगे बढ़ रही हैं जबकि मूल्यांकन एसआईएमपी के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए है। इस उद्देश्य के लिए, परियोजना अधिकारियों को फीडबैक प्रदान करने के लिए एक निगरानी और मूल्यांकन योजना विकसित करने की आवश्यकता है। आर एंड आर की निगरानी और मूल्यांकन आर एंड आर उद्देश्यों, रणनीतियों और दृष्टिकोणों की सफलता पर प्रतिबिंबित करने और आर एंड आर गतिविधियों, उनके प्रभाव और स्थिरता के कार्यान्वयन में दक्षता और प्रभावकारिता का आकलन करने का अवसर देता है। निगरानी परियोजना प्रभावित कमजोर परिवारों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल परिवारों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं के मुखिया परिवारों, विधवाओं, वृद्धों और शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों जैसे समूहों पर विशेष ध्यान देगी। एसआईएमपी कार्यान्वयन के मध्य और अंतिम अवधि के मूल्यांकन के लिए तीसरे पक्ष के माध्यम से एक स्वतंत्र मूल्यांकन भी आवश्यक है।

10.1 आंतरिक निगरानी

एसआईएमपी कार्यान्वयन के लिए आंतरिक निगरानी परियोजना अधिकारियों द्वारा की जाएगी जहां मुख्य उद्देश्य एसआईएमपी अनुसूची के खिलाफ प्रगति की रिपोर्ट करना होगा; जाँच करें कि सहमत अधिकार प्रभावित परिवारों और लोगों को पूर्ण रूप से वितरित किए गए हैं; SIMP के कार्यान्वयन से उत्पन्न किसी भी समस्या, समस्या या कठिनाई की पहचान करना और सुधारात्मक कार्रवाई करना; शिकायत प्रणाली की प्रभावशीलता की निगरानी करना और पीएफ की संतुष्टि को मापना। आंतरिक निगरानी एसआईएमपी में परिभाषित कार्यों की अनुसूची के खिलाफ प्रगति को मापने पर ध्यान केंद्रित करेगी। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों में भूमि अधिग्रहण टीम, निर्माण एजेंसियों और परियोजना प्रभावित समुदायों के साथ संपर्क करना और प्रगति की रिपोर्ट करना शामिल होगा; एसआईएमपी के अनुसार हकदारियों के खिलाफ भूमि अधिग्रहण मुआवजा वितरण का सत्यापन; पीएफ की आय और जीवन स्तर को बहाल करने के लिए सहमत उपायों के कार्यान्वयन का सत्यापन; पुनर्वास प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी भी समस्या, मुद्दों या कठिनाई की पहचान; परियोजना प्रभावित परिवारों और पुनर्वास परिणामों के साथ लोगों की संतुष्टि का आकलन करना; और उचित सुधारात्मक कार्रवाइयों का पालन करने के लिए पीएफ की शिकायतों का निवारण करना। आरवीएनएल के फील्ड स्तर के अधिकारी, एसआईएमपी कार्यान्वयन के प्रभारी, आर एंड आर प्रगति को ट्रैक करेंगे। इस प्रयोजन के लिए सुझाए गए संकेतक तालिका 8.9 में दिए गए हैं।

तालिका 9.4: SIMP प्रगति की निगरानी के लिए संकेतक

शारीरिक	अधिग्रहीत भूमि की सीमा, ध्वस्त की गई संरचनाओं की संख्या, प्रभावित परिवारों की संख्या, भूमि खरीदने वाले परिवारों की संख्या और खरीदी गई भूमि की सीमा, सहायता/मुआवजा प्राप्त करने वाले पीएफ की संख्या, परिवहन सुविधाएं/स्थानांतरण भत्ता प्रदान करने वाले पीएफ की संख्या, के लिए पहचान की गई सरकारी भूमि की सीमा घर की साइट, भूमि उपयोगकर्ताओं की संख्या और निजी संरचना के मालिकों ने मुआवजे का भुगतान किया
वित्तीय	भूमि/संरचना के लिए भुगतान की गई मुआवजे की राशि, स्थानांतरण के लिए नकद अनुदान, पीएफ के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए भुगतान की गई राशि।
सामाजिक	पीएफ को उनके अधिकारों, सांप्रदायिक सद्भाव, रुग्णता और मृत्यु दर, कमजोर आबादी की देखभाल आदि के बारे में जानकारी है।
आर्थिक	हकदार परिवारों को प्रदान की गई नौकरियों की संख्या, पुनः स्थापित व्यवसाय की संख्या, मुआवजे का उपयोग, खरीदी गई हाउस साइट्स/व्यावसायिक साइट आय बहाली योजनाओं के सफल कार्यान्वयन को लागू किया गया
शिकायत	सामुदायिक स्तर की बैठकों की संख्या, आयोजित की गई शिकायत निवारण बैठकों की संख्या, परियोजना प्राधिकारियों द्वारा संतोषजनक रूप से निपटाए गए मामलों की संख्या पीएफ, संबंधित द्वारा संदर्भित और संबोधित शिकायतों की संख्या प्राधिकारी

१०.२ स्वतंत्र मूल्यांकन

निम्नलिखित प्राप्त करने के लिए मध्य और अंतिम अवधि के मूल्यांकन के लिए परियोजना द्वारा एक स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी को काम पर रखा जा सकता है: (ए) आंतरिक निगरानी के परिणामों का सत्यापन; (बी) मूल्यांकन करें कि क्या पुनर्वास उद्देश्यों को पूरा किया

गया है, विशेष रूप से, क्या आजीविका और जीवन स्तर को बहाल किया गया है; (सी) पुनर्वास दक्षता, प्रभावशीलता, प्रभाव और स्थिरता का आकलन करें; (डी) यह सुनिश्चित करें कि क्या पुनर्वास के अधिकार उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त थे और (ई) जीवन स्तर की यह तुलना उपलब्ध आधारभूत जानकारी के संबंध में होगी। निम्नलिखित तालिका 8.10 को एसआईएमपी के बाह्य मूल्यांकन में संकेतकों के आधार के रूप में माना जाना चाहिए।

तालिका 8.5: परियोजना परिणाम मूल्यांकन के लिए संकेतक

क्र स	उद्देश्य	जोखिम	परिणाम
1	परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव कम किया जाएगा	पुनर्वास योजना के क्रियान्वयन में अनुमान से अधिक समय लग सकता है	मुआवजे और भुगतान की गई सहायता से भूस्वामियों की संतुष्टि। भूस्वामियों द्वारा मुआवजे और सहायता के उपयोग का प्रकार मुआवजे और सहायता से संरचना मालिकों की संतुष्टि संरचना मालिकों द्वारा मुआवजे और सहायता के उपयोग का प्रकार
2	संपत्ति खोने वाले व्यक्ति और परिवार परियोजना को अधिनियम के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा और नियमों	संस्थागत व्यवस्था अपेक्षित रूप से कुशलता से कार्य नहीं कर सकती है	पीएएफ के प्रतिशत ने केवल आर्थिक गतिविधि के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कौशल को अपनाया पीएएफ के प्रतिशत ने माध्यमिक आर्थिक गतिविधि के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कौशल को अपनाया
3	प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों को उनके जीवन स्तर को सुधारने या पुनः प्राप्त करने में सहायता की जाएगी	SIMP को लागू करने वाले प्राधिकारी अपेक्षित रूप से कार्य को कुशलता से नहीं कर सकते हैं	पीएएफ के प्रतिशत ने प्रशिक्षण के कारण आय में वृद्धि की सूचना दी पीएएफ के प्रतिशत को उनकी पसंद के कौशल में प्रशिक्षित किया गया कौशल सुधार के लिए व्यापार का चयन करने में पीएएफ की मदद करने में परियोजना अधिकारियों की भूमिका एकमुश्त आर्थिक पुनर्वास अनुदान के तहत पीएएफ को प्रदान की गई उत्पादक संपत्तियों का उपयोग

4	कमजोर समूहों की पहचान की जाएगी और उनके जीवन स्तर को सुधारने में सहायता की जाएगी	पीएफ अपने मौजूदा जीवन स्तर से नीचे गिरने से अनपेक्षित संख्या में शिकायतें उत्पन्न हो सकती हैं	कमजोर समूह द्वारा अतिरिक्त सहायता राशि के उपयोग का प्रकार प्राप्त शिकायतों के प्रकार शिकायतों को अग्रपिछित शिकायतों की संख्या निवारण समिति (जीआरसी) और उन्हें हल करने में लगने वाला समय
			जीआरसी तंत्र के बारे में जागरूक पीएफ का प्रतिशत पात्रता ढांचे के बारे में जागरूक पीएफ का प्रतिशत परियोजना अधिकारियों के दृष्टिकोण और पहुंच के बारे में पीएफ की राय

उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड, मीडिया रिपोर्ट और रेलवे अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से इसकी पुष्टि हुई है। इससे पहले बातचीत के जरिए जमीन अधिग्रहण का प्रयास किया गया था। ये वार्ता विफल रही और परिणामस्वरूप, अनिवार्य भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की गई, जिसे जुलाई 2021 में एलएआरआर अधिनियम 2013 के सेक्टर -4 के तहत घोषित किया गया था।

यह इंगित करता है कि भूमि अधिग्रहण संशोधित नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के संवैधानिक प्रावधानों के तहत किया जाना था, जिसे "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार" के रूप में जाना जाता है। यह अधिनियम किसी भी विकासात्मक परियोजना के परिणामस्वरूप विकास और विस्थापन के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) के संचालन का प्रावधान रखता है। एसआईए के अंतर्निहित आधार में भूमि अधिग्रहण से पहले सार्वजनिक परामर्श लेना शामिल है, यदि परियोजना में सड़कों, रेलवे लाइनों और सरकारी संस्थानों का निर्माण शामिल है और जो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हैं।

समुदाय के हितों की रक्षा के लिए, RFCTLARR अधिनियम, 2013 ने सुनिश्चित किया कि इसके दायरे को संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में बढ़ाया जाए और इसमें अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य शामिल हो। कुल 26 गांवों में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 हिमाचल प्रदेश नियम 2015 के संवैधानिक प्रावधानों के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।

११. सिफारिशें

वर्तमान एसआईए अध्ययन एक समग्र परिप्रेक्ष्य के साथ आयोजित किया गया था और प्रस्तावित बीजी रेलवे लिंक के सकारात्मक और साथ ही नकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला गया था। इसने हितधारकों द्वारा उठाए गए कुछ चिंताओं और मुद्दों को प्रकट किया है जैसा कि अध्याय 13 में दिया गया है। इन पर पिछले अध्यायों में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है और वर्तमान परियोजना और इसकी शमन योजना को क्रियान्वित करते समय संबंधित अधिकारियों द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। एसआईए टीम ने पीएफ के साथ बातचीत के साथ-साथ अवलोकन और अन्य तकनीकी विधियों के माध्यम से क्षेत्र से एकत्र किए गए डेटा को इन चिंताओं के आलोक में कुछ सिफारिशों का प्रस्ताव दिया है।

1. आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की पहली अनुसूची के अनुसार भूमि के नुकसान के लिए मुआवजा पुरस्कार ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के बाजार मूल्य/सर्कल दर (जैसा लागू हो) का चार गुना और शहरी क्षेत्रों में भूमि के बाजार मूल्य का दो गुना होना चाहिए।
2. बमटा पंचायत और तल्ली पंचायत के पीएफ ने हमें बेची गई जमीन के बाजार मूल्य के साथ बिक्री के लगभग 6-7 विलेख प्रदान किए हैं। वे अपने दर के अनुसार मुआवजा पुरस्कार देने की भी मांग कर रहे हैं। इसलिए, एसआईए टीम का सुझाव है कि सभी 26 गांवों के लिए मुआवजा पुरस्कार तदनुसार विकसित किया जाना चाहिए। साथ ही, पीएफ के साथ भी बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए परामर्श किया जा सकता है।
3. पीएफ द्वारा मांग के अनुसार अन्य सभी परिसंपत्तियों जैसे निर्मित संरचनाओं, पेड़ों, बागवानी उत्पादों, फसलों, जल संसाधनों आदि के मूल्यांकन के लिए उचित उचित परिश्रम फिर से किया जाएगा।
4. सामान्य संपत्ति संसाधन (सीपीआर) ग्राम पंचायत और जन प्रतिनिधियों के परामर्श से विकसित किया जाएगा।
5. पीएफ को इस रिपोर्ट में वर्णित आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।
6. जहां भी प्रस्तावित रेलवे स्टेशनों का निर्माण किया जाना है अर्थात् बामता, तल्ली, धारोट और नगर निगम क्षेत्रों में, व्यापक पुनर्वास और पुनर्वास (आर एंड आर) पैकेज (प्रभावित क्षेत्र के 10-15 किलोमीटर के भीतर) को डिजाइन और कार्यान्वित किया जाना चाहिए, यदि पीएफ प्रस्तावित मुआवजे के पुरस्कार के लिए सहमत नहीं हैं।
7. प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ के जोखिम से बचने के लिए रिटेनिंग वॉल/तंत्र को प्राथमिकता के आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए।
8. परियोजना सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करती है क्योंकि यह समग्र रूप से भारतीय राज्य की रणनीतिक मांगों के लिए है और लंबी अवधि में, यह हिमाचल प्रदेश राज्य की सामाजिक-आर्थिक मांगों और स्थानीय आबादी के लिए बहुत फायदेमंद होगी। प्रभावित क्षेत्र। इसलिए, भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण के साथ आगे बढ़ सकता है।

9. यदि संभव हो तो, पूरी भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए, यदि अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का टुकड़ा रेलवे ट्रैक पर गिरता है या अधिग्रहण के बाद प्रतिवादी के पास इसका एक छोटा सा हिस्सा ही रह जाता है।

जाचना और परखना

RFCTLARRA, 2013 के तहत धारा 48 के अनुसार, यह अनुशंसा की जाती है कि संबंधित विभागों/मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ-साथ संबंधित क्षेत्रों के गैर-आधिकारिक प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के प्रतिनिधित्व वाली एक राष्ट्रीय निगरानी समिति की निगरानी के लिए प्रतिनियुक्त किया जाएगा। शमन कार्य योजना का निष्पादन (इस मामले में मुआवजा) ताकि इस परियोजना में किसी भी विसंगति को रोका जा सके।

निष्कर्ष

यह भानुपाली-बिलासपुर-बेरी बीजी रेल परियोजना इस क्षेत्र को राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी। यह परियोजना निश्चित रूप से क्षेत्र में सुविधाओं में सुधार की दिशा में एक कदम है और लंबे समय में क्षेत्र, राज्य और देश के समग्र विकास में योगदान देगी। हालांकि, पीएएफ के सामने आने वाली गड़बड़ी के कारण चुनौतियों और समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और उचित शमन की आवश्यकता है (इस मामले में आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम के अनुसार मुआवजा)। यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है और प्रत्येक पीएएफ रेलवे लाइन के निर्माण का समर्थन करता है बशर्ते उनके पुनर्वास और पुनर्वास की मांग, उचित मुआवजा और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का समय पर समाधान हो। चूंकि यह परियोजना सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करती है और भूमि अधिग्रहण के लिए सार्वजनिक सुनवाई के दौरान पीएएफ की 100% सहमति है, इसलिए एसआईए टीम भूमि अधिग्रहण की सिफारिश करती है।

सन्दर्भ

- जिला बिलासपुर, जी.ओ. (२०२०)। जिला बिलासपुर फैक्टशीट। बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश: जिला प्रशासन, बिलासपुर.
- प्रदेश, जी.ओ. (2012)। जिला सांख्यिकी पुस्तिका, बिलासपुर। बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश: जिला प्रशासन, बिलासपुर.
- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम (आरएफसीटीएलएआरआर), 2013 में उचित मुआवजे का अधिकार
- हिमाचल प्रदेश सामाजिक प्रभाव आकलन नियम, (HPSIA) 2015
- 2018-19 में भानुपाली-बिलासपुर-बेरी रेलवे लाइन के लिए पंजाब में किए गए भूमि अधिग्रहण पर CRED SIA रिपोर्ट

फॉर्म -2

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
अ.	सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन द्वारा कवर किए जाने वाले सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक मापदंडों की सूची	140-172
1	परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या का जनसांख्यिकीय विवरण आयु, लिंग, जाति, धर्म साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति	139-145
2	गरीबी का स्तर	146-149
3	कमजोर वर्ग i. महिला ii. बच्चे iii. बुजुर्ग iv. महिला प्रधान परिवार v. निःशक्तजन	149
4	परिवार में नातेदारी पैटर्न और महिलाओं की भूमिका	150-186
5	सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन	
6	प्रशासनिक संगठन	
7	राजनीतिक संगठन	
8	नागरिक समाज संगठन और सामाजिक आंदोलन	
9	भूमि उपयोग और आजीविका	33-138

	i. कृषि और गैर-कृषि उपयोग ii. भूमि की गुणवत्ता- मिट्टी, पानी, पेड़ आदि। iii. पशु iv. औपचारिक और अनौपचारिक कार्य और रोजगार v. घरेलू श्रम विभाजन और महिला कार्य vi. प्रवास vii. घरेलू आय का स्तर viii. आजीविका प्राथमिकताएं ix. खाद्य सुरक्षा	
10	स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ i. औपचारिक और अनौपचारिक, स्थानीय उद्योग ii. क्रेडिट तक पहुंच iii. मजदूरी दर iv. विशिष्ट आजीविका गतिविधियों में महिलाएं शामिल हैं	150-186
11	स्थानीय आजीविका में योगदान करने वाले कारक i. प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच ii. सामान्य संपत्ति संसाधन iii. निजी संपत्ति iv. सड़कें, परिवहन v. सिंचाई सुविधाएं vi. बाजारों तक पहुंच vii. पर्यटक के लिए स्थल	150-186

	<p>viii. आजीविका प्रोत्साहन कार्यक्रम</p> <p>ix. सहकारिता और अन्य आजीविका से संबंधित संघ</p>	
12	<p>रहने वाले पर्यावरण की गुणवत्ता</p> <p>i. धारणाएं, सौंदर्य गुण, लगाव और आकांक्षाएं</p> <p>ii. निपटान का तरीका</p> <p>iii. मकानों</p> <p>iv. समुदाय और नागरिक स्थान</p> <p>v. धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ वाली साइटें</p> <p>vi. भौतिक अवसंरचना (जल आपूर्ति सीवेज सिस्टम आदि सहित)</p> <p>vii. सार्वजनिक सेवा अवसंरचना (स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, आंगनवाड़ी केंद्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली)</p> <p>viii. सुरक्षा, अपराध, हिंसा</p> <p>ix. महिलाओं के लिए सामाजिक सभा बिंदु</p>	150-186
ब	प्रमुख प्रभाव क्षेत्र	
1	<p>भूमि, आजीविका और आय पर प्रभाव</p> <p>i. रोजगार का स्तर और प्रकार</p> <p>ii. अंतर-घरेलू रोजगार पैटर्न</p> <p>iii. आय का स्तर</p> <p>iv. खाद्य सुरक्षा</p> <p>v. जीवन स्तर</p> <p>vi. उत्पादक संसाधनों तक पहुंच और नियंत्रण</p> <p>vii. आर्थिक निर्भरता या भेद्यता</p> <p>viii. स्थानीय अर्थव्यवस्था का विघटन</p> <p>ix. दरिद्रता जोखिम</p> <p>x. आजीविका के विकल्प के लिए महिलाओं की पहुंच</p>	193

2	<p>भौतिक संसाधनों पर प्रभाव</p> <p>i. प्राकृतिक संसाधनों, मिट्टी, वायु, जल, वनों पर प्रभाव</p> <p>ii. आजीविका के लिए भूमि और सामान्य संपत्ति प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव</p>	194
3	<p>निजी संपत्तियों, सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं पर प्रभाव</p> <p>i. मौजूदा स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की क्षमता</p> <p>ii. आवास सुविधाओं की क्षमता</p> <p>iii. स्थानीय सेवाओं की आपूर्ति पर दबाव</p> <p>iv. बिजली और पानी की आपूर्ति, सड़कों, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता</p> <p>v. निजी संपत्ति जैसे बोरवेल, अस्थायी शेड आदि पर प्रभाव।</p>	194
4	<p>स्वास्थ्य प्रभाव</p> <p>1. प्रवासन के कारण स्वास्थ्य पर प्रभाव</p> <p>2. परियोजना गतिविधियों के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नलिखित पर विशेष बल देते हैं:</p> <p>i. महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव</p> <p>ii. बुजुर्गों पर प्रभाव</p>	195
5	<p>संस्कृति और सामाजिक एकता पर प्रभाव</p> <p>i. स्थानीय राजनीतिक संरचनाओं का परिवर्तन</p> <p>ii. जनसांख्यिकीय परिवर्तन</p>	196-198

	iii. अर्थव्यवस्था-पारिस्थितिकी संतुलन में बदलाव iv. मानदंडों, विश्वासों, मूल्यों और सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव अपराध और अवैध गतिविधियों विस्थापन का तनाव vii. पारिवारिक सामंजस्य के अलगाव का प्रभाव viii. महिला के विरुद्ध क्रूरता	
6	परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में प्रभाव पूर्व निर्माण चरण i. सेवाओं के वितरण में रुकावट ii. उत्पादक निवेश में गिरावट iii. जमीन की अटकलें iv. अनिश्चितता का तनाव ए निर्माण चरण मैं। विस्थापन और स्थानांतरण ii. प्रवासी संकुचन कार्यबल की आमद iii. उन लोगों पर स्वास्थ्य प्रभाव जो निर्माण चरण के करीब रहना जारी रखते हैं 2. ऑपरेशन चरण i. निर्माण चरण की तुलना में रोजगार के अवसरों में कमी ii. परियोजना के आर्थिक लाभ	198-200 तथा अनुलग्नक-1 सार्वजनिक परामर्श भी निर्दिष्ट किया जा सकता है

	<p>iii. नए बुनियादी ढांचे पर लाभ</p> <p>iv. सामाजिक संगठन के नए पैटर्न</p> <p>3. डी-कमीशनिंग चरणां</p> <p>i. आर्थिक अवसरों का नुकसान</p> <p>ii. पर्यावरण क्षरण और आजीविका पर इसका प्रभाव</p> <p>4. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव</p> <p>i. "प्रत्यक्ष प्रभाव" में वे सभी प्रभाव शामिल होंगे जो प्रभावित परिवारों (अर्थात प्रत्यक्ष भूमि और आजीविका उपयोगकर्ताओं) द्वारा अनुभव किए जाने की संभावना है।</p> <p>ii. "अप्रत्यक्ष प्रभाव" में वे सभी प्रभाव शामिल होंगे जो भूमि अधिग्रहण से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं बल्कि परियोजना क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा अनुभव किए जा सकते हैं</p> <p>5. विभेदक प्रभाव</p> <p>i. महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और विभिन्न विकलांगों पर प्रभाव</p> <p>ii. जेंडर इंपैक्ट असेसमेंट चेकलिस्ट, और भेद्यता और लचीलापन मानचित्रण जैसे उपकरणों के माध्यम से पहचाने गए प्रभाव</p> <p>6. संचयी प्रभाव</p> <p>i. प्रश्न में परियोजना के लिए पहचाने गए प्रभावों के साथ क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं के मापने योग्य और संभावित प्रभाव</p> <p>ii. उन पर प्रभाव जो सीधे परियोजना क्षेत्र में नहीं बल्कि स्थानीय या यहां तक कि क्षेत्रीय रूप से आधारित हैं</p>	
C.	एस. आई. ऐ. रिपोर्ट और एस. आई. एम. पी. के लिए विषय	

1	कार्यकारी सारांश	6-11
2.	विस्तृत परियोजना विवरण	12-20
3	टीम संरचना, दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली और सामाजिक प्रभाव आकलन की अनुसूची	21-25
4	भूमि मूल्यांकन	33-138
5	प्रभावित परिवारों और संपत्तियों का आकलन और गणना (जहां आवश्यक हो)	188-191
6	सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल (प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वास स्थल)	140-172
7	सामाजिक प्रभाव	202-270
8	अधिग्रहण पर लागत और लाभ और सिफारिशों का विश्लेषण	268-270
9	संदर्भ और रूप	270

ANNEXURE-1: Public Consultations

Minutes of meetings of public consultations done in the villages and the urban Municipal Corporation

Minutes of Meetings
FORMAT FOR PUBLIC CONSULTATION

Location: Kandhru suets, Khairiyān Luhnoo village.
 Date / Time: July 28, 2021 | 10:00 AM.
 Stakeholders: SR Asia field team.
Rattanji D (ward member).
PAFs

1. Do you think that railway line construction is necessary for the PAFs or the area? Yes / No
 2. What impacts, both positive and negative, of the project do you foresee?

S. No.	Positive Impact	Remark	S. No.	Negative Impact	Remark
1	Shorten the trip		1	Land acquisition	
2	Enhance local economy		2	Loss of livelihood	
3	Increase employment opportunity		3	Loss of income	
4	Increase in facilities		4	Loss of house/shop	
5	Decrease in accident		5	Loss of customers and supplier	
6	Increase in property value		6	Disruption of socio-cultural or economic environment	
7	Improvement in transportation		7	Security concerns	
8	Decrease in greenhouse emissions		8	Disadvantages to the environment (trees damage etc.)	
9	Others		9	Others (pls specify)	

1.0 Types and Levels of Impacts

1. Impact on physical resources
 (a) Impacts on natural resources, soil, air, water, forests
 (b) Pressure on land and common property natural resources for livelihoods

(g) Cumulative impacts
 (i) Measurable and potential impacts of other projects in the area along with the identified impacts for the project in question
 (ii) Impact on those not directly in the project area but based locally or even regionally.

2.0 Issues raised and suggestions

S. No.	PAPs concerns	Suggestion by the stakeholders	Remarks
①	Khairiyān Luhnoo is a reserved seat panchayat.		
2	② Bashir din moham a ③ Kamal din ④ Mam din ⑤ Noor din.	They are being landless	
⑥	Fammi		
⑦	Sher din.		
⑧	Asmita		
⑨	Marudin.		
⑩	Fazal din.		
⑪	Tajuddin.		
⑫	Kamal dew		
⑬	Rattan Lal.		
⑭	Vidya dew		
⑮	Krishan Lal.		

① Ramji — landless
 1 ch/bigha — demanded circle rate.
 2 labh/bigha — circle rate for compensation
 Market rate — 10-12 labh/bigha.

② Major crops like ginger, maize, wheat, etc. are grown here.
 Major issue of concern is about the function of not about railway tracks.

③ Land for land should be given within 3-4 kms.
 ④ BBMP should scout back the land to PAFs, which it took earlier instead of giving it to railways as per the PAFs.

⑤ The BBMP flood is not under the flood. should be returned back to the PAFs.

⑥ Employment generation, preference should be given to the local PAFs.

⑦ If there is any commercial development near the junction or the area, preference should be given to the local PAFs.

⑧ In the construction project work, logistical materials and local work should be taken from the local PAFs.

②⑥ The connecting road to the Gobind Sag and Shamshān bhūmi is getting affected. there should be some arrangement made for the connecting road. and also water for And, the provision or facility for irrigation.

②⑦ Due to the construction, major affected area can become low-lying areas & will be highly affected with flood, or water logging etc.

②⑧ All of the individual applications has been received regarding the objections, as per the PAFs.

②⑨ Gazette notification about the land acquisition has not been done adequately. and the information regarding land assessment and details in the villages of Banta panchayat.

Minutes of Meetings
FORMAT FOR PUBLIC CONSULTATION

Location: Kamdhenu suwak, Khairiyar Luhmo village.
Date / Time: July 28, 2021 | 10:00 AM.
Stakeholders: SP Asia field team.
Rattanji D. (ward member).
PAFs

1. Do you think that railway line construction is necessary for the PAFs or the area? Yes / No
2. What impacts, both positive and negative, of the project do you foresee?

S. No.	Positive Impact	Remark	S. No.	Negative Impact	Remark
1	Shorten the trip		1	Land acquisition	
2	Enhance local economy		2	Loss of livelihood	
3	Increase employment opportunity		3	Loss of income	
4	Increase in facilities		4	Loss of house/shop	
5	Decrease in accident		5	Loss of customers and supplier	
6	Increase in property value		6	Disruption of socio-cultural or economic environment	
7	Improvement in transportation		7	Security concerns	
8	Decrease in greenhouse emissions		8	Disadvantages to the environment (trees damage etc.)	
9	Others		9	Others (pls specify)	

1.0 Types and Levels of impacts

1. Impact on physical resources
(a) Impacts on natural resources, soil, air, water, forests
(b) Pressure on land and common property natural resources for livelihoods

• (g) Cumulative impacts
(i) Measureable and potential impacts of other projects in the area along with the identified impacts for the project in question
(ii) Impact on those not directly in the project area but based locally or even regionally.

2.0 Issues raised and suggestions

S. No.	PAPs concerns	Suggestion by the stakeholders	Remarks
1	Khairiyar Luhmo is a reserved seat panchayat.		
2	Bashir din moham a		
3	Kamal din.		
4	Mam din.		
5	Noor din.		
6	Pamru.		
7	Sherdin.		
8	Asmata.		
9	Marudin.		
10	Fazal din.		
11	Tajuddin.		
12	Manti dew.		
13	Rattan Lal.		
14	Vidya dew.		
15	Krishan Lal.		

16 Ranji — handless.
17 1 cu / bigha — demanded. circle rate.
18 2 lakh / bigha. — circle rate. [for compensation]
Market rate — 19-12 lakh / biswa.
19 Quile fertile land with major crops like ginger, maize, wheat, etc. [for compensation]
20 Major issue of concern is about the disruption of not about railway tracks.
21 Land for land should be given within 3-4 kms.
22 BEMP should sound back the land to PAFs, which it took earlier instead of giving it to railways as per the PAFs.
23 The BEMP [?] are which is not under the flood should be returned back to the PAFs.
24 Employment generation, preference should be given to the local PAFs.
25 If there is any commercial development near the junction or the area, preference should be given to the local PAFs.
26 In the construction project work, logistical materials and local work should be taken from the local PAFs.

26 The connecting road to the gobind Sagi and shamsham bhumi is getting affected. there should be some arrangement made for the connecting road. and also water for And, the provision or facility for irrigation.
27 Due to the construction, major affected area can become low-lying areas & will be highly affected with flood, or water logging etc.
28 All of the individual applications has been received regarding the objections. as per the PAFs.
29 Gazette notification about the land acquisition has not been done adequately. and the information regarding land assessment and details in the villages of Bamda panchayat.

Attendance sheet:

	Name	Gender	Town/Village	Sign	Ph. No.
1	Sharda Singh	Male	Kharden/Luh...		981428332
2	Rattan Lal	Male	-		94180-94491
3	Prakash Singh	Male	-		981705720
4	LAXMI SINGH	Female	Kharden		9857220608
5	Sudhakar Singh	Male	...		97369 00388
6	Barbar Singh	Male	Kharden/Luh...		9817339531
7		9418124696
8		962576296
9		987651724
10		941801617
11		9899327411
12		9816502820
13		9817413865
14		7500988015
15		98571-61726
16		94180 02457
17		901862916
18	Mandeep	Male	...		9817050857
19	Krishan Lal	Male	...		93188 42143
20		92188 73760
21	Jai Singh	Male	...		82195 75147
22	Rajender Thakur	Male	Kharden/Luh...		7009830418
23	Jandul deen	Male	...		008-278

Sadar Tehsil

Minutes of Meetings

FORMAT FOR PUBLIC CONSULTATION

Location: Kallar Panchayat [Ket, Tehsil]

Date / Time: 10/7/21 @ 12:00 PM.

Stakeholders: SP Area Field team
Pradhan
PAFs

1. Do you think that railway line construction is necessary for the PAFs or the area? Yes / No

2. What Impacts, both positive and negative, of the project do you foresee?

S. No.	Positive Impact	Remark	S. No.	Negative Impact	Remark
1	Shorten the trip		1	Land acquisition	
2	Enhance local economy		2	Loss of livelihood	
3	Increase employment opportunity		3	Loss of income	
4	Increase in facilities		4	Loss of house/shop	
5	Decrease in accident		5	Loss of customers and supplier	
6	Increase in property value		6	Disruption of socio-cultural or economic environment	
7	Improvement in transportation		7	Security concerns	
8	Decrease in greenhouse emissions		8	Disadvantages to the environment (trees damage etc.)	
9	Others		9	Others (pls specify)	

1.0 Types and Levels of impacts

1. Impact on physical resources

(a) Impacts on natural resources, soil, air, water, forests

(b) Pressure on land and common property natural resources for livelihoods

1.0 Cumulative impacts

(a) Measurable and potential impacts of other projects in the area along with the identified impacts for the project in question

(b) Impact on those not directly in the project area but based locally or even regionally.

2.0 Issues raised and suggestions

S. No.	PAPs concerns	Suggestion by the stakeholders	Remarks
1	Environment issue	PAFs	
2	Employment		
3	Construction of road to protect houses		
4	Can't use axes of way for personal use.	villages	
5	Rise of landslide will increase multifield during the construction phase of railway	village	
6	Compensation is only two times the circle rate.		

7.	Circle rate has been reduced from <u>compared to previous years.</u>	villages level	
8.	Horticulture and timber trees is not being and <u>compensated</u> <u>separately</u> .	PAFs	
9.	Horticulture provides a significant & very regular stream of income. so, it should the rate of fruit bearing trees should be higher & significant.		
10.	Environment degradation should be compensated by construction <u>planting</u> or opening school or healthcare services.		
11.	Pasture land will be significantly decreased due to <u>due to which</u> <u>crop harm</u> <u>due to</u> <u>animals will increase</u> .		

KALLAR

Attendance sheet:

S. No.	Name	Gender	Age	Signature	Ph. No.
1	Om to Devi	F	Tukhu	[Signature]	98370065
2	Kamprani	I	Kallam	[Signature]	9736192079
3	Laulal	M	Kot	[Signature]	8360106382
4	Madan Lal	M	Kot	[Signature]	826008487
5	Sukhram		Tunnu	[Signature]	9805928022
6	Keshaul		Tunnu	[Signature]	9519214390
7	Hari Kam	M	Tunnu	[Signature]	9736191554
8	Kesri Devi	F	Tunnu	[Signature]	9736390938
9	Anusuvh M	M	Mauwa	[Signature]	9625920100
10	Dawan Kumar	M	Kot	[Signature]	98511-08100
11	Sangeet Kunt	M	Tukhu	[Signature]	9853332442

Sadar Tehsil

Minutes of Meetings
FORMAT FOR PUBLIC CONSULTATION

Location: Nayasi Sandi
Date & Time: 14/11/21
Stakeholders: Panchayat Pratham, PAF, ward member and SR Asia team.

1. Do you think that railway line construction is necessary for the PAFs or the area? ☒ Yes / ☐ No
2. What impacts, both positive and negative, of the project do you foresee?

S. No.	Positive Impact	Remark	S. No.	Negative Impact	Remark
1	Shorten the trip		1	Land acquisition	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Enhance local economy		2	Loss of livelihood	
3	Increase employment opportunity		3	Loss of income	
4	Increase in facilities		4	Loss of house/shop	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Decrease in accident		5	Loss of customers and supplier	
6	Increase in property value	<input checked="" type="checkbox"/>	6	Disruption of socio-cultural or economic environment	
7	Improvement in transportation	<input checked="" type="checkbox"/>	7	Security concerns	
8	Decrease in greenhouse emissions		8	Disadvantages to the environment (trees damage etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Others		9	Others (ple specify)	

3.0 Types and Levels of Impacts
3.1 Impact on physical resources
(a) Impacts on natural resources, soil, air, water, forests
(b) Pressure on land and common property natural resources for livelihoods
→ Damage on Residential area due to construction.
→

• (g) Cumulative impacts
(i) Measureable and potential impacts of other projects in the area along with the identified impacts for the project in question
(ii) Impact on those not directly in the project area but based locally or even regionally.

2.0 Issues raised and suggestions

S. No.	PAPs concerns	Suggestion by the stakeholders	Remarks
1.	Most of the lands are more than 10 years old. The soil is not good for agriculture.	PAF	
2.	Fruit bearing trees were not priced separately.	PAF	
3.	Compensation was given provided only two times the circle rate even though the PAFs land is in rural area.	PAF	
4.	Job should be guaranteed to at least one of the family members during the construction phase of the rail line.	1 village	

5.	There is impact on borewell & other irrigation facilities due to construction of railway.		
6.	There is not any economic benefit due to the railway as no station is nearby.		
7.	Construction of safety wall should be there to reduce the landslide risk.		

2-3 hrs. electricity cut

Attendance sheet:

		Household	Sign	Ph. No.
Pinki Devi	F	Nai Sarli	Pinkidevi	9936301928
Shesham Kumar	M	Nai Sarli	Shesham	9936128000
Babai Ram	M	Nai Sarli	Babai	623866718
Sukh Ram	M	Nai Sarli	Sukh Ram	9418548388

Sadar Tehsil.

Minutes of Meetings

FORMAT FOR PUBLIC CONSULTATION

Location: Raghunathpur (Rampur, Hanuman, Kothelwin, Raghunathpur)

Date: 18 July, 2021

Stakeholders: Project Affected Families, Gram Panchayat, Ward Members, SR Area Team

1. Do you think that railway line construction is necessary for the PAFs or the area? Yes / No

2. What impacts, both positive and negative, of the project do you foresee?

S. No.	Positive Impact	Remark	S. No.	Negative Impact	Remark
1	Shorten the trip	✓	1	Land acquisition	✓
2	Enhance local economy	✓	2	Loss of livelihood	✓
3	Increase employment opportunity	✓	3	Loss of income	✓
4	Increase in facilities	✓	4	Loss of house/shop	✓
5	Decrease in accident		5	Loss of customers and supplier	
6	Increase in property value		6	Disruption of socio-cultural or economic environment	✓
7	Improvement in transportation	✓	7	Security concerns	
8	Decrease in greenhouse emissions		8	Disadvantages to the environment (trees damage etc.)	✓
9	Others		9	Others (pls specify)	

1.0 Types and Levels of impacts

1. Impact on physical resources

(a) Impacts on natural resources, soil, air, water, forests ✓

(b) Pressure on land and common property natural resources for livelihoods ✓

• (g) Cumulative impacts

(i) Measureable and potential impacts of other projects in the area along with the identified impacts for the project in question

(ii) Impact on those not directly in the project area but based locally or even regionally.

2.0 Issues raised and suggestions

S. No.	PAFs concerns	Suggestion by the stakeholders	Remarks
1	land has been acquired in the wrong way, marking is not as per registration		
2	circle rate is way too less than market rate.		
3	Residential land has not been priced fairly.		
4	Compensation is only two times the circle rate, even though it is a rural area.		
5	Local employment should be catered with 70%-80% proportion while construction of the rail line.		

6	The small part of land which will remain after the acquisition will be of no use. So it should also be acquired.		
7	Price of assets which is being affected should be adjusted with PAFs.		
8	The families who are losing their employment should be provided job guarantee.		
9	Rules of Rehabilitation & Resettlement Act 2015 should be implemented in a proper manner to proper compensation should be provided.		
9	Alternative diversions should be there to minimise the impact due to possible accident.		
10	RBR should be considered within the village area so that the cultural attachment would not be affected.		

Attendance sheet

S. No.	Name	Gender	Residence	Age	Ph. No.
1	Chhavi Devi	F	Barsoth	38	9826138700
2	Chhavi R.	M	Barsoth	38	9819369442
3	Sant Ram	M	Barsoth	45	9812117245
4	Sant Ram	M	Barsoth	45	9812117245
5	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
6	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
7	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
8	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
9	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
10	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
11	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
12	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
13	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
14	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
15	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
16	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
17	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
18	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
19	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
20	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
21	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
22	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
23	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
24	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
25	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
26	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
27	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
28	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
29	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
30	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
31	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
32	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
33	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
34	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
35	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
36	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
37	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
38	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
39	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
40	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
41	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
42	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
43	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
44	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
45	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
46	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
47	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
48	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
49	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
50	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
51	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
52	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
53	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
54	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
55	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
56	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
57	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
58	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
59	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
60	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
61	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
62	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
63	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
64	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
65	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
66	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
67	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
68	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
69	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
70	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
71	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
72	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
73	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
74	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
75	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
76	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
77	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
78	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
79	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
80	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
81	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
82	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
83	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
84	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
85	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
86	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
87	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
88	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
89	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
90	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
91	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
92	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
93	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
94	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
95	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
96	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
97	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
98	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
99	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245
100	Shivaram	M	Barsoth	45	9812117245

Sadar Tehsil.

Minutes of Meetings

FORMAT FOR PUBLIC CONSULTATION

Location: Nani Panchayat (Bharari, Menwa)

Date / Time: 18 July 2021

Participants: 1. Gram Panchayat (Mr. Nanda Rajput)

2. Ward Members

3. Project affected families

4. SR Asia Team

1. Do you think that railway line construction is necessary for the PAFs or the area? Yes / No

2. What impacts, both positive and negative, of the project do you foresee?

S. No.	Positive Impact	Remark	S. No.	Negative Impact	Remark
1	Stronon the trip		1	Land acquisition	✓
2	Enhance local economy		2	Loss of livelihood	✓
3	Increase employment opportunity	✓	3	Loss of income	✓
4	Increase in facilities		4	Loss of house/shop	
5	Decrease in accident		5	Loss of customers and supplier	
6	Increase in property value		6	Disruption of socio-cultural or economic environment	✓
7	Improvement in transportation	✓	7	Security concerns	
8	Decrease in greenhouse emissions		8	Disadvantages to the environment (trees damage etc.)	✓
9	Others		9	Others (pls specify)	

1.0 Types and Levels of impacts

1. Impact on physical resources

(a) Impacts on natural resources, soil, air, water, forests

(b) Pressure on land and common property natural resources for livelihoods

(g) Cumulative impacts

(i) Measureable and potential impacts of other projects in the area along with the identified impacts for the project in question

(ii) Impact on those not directly in the project area but based locally or even regionally.

2.0 Issues raised and suggestions

S. No.	PAPs concerns	Suggestion by the stakeholders	Remarks
1.	Compensation is very less as compared to the market rate. we are ready to give our land but not proper adequate compensation will be provided.		
2.	The construction is going to impact negatively for the facilities like roads, electricity, transportation, livelihood activities.		
3.	It is also going to impact the agricultural activities and natural vegetation.		
4.	It should generate employment for local youths. emphasis should be given to the education, health & livelihood sectors.		
5.	Residential area has been acquired. Road, electricity, and basic amenities should be provided to other places where the resettlement will be done.		

Compensation is very less. want adequate rate.

6. Provision of ROR should take place in a proper manner. we are ready to give our land in trust of systematic to proper ROR.

7. The project should generate employment for people living in the affected villages. It should also consider the significance of improving education, health and livelihood activities.

8. The region has many tourist spot specifically and have potential tourist inflow with ongoing construction of national highway & four-lane. So the impact market value of the land is very high.

Attendance sheet:

S. No.	Name	Gender	Village	Sign	Ph. No.
1	Ram Lal	M	Blasani	[Signature]	9459756673
2	Chet Ram	M	Blasani	[Signature]	93161-59890
3	Chaman Lal	M	Blasani	[Signature]	70139-40775
4	Nirmal Rajput	F	Mandwa	[Signature]	98163-44833
5	Karan Singh	M	Manwa	[Signature]	941345087
6	M. C. S. H.	M	Manwa	[Signature]	98134-63642
7	Rani Krishna	M	Manwa	[Signature]	98165-32157
8	Rajender	M	Manwa	[Signature]	97366-75628
9	Lovely Thakur	M	Manwa	[Signature]	90150-16410
10	Ramprasad	M	Manwa	[Signature]	98179-13434
11	Chetan Singh	M	Manwa	[Signature]	941309993

Shree Naina Devi Ji

Minutes of Meetings

FORMAT FOR PUBLIC CONSULTATION

Location: Talis (Panchayat) Talis, [Signature] Hikkar, [Signature] Dargah, [Signature] Bhater

Date / Time: 22/7/21, 3:30 PM

Stakeholders: Gram Panchayat, PAFs

1. Do you think that railway line construction is necessary for the PAFs or the area? Yes / No

2. What impacts, both positive and negative, of the project do you foresee?

S. No.	Positive Impact	Remark	S. No.	Negative Impact	Remark
1	Shorten the trip		1	Land acquisition	
2	Enhance local economy		2	Loss of livelihood	
3	Increase employment opportunity		3	Loss of income	
4	Increase in facilities		4	Loss of house/shop	
5	Decrease in accident		5	Loss of customers and supplier	
6	Increase in property value		6	Disruption of socio-cultural or economic environment	
7	Improvement in transportation		7	Security concerns	
8	Decrease in greenhouse emissions		8	Disadvantages to the environment (trees damage etc.)	
9	Others		9	Others (pls specify)	

1.6 Types and Levels of impacts

1. Impact on physical resources

(a) Impacts on natural resources, soil, air, water, forests

(b) Pressure on land and common property natural resources for livelihoods

(g) Cumulative impacts

(i) Measureable and potential impacts of other projects in the area along with the identified impacts for the project in question

(ii) Impact on those not directly in the project area but based locally or even regionally.

2.0 Issues raised and suggestions

S. No.	PAFs concerns	Suggestion by the stakeholders	Remarks
1	Compensation rate for 2013-20 → 13.53 lakh/bigha Now it is 2021 → 9 lakh/bigha Market rate is → 2 crore/bigha [5 lakh/bigha]		
2	This project should generate some employment especially for local people as per the qualification & experience		
3	There is a junction here to the state of the land should be high.		
4	The place is of historical importance & due care should be given to local people.		

5. Agriculture is the main occupation of the panchayat.

Net sown area of the panchayat is 25%. In 2000 it was 25% but it has been reduced to 5% net sown area now after 4 lane railway line.

6. Multi-crop land, plain land, cultivated land, main crops are wheat, corn, rice, gram, pulses, mustard.

7. Rainfall water, borewell, irrigation schemes are the main source of irrigation.

8. Const. of canal should be away to reduce any casualty. Safety is the major priority.

9. There is a scheduled area where 15 families (25 bigha) are there. They should be given some provisions to benefit them.

10. Transportation, business should be badly impacted due to railway project.

11. Loss of employment is there.

12. Due to national highway & railway project, there will be increase in pollution, loss of vegetation, agricultural land.

13. Forest land is more than agricultural land.

14. There is no any issue related to flood or landslide as the area falls in the plain area.

15. The land value is going to decrease due to the const. of railway junction.

16. Main issues are employment, adequacy of circle generation, safety of road (especially residential) & if possible then diversion to the forest land.

17. Some of the houses or settlements are getting divided due to the const. of the railway pattern.

18. The settlement pattern will be highly affected as the irrigation land is getting lost which is also the main source of livelihood.

Attendance sheet

		Countyville	Sign	Ph. No.
Sudhaskh Choudha	M	Dagphat	h	82180-80447
Sukh Ram		Etah	SD	98822-26055
2010/3 25	M	Etah	h	9816347913
S.R. Bahadur	M	Bhader	Dagphat	88744027396
Sarkki Ram	M	Tali	h	9816347758
Varas Ram	M	Tali	h	9459903088
Paras Ram	M	h	h	no.
Bhag Singh	M	h	h	941815288
Roshani Devi	F	h	h	
Ramila Devi	F	do	Ramila	9816375027
Sadar Ram	M	h	h	94182584
Suresh Das Kumar	M	Bhader	h	9816018162
Daleep Kumar	M	Tali	G. h	9625294557
Romesh Kumar	M	Tali	Rom	941872296
Rattan Lal Bhatt	M	Tali	Rattan	945664627
Manoj Singh	M	Tali	h	8448324000
Roshan Singh	M	Tali	h	8219209083
Vijay Pal	M	Bhader	Vijay Pal	9805623023
Rattan Lal	M	Bhader	Rafu	941880846
Sita Ram Thakur	M	Bhader	h	9418162261
Mastu Devi	F	Bhader	Mastu	9418879417
Rodul	M	Bhader	Rodul	962575127
Pawan Kishor	M	Tali	h	981641150
Anon B. Khan	M	Tali	h	080390016

[illegible]

1970-71-2000



- [illegible]

[illegible]

8. गांधी-पंचायत रात्री की प्रश्न वृत्ति ये तीनों गुण धूमिल
मुक्त व समाज्य तोपमार्ग युक्त, व लक्ष्य इनक चारा मर
पुन्यवरा को मनु लाता रायक बाल विजयन युक्त
पद प्रोथ विप्रसात, है इतरी अरु मील गोविन्द साभा
इन गान को सुरा गोता नर रहे।
9. साहू नीला गान की जमीन सातल उपजाऊ, बुद्ध प्रयुगीय
व अंगन समार के जल पार पेड़ों की तथा इधुन युक्त
धमाक की संजीया उगाइ प्रेक्च जाली है। पाष
गोव के लोगो की माजी कल ना अंगय सौला है।
10. मधेय हमाल तीनों का (HAT SHOW AREA) रुक उपजल
छात्र न के बराबर रहे जायेगा। मार रेल्व जंक्शन
प्रस्तावित जंक्शन से रुक - दो किलोमीटर आगे जंगला
अग्नि में बनाओ धमाक ती रुक उपजाऊ अंग व नरिव
तीन सौ परिवार उजाड़न से बच सकत है।
11. मत्त तीनों गोक के लघु किसानों की उपानिविवा
समस्याओं को ध्यात के रख कर उचित निर्णय लिये
जाओ की हला करे!

माहीत

लीना गांव के लक्ष्मण किसान
 (ताली मेट्ट व. दाडा 31/10/20)
 डा. प्रकाश देवा
 तहसील श्री नगा देवी जी
 जिला विलासपुर (छ.प्र.)



Shree Naina Devi

Minutes of Meetings

FORMAT FOR PUBLIC CONSULTATION

Location: Khadiyan
Date / Time: 22/7/21 11:05 AM.
Stakeholders: SR Asia field team
Ranchayat members
PAPs

1. Do you think that railway line construction is necessary for the PAPs or the area? Yes / No
2. What Impacts, both positive and negative, of the project do you foresee?

S. No.	Positive Impact	Remark	S. No.	Negative Impact	Remark
1	Shorten the trip		1	Land acquisition	
2	Enhance local economy		2	Loss of livelihood	
3	Increase employment opportunity		3	Loss of income	
4	Increase in facilities		4	Loss of house/shop	
5	Decrease in accident		5	Loss of customers and supplier	
6	Increase in property value		6	Disruption of socio-cultural or economic environment	
7	Improvement in transportation		7	Security concerns	
8	Decrease in greenhouse emissions		8	Disadvantages to the environment (trees damage etc.)	
9	Others		9	Others (pls specify)	

1.0 Types and Levels of impacts

1. Impact on physical resources

(a) Impacts on natural resources, soil, air, water, forests

(b) Pressure on land and common property natural resources for livelihoods

• (g) Cumulative impacts

(i) Measurable and potential impacts of other projects in the area along with the identified impacts:

for the project in question

(ii) Impact on those not directly in the project area but based locally or even regionally.

2.0 Issues raised and suggestions

S. No.	PAPs concerns	Suggestion by the stakeholders	Remarks
1.	The circle rate is not adequate as the market rate for 1 bigha is taken as 1 bigha circle rate for 1 bigha.		
2.	handslide affected and there is a vulnerability of landslide when the tunnel will be made.		
3.	Malkit is where all the govt. land & forest land.		

9464344636

4. Irrigation facility is not available. The village is dependent on rainfall.

5. water supply is through pipeline.

6.

Minutes of Meetings

FORMAT FOR PUBLIC CONSULTATION

Location: Kot khas panchayat (Village Mangumali)
Date / Time: 23/7/21, 11:55 AM.
Stakeholders: Sh. Raju field team.
Sh. Sureshendra Kumar.
PAFs.

1. Do you think that railway line construction is necessary for the PAFs or the area? Yes / No
2. What impacts, both positive and negative, of the project do you foresee?

S. No.	Positive Impact	Remark	S. No.	Negative Impact	Remark
1	Shorten the trip		1	Land acquisition	
2	Enhance local economy		2	Loss of livelihood	
3	Increase employment opportunity		3	Loss of income	
4	Increase in facilities		4	Loss of house/shop	
5	Decrease in accident		5	Loss of customers and supplier	
6	Increase in property value		6	Disruption of socio-cultural or economic environment	
7	Improvement in transportation		7	Security concerns	
8	Decrease in greenhouse emissions		8	Disadvantages to the environment (trees damage etc.)	
9	Others		9	Others (pls specify)	

4.0 Types and Levels of impacts

1. Impact on physical resources
(a) Impacts on natural resources, soil, air, water, forests
(b) Pressure on land and common property natural resources for livelihoods

2.0 Issues raised and suggestions

S. No.	PAPs concerns	Suggestion by the stakeholders	Remarks
1.	MNREGS rate 2017-18 is 300-300 (C) and 300-300 (D) for drinking water supply.	1. If there can be a station provided in Toubha, it will be good for the nearby villages are this main design area.	
2.	Drinking water supply is disturbed due to the tunnel const.	2. Employment generation will be good, if provided in the project.	
3.	Main irrigation facility is the rainfall.	3. Safety wall construction will be beneficial for the village.	
4.	Disruption in natural resources led to lack of forest productivity etc.		
5.	Circle rate = 26 lakh/bigha (Kot) (2 times compensation being given).		

Circle rate = 26 lakh/bigha (Mangumali)
Circle rate = 28 lakh/bigha (Dharot).

6. Natural resources are getting depleted.

7. Blasting in tunnel led to damages to residential areas.

8. Flood affected area increases vulnerability to flood.

9. Safety wall construction is required.

10. Rates of nearby villages are different although they are quite same.

11. Agriculture & agricultural is the chief occupation.

12. If there can be a station provided in Toubha it will be good.

13. Anganwadi, Kanganwadi, Douda, Behra, Kanganwadi (Anganwadi on Mahila mandal land) is getting affected.

14. Other govt. land is affected.

15. hand marking issues are there in forest land.

16. Market rate for land is about 8-9 lakh/canal means 80-90 lakh/bigha.

17. Actually forest land is affected area. (Major one happened about 20 years before)

[illegible]

Shree Navin Desai

Minutes of Meetings

FORMAT FOR PUBLIC CONSULTATION

→ C Thapra, Jabal, Samlehu
 Thapra village, Mather panichayd.
 22/7/21, 12:30 P.M.
 SK Asia field team
 Oppam Barchan (Mather)
 PAFs

Date: _____
 Meeting Time: _____
 Participants: _____

1. Do you think that railway line construction is necessary for the PAFs or the area? Yes / No
 2. What impacts, both positive and negative, of the project do you foresee?

S. No.	Positive Impact	Remark	S. No.	Negative Impact	Remark
1	Shorten the trip	✓	1	Land acquisition	✓
2	Enhance local economy	✓	2	Loss of livelihood	✓
3	Increase employment opportunity	✓	3	Loss of income	✓
4	Increase in facilities	✓	4	Loss of house/shop	✓
5	Increase in accident		5	Loss of customers and supplier	
6	Increase in property value		6	Disruption of socio-cultural or economic environment	✓
7	Improvement in transportation	✓	7	Security concerns	
8	Decrease in greenhouse emitting		8	Disadvantages to the environment (trees damage etc.)	✓
9	Others		9	Others (pls specify)	

1.6 Types and Levels of Impacts

Impact on physical resources

(a) Impacts on natural resources, soil, air, water, forests

(b) Pressure on land and common property natural resources for livelihoods

- (g) Cumulative impacts
- (i) Measurable and potential impacts of other projects in the area along with the identified impacts for the project in question
- (ii) Impact on those not directly in the project area but based locally or even regionally.

		longe blauw. plekje stapling no. 121210 of stapling 121210	1
		stapling 121210 stapling 121210	2
		stapling 121210	3
		stapling 121210	4
		stapling 121210	5
		stapling 121210	6
		stapling 121210	7

1. stapling 121210
 2. stapling 121210
 3. stapling 121210
 4. stapling 121210
 5. stapling 121210
 6. stapling 121210
 7. stapling 121210

- 10) There are many tenants, on the land who are not getting compensated due to the registration paper issues. mutation of property issues. (संश्लेषित).
- These issues can be cleared through hand revenue dept. and pewanari office.
- 11) Reserved seat of the panchayat Panchayat seat is reserved.
- (Tabal Grou. land is getting affected in the Tabal village & Thapna.
- 12) Drinking water supply pipeline will get affected by the construction.
- 13) No dispute over compensation ratio.
- 14) Residential houses will get affected by the severe vibrations caused due to the construction.
- 15) hand mapping, registration issues are very much there. hand mapping and registration can be revised as the people are not getting adequately timely compensated.
- 16) hand mapping should be revised and accurate.
- 17) local employment should be generated through the project.
- 18) Samleke village
- 19) In Tabal village, there can be issues of compensation ratio.

[illegible]

Minutes of Meetings

FORMAT FOR PUBLIC CONSULTATION

Project Name: Dharpat village, Shree Naina douji
 Date: 23, 2021 Time: 12:30 PM
 Location: SRHS field room
Groom Pradham and Ward member
PHS.

Q. Are there any adverse impacts on the environment or the area? Yes / No
 (List all impacts, both positive and negative, of the project do you foresee?)

Positive Impact	Remark	S. No.	Negative Impact	Remark
Land acquisition		1	Land acquisition	
Loss of local economy		2	Loss of livelihood	
Loss of employment opportunity		3	Loss of income	
Loss of education		4	Loss of livelihood	
Loss of community		5	Loss of customers and supplier	
Loss of property value		6	Disruption of socio-cultural or economic environment	
Disruption in transportation		7	Security concerns	
Disruption in agriculture		8	Disadvantages to the environment (soil damage etc.)	
Disruption in other		9	Others (you specify)	

on Types and Levels of impacts

Environmental impacts

1. **Physical impacts**

2. **Biological impacts**

3. **Chemical impacts**

4. **Soil impacts**

5. **Water impacts**

6. **Air impacts**

7. **Land impacts**

8. **Other impacts**

9. **Other impacts**

10. **Other impacts**

11. **Other impacts**

12. **Other impacts**

13. **Other impacts**

14. **Other impacts**

15. **Other impacts**

16. **Other impacts**

17. **Other impacts**

18. **Other impacts**

19. **Other impacts**

20. **Other impacts**

21. **Other impacts**

22. **Other impacts**

23. **Other impacts**

24. **Other impacts**

25. **Other impacts**

26. **Other impacts**

27. **Other impacts**

28. **Other impacts**

29. **Other impacts**

30. **Other impacts**

31. **Other impacts**

32. **Other impacts**

33. **Other impacts**

34. **Other impacts**

35. **Other impacts**

36. **Other impacts**

37. **Other impacts**

38. **Other impacts**

39. **Other impacts**

40. **Other impacts**

41. **Other impacts**

42. **Other impacts**

43. **Other impacts**

44. **Other impacts**

45. **Other impacts**

46. **Other impacts**

47. **Other impacts**

48. **Other impacts**

49. **Other impacts**

50. **Other impacts**

51. **Other impacts**

52. **Other impacts**

53. **Other impacts**

54. **Other impacts**

55. **Other impacts**

56. **Other impacts**

57. **Other impacts**

58. **Other impacts**

59. **Other impacts**

60. **Other impacts**

61. **Other impacts**

62. **Other impacts**

63. **Other impacts**

64. **Other impacts**

65. **Other impacts**

66. **Other impacts**

67. **Other impacts**

68. **Other impacts**

69. **Other impacts**

70. **Other impacts**

71. **Other impacts**

72. **Other impacts**

73. **Other impacts**

74. **Other impacts**

75. **Other impacts**

76. **Other impacts**

77. **Other impacts**

78. **Other impacts**

79. **Other impacts**

80. **Other impacts**

81. **Other impacts**

82. **Other impacts**

83. **Other impacts**

84. **Other impacts**

85. **Other impacts**

86. **Other impacts**

87. **Other impacts**

88. **Other impacts**

89. **Other impacts**

90. **Other impacts**

91. **Other impacts**

92. **Other impacts**

93. **Other impacts**

94. **Other impacts**

95. **Other impacts**

96. **Other impacts**

97. **Other impacts**

98. **Other impacts**

99. **Other impacts**

100. **Other impacts**

- (iii) Cumulative impacts
- (d) Accountable and potential impacts of other projects in the area along with the identified impacts.
- to the project in question
- on impact on those not directly in the project area but based locally or even regionally.

4. Compensation rate is same for the road-side areas & the inner areas.

5. Employment generation is not given to the local villagers.

6. Pollution is a major area of concern in the affected area.

7. Natural resources are getting affected due to the construction of the bridge.

8. Pollution is affecting the local people as the cement industries are causing allergy & some severe health issues.

9. The dumping of the chemical waste is being done underground which is affecting the groundwater & drinking water supply.

10. Pollution Control body has not acted on the application of the local PAFs due to the pollution caused pertaining to the const. of the project.

- 11) Drinking water ~~shortage~~ supply lines and pipelines are damaged and there is a severe acute water shortage in the village.
- 12) In 2018-19, compensation rate is decided at Rs 34 lakh/hectare ^{divided to} the compensation rate is 17 lakh/hectare.
- 13) Market rate (stand rate) is 20 lakh/hectare (for land areas) 10-15 lakh/hectare
- 14) As to the act, 4 times compensation is not being given. land mapping & registration issues are there in the revenue dept. (Need to solve through Revenue Dept.)
- 15) The type of land is not being considered for the compensation
- 16) The built structure is not adequately compensated as per the materials involved. The rates are arbitrary.
- 17) Due to the cost of pillars, the hill area is getting damaged which can increase the risk of landslides and flooding of water streams.
- 18) Arjun Singh s/o Omkar Singh's house is getting affected, although it is not registered for compensation. The house is getting damaged due to destroying up of another nearby houses.

19) In July, 2020. Gurmeh Singh was recruited for the survey fellow & he was involved in the location of a staff & he is not being given salary for 7 months from [Aug. 2020 - Nov. 2020] Salary amount ₹ 36,000.
Attendance sheet
Employed by S.P. Singh construction Div. Ht.

20) Vehicular pollution & congestion is happening at the villages. Just last month, there is compensation blur the const. company workers & the villagers.

21) Compensation for any worker who got affected due to some injury in the WBH project

22) The people involved in the case of the injured employees are getting threatened & were discouraged from involvement in the case.

23) Local wildlife & livestock are getting affected as their main drinking water supply is interrupted

24) Issues of threatening from the construction project officers

[illegible]

① 9218530020 → Vikram Singh
② 9418536913 → Baldev Singh Thakur

Minutes of Meetings

FORMAT FOR PUBLIC CONSULTATION

Location: Banta Panchayat, (Khetliyan hahroo; Banta, Badhyat, Bahel, Kandela)
Date: 18/7/21, 10:00 AM
SRAs: SR Asia team

Do you think that railway line construction is necessary for the PAFs or the area? Yes / No
What impacts, both positive and negative, of the project do you foresee?

S. No.	Positive Impact	Remark	S. No.	Negative Impact	Remark
1	Strengthen the trip		1	Land acquisition	
2	enhance local economy		2	Loss of livelihood	
3	Increase employment opportunity		3	Loss of income	
4	Increase in facilities		4	Loss of house/shop	
5	Decrease in accident		5	Loss of customers and supplier	
6	Increase in property value		6	Disruption of socio-cultural or economic environment	
7	Improvement in transportation		7	Security concerns	
8	Decrease in greenhouse emissions		8	Disadvantages to the environment (trees damage etc.)	
9	Others		9	Others (pls specify)	

1.6 Types and Levels of impacts

1. Impact on physical resources
(a) Impacts on natural resources, soil, air, water, forests
(b) Pressure on land and common property natural resources for livelihoods

• (g) Cumulative impacts
(i) Measurable and potential impacts of other projects in the area along with the identified impacts for the project in question
(ii) Impact on those not directly in the project area but based locally or even regionally.

2.0 Issues raised and suggestions

S. No.	PAPs concerns	Suggestion by the stakeholders	Remarks
1.	Circle rate is about 25 Lakh/acre but the market rate is around 15 Lakh/Bisua	1. Proper consultation with PAFs need to happen.	
2.	No satisfaction regarding circle rate.		
3.	Multiple acquisition led to cultural & social destabilisation.		
4.	Compensation rate is demanded as 2 crore/bigha.		
5.	Most of them are being residentially & occupationally displaced.		

3. Industrial cement factories ACC, Ambika, IP are coming under acquisition.

4. Employment generation. circle rate should be the priority in the area.

5. The purpose of the project is to extend it to the.

6. Multiple acquisition. Resettlement has led to destabilisation of the PAFs & can increase migration.

7. Width of railway junction is 10-150 metres here in the Banta Panchayat. (Bhabara)

8. 1955-58.

9. R.R. should be within the area of 15 kms.

10. H.R.T.A. rates Compensation

11. The SR Asia field team collected the application and gave a security to the PAFs in Bahel, Kandaila village and Badhyat village.

12. Alternative area can be utilized for the construction of junction is the main issue of concern.

13. Secondary, if the above mentioned suggestion is not being considered, then there should be adequate circle rate for the PAFs as per the designated market rate.

14. Gazette notification regarding holding of land. measuring clause of related to that land. measuring under 30 bisua will not be recognized under this circle rate.

15. Gazette notification regarding the PAFs of whom the land being acquired is not given in the local newspapers. information about PWD valuation criteria.

16. As per the PAFs, the states has not been provided to them while for the construction, the states has been providing the rate.

17. There is great dissatisfaction regarding the circle rate.

Minutes of Meetings

FORMAT FOR PUBLIC CONSULTATION

FORMAT FOR PUBLIC CONSULTATION

Location: Banta Panchayat khauran [for Bahel Kandola, Badhiyat & Banta village]

Date / Time: 28/7/21 | 12:15 PM

Stakeholders: SR. Dev. field team
Gourav Prashant / Badhiyat, Banta & Bahel Kandola
PATC.

Is construction necessary for the PAFs or the area? Yes / No

- (g) Cumulative impacts
- (i) Measureable and potential impacts of other projects in the area along with the identified impacts for the project in question
- (ii) Impact on those not directly in the project area but based locally or even regionally.

2.0 Issues raised and suggestions

2.0 Issues raised and suggestions			Remarks
S. No.	PAPs concerns	Suggestion by the stakeholders	
1.	30 Barma panchayat, there are 4 villages i.e. Badhyat, Babel, Bantola & Khairiyam kuhmura & Barma.		
2.	Circle rate is around 20 lakh/bigha whereas the market rate is around 15 lakh/bisua.		
3.	• The main issue of concern is regarding the awareness and information about circle rate and PWD Valuation criteria. As per the PAPs, while negotiation, all the representatives of all the stakeholders should be present and involved.		

- (5) The ~~RPR~~ ceiling rates should be limited and as per the demands of PAFs.
i.e. ₹ 1.8 or 240 bigha.
- (6) Social benefits should take into consideration the impacts on the local villagers & PAFs.
- (7) आम्रिक, होर कामनव ACC मा JP की फैक्ट्री की दुष्टि न हो।
लेह के लिए ~~छात्र~~ दरों पर सही Rates पर हो।
- (8) RPR activities should be designed and implemented for the villagers within the area i.e. (3-4 km radius).
(regarding the land area for resettlement).
- (9) PAFs for Khairiyani Wanoos, acquisition has been done for 4 times & for other villages, it is being done for 4th time.
As per the PAFs, as per the Supreme court notification multiple acquisition for third time shouldn't happen in the area.
- (10) Nihal sector is being hand over taken in that can also be reclaimed used illegally. That can also be reclaimed and again to the us as per the PAFs and again (11) the commercially available land should be differently.

attendance sheet:

[illegible][illegible]



ANNEXURE-2.1: Survey Questionnaires in English and Hindi

Tools used for the survey questionnaire



SURVEY QUESTIONNAIRE

SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (SIA) – DISTRICT BILASPUR

INTRODUCTION:

Social Responsibility (SR) Asia, an international agency has been appointed by the Social Impact Assessment (SIA) unit, Government of Himachal Pradesh for conducting the project for conducting Social

Impact Assessment (SIA) of land acquisition done in respect of the construction of the Bhanupali - Bilaspur - Beri, New Broad Gauge, railway line 1st and 2nd phase village Kanguwali to Bilaspur- Badhyat i.e. upto 52 km in District Bilaspur, Himachal Pradesh

सामाजिक उत्तरदायित्व (SR) एजेंसी, सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) इकाई, जिलाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी जनुक्त की गई है, जो भानुपाली - जिलासपुर - बेरी, न्यू ब्रॉड गेज, रेलवे लाइन प्रथम और जट्टती चरण ग्राम के गुवाली से जिलासपुर- विध्यात अथात जिला जिलासपुर, जिलाचल प्रदेश में 52 किलोमीटर तक जनमाण के संबंध में जकाए गए भूजम अजधग्रिण के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) परशिना के संचालन के जलए है।

SELF-DECLARATION:



I hereby declare that I have read the above information and I confirm my voluntary participation in the study. I understand that the information collected will be strictly confidential and will be used for the SIA study and by the district officials only.

मैं घोषणा करता हं जक मैंने उपरोक्त िनकारी पढ़ ली ि और मैं अधिन में अपनी स्वैच्छिक भागीदारी की पुजष्ट करता हं। मैं समझता हं जक एकत्र की गई िनकारी पूरी तरि से गोपनी िोगी और SIA अधिन के जलए और के वल जिला अजधकाररि ं द्वारा उषिग की िाएगी।

(Name and Signature of Surveyor)

(Signature of the Interviewee)

1. Tehsil Name: Shree Naina Devi Ji Sadar

2. Village Name:

3. Household's Name:

4. Phone: _____

5. Age:

6. Gender: Male
Others

Female

7. Marital Status:

Unmarried..... Married but no kids..... Married with kids..... Divorced or widowed.....

8. Social Group: SC ST..... General OBC

9. Religious Group: Hindu..... Muslim..... Christian Sikh.....
Jain..... Others:

10. Family Type & Size: Joint (More than 7)..... Medium Sized (5-7 member).....



Nuclear (2-4 members)..... Self-led household.....

11. Number of children and old age people

	Children	Women	Old age people	PwD
No. of people				

12. Highest educational Qualification achieved in the family.

Below high School..... High School.....
 Intermediate..... Graduate..... Post-graduate or
 above.....
 Technical/Engineering.....

13. Monthly Family Income.

Less than Rs.5000..... Rs.5, 000-10,000..... Rs.10, 000 -
 20,000..... Rs. 20,000 - 50,000..... Rs. 50,000-1, 00,000.....
 More than 1, 00,000.....

14. Main Family Occupation.

Agriculture	Agricultural Labor	Non-agricultural Labor
Horticulture	Small Business	Government Job
Own Industry/Big Business	Private Job	Others:

15. Do you also have livestock as a family occupation? Yes..... No

16. No. of earning members in the family.

Only me..... Not me (1)..... 2 3..... More than 3.....

17. Type of House: Kutcha Pucca Semi – Pucca.....

18. Do you have a bank account: Yes No

19. Any Socio-economic vulnerability in the family?



None	Women-led Household	Flood affected area
BPL Family	Widow led Household	Disabled member in the family
Landslide affected area	Others:	

20. Details about the property, which is being acquired?

Plot No. (s)	
Total no. of Plot (In sq. meter)	
Area of plot being acquired	
% of the area of plot being acquired	

21. Type of land, being acquired?

Agricultural Land Barren Land..... Commercial
Land.....
Industry Land..... Residential Land..... Others:

22. Land use Pattern

None..... Agriculture..... Horticulture.....
Commercial..... Industrial..... Residential..... For
Timber..... Others:

23. Type of built structure on the land, which is being acquired.

None..... Commercial Shop..... Compound/Boundary
wall.....
Shed..... Residential Home – Kutcha..... Residential Home –
Pucca.....
Factory/Industrial Structure..... Any Other Kutcha/Pucca Structure.....

24. Type of assets on the property, which is being acquired?

None..... Dug Well..... Tube Well..... Water Tank..... Hand
Pump..... Other Trees..... Fruit Bearing Trees..... Other:

25. Extent of Impact: Less than 25% 25% - 50% 50% - 75% More than 75%.....



26. Is there any issue with the circle rate of the land, which is being acquired?

None Circle rate is less Circle rate is not as per market

Others:

27. Ownership of the property. Owner Leased

Tenant Encroacher

28. Are you aware of the proposed construction project? Yes No

29. What is your opinion about the project? Good Bad Neutral.....

Can't Say

30. Do you have consent for land, which is being acquired? Yes.....

No..... Can't

Say.....

Yes only if compensation is as per our demands

31. Do you have any type of issue regarding the land, which is being acquired?

None:

Land is being registered but not compensated: _____

Land is not registered for compensation: _____

Land acquired is more than registered for compensation: _____

Residential area/structure is not being compensated: _____

Occupational Loss: _____

Assets are not being compensated: _____

Circle rate is not adequate: _____

It is unnecessary. _____

There are alternatives available for the project: _____

Other: _____

32. Preferences for Compensation?

Undecided	Land for Land	
-----------	---------------	--



Land for Land and Job for family Members	Cash for Land	
Cash assistance for occupational loss	Job for family members	
Cash assistance for built structure	Alternative residential home	
Others:		

33. Any type of displacement? None Residential Occupational
Both
.....

34. Any Suggestion(s) for the project?

REHABILITATION AND RESETTLEMENT

35. Do you want to be resettled or rehabilitated? Yes..... No..... Yes but
within area.....

36. Type of rehabilitation and resettlement (R & R) activity.

	Yes	No
Land for Land within the area		
Job for family member		
Cash assistance regarding occupation loss		
Residential Resettlement		
Cultural resettlement		
Land for land outside the area		

37. Any additional comment?

भानुपाली-बिलासपुर-बेरी नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन 1st व 2nd फेज ग्राम कंगुवाली से बिलासपुर-बाध्यायत तक यानी 52 किलोमीटर तक का निर्माण परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण से प्रभावित ग्रामों में सामाजिक समाघात आंकलन/निर्धारण

प्रभावित परिवारों हेतु अनुसूची

प्रायोजक

सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई - हिमाचल प्रदेश सरकार



SR Asia
sustainability defined

मेसर्स एसआर एशिया
(आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित)

कॉर्पोरेट पता: चौथी मंजिल कॉर्पोरेट सुइट -25, अंसल प्लाजा मॉल
सेक्टर-1 वैशाली, गाजियाबाद, यूपी-201010 भारत
फोन # +919810059109, 91-120-4103023

ईमेल: srasia.india@gmail.com info@sr-asia.org www.sr-asia.org

भानुपाली-बिलासपुर-बेरी नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन 1st व 2nd फेज परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण से प्रभावित ग्रामों में सामाजिक समाघात आंकलन/निर्धारण

प्रभावित परिवारों हेतु अनुसूची

जनपद : तहसील :

विकास खण्ड : ग्राम :

1. सामान्य विवरण :

1.1 भूस्वामी का नाम : पिता का नाम

1.2 साक्षात्कार देने वाले का नाम : भूस्वामी से सम्बन्ध

1.3 भूस्वामी द्वारा साक्षात्कार न देने का कारण

1.4 भूस्वामी/भूखण्ड स्वामी का मो0 नम्बर :

1.5 आयु (वर्ष):

1.6 लिंग: पुरुष-1, महिला-2

☐

1.7 शैक्षिक योग्यता:

☐

(निरक्षर-1, साक्षर-2, प्राइमरी-3, अपर प्राइमरी-4, हाईस्कूल-5, इंटरमीडिएट-6, स्नातक-7, परास्नातक-8, व्यावसायिक शिक्षा (स्पष्ट करें.....9))

1.8 धर्म: हिन्दू-1, मुस्लिम-2, सिख-3, इसाई-4, बौद्ध-5, अन्य-6

☐

1.9 जाति-

☐

1.10 व्यवसाय - (अ) मुख्य (ब) गौण

कृषि स्वयं की भूमि-1, कृषि बटाई पर/ठेके पर-2 कृषि मजदूरी-3, गैरकृषि मजदूरी-4, नौकरी-5, लघु व्यापार-6, पशुपालन-7, ग्रामीण दस्तकारी-8, घरेलू- 9 अन्य-10 स्पष्ट करें.....

2. सामाजिक स्थिति:

2.1 मकान का प्रकार - (पक्का-1, कच्चा-2, मिश्रित-3, झोपड़ी-4)

☐

2.2 क्या बिजली कनेक्शन है-

हाँ-1/ नहीं-2

☐

यदि हां तो कनेक्शन का प्रकार

क्र0 सं0	कनेक्शन का प्रकार	हाँ	नहीं
1.	घरेलू		
2.	कृषि		
3.	औद्योगिक		

यदि नहीं तो रोशनी की क्या व्यवस्था है-(बहुउत्तरीय)

☐

(मिट्टी तेल-1, सोलर लाइट-2, अन्य.....3)

- 2.3 पेयजल की व्यवस्था—(बहुउत्तरीय) ☐ ☐ ☐
(पाइप द्वारा जलापूर्ति—1, देशी हैण्डपम्प—2, इण्डिया मार्क टू हैण्डपम्प—3, अन्य—4)
- 2.4 क्या आपके घर में शौचालय निर्मित है? हाँ—1/नहीं—2 ☐
यदि नहीं तो शौच हेतु कहाँ जाते हैं? (बहुउत्तरीय) ☐ ☐ ☐
(कोड) खेतों में—1, जंगल में—2, नहर किनारे—3, रेलवे लाइन किनारे—4, सड़क किनारे—5, सार्वजनिक शौचालय—6, अन्य—.....7
- 2.5 मकान में क्या अलग से किचन निर्मित है? हाँ—1/नहीं—2 ☐
यदि नहीं तो भोजन कहाँ बनाते हैं—
(आंगन में—1, कमरे में—2, खुले में—3, अन्य—4) ☐
- 2.6 भोजन बनाने हेतु कौन सा ईंधन उपयोग करते हैं? (बहुत्तरीय) (कृपया ✓ का निशान)
गैस ☐ मिट्टी तेल ☐ लकड़ी ☐ उपले ☐ अन्य ☐
- 2.7 यदि आपके परिवार का कोई सदस्य किसी सार्वजनिक संस्था/निजी संस्था का सदस्य है तो विवरण दें—

क्र०सं०	परिवार सदस्य का नाम	संस्था का नाम(कोड)*	धारित पद
1.			
2.			

संस्थाएँ (कोड)*— 1—सहकारी समिति, 2—स्वैच्छिक संस्था, 3—शिक्षण संस्था, 4—ग्राम पंचायत, 5—क्षेत्र पंचायत, 6—जिला पंचायत, 7—नागरिक सुरक्षा, 8—राजनैतिक दल 9—अन्य

आर्थिक गतिविधियाँ

3.1 परिवार के सदस्यों का व्यवसाय एवं वार्षिक आय

क्र०सं०	सदस्य का नाम	आयु	मुखिया से सम्बंध	व्यवसाय (कोड)*	अनुमानित वार्षिक आय (रु०)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

व्यवसाय (कोड)*—1—कृषि, 2—मजदूरी, 3—गृह कार्य, 4—पशुपालन, 5—दूधिया, 6—सब्जी विक्रय, 7—विद्यार्थी, 8—वाहन/इंजन मरम्मत, 9—अन्य..... (स्पष्ट करें)

3.2 क्या आप/परिवार पर किसी वित्तीय संस्था अथवा महाजन का ऋण अवशेष है
हाँ-1/नहीं-2 ☐

यदि हाँ तो ऋण का प्रयोजन (बहुत्तरीय) (कृपया ✓ का निशान)

1. खाद एवं बीज हेतु	6. वैकल्पिक रोजगार की स्थापना हेतु
2. ट्रैक्टर क्रय हेतु	7. पशुपालन हेतु
3. पम्पसेट क्रय हेतु	8. उपभोग हेतु
4. चिकित्सा हेतु	9. शिक्षा हेतु
5. शादी हेतु	अन्य.....

3.3 क्या आपके परिवार का कोई सदस्य स्वयं सहायत समूह का सदस्य है?
हाँ-1/नहीं-2 ☐

यदि हाँ तो समूह की गतिविधियाँ/कार्यकलाप

1-भैंस पालन/गाय पालन, 2-बकरी पालन, 3-सुअर पालन, 4-मधुमक्खी पालन, 5-ग्रामीण कुटीर उद्योग (नाम स्पष्ट करें), 6-मत्स्य पालन, 7-अन्य

4. क्या आपके परिवार का कोई सदस्य बाहर रहता है? हाँ-1/नहीं-2 ☐
यदि हाँ तो निम्न विवरण दें

क्र०सं०	सदस्य का नाम	आव्रजन का स्थान* (कोड)	उद्देश्य ** (कोड)	घर आने की आवृत्ति*** (कोड)
1.				
2.				
3.				
4.				

*स्थान 1-जनपद के अन्तर्गत 2-जनपद से बाहर किन्तु राज्य के अन्तर्गत
3-राज्य से बाहर किन्तु देश के अन्तर्गत 4-देश से बाहर

**उद्देश्य 1-पढाई 2-नौकरी 3-मजदूरी 4-व्यापार 5-अन्य स्पष्ट करें

***आवृत्ति 1-सप्ताह में 2-पक्ष में 3-माह में 4-एक वर्ष में 5-निश्चित नहीं 6-कभी नहीं

5. सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान कहा स्थित है ? 1-गांव में, 2-अन्य गाव में ☐

6. आपके पास कौन सा राशन कार्ड है ?
1-बीपीएल, 2- पात्र ग्रहस्थी, 3-कोई राशन कार्ड नहीं ☐

7. क्या आंगनवाड़ी केन्द्र में सुविधाएँ नियमित मिलती है ? हाँ-1/नहीं-2 ☐

8. आपके बच्चे प्राथमिक शिक्षा हेतु पढ़ने कहाँ जाते है ?
ग्राम में-1/ग्राम से बाहर-2 /पढ़ने नहीं जाते-3 ☐

9. आपके परिवार के सदस्य चिकित्सा हेतु कितनी दूर जाते हैं ? (.....कि.मी.)
10. पशु चिकित्सा हेतु कितनी दूर जाते हैं ? (.....कि.मी.)
11. क्या आप सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति के सदस्य हैं? हाँ-1/ नहीं-2 ☐
यदि हाँ तो प्रतिदिन कितना दूध समिति को विक्रय करते हैं।लीटर में
यदि नहीं तो दूध का विक्रय कहाँ करते हैं?
(1) स्थानीय रूप से (2) दूधिये को (3) दुग्ध मंडी में
(4) विक्रय नहीं करते हैं। (5) अन्य (स्पष्ट करें).....
12. आपके ग्राम में कौन से उत्सव/मेले मनाये जाते हैं तथा आप इन उत्सवों में कितना भाग लेते हैं ?

क्र०सं०	आयोजन	*भागीदारी का स्तर (कोड)	क्र०सं०	आयोजन	*भागीदारी का स्तर (कोड)
1.	धार्मिक आयोजन		4.	आर्थिक आयोजन	
2.	धार्मिक मेले		5.	राजनैतिक आयोजन	
3.	सामाजिक उत्सव		6.	राष्ट्रीय पर्व	

*कोड— 1—बहुत अधिक, 2—अधिक, 3—सामान्य, 4—बिल्कुल नहीं

13. आपके / परिवार के पास उपलब्ध परिसम्पत्तियों का विवरण दे:—

क्र०सं०	परिसम्पत्ति का नाम	संख्या/मात्रा	क्र०सं०	परिसम्पत्ति का नाम	संख्या/मात्रा
1.	मकान		10.	साइकिल	
2.	दुधारू पशु		11.	बैलगाड़ी	
3.	शुष्क पशु		12.	टीवी	
4.	लघु पशु		13.	फ्रिज	
5.	ट्रैक्टर		14.	नलकूप/पम्पसेट	
6.	मोटर कार		15.	श्रेशर	
7.	टेम्पो/आटो		16.	मोबाइल	
8.	इक्का/टांगा		17.	अन्य	
9.	मोटर साइकिल/स्कूटर		18.	अन्य	

14. परिवार के पास कुल भूमि का विवरण (हेक्टेयर में)

क्र० सं०	विवरण	कृषि योग्य	कृषि अयोग्य	कुल
1.	ग्राम में			
2.	अन्य ग्राम में			
3.	कुल			

15. सिंचाई का साधन (बहुउत्तरीय) (कृपया ✓ का निशान लगाएँ)
नहर-1, राजकीय नलकूप-2, निजी नलकूप/पम्पसेट-3, किराये का पम्पसेट-4, तालाब-5, कुआँ-6, अन्य (स्पष्ट करें)

16. क्या आपको मालूम है कि आपके गांव की भूमि का अधिग्रहण कर रेलवे लाइन परियोजना का निर्माण होना है? हाँ-1/नहीं-2 ☐

17. परियोजना हेतु अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण:

क्र०सं०	प्रभावित सदस्यों का नाम (पति/पत्नी एवं अवयस्क बच्चे)	मुखिया से सम्बन्ध	गाटा संख्या	भूमि का विवरण (हे० में)	
				कुल भूमि	अधिग्रहण की जाने वाली भूमि
1.					
2.					
3.					
4.					
कुल					

18. उक्त भूमि किस श्रेणी की है ? (बहुउत्तरीय)

- (1) अत्यधिक उपजाऊ ☐ (2) उपजाऊ ☐
 (3) सामान्य ☐ (4) बंजर ☐

19. उक्त भूमि पर कौन-सी फसल बो रहे है ? (बहुउत्तरीय)

- (1) धान्य फसलें ☐ (2) दलहन ☐
 (3) तिलहन ☐ (4) सब्जियां ☐
 (5) बाग ☐ (6) वाणिज्यिक फसलें ☐
 (7) फूलों की खेती ☐ (8) कोई फसल नहीं ☐
 (9) अन्य फसलें..... ☐ (10) अन्य..... ☐

20. उक्त भूमि पर की जाने वाली खेती / बाग आदि से आपको प्रतिवर्ष कितनी आय प्राप्त होती है? अंकों में रु०..... शब्दों में.....

21. अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि में क्या-क्या परिसम्पत्तियां अवस्थित है?

क्र० सं०	परिसम्पत्ति का नाम	क्षेत्रफल/मात्रा	प्रभावित भूस्वामी के अनुसार अनुमानित मूल्य रु०
1.	आवासीय भवन (वर्गफीट में) (सं०)		
2.	भूखण्ड (वर्गफीट में) (सं०)		
3.	व्यावसायिक भवन / दुकान(क्षेत्रफल/सं०)		
4.	नलकूप (सं०)		
5.	बोरिंग(सं०)		
6.	फलदार वृक्ष (सं०)		
7.	अन्य वाणिज्यिक वृक्ष (सं०)		
8.	वृक्ष/पेड़-पौधे (सं०)		
9.	अन्य स्पष्ट कर 1.....		
10.	अन्य 2.		

22. अधिग्रहीत परिसम्पत्तियों की भरपाई आप कैसे करेंगे ? कृपया (✓) का निशान लगाएँ? (बहुत्तरीय)

1.कृषि भूमि का क़य करेंगे	4.आजीविका के स्रोत मे परिवर्तन
2.अन्य ग्राम में निवास करेंगे	5.सिचाई के नये स्रोत का निर्माण करेंगे
3.. ग्राम से शहर में पलायन करेंगे	6.अन्य (स्पष्ट रूप से लिखे).....

23. परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के उपरान्त नव सृजित परिसम्पत्ति से किस प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं ? कृपया (✓) का निशान लगाएँ ? (बहुत्तरीय)

1 नई क़य की गई/ उपलब्ध भूमि उपजाऊ नहीं है	4.लागत मे वृद्धि
2. नये सिचाई स्रोत के निर्माण मे अत्यधिक व्यय	5.विस्थापित होना पड़ेगा
3...घर से खेती की भी दूरी बढ़ जाएगी जिससे अतिरिक्त समय की वृद्धि होगी।	6. अन्य (स्पष्ट रूप से लिखे).....

24. आप उक्त भूमि को स्वेच्छा से विक्रय के लिए सहमत क्यों नहीं है? कृपया (✓)का निशान लगाएँ ? (बहुत्तरीय)

- परिवार में खानदानी भूमि को बेचने की परम्परा नहीं है।
- भूमि कई व्यक्तियों के नाम दर्ज है/हकदार है।
- भूमि के अन्य अंशधारक बाहर रहते हैं।
- भूमि विक्रय से पारिवारिक बेरोजगारी बढ़ेगी।
- आय का स्रोत समाप्त हो जाएगा।
- गांव से पलायन करना पड़ेगा।
- भूमि का बाजार मूल्य वर्तमान सर्किल रेट से बहुत अधिक है।
- भूमि का विवाद न्यायालय में विचाराधीन है।
- अन्य (स्पष्ट करें).....

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

25. किन शर्तों पर भूमि विक्रय के लिए सहमत है? कृपया (✓) का निशान लगाएँ ? (बहुत्तरीय)

- सर्किल रेट से अधिक की दर से प्रतिकर दिया जाय।
- अधिग्रहण के बराबर और गुणवत्ता की भूमि किसी अन्यत्र स्थान पर दी जाय।
- परियोजना के अर्न्तगत स्थायी नौकरी दी जाय।
- वैकल्पिक रोजगार प्रारम्भ करने हेतु भौतिक/वित्तीय सहायता दी जाय।
- किसी मान्यता प्राप्त संस्था से निःशुल्क तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाय।
- लाइसेंस युक्त व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु लाइसेंस उपलब्ध कराने में वरीयता दी जाय।

☐
☐
☐
☐
☐
☐

26. आपकी अधिग्रहीत की गयी भूमि के प्रतिकर स्वरूप प्राप्त धनराशि का उपयोग किस रूप में करने की योजना है? कृपया (✓) का निशान लगाएँ ? (बहुत्तरीय)
1. किसी बैंक / डाकघर में फिक्स डिपोजिट कर ब्याज प्राप्त करना ☐
 2. विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों में निवेश ☐
 3. कुटीर उद्योग की स्थापना ☐
 4. किसी अन्य स्थान पर भूमि का क्रय ☐
 5. पुराने ऋण की अदायगी। ☐
 6. बच्चों की उच्च शिक्षा पर व्यय ☐
 7. किसी अन्य व्यवसाय यथा परिवहन, सेवाएँ आदि ☐
 8. अन्य स्पष्ट करें..... ☐
27. क्या भूमि अधिग्रहण/परियोजना निर्माण के कारण आपको परिवार सहित विस्थापित होना पड़ेगा ? हाँ-1/नहीं-2 ☐
- 27.1 यदि हाँ तो वर्तमान निवास स्थान बदलने के दुष्परिणाम कृपया (✓) का निशान लगाएँ ? (बहुत्तरीय)
1. नये घर के निर्माण में अधिक व्यय ☐
 2. आवश्यक सुविधाओं से नये आवास की अत्यधिक दूरी ☐
 3. वर्तमान परिवेश एवं सामाजिक/धार्मिक स्थान से विरत होना। ☐
 4. अन्य (स्पष्ट रूप से लिखें) ☐
28. यदि भूमि के अतिरिक्त अन्य परिसम्पत्तियों का नुकसान नहीं हो रहा हो तो उस स्थिति में क्या संमास्याएँ आ सकती है ? कृपया (✓) का निशान लगाएँ ? (बहुत्तरीय)
1. कृषि योग्य भूमि का नुकसान ☐
 2. आजीविका के साधन का नुकसान ☐
 3. सामाजिक परिवेश का नुकसान ☐
 4. नये आवास की अत्यधिक दूर होना। ☐
 5. सामाजिक, धार्मिक, समुदायिक का नुकसान ☐
 6. अन्य (स्पष्ट रूप से लिखें)..... ☐
29. क्या आपने अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु यूपीडा को अपनी कोई भूमि पूर्व में बेची है ? हाँ/नहीं यदि हाँ तो विवरण दें ? ☐

29.1. बेची गयी भूमि का विवरण:

भूमि विक्रय करने वाले सदस्य का नाम	भूमि का क्षेत्रफल (हे०में)	भूमि की दर (रु० प्रति हे०)	भूमि का प्रकार-कोड (सिचित-1,असिचित-2)
कुल			

30. रेलवे लाइन परियोजना परियोजना से क्या क्या लाभ होगा ? कृपया (✓) का निशान लगाएँ ? (बहुत्तरीय)

1. आवगमन सुविधाजनक
2. वैकल्पिक रोजगार के साधनों में वृद्धि
3. समय की बचत
4. परिवहन की सुविधा
5. औद्योगिक विकास
6. अन्य (स्पष्ट करें)

31. रेलवे लाइन परियोजना परियोजना से क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा ? कृपया (✓) का निशान लगाएँ ? (बहुत्तरीय)

1. सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि
2. बच्चों को स्कूल जाने में समस्या
3. किसानों को अपने खेत में जाने में समस्या
4. प्रदूषण में वृद्धि
5. अन्य (स्पष्ट करें).....

30. भूमि विक्रय से प्राप्ति धनराशि का उपयोग किस प्रकार से किया ?

.....

.....

32. प्रभावित भूस्वामी की सामाजिक आर्थिक स्थिति एवं सम्पत्तियों आदि के सन्दर्भ में अन्वेषक के विचार

.....

.....

.....

दिनांक:.....

अन्वेषक का नाम



ANNEXURE-2.2: Format for Public Consultation

Tools used for the study

Minutes of Meetings

FORMAT FOR PUBLIC CONSULTATION

Location:

Date / Time:

Stakeholders: _____

1. Do you think that railway line construction is necessary for the PAFs or the area?
Yes / No
2. What Impacts, both positive and negative, of the project do you foresee?

S. No.	Positive Impact	Remark	S. No.	Negative Impact	Remark
1	Shorten the trip		1	Land acquisition	
2	Enhance local economy		2	Loss of livelihood	
3	Increase employment opportunity		3	Loss of income	
4	Increase in facilities		4	Loss of house/shop	
5	Decrease in accident		5	Loss of customers and supplier	

6	Increase in property value		6	Disruption of socio-cultural or economic environment	
7	Improvement in transportation		7	Security concerns	
8	Decrease in greenhouse emissions		8	Disadvantages to the environment (trees damage etc.)	
9	Others		9	Others (pls specify)	

1.0 Types and Levels of impacts

1. IMPACT ON PHYSICAL RESOURCES

- (a) Impacts on natural resources, soil, air, water, forests
- (b) Pressure on land and common property natural resources for livelihoods

2. IMPACTS ON PRIVATE ASSETS, PUBLIC SERVICES AND UTILITIES

- (a) Capacity of existing health and education facilities
- (b) Capacity of housing facilities
- (c) Pressure on supply of local services.
- (d) Adequacy of electrical and water supply, roads, sanitation and waste management system
- (e) Impact on private assets such as bore wells, temporary sheds etc.

--

3. HEALTH IMPACTS

- (a) Health impacts due to in-migration
- (b) Health impacts due to project activities with a special emphasis on:-
 - (i) Impact on women's health
 - (ii) Impact on the elderly

--

4. IMPACTS ON CULTURE AND SOCIAL COHESION

- (a) Transformation of local political structures
- (b) Demographic changes
- (c) Shifts in the economy-ecology balance
- (d) Impacts on the norms, beliefs, values and cultural life
- (e) Crime and illicit activities
- (f) Stress of dislocation



(g) Impact of separation of family cohesion

(h) Violence against women

5. IMPACT AT DIFFERENT STAGES OF THE PROJECT CYCLE

The type, timing, duration and intensity of social impacts will depend on and relate closely to the stages of the

project cycle. Below is an indicative list of impacts

- (a) Pre-construction phase

(i) Interruption in the delivery of services

(ii) Drop in productive investment

(iii) Land speculation

(iv) Stress of uncertainty

- (b) Construction phase

(i) Displacement and relocation

(ii) Influx of migrant construction workforce

(iii) Health impacts on those who continue to live close to the construction site

--

- (c) Operation phase

(i) Reduction in employment opportunities compared to the construction phase

(ii) Economic benefits of the project

(iii) Benefits on new infrastructure

(iv) New patterns of social organisation

- (d) De-commissioning phase

(i) Loss of economic opportunities

(ii) Environmental degradation and its impact on livelihoods

(iii) "Indirect impacts" will include all impacts that may be experienced by those not directly affected by the acquisition of land but those living in the project area

- (f) Differential impacts

(i) Impact on women, children, the elderly and the differently abled

(ii) Impacts identified through tools such as Gender Impact Assessment Checklists, and Vulnerability and Resilience Mapping

- (g) Cumulative impacts
- (i) Measureable and potential impacts of other projects in the area along with the identified impacts for the project in question
- (ii) Impact on those not directly in the project area but based locally or even regionally.

--

2.0 Issues raised and suggestions

S. No.	PAPs concerns	Suggestion by the stakeholders	Remarks






Attendance sheet:

Name	Gender	Town/village	Sign	Ph. No.



ANNEXURE-3: Resource Maps

Resource maps using PRA of the affected villages/wards, panchayat/municipal corporation wise.




BAMTA PANCHAYAT RESOURCE MAP






MAIHED PANCHAYAT RESOURCE MAP























UP-Mahal Bilaspur Resource Map





ANNEXURE-4: Photographs from the field survey

Minutes of meetings of public consultations done in the villages and the urban Municipal Corporation

Panchayat-Kot khas

Kanguwali



Meeting with Gram pradhan



Meeting with Public



Survey

Field visit

Up Muhal Bilaspur (Lakhanpur) Ward



Meeting with Gram Panchayat



Public consultant



Site visit



Site visit




Survey



Survey

Bamta

Meeting with Gram pradhan



Focus group discussion with villagers



Public Consultation



Survey



Site visit



Diara

Focus group discussion with Gram Panchayat



Public Consultation



Survey



Field Visit



Bilaspur

Public consultation with gram pradhan and villagers.



Focus group Discussion with gram pradhan and villagers



Site visit



Survey



Naoni

Focus Group discussion with gram pradhan and villagers



Public consultation



Survey




Site visit




Raghunathpura

Public consultation with Gram Pradhan and villagers



Focus Group Discussion with villagers and Pradhan





Site Visit



Survey



Nai sarli and Kallar

Focus group discussion



Public consultation



Survey



Site visit



Swahan

Focus group discussion



Public consultation



Site visit



Majhed

Public Consultation with Pradhan and Villagers



Focus group discussion



Survey



Site visit



Talli

Focus group discussion with Pradhan and villagers



Public consultation



Survey



Site visit



Dharot

Focus group discussion



Public consultation



Survey



Site visit



Kot Khas

Focus group discussion with Pradhan and village secretary



Survey




ANNEXURE 5-: COPY OF THE SALE DEEDS IN BAMTA AND TALIPANCHAYAT -COPY OF THE SALE DEEDS PROVIDED BY PAFS IN BAMTA AND TALIPANCHAYAT

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left;"> <p>Deed Endorsement Details</p> <p><i>Handwritten: 2006-2018</i></p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>on Date: <i>2006-2018</i></p> </div> </div>		
Registration No. <i>4452018</i>	Registration Date: <i>26/06/2018</i>	
Book No. <i>1</i>	Deed Type: <i>SALE/CONVEYANCE</i>	
Reference No. <i>700-2015</i>	Deed Name: <i>SALE/CONVEYANCE</i>	
Sub Deed Name: <i>Taxmap Sale, Without Sublet 1/ Area, Outside, NAC Area, to Agricultural</i>	Registration Date: <i>26/06/2018</i>	
Registration Date: <i>26/06/2018</i>	Precedence: <i>Atax, Ram, And others</i>	No. of Pages: <i>18</i>
No. of Deed Pages: <i>4</i>	No. of Additional Pages: <i>4</i>	No. of Annex: <i>Pages 18</i>
Stamp Duty Details		
1/10th of Total Market Value, Impressed, Transferred to CANARA Bank, Stamp Duty, 1/10th No.		
Stamp Duty: <i>00000</i>	Stamp Duty: <i>00000</i>	Stamp Duty: <i>00000</i>
Registration Fee: <i>00000</i>	Stamp Duty: <i>00000</i>	Stamp Duty: <i>00000</i>
Mode of Payment: <i>Cash</i>	Date: <i>2006-2018</i>	Amount: <i>00000</i>
Additional Book Printing Details:		
Total No. of Pages: <i>18</i>	Supplementary Book Printing Details:	
Printing Date: <i>26/06/2018</i>	No. of Pages: <i>Annexure Pages: 18</i>	
Additional Book No. <i>1</i>	Supplementary Book No. <i>1</i>	
Volume No. <i>1219</i>	Volume No. <i>862</i>	
From Page: <i>1</i>	From Page: <i>8</i>	
To Page: <i>18</i>	To Page: <i>22</i>	
Certificate of Registration		
<i>[As per the provisions of Registration Act.]</i>		
<p>The Contents of this document read over and explained to the Eccipient(s) Present(s) and understood, all the conditions and others therein to be true and correct. Hence, the Document is hereby, Registered.</p>		
Sub Registrar, District Registrar, District Registrar (P&F)		

[illegible][illegible][illegible][illegible]

17
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

Deed Endorsement Details		on change /
Name: _____	Registration No. 257/2020	Registration Date : 21/05/2020
Book No. & Page No. _____	Deed Name: SALE/CONVEYANCE	
Reference No.: 374/2020		
Sale Deed Status: Sale of Movable, Without Bill of Sale, Without Bill Area, In Agreement	Purpose: Kidding Receipt	
Presentation Date: 21/05/2020		
No. of Deed Pages: 5	No. of Additional Pages: 3	No. of Annexes: 2
Stamp Duty Detail:		
(A) Stamp of Attorney, Probationary First Counsel Bar of India (Chattogram), 16/05/2020, Validity No.: 00000000079629/18 Dated 20/04/2020, 16/05/2020		
For Deed:	Stamping Fee: 10	Total Fee: 21/05/2020
Registration Fee: 30000	Printing Fee: 10	Total: 33110
Mode of Payment: Cash	Date: _____	Amount: _____
Additional Book Printing Details		Supplementary Book Printing Details
Total No. of Pages: 6	No. of Pages: 13	
Printing Date: 21/05/2020	Printing Date: 21/05/2020	
Additional Book No.: 1	Supplementary Book No.: 1	
Volume No.: 1867	Volume No.: 999	
From Page: 7	From Page: 76	
To Page: 11	To Page: 84	
Certificate of Registration		
(As per the provisions of Registration Act)		
The Contents of this document have been duly verified and registered in the Local Register, after understanding all the conditions and admissions therein to be true and valid and legal, for Document is hereby, REGISTERED.		
 Registrar District Office, Belduar (Bd.)		
REMARKS on change		

[illegible][illegible]

ANNEXURE-6: OBJECTIONS RECEIVED BY PAFS OF BAMTA

Detailed summary of the objections received by the PAFs in the affected villages of Bamta panchayat.

Summary of Objections received by Bamta Panchayat on the acquisition of land for laying of railway lines and construction of Railway Station

Project Affected Families belonging to four villages i.e. Bamta, Behal Kandila, Badhyat and Kherian Luhnoo have raised objections on the account of loss of their lands for the construction of railway station and laying of railway lines. The villagers have already been displaced in the past 5 times in the central government and state government projects starting from the construction of Bhakra Nangal Dam (1956), Establishment of New Bilaspur township (1958), Establishment of Government ITI (1959), Establishment of Industrial Area (1965) and Construction and widening of national Highway and State Highway (1997). The villagers are vehemently opposed to the construction of railway station on account of large parcel of land that shall be utilized for the same and on account of 'Drop Chute Toilet' system which shall generate loads of human waste and shall be diverted to Rivers Sutlej and Ali khadi and shall pollute the water ways there. It shall also lead to loss of pisciculture and pollution of Guru Gobind Sagar lake. The villagers earlier displaced are already yet to be re-established again. There shall be loss of land and many villagers shall become landless and jobless as most of them are doing subsistence agriculture and are running dairy farms. Second and one of the most pertinent issue is the decrease in the circle rate as compared to what is being given in the market and what has been agreed previously while the previously held negotiation. The market rate per bigha of land is Rs 1 Crore, however the circle rate being offered by the administration is Rs. 25 lakhs per annum on which, the PAF's objection is all about. Many villagers want employment to be provided by the railways in exchange of their land and jobs being given to them by private cement industries available there i.e., ACC, JP Cement etc. There shall be loss of timber land and the money that is being generated on account of sale of timber. Similarly, there shall be loss of income being generated from horticulture land.

S.No.	Village	Description	Response
1	Khairiyan Lunoo	Dissatisfaction with respect to Circle Rate	
2.	Khairiyan Lunoo	<p>Demand for compensation to be raised to 2 crore / bigha as compared to Rs 25 lakh / bigha</p> <p>(Kashmir Singh, Sherdeen, Surjeet Singh, Laxmi Singh, Rattan Lal, Balbir Singh, Praveen Singh, Shamsheer Singh, Pritam Singh, Kamaljeet, Vijay Singh, Bhim Singh and Lal Singh)</p>	
3.	Khairiyan Lunoo	<p>Employment generation</p> <p>(Prem Singh, Shamsheer Singh)</p>	
4.	Khairiyan Lunoo	<p>Land has been acquired 5 times in the past, Earlier acquisition in 1955-58 for the construction of Bhakra Nangal Dam and then 4 times further acquired</p> <p>(Uday Singh, Kashmir Singh, Surjeet Singh, Laxmi Singh, Praveen Singh, Shobha Devi, Shankari Devi, Balbir Singh, Pammi Devi, Tajuddin, Bashir, Ramji, Vidya Devi, Jamuna Devi, Mamdeen, Shyam Singh, Rattan Lal, Sherdeen, Balwant Singh, Sheela, Shyam Singh, Pritam Singh, Kamaljeet, Vijay Singh, Bhim Singh and Lal Singh)</p>	
5.	Khairiyan Lunoo	<p>Joblessness and landlessness</p> <p>(Tajuddin, Sherdeen and Kamaldeen, Ramji Dass, Pammi Singh, Rattan Lal)</p>	
6.	Khairiyan Lunoo	Construction of Railway Station	
7.	Khairiyan Lunoo	<p>Extension of help from the Railway Department in terms of employment</p> <p>(Sherdeen, Surjeet Singh, Praveen Singh)</p>	

8.	Khairiyan Lunoo	Loss of pastureland (Mamdeen)	
9.	Khairiyan Lunoo	Loss of Pisciculture (Madoo Deen)	
10.	Khairiyan Lunoo	Loss of timber land and timber (Bashir Deen)	
11.	Khairiyan Lunoo	Loss of horticulture (Jaindu Deen)	

S. No.	Village	Description	Response
1.	Bahel Kandela	<p>Land has been acquired 5 times in the past, Earlier acquisition in 1955-58 for the construction of Bhakra Nangal Dam and then 4 times further acquired</p> <p>(Chando Devi, Shivram, Kuldeep, Jagdish Kumar, Sohan Lal, Kamala devi, Nandlal, Manish Kumar, Amar Singh, Mahendra Singh, Jeetram, Prem Lata, Amitabh, Yogendra Thakur, Rajesh Khattar, Kuldeep Kumar, Rampal, Neelam Thakur, Abhishek Thakur, Swati Thakur, Bhol Ram, Devi Ram, Suresh Kumar, Jagdish Kumar, Bhagati Devi, Manaki Ram, Bhagat Ram, Sohan Lal)</p>	
2.	Bahel Kandela	Loss of Dairy Land	

3.	Bahel Kandela	Provision of (Chando Devi, Shivram, Kuldeep, Jagdish Kumar, Sohan Lal, Kamala devi, Nandlal, Manish Kumar, Amar Singh, Mahendra Singh, Jeetram, Prem Lata, Amitabh, Yogendra Thakur, Rajesh Khattar, Kuldeep Kumar, Rampal, Neelam Thakur, Abhishek Thakur, Swati Thakur, Bhol Ram, Devi Ram, Suresh Kumar, Jagdish Kumar, Bhagati Devi, Manaki Ram, Bhagat Ram, Sohan Lal)	

Annexure 6. Public hearing - Photo Album and attendance sheet

GLIMPSES OF PUBLIC HEARING HELD FROM 24- 29 SEPTEMBER 2021

Place -Phanchayat Ghar - Kallar

(Kot, Tunnu/ Tuhnu)

24.09.2021, 10:00AM



Place -Phanchayat Ghar -Naoni

(Manwa)

24.09.2021, 2:30 PM



Place -Phanchayat Ghar -Majher

(Thapna, Samletu, Jabbal)

25.09.2021, 10:00 AM



Place -Phanchayat Ghar -Talli

(Talli, Tikkar, Dagrahan, Bhater)

25.09.2021, 2:00 PM



Place -Phanchayat Ghar -Swahan

(Khairiyan)

27.09.2021, 10:00 AM



Place -Phanchayat Ghar -Dharot

(Dharot)

27.09.2021, 2:00 PM



Place -Phanchayat Ghar -Diara

28.09.2021, 10:00 AM



PANCHAYAT-UP MAHOL BALOH

UP MAHOL BILASPUR

28.09.2021, 2:00 PM



Place -Phanchayat Ghar -Bamta

(Khairiyan luhnu, Bamta, Behal kandaila, Badhyat)

29.09.2021, 10:00 AM



Place -Phanchayat Ghar -Raghunathpura

(Ramour, Khansra, Raghunathpur, Kohalwin)

29.09.2021, 2:00 PM



PHANCHAYAT GHAR-KALLAR

(Kot, Tunnu/ Tuhnu)

24.09.2021, 10:00AM

Public Hearing -Minutes of Meeting

Project Name: भानुपल्ली-विलासपुर-बेरी रेललाइन सर्वेदा -एस्टाईड रिपोर्ट

1.0 Member of Meeting:

- Land acquisition officer ✓ *D. Sanyal (Khamam)*
- Gram Pradhans / Ward Members
- PAPs
- SR AIA SIA team
- Others - *ABM - J. L. (MBC)*
- KNL - K. N. (S. DGMS KNL)*

2.0 Agenda of the meeting

The agenda of the meeting was to have public hearing with the PAPs of village in connection with land acquisition for the project name " Bhanupalli-Bilasipur- Berru, New Broad Gauge Railway Line"

FORMAT FOR PUBLIC CONSULTATION

Perception about the project:

1. Do you think that BG Railway Line is necessary for the villagers or otherwise? Yes/ No ✓

2. What impacts, both positive and negative of the project do you foresee?

S.N	Positive Impact	Remark	S.N	Negative Impact	Remark
1	Shorten the trip	✓	1	Agricultural land	✓
2	Enhance local economy	✓	2	Loss of livelihood	✓
3	Increase employment opportunity	✓	3	Loss of income	✓
4	Increase facilities	✓	4	Loss of house /shop	✓
5	Decrease in accident	✓	5	Loss of customers & supplier	✓
6	Increase in property value	✓	6	Disruption of social/cultural/economic	✓
7	Improvement in transportation system	✓	7	Increase in Crime Rates	✓
8	Decrease Greenhouse gas emission	✓	8	Increase in Migration	✓
9	Increase educational level	✓	9	Disadvantage to the environment (damage of park, tree etc)	✓
10	Others(Specify)		10	Other(Specify)	

3.0 Discussion point & decision taken

[illegible]

Public Hearing - Attendance Sheet:

Project Name: गुप्तवासी-विद्युत्-करी तलवाड़ा परियोजना-सुरक्षाकृत निर्माणाधीन

Date: 24/09/2021

Time and Venue: 10 AM Kallar Name of the Panchayat: Panchayat Bhawan Kallar

S. No.	Name	Sex	Age	Mobile no	Village	Signature
1	<u>Shri. A. Kamesh</u>	<u>म</u>	<u>49</u>	<u>8236007705</u>	<u>Bachhawal</u>	<u>SP</u>
2	<u>श्री. गीता</u>	<u>म</u>	<u>32</u>	<u>9219150632</u>	<u>Batcha</u>	<u>SP</u>
3	<u>श्री. अशोक</u>	<u>म</u>	<u>45</u>	<u>8091055949</u>	<u>Batcha</u>	<u>SP</u>
4	<u>श्री. अशोक</u>	<u>म</u>	<u>55</u>	<u>7018299180</u>	<u>Kot</u>	<u>SP</u>
5	<u>श्री. अशोक</u>	<u>म</u>	<u>62</u>	<u>11</u>	<u>Kot</u>	<u>SP</u>
6	<u>श्री. अशोक</u>	<u>म</u>	<u>61</u>	<u>8366106852</u>	<u>Kot</u>	<u>SP</u>
7	<u>श्री. अशोक</u>	<u>म</u>	<u>62</u>	<u>9888266353</u>	<u>Kot</u>	<u>SP</u>
8	<u>श्री. अशोक</u>	<u>म</u>	<u>65</u>	<u>9736219554</u>	<u>Batcha</u>	<u>SP</u>
9	<u>श्री. अशोक</u>	<u>म</u>	<u>62</u>	<u>7018289180</u>	<u>Kot</u>	<u>SP</u>

[illegible]

PHANCHAYAT GHAR-NAONI

(Manwa)

24.09.2021, 2:30 PM

Public Hearing - Minutes of Meeting

Project Name: भादुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेललाइन मशीन -गणगाउँगे नियेटे

1.0 Member of Meeting:

- Land acquisition officer
- Gram Pradhans / Ward Members
- PAPs
- SR Asia SA team
- Others / ADM

2.0 Agenda of the meeting

The agenda of the meeting was to have public hearing with the PAPs of the village in connection with land acquisition for the project name "Bhaupali-Bilaspur- Beri, New Broad Gauge Railway Line"

FORM AT FOR PUBLIC CONSULTATION

Perception about the project:

1. Do you think that BG Railway Line is necessary for the villagers or otherwise? Yes/ No

2. What impacts, both positive and negative of the project do you foresee?

S.N	Positive Impact	Remark	S.N	Negative Impact	Remark
1	Shorten the trip	✓	1	Agricultural land	
2	Enhance local economy	✓	2	Loss of livelihood	✓
3	Increases employment opportunity	✓	3	Loss of income	✓
4	Increase facilities	✓	4	Loss of house/shop	
5	Decrease in accident	✓	5	Loss of customers & supplier	
6	Increase in property value	✓	6	Disruption of social/cultural/economic	✓
7	Improvement in transportation system	✓	7	Increase in Crime Rates	
8	Decrease Greenhouse gas emission	✓	8	Increase in Migration	✓
9	Increase educational level		9	Disadvantage to the environment (damage of park, tree etc)	✓
10	Others (Specify)		10	Other (Specify)	

3.0 Discussion point & decision taken

[illegible]

Public Hearing - Attendance Sheet:

Project Name: पंचसूत-विहारपुर-देवी रेलादाय मंदिर -साधारण निर्मा

Date: 24/09/2021

Time and Venue: 2.30 PM Noon

Name of the Panchayat: Panchayat office, Nauli

S. No.	Name	Sex	Age	Mobile no	Village	Signature
1	Ram Jaul	male	52 yrs	98170-13434	manmora	21/10/21
2	Chhote Ram Nami	do	70 yrs	94182-99935	do	CP
3	Ram Lal Singh	do	62 yrs	98165-33157	do	Ram Lal Singh
4	Aditi Jaul	"	50/11	98172-22555	मानमोरा	5/11/21
5	Ram Lal	"	63 "	78073-97899	मानमोरा	Ram Lal
6	Bikhi Thakur	M	41	94191-73842	मानमोरा	B =
7	Prem Lal Thakur	M	58	9625527600	मानमोरा	Ram Lal
8	Sonu Devi	F	33	9894232771	मानमोरा	Sonu Devi
9	Ram Jaul	F	54	7893282454	मानमोरा	Signature

[illegible]

PHANCHAYAT GHAR-MAJHER

(Thapna, Samletu, Jabbal)

25.09.2021, 10:00 AM

Public Hearing - Minutes of Meeting

Project Name: भाग्यवल्ली-विन्तासपुर-बेरी रेलगाइड मार्ग - न्यूगाइड रिपोर्ट

1.0 Member of Meeting:

- i. Land acquisition officer *✓* *29/04/2017 (Majed)*
- ii. Gram Pradhans / Ward Members *✓* *29/04/2017*
- iii. PAF's *✓*
- iv. SR Asia SIA team *✓*
- v. Others *✓* *29/04/2017*
- vi. *ADP Bilalpur* *✓* *29/04/2017 (Anmol Nagpal, Jyoti)*

2.0 Agenda of the meeting

The agenda of the meeting was to have public hearing with the PAFs of village in connection with land acquisition for the project name " Bhumapali-Bilaspur- Berri, New Broad Gauge Railway Line"

FORMAT FOR PUBLIC CONSULTATION

Perception about the project:

1. Do you think that BG Railway Line is necessary for the villagers or otherwise? ✓/No

2. What impacts, both positive and negative of the project do you foresee?

S.N	Positive Impact	Remark	S.N	Negative Impact	Remark
1	Shorten the trip	✓	1	Agricultural land	
2	Enhance local economy	✓	2	Loss of livelihood	✓
3	Increase employment opportunity	✓	3	Loss of income	✓
4	Increase facilities	✓	4	Loss of house/shop	
5	Decrease in accident	✓	5	Loss of customers & supplier	
6	Increase in property value		6	Disruption of social/cultural/economic	✓
7	Improvement in transportation system	✓	7	Increase in Crime Rates	
8	Decrease Greenhouse gas emission		8	Increase in Migration	
9	Increase educational level	✓	9	Disadvantage to the environment (damage of park, tree etc)	✓
10	Others (Specify)		10	Other (Specify)	

3.0 Discussion point & decision taken

[illegible]

Public Hearing - Attendance Sheet:						
Project Name: मंगलेश्वर-हिरण्य-ढोई तालावर मंदीर -सुरक्षा फाईल						
Date: 25/09/2021						
Time and Venue : 10 AM, Pandharyan office			Name of the Pandharyan: Mohar			
S. No.	Name	Sex	Age	Mobile no	Village	Signature
1	जयशंकर शिंदे	M	70	9418139985	मोहवा	जयशंकर शिंदे
2	दादू भोव	m.	70	8894542553	हिरण्य	दादू भोव
3	अश्वत्थाम		49	9736757945	मोहवा	अश्वत्थाम
4	अश्वत्थ	M	49	8894639582	मोहवा	अश्वत्थ
5	सुनील वामन	M	34	8894542553	हिरण्य	सुनील
6	अश्वत्थ भोव	m	47	8214524195	मोहवा	अश्वत्थ भोव
7	अश्वत्थ	M	74	854477316	मोहवा	अश्वत्थ
8	अश्वत्थ	M	60	9817207619	मोहवा	अश्वत्थ
9	सुरजमल	M	55	761850845	मोहवा	सुरजमल

[illegible]

PANCHAYAT-TALLI

(Talli, Tikkar, Dagrahan, Bhater)

25.09.2021, 2:00 PM

Public Hearing - Minutes of Meeting

Project Name: भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेललाइन मार्ग -एसआईए रिपोर्ट

1.0 Member of Meeting:

- Land acquisition officer
- Gram Pradhans / Ward Members
- PAP's
- SR Asia SIA team
- Others

2.0 Agenda of the meeting

The agenda of the meeting was to have public hearing with the PAPs of village in connection with land acquisition for the project name "Bhanupali-Bilaspur- Berri, New Broad Gauge Railway Line"

FORMAT FOR PUBLIC CONSULTATION

Perception about the project:

1. Do you think that BG Railway Line is necessary for the villagers or otherwise? Yes/ No

2. What impacts, both positive and negative of the project do you foresee?

S.N	Positive Impact	Remark	S.N	Negative Impact	Remark
1	Shorten the trip	✓	1	Agricultural land	✓
2	Enhance local economy	✓	2	Loss of livelihood	✓
3	Increase employment opportunity	✓	3	Loss of income	✓
4	Increase facilities	✓	4	Loss of house/shop	✓
5	Decrease in accident	✓	5	Loss of customers & supplier	✓
6	Increase in property value	✓	6	Disruption of social/cultural/economic	✓
7	Improvement in transportation system	✓	7	Increase in Crime Rates	✓
8	Decrease Greenhouse gas emission	✓	8	Increase in Migration	✓
9	Increase educational level	✓	9	Disadvantage to the environment (damage of park, tree etc)	✓
10	Others (Specify)		10	Other (Specify)	

3.0 Discussion point & decision taken

S. No.	Name	PAP's Concerns	Discussion	Response
1	...	9459703088		
2	...			
3	...			
4	...			
5	...	9418602649		
6	...	9805985125		
7	...			
8	...	9816348236		
9	...	9418808866		
10	...	9816347738		
11	...			

Public Hearing - Attendance Sheet:

Project Name: भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेललाइन मार्ग -एसआईए रिपोर्ट

Date: 25/09/2021

Time and Venue: 2 PM, Panchayat office

Name of the Panchayat: Talli

S. No.	Name	Sex	Age	Mobile no	Village	Signature
1	...	M	60	9816670296
2	...	M	49	9877783356
3	...	M	40	889668831
4	...	M	61	9877783356
5	...	M	65	9877783356
6	...	M	72	9877783356
7	...	M	76	9877783356
8	...	F	70	9877783356
9	...	F	75	9877783356

Attendance sheet- Extra Sheet

S. No.	Name	Sex	Age	Mobile no	Village	Signature
10	...	M	60	9877783356
11	...	M	65	9418477121
12	...	M	42	9418477121
13	...	M	55	9418477121
14	...	M	25	9418477121
15	...	M	70	98160-1810
16	...	M	...	9459040951
17	...	M	...	9213030497
18	...	M	...	7649915782
19	...	M	...	844822608
20	...	M	...	9459919961
21	...	M	40	8894568089
22	...	M	...	8628037072
23	...	M	...	8209851630
24	...	M	...	94189-43069
25	...	M	...	9816826633
26	...	M	...	8219800598
27	...	M	48	8219209483
28	...	M	62	98822-26035

PHANCHAYAT GHAR-SWAHAN

(Khairiyan)

27.09.2021, 10:00 AM

SWAHN

Public Hearing - Minutes of Meeting

Project Name: भाग्यल्ली-विलासपुर-बेरी रेललाइन परियोजना - नयाआईए रिपोर्ट

1.0 Member of Meeting:

- Land acquisition officer
- Gram Pradhani / Ward Members
- PAP's
- SH Asst SIA team *Shri. J. K. Singh*
- Others *Dr. J. K. Singh*
- Dr. J. K. Singh*

2.0 Agenda of the meeting

The agenda of the meeting was to have public hearing with the PAPs of village in connection with land acquisition for the project name " Bhaunapali-Bilaspur- Berri, New Broad Gauge Railway Line"

FORMAT FOR PUBLIC CONSULTATION

Perception about the project:

1. Do you think that BG Railway Line is necessary for the villagers or otherwise? ☒ Yes/ No

2. What impacts, both positive and negative of the project do you foresee?

S.N	Positive Impact	Remark	S.N	Negative Impact	Remark
1	Shorten the trip	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Agricultural Land	
2	Enhance local economy	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Loss of livelihood	
3	Increase employment opportunity		3	Loss of income	
4	Increase facilities		4	Loss of house/shop	
5	Decrease in accident		5	Loss of customers & supplier	
6	Increase in property value		6	Disruption of social/cultural/economic	
7	Improvement in transportation system		7	Increase in Crime Rates	
8	Decrease Greenhouse gas emission		8	Increase in Migration	
9	Increase educational level		9	Disadvantage to the environment (damage of park tree etc)	
10	Others (Specify)		10	Other (Specify)	

3.0 Discussion point & decision taken

[illegible]

S. No.	Name	Sex	Age	Mobile no	Village	Signature
1	सुखदेव ठाकुर	male	53	9882432281	डोडा	सुखदेव ठाकुर
2	पारमजोत कुरान	male	50	9882432281	डोडा	पारमजोत
3	सिता राम	male	52	9882229988	डोडा	सिता राम
4	एनी राज	male	45	9736791022	डोडा	एनी राज
5	रमेश चंद मल	male	60	9618734451	डोडा	रमेश चंद
6	राजेश चंद	male	63	9796777798	डोडा	राजेश चंद
7	हनुमन्त	male	34	8358879600	डोडा	हनुमन्त
8	सुखदेव ठाकुर	male	27	9736766497	डोडा	सुखदेव ठाकुर
9	डिला राम	male	48	97362-35723	डोडा	डिला राम

S. No.	Name	Sex	Age	Mobile no	Village	Signature
10	Atiq Kumar	Male	21	821926254	Kheron	Atiq
11	Vishal Kumar	Male	19	7876802803	Kheron	Vishal Kumar
12	Dinesh Kumar	Male	21	905080194	Kheron	Dinesh Kumar
13	Sham Singh	Male	17	988279452	Sudhan	Sham Singh
14	Naam Singh	m.		628427694	Kheron	Naam Singh
15	Suraj Singh	m.	18	209105733	Kheron	Suraj Singh
16	Kamal Singh	Male	33	9878700002	Khairon Kheron	Kamal Singh
17	Manish Rajit	Male	26	7591000169	Kheron	Manish Rajit
18	Suraj Singh	m.	60	11	Kheron	Suraj Singh
19	Suraj Singh	m.	71		Kheron	Suraj Singh
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

PANCHAYAT-DHAROT

(Dharot)

27.09.2021, 2:00 PM

[illegible]

PHANCHAYAT GHAR-DIARA

28.09.2021, 10:00 AM

Diasa

Public Hearing - Minutes of Meeting

Project Name: भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेललाइन परबीर-भुताडाईय रिपोट

I.0 Member of Meeting:

- i. Land acquisition officer Shri. (Diva)
- ii. Gram Pradhani / Ward Members Soliga
- iii. P.A.P's
- iv. SR Asia S/A team
- v. Others / Expan. Party (S.D.C.M. & U.V.L.)

2.0 Agenda of the meeting:

The agenda of the meeting was to have public hearing with the P.A.P's of village in connection with the land acquisition for the project name "Bhanupali-Bilaspur-Beri, New Broad Gauge Railway Line"

FORMAT FOR PUBLIC CONSULTATION

Perception about the project:

1. Do you think that BG Railway Line is necessary for the villagers or otherwise? Yes/ No

2. What impacts, both positive and negative of the project do you foresee?

S.N	Positive Impact	Remark	S.N	Negative Impact	Remark
1	Shortens the trip		1	Agricultural land	
2	Enhance local economy		2	Loss of livelihood	
3	Increases employment opportunity		3	Loss of income	
4	Increases facilities		4	Loss of house/shop	
5	Decrease in accident		5	Loss of customers & supplier	
6	Increase in property value		6	Disruption of social/cultural/economic	
7	Improvement in transportation system		7	Increase in Crime Rates	
8	Decrease Greenhouse gas emission		8	Increase in Migration	
9	Increase educational level		9	Disadvantage to the environment (damage of stick, tree etc)	
10	Others (Specify)		10	Other (Specify)	

3.0 Discussion point & decision taken

[illegible][illegible]

PANCHAYAT-UP MAHOL BALOH

UP MAHOL BILASPUR

28.09.2021, 2:00 PM

UP Mahol Bilaspur

Public Hearing - Minutes of Meeting

Project Name: **भारत-चीन रेलमार्ग-बी तलवाड़ा बसोटा-सुराजपुर रोड**

1.0 Members of Meeting:

- i. Land acquisition officer
- ii. Gram Panchayat / Ward Member
- iii. PDP
- iv. SR Asia team
- v. Others

2.0 Agenda of the meeting

The agenda of the meeting was to have public hearing with the PDPs of village in connection with land acquisition for the project name "Bilaspur-Baloh-Busot Road, New Broad Gauge Railway Line".

FORMAT FOR PUBLIC CONSULTATION

Perception about the project:

1. Do you think that BG Railway Line is necessary for the villages or others? Yes/No

2. What impacts, both positive and negative of the project do you foresee?

S.N	Positive Impact	Remarks	Negative Impact	Remarks
1	Improve the life		1	Loss of land
2	Enhance local economy		2	Loss of livelihood
3	Increase employment opportunities		3	Loss of forest
4	Increase facilities		4	Loss of forest/land
5	Increase in agriculture		5	Loss of crop/loss of supply
6	Increase in property value		6	Disruption of livelihood/economic
7	Improvement in transportation		7	Increase in Crime Rates
8	Decrease Greenhouse gas emission		8	Increase in Migration
9	Increase educational level		9	Disadvantage to the environment (change of path, tree etc)
10	Others (Specify)		10	Others (Specify)

3.0 Discussion point & decision taken

Public Hearing - Attendance Sheet:

Project Name: **भारत-चीन रेलमार्ग-बी तलवाड़ा बसोटा-सुराजपुर रोड**

Date: 28/09/2021

Time and Venue: 2 PM, Vikas Khand Sadar- Up Mahol Baloh Bilaspur

S. No.	Name	Sex	Age	Mobile no	Village	Signature
1	Harada Lal	F	40	70181-99401	Baloh	
2	Rajender Kumar	M	53	70186-0105	do	
3	Mahesh Kumar	M	40	8219741193	Lakhanpur	
4	Ranbhai	M	64	981634184	La Khanda	
5	Vikas Kumar	M	30	9857200388	Lakhanpur	
6	Vinod	M	54	959078941	Lakhanpur	
7	Vidya Kumar	M	31	9817444444	Lakhanpur	
8	Sourendra	M	56	9805153130	Lakhanpur	

Attendance sheet - Public Hearing

S.N.	Name	Sex	Age	Mobile no	Village	Signature
1	Rajender Kumar	M	63	9817444444	Lakhanpur	
2	Ranbhai	M	64	981634184	Lakhanpur	
3	Rajender Kumar	M	53	70186-0105	do	
4	Mahesh Kumar	M	40	8219741193	Lakhanpur	
5	Ranbhai	M	64	981634184	Lakhanpur	
6	Vikas Kumar	M	30	9857200388	Lakhanpur	
7	Vinod	M	54	959078941	Lakhanpur	
8	Vidya Kumar	M	31	9817444444	Lakhanpur	
9	Sourendra	M	56	9805153130	Lakhanpur	
10	Harada Lal	F	40	70181-99401	Baloh	
11	Rajender Kumar	M	53	70186-0105	do	
12	Mahesh Kumar	M	40	8219741193	Lakhanpur	
13	Ranbhai	M	64	981634184	Lakhanpur	
14	Vikas Kumar	M	30	9857200388	Lakhanpur	
15	Vinod	M	54	959078941	Lakhanpur	
16	Vidya Kumar	M	31	9817444444	Lakhanpur	
17	Sourendra	M	56	9805153130	Lakhanpur	
18	Harada Lal	F	40	70181-99401	Baloh	
19	Rajender Kumar	M	53	70186-0105	do	
20	Mahesh Kumar	M	40	8219741193	Lakhanpur	
21	Ranbhai	M	64	981634184	Lakhanpur	
22	Vikas Kumar	M	30	9857200388	Lakhanpur	
23	Vinod	M	54	959078941	Lakhanpur	
24	Vidya Kumar	M	31	9817444444	Lakhanpur	
25	Sourendra	M	56	9805153130	Lakhanpur	

Attendance sheet - Public Hearing

S.N.	Name	Sex	Age	Mobile no	Village	Signature
1	Sourendra	F	43	701802314	Lakhanpur	
2	Rajender Kumar	M	34	9736608176	Lakhanpur	
3	Harada Lal	F	50	9816950886	do	
4	Rajender Kumar	M	70	814554-618061	Lakhanpur	
5	Vikas Kumar	M	30	986999006	Lakhanpur	
6	Vinod	M	59	9818707091	Lakhanpur	
7	Vidya Kumar	M	31	9816870330	Lakhanpur	
8	Sourendra	M	56	9805153130	Lakhanpur	

PHANCHAYAT GHAR-BAMTA

(Khairiyah luhnu, Bamta, Behal kandaila, Badhyat)

29.09.2021, 10:00 AM

Bamta

Public Hearing - Minutes of Meeting

Project Name: भाग्यवती-बिलासपुर-बीटी बेलगढ़ मरीदा-एसआईए विवेक

1.0 Member of Meeting:

- i. Land acquisition officer
- ii. GPM / Panch / Ward Members
- iii. PAF's
- iv. SR Asia (SA team)
- v. Others (RWH)
- vi. ADP, Bilaspur / MPC / (Land Acquisitor / AG)

2.0 Agenda of the meeting

The agenda of the meeting was to have public hearing with the PAFs of village in connection with land acquisition for the project name "Bhagwati-Bilaspur-Berti, New Broad Gauge Railway Line"

FORMAT FOR PUBLIC CONSULTATION

Perception about the project:

1. Do you think that BG Railway Line is necessary for the villagers or otherwise? Yes/ No

2. What impacts, both positive and negative of the project do you foresee?

S/N	Positive Impact	Remark	S/N	Negative Impact	Remark
1	Shorten the trip		1	Agricultural Land	
2	Enhance local economy		2	Loss of livelihood	
3	Increase employment opportunity		3	Loss of income	
4	Increase facilities		4	Loss of water/flood	
5	Increase in accident		5	Loss of resources & supplies	
6	Increase in property value		6	Disruption of social/cultural/economic	
7	Improvement in transportation system		7	Increase in Crime Rates	
8	Increase Greenhouse gas emission		8	Increase in Migration	
9	Increase educational level		9	Disadvantage to the environment (damage of earth, tree etc)	
10	Other (Specify)		10	Other (Specify)	

3.0 Discussion point & decision taken

Public Hearing - Attendance Sheet:

Project Name: भाग्यवती-बिलासपुर-बीटी बेलगढ़ मरीदा-एसआईए विवेक

Date: 29/09/2021

Time and Venue: 10 AM, Panchayat office

Name of the Panchayat: Bamta

S. No.	Name	Sex	Age	Mobile no	Village	Signature
	Krishan Lal	Mal	57	9318842143	Khairiyah luhnu	<i>[Signature]</i>
	Mandeem	"	49	9811058957	Khairiyah luhnu	<i>[Signature]</i>
	Kamal Deem	Mal	68	9857161726	Khairiyah luhnu	<i>[Signature]</i>
	Taju Deem	Mal	55	9918124696	Khairiyah luhnu	<i>[Signature]</i>
	Madu Deem	Mal	60	867932744	Khairiyah luhnu	<i>[Signature]</i>
	Shayya Singh	Mal	62	984128832	Khairiyah luhnu	<i>[Signature]</i>
	Shayya Singh	Mal	45	9816888689	"	<i>[Signature]</i>
	Shayya Singh	"	72	987468476	"	<i>[Signature]</i>
	Shayya Singh	"	47	8585106900	"	<i>[Signature]</i>
	Shayya Singh	"	55	9488016117	"	<i>[Signature]</i>
	Mazmata	Female	70	"	"	<i>[Signature]</i>

Attendance sheet - Extra Sheet

S. No.	Name	Sex	Age	Mobile no	Village	Signature
	Mahesh Singh	M	43	9816577786	Badhyat	<i>[Signature]</i>
	Rohaan Singh	"	45	9845961543	"	<i>[Signature]</i>
	Mahesh Singh	M	44	983610886	"	<i>[Signature]</i>
	Pradeep Singh	"	61	9846152716	"	<i>[Signature]</i>
	Uday Singh	"	18	9836177724	"	<i>[Signature]</i>
	Suresh Singh	"	60	9836100388	"	<i>[Signature]</i>
	Ram Singh	Female	45	9836177724	"	<i>[Signature]</i>
	Vidya Devi	"	51	9817413465	"	<i>[Signature]</i>
	Ram Singh	"	48	9865102420	"	<i>[Signature]</i>
	Ramesh Kumar	Male	51	9817074732	"	<i>[Signature]</i>
	Rajendra Singh	Male	60	9418094881	"	<i>[Signature]</i>
	Rajendra Singh	"	58	9805060111	"	<i>[Signature]</i>
	Bogdhar Singh	"	75	9823508550	"	<i>[Signature]</i>
	Bogdhar Singh	"	73	9819389559	"	<i>[Signature]</i>
	Korand Singh	M	75	9816294860	Badhyat	<i>[Signature]</i>
	Lakshmi Singh	M	78	9819174311	Badhyat	<i>[Signature]</i>
	Rajesh Singh	"	53	9454874662	Behal	<i>[Signature]</i>
	Raja Ram	"	53	623048290	Behal	<i>[Signature]</i>
	Sihal Lal	"	12	0817943122	Behal	<i>[Signature]</i>
	Suresh Singh	"	56	6319862413	"	<i>[Signature]</i>
	Puri Ram	"	61	8262879900	Behal	<i>[Signature]</i>
	Dev Ram	"	72	9865872557	Behal	<i>[Signature]</i>
	Shi Ram	"	74	9817076557	Behal	<i>[Signature]</i>

S. No.	Name	Sex	Age	Mobile no	Village	Signature
	Jashil Singh	"	65	7018233396	Behal	<i>[Signature]</i>
	Rajkumar Singh	"	61	9736190112	"	<i>[Signature]</i>
	Shahli Singh	"	63	8091792364	"	<i>[Signature]</i>
	Neha Kumar	"	67	"	"	<i>[Signature]</i>
	Ramesh Kumar	"	51	9817074340	"	<i>[Signature]</i>
	Suresh Singh	"	40	9816228724	"	<i>[Signature]</i>
	Gan Singh	"	58	9817293198	"	<i>[Signature]</i>
	Raj Singh	"	48	7680533448	"	<i>[Signature]</i>
	Jagdish Singh	"	47	9817068151	Behal	<i>[Signature]</i>
	Manish Kumar	"	24	9817538064	"	<i>[Signature]</i>
	Anil Kumar	"	50	"	Behal	<i>[Signature]</i>
	Nishant Singh	"	19	8219604312	Behal	<i>[Signature]</i>
	Santosh Ram	"	67	9816623477	"	<i>[Signature]</i>
	Sanjay Kumar	"	48	9857000524	Behal	<i>[Signature]</i>
	Suresh Singh	"	35	9817038438	"	<i>[Signature]</i>
	Anand Ram	"	68	9818567076	Behal	<i>[Signature]</i>
	Amor Singh	"	55	9628853028	"	<i>[Signature]</i>
	Nand Lal	M	52	9816623464	Behal	<i>[Signature]</i>



PHANCHAYAT GHAR-RAGHUNATHPURA

(Ramour, Khansra, Raghunathpur, Kohalwin)

29.09.2021, 2:00 PM

Raghunathpura
Public Hearing - Minutes of Meeting

Project Name: भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेललाइन मसौदा -एसआईए रिपोर्ट

1.0 Member of Meeting:

- Land acquisition officer
- Gram Pradhans / Ward Members
- PAP's
- SR Asia SIA team
- Others / RVNL
- Adm. Bilaspur

2.0 Agenda of the meeting

The agenda of the meeting was to have public hearing with the PAPs of village in connection with land acquisition for the project name "Bhanupali-Bilaspur- Berri, New Broad Gauge Railway Line"

FORMAT FOR PUBLIC CONSULTATION

Perception about the project:

1. Do you think that BG Railway Line is necessary for the villagers or otherwise? Yes/ No

2. What impacts, both positive and negative of the project do you foresee?

S.N	Positive Impact	Remark	S.N	Negative Impact	Remark
1	Shorten the trip		1	Agricultural land	
2	Enhance local economy		2	Loss of livelihood	
3	Increase employment opportunity		3	Loss of income	
4	Increase facilities		4	Loss of house/shop	
5	Decrease in accident		5	Loss of customers & supplier	
6	Increase in property value		6	Disruption of social/cultural/economic	
7	Improvement in transportation system		7	Increase in Crime Rates	
8	Decrease Greenhouse gas emission		8	Increase in Migration	
9	Increase educational level		9	Disadvantage to the environment (damage of park, tree etc.)	
10	Others (Specify)		10	Other (Specify)	

3.0 Discussion point & decision taken

Project Name: भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेललाइन मसौदा -एसआईए रिपोर्ट

Date: 29/09/2021

Time and Venue: 2 PM, Panchayat office

Name of the Panchayat: Raghunathpura

S. No.	Name	Sex	Age	Mobile no	Village	Signature
1	R. Chauhan	Male	85	94150-54386	Raghunathpura	[Signature]
2	Rakesh Sharma	Male	40	9817369712	do	[Signature]
3	Pratibha Devi	Female	64	9817077667	do	[Signature]
4	Pamela Chaudhary	Female	51	8219492157	do	[Signature]
5	Rajendra	Male	36	8091795637	Raghunathpura	[Signature]
6	Niraj Kumar	Male	66	9625459003	Raghunathpura	[Signature]
7	Dawlat	Male	59	9936625735	Khansra	[Signature]
8	Sunder Ram	Male	64	8262915815	Raghunathpura	[Signature]
9	Kamini Ram	Female	75	7876188627	Raghunathpura	[Signature]
10	Vijay Ram	Male	70	9819066684	Khansra	[Signature]
11	Rajendra Singh	Male	70	9857807383	Raghunathpura	[Signature]

Attendance sheet- Extra Sheet

Name	Sex	Age	Mobile no	Village	Signature
Sunder	M	50	9819312857	Raghunathpura	[Signature]
Nikhil Ram	M	60		"	[Signature]
Kishor	M	54	9625139239	"	[Signature]
Rajesh	M	45	9818350955	"	[Signature]
Sanita	Female		9817810220	Khansra	[Signature]
Anagat Ram	Male		9871213918	"	[Signature]
Anil	"		9625100948	"	[Signature]
Sun + Ram	"		9818584501	"	[Signature]
Rajesh	"		7018219305	"	[Signature]
Satish	"		981917245	"	[Signature]
Ashwani	"		9817030575	"	[Signature]
Sarvendra	"		7819196149	"	[Signature]
Rahul	"		7018038693	"	[Signature]
Anand	"		8219871210	Ramour	[Signature]
Chand	"		9817066239	Ramour	[Signature]

Annexure 7. Representation by Individuals and KBBB registered society

PHANCHAYAT GHAR-KALLAR

(Kot, Tunnu/ Tuhnu) 24.09.2021

सेवा में,

प्रभारी S.I.A TEAM. रेलवे Project.
बिलासपुर (हि०प्र०)

निवेदन है कि :-

- 1) गाँव कीटों जो रेलवे द्वारा लिंक रोड चयनित किया है।
(यससे धरे गाँव को सुवर्ण है) अतः महोदय रेलवे निवेदन है कि जो लिंक
रेड रजम तय बनाया गया है उसका सर्वे दोहरा दोना बुनियादी है।
- 2) टनल की वजह से हमारी पीने के पानी की व्यवस्था तब्य-वस्य
हो जस्यी।
- 3) ऊँहरी कबि में लिंक रोड की वजह से जगह-2 सुख्य दिक्क
लगाने की आवश्यकता होगी।
- 4) हमारे सभी काम वासियों की जो जमीन टनल और रोड की वजह
से जगह-2 से स्लाइडिंग हो जस्यी।

गाँव वासियों के ब्यताक्षर

समस्त गाँव वासियों के ब्यताक्षर

1 मदन लाल 8351008487

2. Pithalpur दीप कुमार

3 सुखराज

4 सुखराज

5 राम लाल

6 Hander

7 रजम सिंह

8 रजम

98172 14396

973619556

PHANCHAYAT GHAR-SWAHAN

(Khairiyan) 27.09.2021

आज दिनांक _____ को ग्राम पंचायत _____
विकास स्वण्ड _____ जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की बैठक प्रधान/उपप्रधान/पंच
श्री _____
की अध्यक्षता में हो कर निम्न कार्यवाही अमल में लाई गई उपस्थित / रही।

- श्री _____ ने प्रस्ताव पेश किया अध्यक्ष महोदय ने अनुमोदन किया कि
4. अनुपल्ली-बराणा प्रस्तावित रेलवे के मिनीज के सख्त होनेवाले मुखन से होने वाले मुकसान की भरपाई भी की जाए।
 5. अनुपल्ली-बराणा प्रस्तावित रेलवे लाइन में आने वाली जमीन को फेक्टर-4 के तहत मुवाकफा खास दी जाए।
 6. गांधी रोड में प्रस्तावित सुरंग के मुहाने पर आठवां स्वरूप के नाम पर रेलवे स्टेशन बनाया जाए जिसमें जिला बिलासपुर की रेलवे स्टेशन, बिलासपुर पंचायत व जिला सोहन, बिलासपुर की लगभग 15 पंचायतों तथा जिला रोहतास पंचायत के 15 विधान सभा क्षेत्रों की आबादी को रेलवे स्टेशन बनने से सुविधा होगी।
 7. बिलासपुर रोड में सुरंग तब (मुहाने) पक्का लिट्टा खोदना होगा। ताकि रेलवे स्टेशन का फायदा जनता को मिले।
- रतनेश्वरी से उद्घाटित

सर्व सम्मति से विचार विमर्श उपरान्त पारित हुआ कि प्रतिलिपि प्रस्ताव सेवा में बेबां

उपप्रधानाधिकारी न सपर बिलासपुर

जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश प्रस्तुत करके प्रार्थना की जावे कि इस प्रस्ताव पर अमल करके की गई कार्यवाही से यथा शीघ्र पंचायत को अवगत करने की कृपा करें।

प्रमाणित किया जाता है कि नकल मुताबिक असल है। जिस लेख की यह प्रतिलिपि है वह पंचायत अभिलेख में विद्यमान है।

ग्राम पंचायत स्वरूप
वि० सं० श्री नयना देवी जी
स्थित स्वाहाट, बिलासपुर (हि.प्र.)
27/09/2021

हस्ताक्षर सचिव
ग्राम पंचायत
BILASPUR
At SWAHAT, BILASPUR (H.P.)



नकल प्रस्ताव - 2

आज दिनांक 27.9.2021 को ग्राम पंचायत रवाहा
विकास स्वर्ण भक्तिग्रेजी जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की बैठक प्रधान/उपप्रधान/पंच

श्री दीनानाथ बाबुरजी

की अध्यक्षता में हो कर निम्न कार्यवाही अमल में लाई गई उपस्थित रही।

प्रस्ताव नं० 2:- अनुपल्ली-वरगाणा रेलवे लाइन के वर्क में
स्थानीय गा० पंच० स्थावन की जंगल भार भाग पत्र।

श्री सर्वसम्मति ने प्रस्ताव पेश किया अध्यक्ष महोदय ने अनुमोदन किया कि
अनुपल्ली-वरगाणा प्रस्तावित रेलवे लाइन के अन्तर्गत गांव खेदियां,
मेहला, सुरग निर्माण के अन्तर्गत गा० पंच० के गांव खेदियां, स्वाहा
डोला, वाग, मेहला, भुवारी के जिन पखिरों की जमीन के नीचे
से प्रस्तावित सुरग को निर्माण होना है जिस पर स्थानीय पंचायत की
निम्न लिखित भागें जनहित में अधिक हैं।

1. अनुपल्ली-वरगाणा प्रस्तावित रेलवे सुरग के ऊपर जिन पखिरों
की जमीन आएगी उसे सरकार जनहित में अधिकृत करे और
उचित मुआवजा शशि प्रदान करे
2. अनुपल्ली-वरगाणा प्रस्तावित रेलवे के निर्माण कार्य में गा० पंच०
स्थावन के वैजोभार भुवारी को प्राप्ति कता के आधार पर वैजोभार
प्रदान किया जाए।
3. अनुपल्ली-वरगाणा प्रस्तावित रेलवे के निर्माण के कारण पेपल
स्रोत प्रस्तावित एवं सुरग के कारण पेपल स्रोत जनहित में पेपल का
उचित प्रबंध किया जाए

सर्व सम्मति से विचार विमर्श उपरान्त पारित हुआ कि प्रतिलिपि प्रस्ताव सेवा में

P.T.O-2

जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश प्रस्तुत करके प्रार्थना की जावे कि इस प्रस्ताव पर अमल करके की गई कार्यवाही से यथा शीघ्र पंचायत
को अवगत करने की कृपा करें।
प्रमाणित किया जाता है कि नकल मुताबिक असल है और जिस लेख की यह प्रतिलिपि है वह पंचायत अभिलेख में विद्यमान है।

हस्ताक्षर सचिव

श्रीमान

खिला चौक नरसिंह,

विलासपुर

हिमाचल प्रदेश

श्रीमान जी,

0 नवंबर है। मैं हमारी जमीन के नीचे से रेलवे लाइन
आ रही है। जमीन के अन्दर का पानी जो है वह नीचे बूझ सकता
है। जमीन में हमारे पचातक के जीवन का पानी है। उनमें पानी
के पानी की वही समस्या के जाह गी, और जमीन को उपरी
भाग का पानी जो है वह सूख जायगा और जमीन बंजर हो
जायगी। स्वसरा नम्बर 11 बिचा बक्सिया स्वसरा नम्बर है। इसमें
जमीन है और $\frac{592}{297}$ स्वसरा नम्बर वाली जमीन है। इसमें हम
लाने जाय, अच्छे की खेती करके दे। पच रकवे के ब्यापार
है। जाह गी, 4, 4 स्वसरा नं गांव स्वसरा के लाये लगे है।
जब रेलवे लाइन नीचे है जाह गी तो पानी, और मजान आये
सब कुछ बरबाद हो जायगा।

Dharam Singh
Village and P.O
Swahar
Bilaspur

अन्क वीद
चमो सिंह ठाकुर
गोव स्वाहन
डा. 11
बिला विलासपुर
H.P

PHANCHAYAT GHAR-DHAROT

(Dharot) 27.09.2021

सेवा में,

एस.डी. काम .
भूमि अधिग्रहण अधिकारी, बभुपल्ली - बिलासपुर
परिषद्,
बिलासपुर ।

विषय: - रेलवे लॉन के अंतर्गत गाँव धरौट में भूमि के लिए रिजर्व
प्लॉट की गलती से लिए रिहायशी भवन की परिषद् में
अधिग्रहण करने का है ।

श्रीमान जी,

साथ निवेदन यह है कि जब रिहायशी भवन
परिषद् में अधिग्रहित किया गया है लेकिन यहां लिखता
अपने चीजों कि अधिग्रहित किछु छु रिहायशी भवन के
साथ उस और भवन लगा है जिसकी जरूरत यह - 2
अनुसूचित करने पर अधिग्रहित नहीं किया गया, क्योंकि
जो आपने रिहायशी भवन दूसरी जगह अपनी गलती से
भूमि में बना दिया है, नहीं आपने बेवली है कि
जैसे इस भवन को भी अधिग्रहण करने की इच्छा
मुआवजा दिलाया ।

27/09/2021

गोहर सिंह

बभुपल्ली साहिब
लेख लिख ड. श्री गलती से
गाँव धरौट, ज. लखन
लख श्री गंगा देवी जी,
पिता - बिलासपुर - हि.प्र.
174015

mob 89686 89982

PHANCHAYAT GHAR-UP MAHOL BALOH UP MAHOL BILASPUR

28.09.2021

To

The Sub Divisional Officer,
(Land Acquisition Collector),
Bilaspur, Distt Bilaspur.

Re: Revaluation of housing property comprised under Khasra No 94/1, under consideration for acquisition under Bhanupali- Bilaspur rail line.

Dated: 27-08-2021

Respected sir,

I beg pardon to approach your kind honour to request you for revaluation of my property which is under consideration for acquisition under BhanuPali- Bilaspur Railway line.

I, Bhanu Partap Singh s/o Sh Ram Paul Bhatia am resident of Village Baloh, Po Lakhampur, Tehsil Sadar, Distt Bilaspur, H.P. and am owner of 1/3rd Share of property admeasuring 1511.29 sq mtr, total land 4533-87 sq mtr comprised under khata Khatoni No 66/74 khasra No 94 as per jamabandi for the year 2013-14. The proposed Bhanupali rail line is passing through my agricultural land and my house constructed over the said land is also falling under the proposed rail line.

The residential house building is a two storied building excluding the mumty area, the ground floor of which was completed in the year 2010-11 and first floor in 2018-19(when I availed a home loan of Rs 9.0 lakh).As per the valuation done by PWD department, both the stories are valued as per 2010-11 valuation.

There are four tanks which are directly linked with this house for water storage, septic tank(2), kitchen waste water tanks which has not been included in the valuation.

The value of the first floor is estimated about Rs 17.00 lakh as told by railway authorities, although as per my expenditure incurred during construction of the first floor, this much amount would have not been enough for even labour costs.

I could approach you and it is only you to whom I could approach and could tell my genuine problem. I have spent most of my earnings and family earnings for the construction of house and has availed various loans for the completion of house. I have used the best material for the construction of house i.e. the Tuffened glass, Kapoor Saal, Devdaar wood, kajaria and cera sanitary fittings, Sleek modular kitchen etc. I am a common man and don't have any political links through which I could approach you but I hope that my problem will be heard and genuine price of my residential house will be paid to me.

Some of the photographs of my house are also attached for favour of your perusal and consideration please.

Thanking you.

Yours faithfully,



Bhanu Partap Singh
70183-88952
S/o Late Sh Ram Paul Bhatia

92187-88200
70186-09205

classmate

Date _____
Page _____

सेवा में,
प्रभाग अधीक्षक,
रेलवे विभाग,
बिलासपुर (हि. प्र.)
महोदय,

सविनय निवेदन है कि जो हमारा मकान रेलवे में
जा रहा है, उसका उचित मुआवजा हमें प्रदान नहीं किया
गया। यह पत्र लिखने का उद्देश्य यही है कि जो मुआवजा
आपके द्वारा दिया गया है, हम उससे सहमत नहीं हैं
क्योंकि हमारा मकान तीन मंजिल का है जो पूरा का पूरा
पक्का है। तीसरी मंजिल हमारी तीन की है जिसमें हमने
पूरे मंजिल पर टोप क्लास की टाइल लगाई है। (दीवारों
पर भी)। अनुमीन्यम के दस्तावेज हैं। उसी मंजिल पर
हमने लगभग 15 लाख लगा चुके हैं। दूसरे फ्लोर पर
भी हमने मारबल लगाया है। इन सब चीजों को नष्ट
रखते हुए जिस आधार पर आपने हमें शशि प्रदान
की है उससे न तो जमीन आरगी न ही घर बनेगा।

अंत में हम यही दख्खास करते हैं और यह बताना
चाहते हैं कि हमें उचित समय पर रेलवे से नॉमल (सूचना)
नहीं दी गई कि इधर से रेलवे जा सकती है तो आप
घर का निर्माण न करें। अंत में आपसे यही दख्खास
है कि आप हमें घर बनाने के लिए उचित धनराशि
देने की कृपा करें। क्योंकि आजकल इतने मावजे से
न तो जमीन आरगी और न ही घर बनेगा।

धन्यवाद

भवदीय

अशोक कुमार

सपुत्र श्री वमरा देव

पता : अशोक कुमार, गाँव लखनपुर, बिलासपुर, हि. प्र., 174001
दिनांक : 28, सितम्बर, 2021

Sweendeka

सेवा में,
पत्र अधिग्रहण आफिसर,
रेलवे विभाग बिलासपुर,
(हि०प्र०)

विषय: भकान का उचित मुआवजा न मिलने वारे :-

श्रीमानजी, निवेदन है कि मैं प्रेमलता 4/0 श्री रामजी दास वडि० न०-11

लखनपुर (उप मुखाल) बिलासपुर की निवासी हूँ मेरा भकान न० 4
स्वसं० 1483 3/1 जो कि 2016 में बना है व श्री-बालन न० 4 स्वसं० 1483 3/1
जो कि 2016 में और कच्चा भकान न० 4 स्वसं० 1483 3/1
जो कि 2008 में बना है जो कि रेलवे लॉन में चला गया है जिसका
मुझे मुआवजा बहुत कम दिया गया है अतः आप से प्रार्थना
है कि मेरे भकान की पैगाईश दुफरा कि जाए और उचित
मुआवजा दिया जाए ताकि हम अपना नया भकान दूसरी
जगह बना सकें।

धन्यवाद,

प्रमिता

नाम — प्रेमलता 4/0 श्री रामजी दास
वडि० न०-11 लखनपुर (उप मुखाल)
बिलासपुर (हि०प्र०)

फोन न०: 98572-00388

दिनांक - 28/4/2021

मेरा मे,

मैं आदिग्रहण डीपिआर
रेलवे विभाग बिलासपुर
(हिप्र०)

विषय → मेकान का इन्चि मुतावजा न मिलने की।
भी मानजी, निवेदन है कि मैं मनीज कुमार सुपुत्री
सुखराम वार्ड नं० ११ (उपग्रहण) लखनपुर तहसील जिला
बिलासपुर हिप्र० का निवासी हूँ। मेरा मकान नं० ३/१
मकान नं० १४८३ है जो कि २०१९ में बना है व दूसरा
पुराना मकान नं० ३/३ मकान नं० १४८३ है जो कि
२०१३ में बना है। जो कि रेलवे लाइन में मिला गया
है जिसका मुझे मुतावजा बहुत कम दिया गया है।
अतः आप से निवेदन है कि मुझे २०२१ का मेरा वीडियो जारी
और मेरे मकानों कि दुबारा पैमाईश कि जाये।
ताकि हम दुखी जागद नारा मकान
बना सकें ?

दानागढ़ स्थिति

Mahesh Kumar

नाम - मनीज कुमार सुपुत्री सुखराम
वार्ड नं० ११ (उपग्रहण) लखनपुर
तहसील जिला बिलासपुर (हिप्र०)

फोन नं० → 8219791493
→ 7018631926

सेक में ,

श्रीमान श्री -अधियहण अधिकारी
-भानुपल्ली बैरी बरमाना रेलवे लाईन
व्यास सदन बिलासपुर हि.प्र.

विषय - पूर्व में विस्थापित रहे परिवारों को पुनः विस्थापित करने की सूरत में घर बनाने हेतु भूमी प्लॉट अतिरिक्त मुआबजा राशि 40,58,530/- रूपए के इलावा अदा करवाने बारे और रोजी रोटी एवं आजीविका चलाने हेतु मार्केट स्पोर्ट के नजदीक दुकान के प्लॉट मंजूर करने बारे प्रार्थना पत्र ।

श्रीमान जी ,

निवेदन यह है कि मैं गोपाल कृष्ण कौंडल निवासी वाई नंबर-11 लखनपुर तहसील सदर जिला बिलासपुर हि.प्र. का स्थाई निवासी हूँ तथा 63 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है मेरे तथा मेरी पत्नी की उम्र 61 वर्ष के करीब है मेरा बेटे अदेश कुमार का परिवार मेरे से अलग रहता है और दूसरा बेटा आदश कुमार है जो कि अलग परिवार के तौर पर मेरे ही इस मकान में रिहायश करता है ,जबकि अदेश कुमार ने अपना मकान जो उसने सरकारी अनुदान और अपने कर्ज के पैसों से बड़ी कठिनाई से मेरे मकान की अंतिम मंजिल पर तामिर करवाया है उक्त संपत्ति का अधियहण भानुपल्ली बैरी बरमाना रेल लाईन के प्रस्तावित सर्वे में हो चुका है । मुझे और मेरे बेटे को पूरे मकान के सभी कमरे और मेरे व्यवसाय से जुड़ी बेल्टिंग की वर्कशॉप समेत मकान का बरामदा समेत मुस्तकां खसरा नंबर 1431,14222,1423,1424 फ़िल्त -4 रकबा 267-8 वर्गमीटर उपमहाल बिलासपुर (लखनपुर) भूमी में किए गए निर्माण कार्य किए हुए है मेरी उक्त पुस्तैनी जायदाद भी तानीर थी का अधियहण प्रक्रिया उक्त संपत्ति बारे पूरा होकर भानुपल्ली बैरी बरमाना रेलवे लाईन की जद में आई है क्योंकि इस रेल लाईन का प्रस्तावित सर्वे इस जगह से हो चुका है मेरे उक्त संपत्ति की कीमत का मूल्यांकन हो कर सभी प्रकार पेड़ मकान वर्क शॉप स्पोर्ट पर किए सभी प्रकार के निर्माण के मुआबजे का निधारण हो कर 40,58,530 / रूपए तय किया है व अदा कर दिया एवं ले लिया है जो कि बहुत कम है इसलिए अतिरिक्त रिवाईज करके मुआबजा राशि मुझे मिलनी चाहिए जिसका मैं हकदार हूँ ।

महोदय , जबकि पूर्व में भी मेरे पूर्व एवं मेरा परिवार भाखड़ा डैम से भी विस्थापित हुए थे इस जगह पर तहत मालिक है अब दुबारा रेलवे लाईन के निर्माण की वजह से एक बार फिर और विस्थापित होने का दर्श सता रहा है उजड़ जाने बाद पुनः बसने की चुनौती से दो चार होगा पड़ेगा जो कि मेरे परिवारों के लिए अब किसी असहनीय घटना से कम नहीं है । मेरे लिए इस उम्र में पुस्तैनी घरबार छोड़ने में बड़ी कठिनाई हो रही है वह भी तब जब सरकार ने विस्थापित होने के बाद मेरे और मेरे परिवार को किसी अन्य जगह पर भूमी आलोट कर देनी उचित है वेघर करके अथवा उजाड़कर घर बनाने की भूमी की व्यवस्था न करना अनुचित एवं गैर कानूनी है ।

लेकिन अभी तक वेघर होते हुए या वेघर होने की स्थिति में प्रशासन अथवा सरकार की तरफ से इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं सुझाया गया है और न ही कोई प्रतिस्थापित / व्यवस्थापित बारे कोई कार्ययोजना दर्शाई गई है ताकि मैं और मेरा परिवार एवं बेटे का परिवार विस्थापित होने के बाद मुआबजे के रूप में मिले पैसे से अपना नया घर निर्माण करके परिवार को अपने परिवार को बत्ता रके और अपना रोजगार चलाए जाने हेतु जैसे मैं पहले अपने परिवार पालन हेतु बेल्टिंग का कार्य करता था के अनुरूप मुझे मार्केट की जगह में शॉप के लिए भूमी का प्रावधान करना उतना ही जरूरी है क्योंकि इस भूमी में मेरी वर्कशॉप के बंद हो जाने जाने से मेरे रोजी रोटी पर भी सीधा प्रभाव पड़ जाएगा और मे वरोजगार हो जाएगा ।

इसलिए श्रीमान जी से अर्ज है कि मुझे और मेरे बेटे अदेश कुमार कौंडल के नाम से बिलासपुर नगर के नजदीक भूमी अलोटमेंट की जाये जिस से कि दोनों परिवारों के रिहायशी घरों का निर्माण करके मेरे परिवार का Settlement /व्यवस्थापन पुख्ता तरीके से हो सके । उपरोक्त विषय बारे जरूरी कार्रवाई करके उक्त मैं मुझे अतिरिक्त मुआबजा राशि दी जाए और मुझे खुद को एवं बेटे अदेश कुमार कौंडल , आदश कुमार को भी मेरे भूमीहीन हो जाने की सूरत में भूमी एवं प्लॉट के साथ -2 मेरे पूर्ववत रोजगार जीवित रखने हेतु वर्कशॉप को भी मार्केट सपोर्ट पर भूमी/प्लॉट मंजूर कराने की कृपा करे ।

आपकी महान कृपा होगी ।

Gopal K. 18/8/2021

प्राथी

गोपाल कृष्ण कौंडल सपुत्र श्री व्यास देव

निवासी वाई नंबर-11 लखनपुर तहसील सदर जिला बिलासपुर हि.प्र.

श्रीमान जी,

माननीय उपमण्डलीय दफ्तराधिकारी जी,
जिला बिलासपुर हि.प्र.

विषय :- रेलवे लाइन में जा रही हमारे कब्जे वाली जमीन के पेड़ों के बारे में।
श्रीमान जी

विनम्र निवेदन यह है कि हम वृजेंद्र सिंह व हरेंद्र सिंह पांडे जन्म-11 लोअर लखनपुर निवासी आपकी अपनी समस्या से अवगत करवाना चाहते हैं। हमारी जमीन रेलवे लाइन में जा रही है। श्रीमान जी यह जमीन उम्मीद भरी सुस्तरीका है हमारी समस्या यह है कि हमारे कब्जे वाली जमीन के पेड़ों की रखवाली हमें करनी है और आपने कब्जे वाली जमीन से हमें कुछ पालदार भी है जिन्हें हमें खुद लगाया और उनकी परवरिश भी हमें रखनी है। हमारी जमीन के जो दूसरे हिस्सेदार हैं वह भी लोग हैं और वह सभी आपने कब्जे वाली जमीन के पेड़ पहले ही काट चुके हैं। जनावर पहले रेलवे विभाग वालों से कहा था कि पेड़ों की कीमत काटकर दे दी जाएगी परन्तु उम्मीद अफस है कि पेड़ों की कीमत सुस्तरीका ही वाली जायेगी। श्रीमान जी जब हमारी जमीन के दूसरे हिस्सेदार अपनी जमीन के बारे में पेड़ पहले ही काट लिए हैं और हमें अपनी जमीन से केवल भी पेड़ नहीं कहा अनिष्ट और पालदार भी है लगाकर उनकी परवरिश खुद की है। उक्त जनावर से गुजारिश है कि रेलवे लाइन में जा रही हमारे कब्जे वाली जमीन के पेड़ों की कीमत हमें काटकर दे दी जाए या फिर हमारे कब्जे वाली जमीन के पेड़ों की हमें खुद काटने की इजाजत दे दी जाए। श्रीमान जी हम दोनों गाँव प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना रहे हैं हमारे घर के लिए हमें इमारती लकड़ी की आवश्यकता है और प्लूम महीने से हमारी लकड़ी की शर्त है। शर्त के समारोह के लिए भी हमें लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए श्रीमान जी आपसे यह निवेदन गुजारिश है कि हमें आपने कब्जे वाली जमीन से कुछ पेड़ों की काटने की हमें इजाजत दी जाए और हमारे कब्जे वाली जमीन के सभी पेड़ों की कीमत हमें काटकर दे दी जाए या फिर पेड़ काटने की इजाजत हमें दे दी जाए। आपकी हय पर फकी सहेरवाजी होगी।

दिनांक:- 30.12.20

प्राप्ति:-
वृजेंद्र सिंह व हरेंद्र सिंह
कृष्णेश्वर सिंह इन्द्रासिंह



कॉन्टैक्ट-11 लोअर लखनपुर

Contact No - 98162-50650, 98168-70230

सैना मे,

श्री अदिग्रहण डीपिसर
रेलवे विभाग बिलासपुर
(हिंदू)

मिस्टर,

मकान का डिवीट भुगतान न मिलने की वरि।
करी मान जी. निवेदन है कि मैं रामपाल 5/0 श्री
स्वर्गीय गुरदीप राम वर्ड नं० ॥ (उपग्रहण)
लखनपुर जिला बिलासपुर हिंदू का
निवासी हूँ। मेरा मकान नं० ३/। स्वर्गीय नं० ५४३, ३/।
मे वना है। जो कि २०१३ मे वनाया गया है।
जो कि रेलवे लाइन मे गया है। जिसका भुगतान
कर दिया गया है। इसतः आप से निवेदन है कि
मुझे डिवीट भुगतान दिया जाय। ताकि मैं मकान
वना सकु।

दिनांक १४/०५/१६

Ram Pal

नाम -> रामपाल 5/0 श्री स्वर्गीय गुरदीप राम
गंगा व वर्ड नं० ॥ (उपग्रहण) लखनपुर
तः जिला बिलासपुर (हिंदू)

फोन -> 98165 34816
फोन -> 98174-44444



To

The Sub Divisional Officer,
(Land Acquisition Collector),
Bilaspur, Distt Bilaspur.

Re: Revaluation of housing property comprised under Khasra No 94/1, under consideration for acquisition under Bhanupali- Bilaspur rail line.

Date: 27-03-2021
Respected sir,

I beg pardon to approach your kind honour to request you for revaluation of my property which is under consideration for acquisition under BhanuPali- Bilaspur Railway line.

I, Bhanu Partap Singh s/o Sh Ram Paul Bhatia am resident of Village Baloh, Po Lakhanpur, Tehsil Sadar, Distt Bilaspur, H.P. and am owner of 1/3rd Share of property admeasuring 1511.29 sq mtr, total land 4533-87 sq mtr comprised under khata Khatoni No 66/74 khasra No 94 as per jamabandi for the year 2013-14. The proposed Bhanupali rail line is passing through my agricultural land and my house constructed over the said land is also falling under the proposed rail line.

The residential house building is a two storied building excluding the mumty area, the ground floor of which was completed in the year 2010-11 and first floor in 2018-19(when I availed a home loan of Rs 9.0 lakh).As per the valuation done by PWD department, both the stories are valued as per 2010-11 valuation.

There are four tanks which are directly linked with this house for water storage, septic tank(2), kitchen waste water tanks which has not been included in the valuation.

The value of the first floor is estimated about Rs 17.00 lakh as told by railway authorities, although as per my expenditure incurred during construction of the first floor, this much amount would have not been enough for even labour costs.

I could approach you and it is only you to whom I could approach and could tell my genuine problem. I have spent most of my earnings and family earnings for the construction of house and has availed various loans for the completion of hose. I have used the best material for the construction of house i.e. the Tuffened glass, Kapoor Saal, Devdaar wood, kajaria and cera sanitary fittings, Sleek modular kitchen etc. I am a common man and don't have any political links through which I could approach you but I hope that my problem will be heard and genuine price of my residential house will be paid to me.

Some of the photographs of my house are also attached for favour of your perusal and consideration please.

Thanking you.

Yours faithfully,

Bhanu Partap Singh
70183-88952
S/o Late Sh Ram Paul Bhatia

92187-88200
70186-09205

(दिनांक 28-09-2021 को ज्ञात कि 184 मीटर निवेशानुसार जमीन पत्र प्राप्त)

प्रेषित: भू-आर्जन अधिकारी,
उत्तर रेलवे कार्यालय,
बिलासपुर, बिलासपुर (हि.प्र.)

विषय: सात भूमि एवं भूखान (खण्ड 65, 66, 67, 68, 69
70)
उप भूखान ब्लॉक के अंतर्गत मानुपल्ली-बिलासपुर
- बड़ी न्यू बी.जी. रेल लाइन (द्वितीय अनुभाग)
भू-आर्जन कर।

श्रीमान, उपरोक्त विषय में भूमि आपसे अनुरोध करना है

कि मेरी भूमि व भूखान उप भूखान ब्लॉक खण्ड 65, 66, 67, 68
69 व 70 जोकि मानुपल्ली-बिलासपुर- बड़ी न्यू बी.जी. रेल
लाइन (द्वितीय अनुभाग) द्वारा अवकाश (अर्जित) कर ली गयी
है। जिसका भूमि मुझको दिया जा चुका है। भूमि में व
मेरा परिवार बिना किसी भी प्रकार के बाधा के
भूमि का प्रयोग करते रह जाय है जिस में किसी भी प्रकार
हो। यदि कुल पैसा से मैं भूमि खरीदता हूँ तो मैं भूखान
बनाने की स्थिति में नहीं रह पाऊंगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि भूमि भूखान बनाने
हेतु भूमि सरकार से मिलाने की कृपा की जाय कि उन
भूमि में भूखान बना कर अपने परिवार सहित गुजरा कर
सकूँ। भूमि का ज्ञान ही सब अधिक, पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी
परेशानी को समझते हुए भूमि भूखान बनाने हेतु भूमि
अर्जित करवाने की कृपा करें।

आपका सहित,

दिनांक
28-09-2021

सहित
70180-91799

निवेदन:-
प्रधाना
प्रमोद कुमार (वि. प्र. वि. वि.)
बिलासपुर, बिलासपुर
बिलासपुर, बिलासपुर

PHANCHAYAT GHAR-BAMTA

(Khairiyan luhnu, Bamta, Behal kandaila, Badhyat)

29.09.2021

सेवा में

दिनांक: - 29/09/2021

● माफिक समाधान निर्धारण हेतु
लोक प्रशासन संस्थान
हिया। शिमला (हि.प्र.)

विषय:- गांव खैरियां वासियों की भू-आधिग्रहण पर आपत्तियां न जायें।
महोदय

निवेदन यह है कि हम गांव खैरियां निवासी जिनकी भूमि भानुपल्ली
- बिलासपुर - बैरी रेलवे स्टेशन/लार्नि तंत्रा संपर्क मार्ग में आधिग्रहित
की जा रही, उनकी निम्नलिखित आपत्तियां/मांगें व्यक्त कर रहे हैं:-

1. महोदय खैरियां-लुहनु की भूमि शहर से मिलती है तथा यहां
पर राष्‍ट्रीय राजमार्ग पड़ते हैं, यहां पर भूमि की कीमतें बहुत
ऊँचा है मगर राजस्व बचाने के लिए भूमि माफिया यहां पर
पंजीयन में बहुत कम दाम लिखवाते हैं। इसलिये महोदय से निवेदन
है कि आधिग्रहण से पूर्व गांव खैरियां की भूमि का सर्वेक्षण रेट
संशोधित कर के वास्तविकता के अनुसार बढ़ाया जाए। जबकि
अब सरकार द्वारा मूल्य और कम कर दिया गया है।
2. आधिग्रहण के पश्चात जो हमारी ज़ेब भूमि बचती है उसे जाने
वाले जो रास्ते हैं उनके यथा स्थिति में रखा जाए और उस
निकासी का भी उचित प्रबंध किया जाए तथा गांव में आने जाने
के लिए सड़क की सुविधा दी जाए।
3. इस भूमि पर सभी ग्रामवासी पशुओं का चारा आगते हैं जिससे
हम दूध, दही, पनीर आदि का उत्पादन करते हैं। जिससे प्रति परिवार
इन उत्पादों का बेचकर औसतन ₹30,000 से ₹35000 प्रति माह
कमाते हैं। यह हमारी आजीविका का मुख्य स्रोत है इसलिए हमारी
आय क्षतिपूर्ति भी दी जाए।
4. जो खैरियां गांव की भूमि आधिग्रहित की जा रही, यह सिंचित भूमि
होने के कारण इस भूमि में एक वर्ष में कई प्रकार की फसलें
जैसे की गन्ना, मक्का, उड़द, चना, सब्जियाँ आदि व साठियाँ भी
आगते हैं तथा बाजार में बेचकर प्रति परिवार 2 से 2.5 लाख
रुपये सालाना कमाता है। भूमि आधिग्रहण होने से हमें आय क्षति
होगी। इस क्षति की भी पूर्ति की जाए। तथा जो हमारे देव स्थल
हैं उनका भी पुनर्निर्माण किया जाए।

P.T.O.

5. गांव के सभी युवा बेरोजगार हैं व हम अपना गुजर बसर करने के लिए इसी भूमि पर पूर्णतः निर्भर हैं अतः जब आप उनके रोजगार भूमि अधिग्रहण कर ले लेंगे तो उन्हें रोजगार भी उपलब्ध करवाएँ। जो भी दुकानें ट्रांसपोर्टेशन व ठेके का काम हो वह विस्थापितों की ही प्राथमिकता के आधार पर दी जाए यह भूमि हमारी स्थायी आय का साधन है तो अधिग्रहण के पश्चात् आय का साधन नष्ट होने से भावी पीढ़ियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा।
6. महोदय हम गांव वासियों की भूमि की तीन बार पूर्व भी अधिग्रहण किया जा चुका है, एक बार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर, दूसरी बार औद्योगिक क्षेत्र बिलासपुर के लिए तब तीसरी बार भाखड़ा डैम के लिए, इसलिए इस विषय का ध्यान रखा जाए।

7. जिनके मकान इस लाइन अथवा रेलवे स्टेशन में जा रहे हैं उन्हें स्थानांतरित करने के लिए कम से कम दो वर्ष की समयावधि दी जाए तथा उन्हें इन्का उचित मुआवजा भी दिया जाए। महोदय कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो इस योजना में भूमि अधिग्रहण होने के पश्चात् पूर्णतः भूमिहीन हो जाएंगे इसलिए इनकी समस्या का भी उचित समाधान किया जाए।

8. हम ग्राम वासी यह चाहते हैं कि रेल लाइन से हमें कोई आपति नहीं है परंतु रेलवे स्टेशन का निर्माण यहां न किया जाए और यदि अधिग्रहित करनी ही है तो हमें ₹ 2 करोड़ प्रति बीघा मुआवजा दिया जाए।

9. महोदय हम आपका ध्यान एक और अति महत्वपूर्ण बिन्दु पर भी आकर्षित करना चाहते हैं जब BBLB द्वारा हमारी भूमि का अधिग्रहण किया गया था तो उस समय के तत्कालीन भू-अधिग्रहण अधिकारी द्वारा दिनांक 31/01/1958 को अनुबंध किया गया था कि

"Cultivated land or area will not decrease. When the water reservoir goes below R.L. 1600 the cultivated lands of Bilaspur Town will come out and will have silt deposits which is the best measure. Such lands will be given on lease on nominal rates such as and people of Bilaspur will get one very good crop every year and thus their income will increase."


क) शका उल्लेख पृष्ठ संख्या (अनुबंध) 8 पर किया गया है, अर्थात् हमें इस गृहि का भी मुआवजा दिया जाए। इस अनुबंध की धाराओं संलग्न हैं।

महोदय जो भवनों का गुणानकन किया गया है उनका पुनर्गुणानकन किया जाए तथा पेड़ों का भी उचित मूल्य दिया जाये जो भी विस्थापित हो रहे हैं उन सभी को 5-5 बिस्वा का प्लॉट दिया जाए।

उत्तः आप से अनुरोध है कि हमारे द्वारा दर्शाये गए इन महत्वपूर्ण विषयों पर आप संवेदनशीलता तथा गंभीरता से विचार करेंगे तथा हमें निराश नहीं करेंगे। यदि हमारी मांगों पर विचार न किया गया तो हम माननीय न्यायालय की शरण में जाने को बाध्य होंगे।

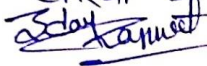
धन्यवाद।

निवेदक:- समस्त ग्राम सरियाँ वाली।

शमशेर सिंह :- 

98161-28332

सरियाँ ज. बांगरा तह. सदर बिलासपुर (हि.प्र.)



Shamla
Lam Singh



शमशेर सिंह

Shamla
Parvinder Singh

Shamla

माडू दीन

बलदेवी

Kamal Deen

Rattan Lal

Mamdeen

वसीर दीन

पभी

ममदा 21/10/20



To,

The In-charge Social Impact Assessment Team,
Bhanupali-Bilaspur-Beri New Rail Link Project
Camp at panchyat ghar BAMTA


Sub: Objection on SIA Report.

Respected Sir / Madam ,

We have been informed by some body that one team has hearing public with regard to social impact on displaced families after acquisition of land for railway satiation, on dated 29/09/2021 at PANCHYAT GHAR bamta. I on behalf of KBBB COMITTEE had presented representation against the acquisition of land for proposed railway junctions and , I / WE did not receive any report if any submitted by the SIA Team. Kindly provide the report if any submitted by them so that it could be studied for taking any further action .

Thanking you

Your's Sincerely,


B.B.B. Vikas Adhikari
Shastri Samiti
Vill. Behal, Teh. Sadar
Distt. Bilaspur (HP)

9-9-2021
President KBBB
Village BehalKandaila,
Tehsil & Distt. Bilaspur (HP)

PHANCHAYAT GHAR-RAGHUNATHPURA

(Ramour, Khansra, Raghunathpur, Kohalwin)

29.09.2021

सेवा में,
जिम्मेदार,
Land Acquisition Collector
Chandipali - Bilaspur (Beru)
New B/G Railway Line, Bilaspur H.P.

विषय :- रेलवे लाइन में मेरी जमीन गांव रघुनाथपुरा
में आने से शेष बची जमीन के बारे में।

श्रीमान जी,
सादर निवेदन है कि मैंने उपरोक्त
विषय के बारे में पहले भी आपको दिनांक
19/2/20 को पत्र दिया था।

जैसा कि मैंने पहले भी आपको अवगत कराया
था कि मैं भाखड़ा डैम बीछती हूँ मेरी पहले भी इसी
गांव में जमीन भाखड़ा डैम में जा चुकी है, शेष
सिर्फ 93 बिस्वां खसरा नं० 228 में बची है जिसमें
18 बिस्वां रकवा रेलवे लाइन में जा रहा है इसी
नं० खसरा 228 में शेष सिर्फ 5 बिस्वां रकवा
बचा है जो कि रेलवे फुल के नीचे रहेगा वह
जो कि किसी काम का नहीं रहेगा क्योंकि इस खसरे
की लम्बाई चौड़ाई बहुत कम रहेगी साथ में झील
भी लगती है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस
शेष बचे रकबे को भी साथ में लिया जाये क्योंकि
मेरा मकान व जमीन वहाँ से 3 कि०मी० दूरी
पर गांव जवली में है।

आपकी महान कृपा होगी,

प्रार्थी
Kamal Das
(कोहली राम)
पुत्र स्व० श्री गोकुल राम
गांव जवली डा० रघुनाथपुरा
तहसील सदा जिला - बिलासपुर (भ.)



सेवा में,

एस.डी.एम,

बिलासपुर हि.प्र.

विषय:- प्रार्थना पत्र रेलवे लाइन में जाने वाली भूमि व मकान के बारे।

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि हम सभी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील सदर जिला बिलासपुर हि.प्र. के स्थाई निवासी है। हमारी जमीन में रेलवे लाइन का सर्वे हो चुका है। हमारी जमीन व सभी परिवारों के मकान भी रेलवे लाइन में आ गए है। जिससे कि हम बेघर हो जाएंगे आज कल मकान तामिर करने में लाखों रुपये का खर्चा आ जाता है। हमारे गांव के साथ-साथ गांव रामपुर, खनंसरा, माणवा में भी सर्वा हो चुका है यह सभी गांव नेशनल हाईवे के साथ लगते है यह गांव अब टाउन प्लानिंग में आ चुके है। गांव रघुनाथपुरा के साथ लगते गांव बलोह, और लखनपुर की नेगोनेशन हो चुकी है जिसकी पेमेंट भी हो चुकी है। यह गांव भी टाउन प्लानिंग में आ गए है। इससे पहले हमारे गांव की जमीन भाखड़ा बांध बनते समय हमारी जमीनों का अधिग्रहण हुआ था। हमारी बहुत सी जमीन उसमें जा चुकी है। हमारे गांव की जमीन बिल्कुल गोविंद सागर झील के साथ लगती है। हमारी जमीन में कई सालों कोई भी खरीद फरोखत नहीं हुई है जिस कारण राजस्व विभाग में हमारी जमीन की कीमत बहुत ही कम लगाई हुई है अब इन गांव की जमीन बहुत ही उपजाऊ और कृषि योग्य व समतल है। जिससे कि हमारी रोजी-रोटी चलती है हम इस जमीन को किसी भी तरह से बेचना नहीं चाहते है क्योंकि हमारा एक रोजी-रोटी का साधन है हमारी जमीन की कीमत करोड़ों रुपये की है लेकिन राजस्व विभाग द्वारा इस जमीन की कीमत बहुत ही कम आंकी गई। हम गांव रघुनाथपुरा, कोहलवी, खनंसरा, रामपुर व

माणवा शहर टाउन प्लानिंग एरिया सरकार ने गमरोला पुल तक सभी गांव ले लिये है। इसलिए रेलवे लाईन का एक ही परपज है जिन गांव से रेलवे लाईन जा रही हैं इस लिए हमें शहर मार्किट का रेट मिलना चाहिए। पी. डब्लू डी. विभाग ने हमारे मकानों की कीमत 2011 का एसटीमेंट बनाया है जो कि बहुत कम है। हमारे मकानों का रेट 2021-22 का लगाया जाए व अब दोबारा नये मकान को बनाने के लिए भी आज का ही बाजारी रेट लगाया जाये। जो परिवार रेलवे औसती है उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी मिलनी चाहिए। हमारे गांव रघुनाथपुरा, कोहलवीं, खनसरा, रामपुर व माणवा पहले ही भाखड़ा औसती है अब रेलवे लाईन बनने से दोबारा से औसती बन रहे हैं।

इसलिए महादेय से हमारी प्रार्थना है कि हमारे प्रार्थना पत्र जल्दी से जल्दी अमल में लाया जाए और ग्रामवासियों के हित में कोई उचित कदम उठाया जाए जिससे कि ग्राम वासियों को उनकी जमीन का उचित मूल्य मिल सकें ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियों को समस्या का सामना न करना पड़े। आपकी महान कृपा होगी।

ધન્યવાદ ।

दिनांक

स्थान:-

संख्यान प्रतिलिपि :-

संज्ञान प्रतीति :-
 ① मोटी प्रतीति (मूँम उनीचग्रहण)
 २०१३ A. C पुनरुत्थान, पुनर्वास व चाउ गुणा मुक्तावती

3) Newsपेजट को छीर सरवाइ द्वारा प्रकाशित & व्यवस्थापित
उई की छीर।

(1) संचयन एवं प्रार्थीगण

175 अनारजी

(3) Paulat Run

(4) $\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$

(5) आरति राम

6) ~~Signature~~ ~~Researcher~~

(7) Alfred L...

(8) $\frac{1}{\text{एकल } \frac{1}{2} \text{ ए.}}$

(19) ५॥१॥ ५॥१॥

(10) $\frac{12}{521} \approx 2.31$

(11) Amav Nakh
2018/10/18

